रत्न माला, खंड 7, अंक 1

मंगलवार, 23 जुलाई, 1985
1 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा ।)

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 7, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 1, बुधवार, 23 जुलाई, 1985/1 श्रावण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—5
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	5—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 5	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—189
तारांकित प्रश्न संख्या : 6 से 20	20—29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 10, 12 से 72, 74 से 159 और 161 से 214	29—189
आपातकाल की घोषणा करने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव के बारे में	189—206
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	206—207
13-6-1985 को मध्य रेलवे के राजामंडी स्टेशन तथा 16-6-1985 को पश्चिम रेलवे के डा० राधाकृष्णननगर तथा मोरबनी स्टेशनों के बीच हुई रेल दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	207—209
श्री बंशी लाल	207
23 जून, 1985 को हुई इण्डिया जम्बो जैट "कनिष्क" की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	209—211
श्री अशोक गहलौत	209
"भारत में अवैध अर्थव्यवस्था के पहलुओं" पर राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान की रिपोर्ट के बारे में वक्तव्य	211—212
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	211
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	212—231
आसाम पुलिस और नागालैंड पुलिस के बीच आसाम-नागालैंड सीमा पर हुई सशस्त्र मुठभेड़ें	
श्री ललित माकन	212
श्री एस० बी० चह्वाण	212

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

आठवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अंजैया, श्री टी० (सिकन्दराबाद)

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)

अंसारी, श्री अब्दुल हन्नाम (मधुबनी)

अख्तर हसन, श्री (कैराना)

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (चांदनी चौक)

अडईकलराज, श्री एल० (तिरूचिरापल्ली)

अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी (तिरूचेन्दुर)

अदियोडी, डा० के० जी० (कालीकट)

अण्णानम्बी, श्री आर० (पोल्लाची)

अप्पालानरसिंहम, श्री पी० (अनकापल्ली)

अब्दुल गफूर, श्री (सीवन)

अब्दुल्ला, बेगम (अनन्तनाग)

अब्बासी, श्री के० जे० (डुमरियागंज)

अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण (बंगलौर दक्षिण)

अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)

अलखाराम, श्री (सलुम्बर)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अहमद, श्रीमती आबिदा (बरेली)

अहमद, श्री सरफराज (गिरिडीह)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री गुलाम नबी (वाशिम)

आजाद, श्री भागवत झा, (भागलपुर)

आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)

उ

उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (वडागरा)

उरांव, श्रीमती सुमति (लोहारडागा)

ए

एंथनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)

एंटनी, श्री पी० ए० (त्रिचूर)

ओ

ओडेयार, श्री चनैया (दावनगेर)

ओवेसी, श्री (हैदराबाद)

क

ककाडे, श्री सांभाजीराव (बारामती)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

कमला कुमारी, कुमारी (पलामू)

कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)

कलानिधि, डा० ए० (मद्रास मध्य)

कल्पना देवी, डा० टी० (वारंगल)

कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम (उस्मानाबाद)

कण्णन, श्री पी० (तिरुचेंगोडे)

काबुली, श्री अब्दुल रशीद (श्रीनगर)

कामत, श्री गुरुदास (बम्बई उत्तर पूर्व)

कामसन, प्रो० मिजिनलंग (बाह्य मणिपुर)
किदवई, श्रीमती मोहसिना (मेरठ)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द (दुमका)
कुंवर राम, श्री (नवादा)
कुचन, श्री गंगाधर एस० (शोलापुर)
कुजूर, श्री मारिस (सुन्दरगढ़)
कुन्जम्बु, श्री के० (अडूर)
कुप्पूस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बटूर)
कुमारमंगलम, श्री पी० आर० (सलेम)
कुरियन प्रो० पी० जे० (इदुक्की)
कुरुप, श्री सुरेश (कोट्टायम)
कुरेशी, श्री अजीज (सतना)
केन, श्री लाला राम (बयाना)
केयूर भूषण, श्री (रायपुर)
कुलनदईवेलु, श्री पी० (गोबिचेट्टिपालयम)
कोनयक, चिंगवांग (नागालैंड)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कौशल, श्री जगन्नाथ (चण्डीगढ़)
कृष्ण कुमार, श्री एस० (क्विलोन)
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री (महाराजगंज)
कृष्ण सिंह, श्री (भिण्ड)
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई (बीड़)

ख

खत्री, श्री निर्मल (फैजाबाद)
खां, श्री अख्लम शेर (बेतूल)
खां, श्री आरिफ मोहम्मद (बहराइच)
खां, श्री खुर्शीद आलम (फर्रूखाबाद)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खा, श्री मोहम्मद महफूल अली (एटा)
खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुनू)
खां, श्री रहीम (फरीदाबाद)
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ (सीतामढ़ी)

ग

गंगा राम, श्री (फिरोजाबाद)
गढवी, श्री बी० के० (बनासकांठा)
गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गांधी, श्री राजीव (अमेठी)
गाडगिल, श्री वी० एन० (पुणे)
गामित, श्री सी० डी० (माण्डवी)
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह (बड़ौदा)
गावली, श्री सीताराम जे० (दादरा और नगर हवेली)
गावित, श्री मानिकराव होडल्य (नन्दरबार)
गिरधारी लाल, श्री (बिजनौर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (बसीरहाट)
गुप्ता, श्री जनक राज (जम्मू)
गुप्ता, श्रीमती प्रभावती (मोतीहारी)
गुरुड्डी, श्री एम० एम० (बीजापुर)
गुहा, श्रीमती फूलरेणु (कन्टई)
गोपेश्वर, श्री (जमशेदपुर)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोहिल, श्री जी० बी० (भावनगर)

गौंडर, श्री ए० एस० (पलानी)
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे (हसन)

घ

घोलप, श्री एस० जी० (थाणे)
घोष, श्री तरुण कान्ति (बारासत)
घोष, श्री विमल कान्ति (सीरमपुर)
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा (नवद्वीप)
घोसाल, श्री देवी (बैरकपुर)

च

चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र (कानपुर)
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री (पदरौना)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (श्री पैरम्बुदूर)
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती (कांगड़ा)
चरण सिंह, श्री (बागपत)
चह्वाण, श्री एस० बी० (नांदेड़)
चह्वाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई के० (आनन्द)
चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, श्री (तिरुपति)
चोक्का राव, श्री जे० (करीमनगर)
चौधरी, श्रीमती ऊषा (अमरावती)
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान (मालदा)
चौधरी, श्री जगन्नाथ (बलिया)
चौधरी, श्री नन्दलाल (सागर)
चौधरी, श्री मनफूल सिंह (बीकानेर)
चौधरी, श्री रफीक्दीन (कटवा)
चौबे, श्री नारायण (मिदनापुर)

ज

जगत रक्षकन, डा० एस० (चिंगलपट्टू)
जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जगन्नाथ प्रसाद, श्री (मोहनलालगंज)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री काकन्नुर (तिरुवेल्लवेली)
जयदीप सिंह, श्री (गोंडा)
जयमोहन, श्री ए० (तिरुपत्तूर)
जांगड़े, श्री खेलन राम (बिलासपुर)
जाखड़, डा० बलराम (सीकर)
जाटव, श्री कमीदीलाल (मुरैना)
जाफर शरीफ, श्री (बंगलौर उत्तर)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जितेन्द्र सिंह, श्री (महाराजगंज)
जीवरत्न, श्री आर० (आर्कोनम)
जुझार सिंह, श्री (झालावाड़)
जेना, श्री चिन्तामणि (बालासोर)
जैन, श्री डालचन्द्र (दमोह)
जैन, श्री निहाल सिंह (आबरा)
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र (जोधपुर)
जैनुल बशर, श्री (बारासिपुर)

झ

झांसीलक्ष्मी, श्रीमती एन० पी० (चित्तूर)
झिकराम, श्री एम० एस० (मांडला)

ट

टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

टोम्बो सिंह, श्री एन० (आंतरिक मणिपुर)

ठ

ठक्कर, श्रीमती उषा (कच्छ)

ठाकुर, श्री सी० पी० (पटना)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)

डामोर, श्री सोमजी भाई (दोहद)

डिगाल, श्री राधाकांत (फूलबनी)

डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)

डोगरा, श्री गिरधारी लाल (ऊधमपुर)

डोणगांवकर, श्री साहबराव पाटिल (औरंगाबाद)

डोरा, श्री एच० ए० (श्रीकाकुलम)

त

तंगराजु, श्री एस० (पेरम्बलूर)

तपेश्वर सिंह, श्री (विक्रमगंज)

तम्बि दुराई, श्री एम० (धर्मपुरी)

तारादेवी, कुमारी डी० के० (चिकमगलूर)

तारिक अनवर, श्री (कटिहार)

तिग्गा, श्री साइमन (खूंटी)

तिरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)

तिलकधारी सिंह, श्री (कोडरमा)

तिवारी, प्रो० के० के० (बक्सर)

तुलसीराम, श्री वी० (नगरकुरनूल)

तोमर, श्रीमती ऊषा रानी (अलीगढ़)

त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह (मुजफ्फरनगर)

त्रिपाठी, डा० चन्द्रशेखर (खलीलाबाद)

त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा (चन्दौली)

थ

थामस, प्रो० के० वी० (एरनाकुलम)

थामस, श्री तम्पन (मवेलिकरा)

थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)

थोटा, श्री गोपाल कृष्ण, (काकीनाडा)

थोरट, श्री भाऊसाहिब (पंढरपुर)

द

दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)

दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)

दलवाई, श्री हुसैन (रत्नगिरि)

दलबीर सिंह, श्री (शहडौल)

दलबीर सिंह, चौधरी (सिरसा)

दाभी, श्री अजीत सिंह (केरा)

दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)

दास मूंशी, श्री प्रिय रंजन (हावड़ा)

दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)

दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)

दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)

दिघे, श्री शरद (बम्बई उत्तर मध्य)

दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)

दीक्षित, श्रीमती शीला (कन्नौज)

दुबे, श्री भीष्मदेव (बांदा)

देव, श्री वी० किशोरचन्द्र एस० (पार्वतीपुरम)

देवरा, श्री मुरली (बम्बई दक्षिण)

देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)

देवी, प्रो० चन्द्र भानु (बलिया)

देसाई, श्री बी० बी० (रायपुर)

ध

धारीवाल, श्री शान्ति (कोटा)

न

नटराजन, श्री के० आर० (डिन्डिगुल)

नटवर सिंह, श्री के० (भरतपुर)

नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती (करौलबाग)

नामग्याल, श्री पी० (लद्दाख)

नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)

नायक, श्री शान्ताराम (पणजी)

नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)

नारायणन, श्री के० आर० (ओट्टापलम)

निर्मला कुमारी, प्रो० (चित्तौड़गढ़)

नीरखा, श्री रामेश्वर (होशंगाबाद)

नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह (गढ़वाल)

नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)

नेहरू, श्री अरुण कुमार (रायबरेली)

प

पंजा, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर)

पंत, श्री के० सी० (नई दिल्ली)

पकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम० (मयूरम)

पटनायक, श्री जगन्नाथ (कालाहण्डी)

पटनायक, श्रीमती जयन्ती (कटक)

पटेल, श्री अहमद एम० (भड़ौच)

पटेल, श्री यू० एच० (बलसार)

पटेल, डा० ए० के० (मेहसाना)

पटेल, श्री एच० एम० (साबरकंठा)

टे , श्री जी० आई० (गांधीनगर)

पटेल, श्री मोहन भाई (जूनागढ़)

पटेल, श्री राम पूजन (फूलपुर)

पटेल, श्री सी० डी० (सूरत)

पडयाच्ची, श्री एस० एस० रामास्वामी (तिंडीवनम)

पनिका, श्री राम प्यारे (राबर्ट्सगंज)

पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)

पलाकोंड्रायुडु, श्री एस० (राजमपेट)

पवार, श्री बालासाहिब (जालना)

पंवार, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)

पांडेय, श्री कालीप्रसाद (गोपालगंज)

पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)

पांडे, श्री मदन (गोरखपुर)

पांडे, श्री मनोज (बेतिया)

पांडे, श्री राज मंगल (देवरिया)

पाइलट, श्री राजेश (दौसा)

पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटिल, श्री एच० बी० (बागलकोट)

पाटिल, श्री डी० बी० (कोलाबा)

पाटिल, श्री प्रकाश वी० (सांगली)

पाटिल, श्री बालासाहेब विखे (कोपरगांव)

पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख (अहमदनगर)

पाटिल, श्री विजय एन० (इरन्दोल)

पाटिल, श्री वीरेन्द्र (गुलबर्गा)

पाटिल, श्री शिवराज वी० (लातूर)

पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)

पाठक, श्री चन्द्र किशोर (सहरसा)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)

पारधी, श्री केशवराव (भंडारा)

पासवान, श्री राम भगत (रोसेरा)

पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)

पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम (अलप्पी)

पुरोहित, श्री बनवारी लाल (नागपुर)

पुष्पा देवी, कुमारी (रायगढ़)

पूरन चन्द्र, श्री (हाथरस)

पेंचलैया, श्री पी० (नेल्लौर)

पेरुमन, डा० पी० बल्लल (चिदम्बरम)

पोतदुखे, श्री शाम्ताराम (चन्द्रपुर)

प्रकाश चन्द्र, श्री (बाड़)

प्रधान, श्री के० एन० (भोपाल)

प्रधानी, श्री के० (नोरंगपुर)

प्रभु, श्री आर० (नीलगिरि)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर (उदीपी)

फैलीरो, श्री एबुआर्डो (मारमागओ)

ब

बंसी लाल, श्री (भिवानी)

बघेल, श्री प्रताप सिंह (धार)

बच्चन, श्री अमिताभ (इलाहाबाद)

बन, श्री दीप नारायण (बलरामपुर)

बनर्जी, कुमारी ममता (जादवपुर)

बनातवाला, श्री जी जी० एम० (पोन्नानी)

बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)

बलरामन, श्री एल० (वन्डावासी)

बशीर, श्री टी० (चिरायिकिल)

बसवराजू, श्री जी० एस० (टुमकुर)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बागुन, सुम्बरुई, श्री (सिंहभूम)

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)

बाला गौड़, श्री टी० (निजामाबाद)

बाली, श्रीमती पैंजबन्तीमाला (मद्रास दक्षिण)

बिस्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)

बीरबल, श्री (नंगानगर)

बीरेन्द्र सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)

बीरेन्द्र सिंह, श्री (हिसार)

बुन्देला, श्री सुखपाल सिंह (झांसी)

बूटा सिंह, सरदार (जालौर)

बेरवा, श्री बनवारी लाल (टोंक)

बैठा, श्री डूमर लाल (अरुसिया)

बैरागी, श्री बालकवि (मंदसौर)

बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित एंग्लो भारतीय)

ब्रह्मदत्त, श्री (टिहरी गढ़वाल)

भ

भंडारी, श्रीमती डी० के० (सिक्किम)

भक्त, श्री मनोरंजन (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह)

भगत, एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)

भगत, श्री बी० आर (आरा)

भट्टम, श्री एस० एम० (विशाखापत्तनम)

भट्टाचार्य, श्रीमती इन्दुमती (हुगली)

भरत कुमार, श्री (पोरबन्दर)

भरत सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)

भानु प्रताप सिंह, श्री (पीलीभीत)

भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भूपति, श्री जी० (पेद्दापल्ली)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोई, डा० कृपासिन्धु (सम्बलपुर)
भोये, श्री आर० एम० (धुले)
भोये, श्री एस० एस० (मालेगांव)
भोसले, श्री प्रतापराव बी० (सतारा)

म

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मकवाना, श्री नरसिंह (ढढुंका)
मनोरमा सिंह, श्रीमती (बांका)
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र (दुर्गापुर)
मलिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)
मसुदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)
महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)
महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)
महावीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महाता, श्री चित्त (पुरुलिया)
महालिंगम, श्री एम० (नागापट्टिनम)
महेन्द्र सिंह, श्री (गुना)
माकन, श्री ललित (दक्षिण दिल्ली)
माधुरी सिंह, श्रीमती (पूर्णिया)
मानवेन्द्र सिंह, श्री (मथुरा)
माने, श्री आर० एस० (इचलकरंजी)
माने, श्री मुरलीधर (नासिक)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालवीय, श्री बापूलाल (शाजापुर)
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई (राजकोट)
मिर्धा, श्री राम निवास (नागौर)
मिश्र, श्री उमाकान्त (मिर्जापुर)
मिश्र, श्री जी० एस० (सिवनी)
मिश्र, श्री नित्यानन्द (बोलनगीर)
मिश्र, राम नगीना (सलेमपुर)
मिश्र, श्री विजय कुमार (दरभंगा)
मिश्र, श्री श्रीपति (मछलीशहर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मिश्रा, डा० प्रभात कुमार (जंजगीर)
मीना, श्री राम कुमार (सवाई माधोपुर)
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ (मुवत्तुपूजा)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल (आसनसोल)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मुरमू श्री सिद्धलाल (मयूरभंज)
मुरुगैय्या, श्री ए० आर० (करूर)
मुशरान, श्री अजय (जबलपुर)
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मेहता, श्री हरुभाई (अहमदाबाद)
मोतीलाल सिंह, श्री (सीधी)
मोदी, श्री विष्णु (अजमेर)
मोरे, प्रो० रामकृष्ण (खेड़)
मोहनदास, श्री के० (मुकुन्दपुरम)

य

यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
याजदानी, डा० गुलाम (रायगंज)

यादव, श्री आर० एन० (परभणी)
यादव, श्री कैलाश (जलेसर)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)
यादव, श्री महाबीर प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री राम सिंह (अलवर)
यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)
यादव, श्री श्याम लाल (वाराणसी)
यादव, श्री सुभाष (खारगोन)
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद, (चतरा)

र

रंगनाथ, श्री के० एच० (चित्रदुर्ग)
रंगा, प्रो० एन० जी० (गुंटूर)
रघुनाथ सिंह, चौधरी (इटावा)
रत्नम, श्री एन० वेंकट (तेनाली)
रणवीर सिंह, श्री (केसरगंज)
रथ, श्री सोमनाथ (आस्का)
रामैय्या, श्री बी० बी० (ऐलुरू)
रामैय्या, श्री सोडे (भद्राचलम)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज करन सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राजहंस, डा० गौरी शंकर (झंझारपुर)
राजू, श्री आनन्द गंजपति (बोबिली)
राजू, श्री विजय कुमार (नरसापुर)
राजेश्वरन, डा० वी० (रामनाथपुरम)
राजेश्वरी, श्रीमती बसव (बेल्लारी)
राठवा, श्री अमरसिंह (छोटा उदयपुर)
राठौड़, श्री उत्तम (हिंगोली)
राम, श्री राम रतन (हाजीपुर)
राम, श्री रामस्वरूप (गया)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानोर)
रामसमुझावन, श्री (सैदपुर)
रामधन, श्री (लालगंज)
रामपाल सिंह, श्री (अमरोहा)
राम प्रकाश, चौधरी (अम्बाला)
राम बहादुर सिंह, श्री (छपरा)
राममूर्ति, श्री के० (कृष्णगिरि)
रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री (जहानाबाद)
रामुलू, श्री एच० जी० (कोप्पल)
राय, श्री आई० रामा (कासरगौड़)
राय, श्री राज कुमार (घोसी)
राय, श्री रामदेव (समस्तीपुर)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, डा० सुधीर (बर्दवान)
रायप्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)
राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर (अमालापुरम)
राव, श्री के० एस० (मछलीपटनम)
राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)
राव, डा० जी० विजयरामा (सिद्धिपेट)
राव, श्री जे० वेंगल (खम्मम)
राव, श्री पी० वी० नरसिंह (रामटेक)
राव, श्री पी० शोभनाद्रीश्वर (विजयवाड़ा)
राव, श्री वी० कृष्ण (चिकवल्लापुर)
राव, श्री श्रीहरि (राजामुन्द्री)

रावणी, श्री नवीन (अमरेली)
रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)
रावत, श्री प्रभुलाल (बांसवाड़ा)
रावत, श्री हरीश (अल्मोड़ा)
रियान, श्री बाजुबन(त्रिपुरा पूर्व)
रेड्डी, श्री ई० अय्यप्पू (कुरनूल)
रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र (हिन्दुपुर)
रेड्डी, श्री सी० जंगा (हनमकोंडा)
रेड्डी, श्री डी० एन० (कडप्पा)
रेड्डी, श्री मानिक (मेडक)
रेड्डी, श्री बी० एन० (मिरयालगुड़ा)
रेड्डी, श्री बैजावाड़ा पापी (ओंगोल)
रेड्डी, श्री एम० सुब्ब (नन्दयाल)
रेड्डी, श्री एम० रघुमा (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री एस० जयपाल (महबूबनगर)

ल

लच्छी राम, श्री (जालौन)
लाल डहोमा, श्री (मिजोरम)
लाहा, श्री आशुतोष (दमदम)
लोवांग, श्री वांगफा (अरुणाचल पूर्व)

व

वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई (पाटन)
वर्मा, श्रीमती ऊषा (खेरी)
वर्मा, डा० सी० एस० (खगरिया)
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज (मैसूर)
वासनिक, श्री मुकुल (बुलढाना)
विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)
वीरसेन, श्री (खुर्जा)
वेंकटेश, डा० वी० (कोलार)
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस० (कुड्डालोर)
वैराले, श्री मधुसूदन (अकोला)
व्यास, श्री गिरधारीलाल (भीलवाड़ा)

श

शंकरगौडा, श्री के० वी० (मांड्या)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)
शर्मा, श्री चिरंजीलाल (करनाल)
शर्मा, श्री नन्द किशोर (बालाघाट)
शर्मा, श्री नवल किशोर (जयपुर)
शर्मा, श्री प्रताप भानु (विदिशा)
शांति देवी, श्रीमती (सम्भल)
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण (फतेहपुर)
शाह, श्री अनूपचन्द (बम्बई उत्तर)
शाही, श्री ललितेश्वर (मुजफ्फरपुर)
शिगड़ा, श्री डी० बी० (दहानू)
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)
शेरवानी, श्री सलीम आई० (बदायूं)
शैलेश, डा० बी० एल० (चैल)
षण्मुख, श्री ए० सी० (वेल्लोर)
षण्मुख, श्री बी० (पांडिचेरी)
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी० (चामराजनगर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संखावर, श्री आशकरव (घाटमपुर)

संगमा, श्री पी० ए० (तुरा)
संतोष कुमार सिंह, श्री (आजमगढ़)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सकरगयम, श्री कालीचरण (खण्डवा)
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
सन्थाल, श्री मानिक (जलपाईगुड़ी)
सम्बु, श्री सी० (बापतला)
सलाहुद्दीन, श्री (गोड्डा)
साठे, श्री वसंत (वर्धा)
सामंत, डा० दत्ता (बम्बई-दक्षिण मध्य)
साहा, श्री अजित कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)
साहू, श्री शिव प्रसाद (रांची)
सिंगरावडोवेल, श्री एस० (तंजावुर)
सिंह, श्री अती शचन्द्र (बहरामपुर)
सिंह, श्रीमती किशोरी (वैशाली)
सिंह, के० एन० (हापुड़)
सिंह, श्री डी० जी० (शाहाबाद)
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप (सरगुजा)
सिंह, श्री एस० डी० (धनबाद)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंहदेव, श्री के० पी० (ढेकानाल)
सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद (मुरादाबाद)
सिन्धिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी (शिवहर)
सुन्दरलाल, श्री (हरिद्वार)
सुख राम, श्री (मण्डी)
सुखाड़िया, श्रीमती इंदुबाला (उदयपुर)
सुनील दत्त, श्री (बम्बई उत्तर पश्चिम)
सुन्दरराज, श्री (पुद्दूकोट्टई)
सुन्दरराजन, श्री एन०, (शिवकाशी)
सुब्बुरमन, श्री ए० जी० (मदुरै)
सुमन, श्री राम प्यारे (अकबरपुर)
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सुल्तानपुरी, श्री के० डी० (शिमला)
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव (बीदर)
सेट, श्री अजीज (धारवाड़ दक्षिण)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद (भद्रक)
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र (इन्दौर)
सेन, श्री भोलानाथ (कलकत्ता दक्षिण)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेलवेन्द्रन, श्री पी० (पेरियाकुलम)
सोज, प्रो० सैफुद्दीन (बारामूला)
सोडी, श्री मनकूराम (बस्तर)
सोमू, श्री एन० वी० एन० (मद्रास उत्तर)
सोरन, श्री हरिहर (क्योंझर)
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह (आँवला)
सोलंकी, श्री नटवर सिंह (कापड़वंज)
स्वामी, श्री कटूरी नारायण (नरसारावपेट)
स्वामी, श्री डी० नारायण (अनन्तपुर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
स्वैल, श्री जी० जी० (शिलांग)

ह

हंसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)
हन्नान मोल्लाह, श्री (उलूबेरिया)
हरद्वारी लाल, श्री (रोहतक)
हरपाल सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
हाल्दर, श्री एम० आर० (मथुरापुर)
हेमब्रम, श्री सेत (राजमहल)

लोक-सभा

अध्यक्ष

डा० बलराम जाखड़

उपाध्यक्ष

श्री एम० तम्बि दुरई

सभापति तालिका

श्रीमती बसव राजेश्वरी
श्री जैनुल बशर
श्री शरद दिघे
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन
श्री सोमनाथ रथ
श्री एन० वेंकट रत्नम

महासचिव

डा० सुभाष काश्यप

भारत सरकार

मन्त्रिमण्डल के सदस्य

1. प्रधान मंत्री तथा पर्यावरण और वन; विदेश; कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन; योजना; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; पर्यटन और नागर विमानन; परमाणु ऊर्जा; संस्कृति; इलैक्ट्रोनिक्स; महासागर विकास; अन्तरिक्ष; युवा कार्य और खेल मन्त्रालय/विभाग तथा अन्य विषय जो किसी केबिनेट मन्त्री अथवा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) को आबंटित नहीं किए गए हैं, के भी प्रभारी :	श्री राजीव गांधी
2. रक्षा मन्त्री	श्री पी० वी० नरसिंह राव
3. गृह मंत्री	श्री एस० बी० चह्वाण
4. वित्त तथा वाणिज्य मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
5. निर्माण और आवास मंत्री	श्री अब्दुल गफूर
6. विधि और न्याय मंत्री	श्री अशोक कुमार सेन
7. सिंचाई और विद्युत मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
8. रेल मंत्री	श्री बंसी लाल
9. कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री	श्री बूटा सिंह
10. संसदीय कार्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
11. शिक्षा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
12. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्रीमती मोहसिना किदवई
13. खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री	राव बीरेन्द्र सिंह
14. इस्पात, खान और कोयला मंत्री	श्री वसंत साठे
15. रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री	श्री वीरेन्द्र पाटिल

राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार)

1. पूर्ति और खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)	श्री चन्द्र शेखर सिंह
2. समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)	श्रीमती भारगावम चन्द्रशेखर
3. पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार)	श्री नवल किशोर शर्मा
4. संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)	श्री राम निवास मिर्धा
5. श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)	श्री टी० अंजैया
6. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)	श्री वी० एन० गाडगिल
7. नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)	श्री जियाउर्रहमान अंसारी

राज्य मन्त्री

1. उद्योग और कंपनी कार्य तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आरिफ मोहम्मद खां
2. विद्युत विभाग में राज्य मंत्री	श्री अरुण नेहरू
3. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अशोक गहलौत
4. ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री चंदूलाल चंद्राकर
5. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री गुलाम नबी आजाद
6. विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० आर० भारद्वाज
7. वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जनार्दन पुजारी
8. इस्पात विभाग में राज्य मंत्री	श्री के० नटवर सिंह
9. विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री खुर्शीद आलम खां
10. कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री	श्री के० पी० सिंह देव
11. योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री	श्री के० आर० नारायणन
12. रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री माधवराव सिंधिया
13. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती मार्गरेट अल्वा
14. वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी० ए० संगमा
15. युवा-कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री	श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह
16. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती राम दुलारी सिन्हा
17. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री	श्री शिवराज वी० पाटिल
18. पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री	श्री बीर सेन
19. स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री योगेन्द्र मकवाना

लोक सभा

मंगलवार, 23 जुलाई, 1985/1 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री सुख राम (मण्डी-हिमालय प्रदेश)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आज हम दो माह के अन्तराल के पश्चात् मिल रहे हैं। मुझे सभा को वर्तमान सभा के दो सदस्यों और दस भूतपूर्व सदस्यों के दुःखद निधन की सूचना देनी है। वे हैं : सर्वश्री मोहर सिंह राठौड़, जमीलुर्रहमान, सोमनाथ भाई मनुभाई सोलंकी, पी० एस० खापरडे, चौधरी प्रताप सिंह दौलता, हाजी लुत्फुल हक, श्री खगेन्द्रनाथ दास गुप्ता, प्रो० यशवंत राय, सर्वश्री गंगाचरण दीक्षित, लक्ष्मी दास, विनोदभाई सेठ और संजी भाई रन्दजी भाई डेलकर।

श्री मोहन सिंह राठौड़, राजस्थान के चुरू चुनाव क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। इससे पहले वह 1962-72 के दौरान राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। वह राज्य विधान सभा की आवास समिति और लोक लेखा समिति के सदस्य रहे।

वह एक सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अस्पृश्यता को समाप्त करने, शिक्षा के प्रसार, भू-दान आदोन्दन और ग्रामीण विकास के लिए काम किया। वह कई सहकारी बैंकों और शिक्षा संस्थाओं से विभिन्न पदों पर रहकर सम्बद्ध रहे।

श्री मोहर सिंह राठौड़ का निधन 59 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में 22 जून, 1985 को हो गया।

श्री जमीलुर्रहमान वर्तमान सभा के बिहार के किशनगंज निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य थे। उससे पहले वह इसी क्षेत्र का प्रनितिधित्व 1971-77 और 1980-84 के दौरान पांचवीं तथा सांतवीं लोक सभा में कर चुके हैं।

वह एक जागरूक सदस्य थे और समाज के दलित और निर्धन वर्गों के उत्थान से संबंधित मामलों को हमेशा उठाते थे। वर्ष अनेक संसदीय तथा सलाहकार समितियों के सदस्य रहे।

वह पेशे से वकील और कृषक थे। वह अनेक सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक संगठनों और पूर्णिया के विधिज्ञ संघ से विभिन्न पदों पर रहकर संबद्ध रहे। वह भू-दान आन्दोलन के पक्के समर्थक थे और उन्होंने अनुसूचित जातियों तथा भूमिहीन लोगों के लिए भूमि-दान की, और राष्ट्रीय

एकता के लिए काम किया। उन्होंने कई देशों की यात्रा की और दक्षिण पूर्व एशियाई मैत्री सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य की हैसियत से 1972 में मास्को और पूर्वी जर्मनी की यात्रा की।

पिछले वर्ष दिसम्बर में श्री रहमान बिहार में एक सड़क-दुर्घटना में घायल हो गये थे और उसके बाद पूरी तरह से कभी भी ठीक नहीं हुए। उसका निधन 2 जुलाई, 1985 को लन्दन में, जहां वह इलाज के लिए गए थे, 55 वर्ष की आयु में हो गया।

श्री सोमचन्दभाई मनुभाई सोलंकी 1967-77 के दौरान चौथी और पांचवीं लोक सभा के गुजरात के गांधीनगर निर्वाचन-क्षेत्र से सदस्य थे।

श्री सोलंकी एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने सहकारी संस्थाओं और शिक्षा संस्थाओं के क्षेत्र में काफी रुचि ली और मद्य-निषेध तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कार्य किया, वह कई सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध थे।

श्री सोलंकी की मृत्यु 65 वर्ष की आयु में, 22 मई, 1985 को अहमदाबाद में हुई।

श्री पी० एस० खापरडे, 1950-52 के दौरान मध्य प्रदेश से अस्थाई संसद के सदस्य थे।

वह एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और कई वर्षों तक कारावास में रहे।

वह एक जाने-माने सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम किया और श्रमजीवी वर्गों के हितों के समर्थक थे। वह आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के प्रतिपादक थे।

श्री खापरडे की मृत्यु 73 वर्ष की आयु में 29 मई, 1985 को नागपुर में हुई।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता 1957-62 के दौरान तत्कालीन पंजाब राज्य के झज्जर निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी लोक सभा के सदस्य थे।

वह पेशे से वकील थे और उन्होंने शिक्षा के प्रसार में विशेष रुचि ली। उन्होंने संसद में तथा संसद से बाहर किसानों के हितों की जोरदार वकालत की और वह उनके कल्याण से संबंधित कई संगठनों से संबद्ध रहे। किसान-आन्दोलनों में भाग लेते हुए वह अनेक बार जेल गए।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता की मृत्यु 30 मई, 1985 को चण्डीगढ़ में 67 वर्ष की आयु में हुई।

हाजी लुत्फुल हक 1967-77 के दौरान चौथी और पांचवीं लोक सभा के पश्चिम बंगाल से जंगीपुर निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य थे। उससे पूर्व वह पश्चिम बंगाल विधान सभा के 1952-1967 तक सदस्य रहे।

वह पेशे से शिक्षक थे जो अनेक शिक्षा संस्थाओं और पुस्तकालयों में विभिन्न पदों पर रहे। वह एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने सूखाग्रस्त और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता

कार्य किया और शरणार्थियों के पुनर्वास कार्य में मदद की। वह 1946 से जिला बोर्ड और जिला परिषद् के सदस्य रहे। वह राज्य वक्फ बोर्ड और अन्य कई सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे।

हाजी लुत्फुल हक का निधन 74 वर्ष की आयु में पश्चिम बंगाल में बरहामपुर में 7 जून, 1985 को हुआ।

श्री खगेन्द्रनाथ दासगुप्ता 1977-79 के दौरान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुडी चुनाव क्षेत्र से छठी लोक सभा के सदस्य थे। इससे पूर्व वह 1937-47 के दौरान बंगाल विधान सभा के सदस्य रहे और बाद में पश्चिम बंगाल विधान सभा के 1947-68 तक सदस्य रहे। उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल में एक मंत्री के रूप में कई वर्षों तक काम किया और विभिन्न मंत्रालय सम्हाले। 1967 में अल्पावधि के लिए वह विपक्ष के नेता भी रहे।

वह एक योग्य संसदविद् थे जिन्होंने वाद-विवादों में बहुमूल्य योगदान किया। उनकी बात को सभा के सभी वर्ग बड़े ध्यान से सुनते थे।

वह एक वयोवृद्ध स्वाधीनता सेनानी थे जिन्होंने असहयोग आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया वह और कई बार जेल गये। उन्होंने अपना राजनैतिक जीवन कम उम्र से ही आरम्भ कर दिया था।

वह एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता थे और लोगों के कल्याण और राहत संबंधी कई संगठनों से सम्बद्ध रहे।

श्री खगेन्द्रनाथ दासगुप्ता का निधन 87 वर्ष की आयु में कलकत्ता में 15 जून, 1985 को हुआ।

प्रो० यशवन्त राय 1947-52 के दौरान तत्कालीन पंजाब राज्य से संविधान सभा तथा अन्तरिम संसद के सदस्य थे।

वह एक प्रमुख सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने आजीवन निर्धन और दलित लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। वह समाज के दलित और कमजोर वर्गों के कल्याण से संबंधित अनेक संगठनों से संबद्ध रहे।

एक योग्य संसदविद् होने के नाते, उन्होंने स्वतन्त्र भारत का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया।

वह एक प्रसिद्ध शिक्षक थे और उन्होंने लाहौर में एक विद्यालय की स्थापना की। वह अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् के सदस्य रहे। उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका का भी सम्पादन किया।

प्रो० यशवन्त राय का निधन 70 वर्ष की आयु में चण्डीगढ़ में 16 जून, 1985 को हुआ।

श्री गंगाचरण दीक्षित, मध्य प्रदेश के खंडवा चुनाव क्षेत्र से चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे। इससे पूर्व वह 1952-57 के दौरान मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। एक

योग्य ससदविद् होने के नाते उन्होंने सभा की कार्यवाही, विशेष रूप से गरीब लोगों के कल्याण से संबंधित वाद-विवाद में विशेष रुचि ली ।

वह एक वयोवृद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और कई वर्षों तक जेल में रहे। वह एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता, मजदूर नेता, शिक्षाविद् थे और उन्होंने अस्पृश्यता मिटाने, शिक्षा का प्रसार, ग्रामीण विकास करने और सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए खूब कार्य किया । वह एक सामाजिक, शैक्षिक और श्रम संगठनों से सम्बद्ध रहे ।

श्री दीक्षित का निधन 84 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश में बुरहामपुर में 18 जून, 1985 को हुआ ।

श्री लक्ष्मी दास आंध्र प्रदेश के मिरपालगुड़ा चुनाव क्षेत्र से 1962-66 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे ।

वह एक वयोवृद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और उन्होंने भारत संघ में तत्कालीन हैदराबाद रियासत के विलय संबंधी आन्दोलन में भाग लिया और जेल गए ।

वह एक सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और मजदूर-नेता थे। उन्होंने अपना जीवन श्रमजीवी वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित कर दिया । वह कई श्रम और सामाजिक संगठनों में अनेक पदों पर रहे ।

श्री लक्ष्मीदास का निधन 67 वर्ष की आयु में हैदराबाद में 20 जून, 1985 का हुआ ।

श्री विनोदभाई सेठ गुजरात राज्य के जामनगर चुनाव क्षेत्र से 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य थे । इससे पूर्व वह 1975-76 के दौरान गुजरात राज्य विधान सभा के सदस्य रहे । वह गुजरात राज्य मंत्रिपरिषद् में केबिनट मंत्री भी रहे ।

वह एक सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे और विभिन्न पदों पर रहते हुए कई सामाजिक और शिक्षा संस्थाओं से सम्बद्ध रहे । राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड में अध्यक्ष होने के अलावा वह कुछ समय तक लायन्स इन्टरनेशनल के डिप्टी गवर्नर भी रहे ।

वह एक वयोवृद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भाग लिया ।

श्री विनोदभाई सेठ का निधन 59 वर्ष की आयु में 24 जून, 1985 को गुजरात में जामनगर में हुआ ।

श्री संजीभाई रूपजीभाई डेलकर, दादरा और नागर हवेली से 1961-78 के दौरान दूसरी, तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य रहे ।

वह एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे । उन्होंने आदिवादियों में प्रचलित सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में गहरी दिलचस्पी ली । वह कई सामाजिक और शैक्षिक संगठनों के सदस्य रहे ।

वह पेशे से कृषक थे । वह भूमि सुधार आयोग के सदस्य रहे । उन्होंने दादरा और नागर हवेली को विदेशी शासन से मुक्त कराने में सक्रिय भूमिका निभायी ।

श्री संजीभाई रूपजी भाई डेलकर का निधन 70 वर्ष की आयु में 2 जुलाई, 1985 को सिलवासा में हो गया।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा भी मेरे साथ इन शोकसंतप्त परिवारों को अपनी संवेदना प्रकट करेगी।

भारतीय नागर विमानन के इतिहास में रविवार 23 जून, 1985 का दिन एक दुःखद दिवस माना जाएगा। एयर इंडिया के जम्बो जेट 'कनिष्क' के आयरलैण्ड के पास समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने का समाचार विश्व के सभी लोगों ने बड़े दुःख से सुना। इस विमान में यात्रा करने वाले चालक दल समेत सभी 329 यात्रियों की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में एक भी व्यक्ति, चाहे वह जवान था या वृद्ध, जीवित नहीं बच सका। कुछ मामलों में तो पूरा परिवार ही समाप्त हो गया। हमने डा० नायुदम्मा जैसे वैज्ञानिकों को भी खो दिया।

इस दुर्घटना के कारण के बारे में ठीक-ठीक जानकारी इस समय चल रही जांच के पूरे होने पर ही मिल पायेगी।

शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए हमें अपार दुःख हो रहा है।

अब सदस्यगण अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

देश में रसायनों का निर्माण

*1. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल आवश्यकता के मुकाबले में कितने प्रतिशत रसायनों का निर्माण किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि रसायनों की कमी के कारण देश में अनुसंधान कार्य के स्तर पर कुप्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) सरकार ने मुख्यतः रसायनों की स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता स्थापित की है/लाइसेंस दिए हैं। इस प्रकार अनुसंधान की कोटि का रसायनों की कमी से प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। न ही सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मुझे आपसे संरक्षण चाहिए। मेरा प्रश्न तो बहुत ही स्पष्ट है। मैंने तो यह पूछा था कि देश में कुल आवश्यकता के मुकाबले में कितने प्रतिशत रसायनों का

निर्माण किया जाता है। देशी कारखानों या रसायन उद्योगों द्वारा देश में निर्मित रसायनों का प्रतिशत क्या है तथा उद्योगों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं की आवश्यकता क्या है। यह प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है। मुझे मन्त्री महोदय से प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहिए अर्थात् रसायनों की आवश्यकता का कितना प्रतिशत देश में ही निर्मित होता है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : बहुत से रसायन हैं। यदि मैं उन्हें गिनाने लगूं तो वे सैंकड़ों में होंगे।

अध्यक्ष महोदय : और प्रतिशत भी बहुत है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यदि माननीय सदस्य किसी एक रसायन विशेष, इसके उत्पादन, क्षमता, मांग, इसकी कमी और किस प्रकार से पूरा किया जा रहा है, के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं वह सूचना दे सकता था। कुल मिलाकर देश में रसायनों का उत्पादन बहुत ही संतोषजनक है। काफी हद तक हम आत्म-निर्भर हैं। कभी-कभी अचानक मांगें बढ़ जाती हैं तो अकस्मात कमी भी पैदा होगी। उस सीमा तक हम आयात करके आवश्यकता पूरी करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : गत सत्र के दौरान आयात-निर्यात नीति पर इस सभा में चर्चा नहीं की गई थी। हम चाहते है कि उस पर लोक सभा के चालू सत्र के दौरान चर्चा हो। पिछली आयात निर्यात नीति के समय तक रसायन और प्रतिकारक तत्वों का आयात किया जा रहा था। जहां तक मैं जानता हूं, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लिए उद्योगों के लिए आवश्यक इन मदों अर्थात् रसायन और प्रतिकारक तत्वों की कुल आवश्यकता का केवल 25% हमारे देश में निर्मित होता है। पिछली नीति तक, रसायनों और प्रतिकारक तत्वों का आयात किया जाता था। भण्डारण और विक्रय हेतु ओ० जी० एल० के अधीन इसकी अनुमति थी। अब व्यक्तिगत प्रयोगकर्त्ताओं के लिए वर्तमान नीति के अधीन उस पर पाबन्दी है। उद्योगों के लिए और अनुसंधान प्रयोगशालाओं हेतु वे अपनी प्रयोगशालाओं और अपने उद्योगों के लिए रसायनों और प्रतिकारकों का आयात कर सकते हैं। परन्तु इन मदों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लिए, उद्योग के लिए कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताओं के लिए जिस आयात की अनुमति दी जाती है वह बिलकुल असम्भव है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो एकालाप है।

श्री बसुदेव आचार्य : उनको इन मदों की बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है और उनको आयात करना उनके लिए बिलकुल असम्भव है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान जी क्या आप इसे पूरक प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं ?

श्री बसुदेव आचार्य : उनको इसकी बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। अतः, इसका प्रयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसे विदेशों से मंगाना असंभव है। उन्हें अपने माल के लिये न्यूनतम प्रभार का भुगतान तो करना पड़ेगा। अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उद्योगों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय वर्तमान नीति की समीक्षा करेंगे और गत वर्षों में जो स्थिति थी उसी को फिर वापस लायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने यह सुना नहीं है। फिर से दोहराइये।

अध्यक्ष महोदय : इस बीच आप बाहर क्यों नहीं घूम आते हैं? आपने बहुत लम्बा समय लिया है। यह पहला दिन है और मैं इसे यूं ही चला जाने दूं। कृपया भगवान के वास्ते अगली बार आप एक पूरक प्रश्न ही पूछें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या आपका प्रश्न पहले वाले प्रश्न की तरह ही सुस्पष्ट होगा।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक प्रयोगशाला रसायनों का क्या सम्बन्ध है, वे विशुद्ध रसायन होते हैं और उनकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है तथा बहुत से प्रयोगशाला रसायनों को लघु-उद्योगों द्वारा उत्पादन के लिए आरक्षित रखा जाता है। अतः यह पता लगाना सम्भव नहीं है कि उत्पादन कितना है और मांग कितनी है। जहां तक प्रयोगशाला रसायनों की मांग का सम्बन्ध है इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद बहुत सारे अनुसंधान कर रही है। परन्तु उन्होंने सूचित किया है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं को अपेक्षित मात्रा में देश या विदेश से अनुसंधान के उद्देश्यों से रसायन प्राप्त करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है और इन प्रयोगशाला रसायनों को ओ० पी० जी० एल० पर रखा जाता है। पहले तो वित्तीय सीमा भी लागू थी, क्योंकि प्रत्येक प्रयोगकर्ता को प्रयोशाला रसायनों को एक विशिष्ट मात्रा में ही आयात करना होता था और अब तो उस सीमा को भी हटा लिया गया है।

कोई भी व्यक्ति, यदि वह प्रयोगशाला रसायनों का आयात करना चाहता है तो खुला सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) के अधीन जितनी मात्रा में वह चाहे उसे आयात करने की छूट है। परन्तु सरकार को अभी तक किसी भी संगठन से प्रयोगशाला रसायनों के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : क्या सरकार उन प्रयोगशाला रसायनों के आयात पर रोक लगाने का विचार रखती है जिनका देश के भीतर ही उत्पादन किया जाता है? उदाहरणस्वरूप ऐसोटिलीन ब्लैक बेलारी जिले की हगेनी फैक्टरी में तैयार किया जाता है और वहां पर यह भारी मात्रा में बेकार पड़ा है क्योंकि इसका विदेशों से आयात किया जाता है। क्या सरकार इस प्रकार के आयात पर रोक लगाने पर विचार करेगी?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यदि स्वदेशी निर्माता सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर सकता है तो, आयात करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जहां कहीं कमी है और जहां कहीं पर उसकी मांग है तो हमें खुले सामान्य लाइसेन्स के अधीन इस प्रकार के प्रयोगशाला रसायनों के आयात करने पर विचार करना पड़ेगा और जहां कहीं पर कभी-कभी

कमी होती है तो इन रसायनों का उचित माध्यम से आयात किया जाता है। केवल जब मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रसायन उपलब्ध नहीं होते तभी आयात की अनुमति दी जाती है। हम अन्धाधुन्ध आयात के हक में नहीं हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : उदाहरणस्वरूप, हमारे पास केरल में फारमिक एसिड के उत्पादन की पर्याप्त क्षमता है। जहां एक ओर फारमिक एसिड की बड़े पैमाने पर आयात की अनुमति दी जा रही है, वहां हमारी क्षमता बेकार जा रही है। केरल में फारमिक एसिड का उत्पादन करने वाली एक फैक्टरी है जिसमें बड़े पैमाने पर माल पड़ा हुआ है। अतः, क्या सरकार फारमिक एसिड का आयात बन्द करेगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे इसकी जानकारी नहीं है, अतः मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एलिथिन ग्लाइकाल जो देश में आयात किया जाता है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास बहुत काफी मोलेसस है। तो क्या इसका इम्पोर्ट रोक कर अपने देश में एथिलिन ग्लाइकाल बनाने की योजना सरकार के विचार में है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अपने देश में जो भी आइटम्स एल्कोहल बेस्ड हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास इतना एलकोहल नहीं हैं। इसलिए एलकोहल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी शार्टेज है और जब शार्टेज है तो हम लोगों को उसका इम्पोर्ट करना पड़ता है।

सातवीं योजना में उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखानों की स्थापना

*2. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितने उर्वरक कारखाने स्थापित करने का विचार है;

(ख) उत्तर प्रदेश में कितने उर्वरक कारखाने लगाये जायेंगे और ये किन-किन स्थानों पर लगाये जायेंगे;

(ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी एक उर्वरक कारखाना स्थापित करेगी;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) ग्यारह-नये उर्वरक कारखानों को, जिनके सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही

छठी योजना अवधि में आरम्भ कर दी गई थी, सातवीं योजना अवधि के दौरान स्थापित कर लिए जाने की सम्भावना है। इनमें से चार कारखाने उत्तर प्रदेश में, बरेली, सुल्तानपुर, बदायूं और शाहजहांपुर प्रत्येक जिले में एक-एक स्थापित किये जायेंगे।

(ग) से (ङ) नये उर्वरक कारखानों की संख्या और स्थानों, जिनका कार्यान्वयन सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ होगा, का निर्णय सातवीं योजना को अंतिम रूप देने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद रावत : मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ये चार कारखाने कब से उत्पादन शुरू करेंगे और उन पर क्या लागत आएगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : उत्तर प्रदेश में गैस बेस्ड चार कारखाने आ रहे हैं। उसमें तीन कारखानों के लिए अब तक हम लोग लेटर आफ इंटेंट जारी कर चुके हैं। अभी एक के लिए लेटर आफ इन्टेन्ट जारी करना है। मेरे पास जो गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में सूचना है उसमें एक तो इफको आंवला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की कमेंसमेंट डेट 1-10-84 है। वह एकार्डिंग टु शेड्यूल प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरा है इंडो गल्फ फर्टिलाइजर कारपोरेशन। वह एक गैस बेस्ड फर्टिलाइजर कंपनी जगदीशपुर में लगा रहे हैं। उसका कमेंसमेंट डेट 1-3-85 है। काम शुरू हुआ है। उसकी प्रोग्रेस भी एकार्डिंग टु शेड्यूल है। वैसे ही बबराला में यू० पी० के अन्दर एक प्रोजेक्ट आ रहा है। लैटर आफ इन्टेन्ट उसके लिए दिया है। काम जल्दी शुरू हो जायेगा। अब एक शाहजहांपुर में गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट है जिसको अभी क्लीयर करना है। मैं समझता हूं कि एक महीने के अंदर वह भी क्लीयर हो जायेगा। लेकिन उसका कमेंसमेंट डेट 1-4-86 है।

इस तरह से मैं समझता हूं कि जो भी फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उनके लिए जो शेड्यूल बनाया गया है उस शेड्यूल के अनुसार वह काम शुरू हो जायेगा।

श्री कमला प्रसाद रावत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या बाराबंकी मे कोई खाद का कारखाना लगाए जाने की योजना है जहां कि खेती ही एक मात्र जनता के लिए भरण-पोषण का साधन है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सातवीं पंचवर्षीय योजना अभी फाइनेलाइज नहीं हुई है इसलिए सातवें प्लान में फर्टिलाइजर के कितने प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं या आयेंगे—अभी बतला पाना बहुत मुश्किल है।

श्री बलराम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो उर्वरक कारखाने लगाए जाते हैं उनके स्थल चयन का आधार क्या होता है ?

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मानदण्ड यह है कि देश में उर्वरक की मांग बढ़ रही है और मांग के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा है। अतः, इसकी कमी है। हम अन्य देशों से बड़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात कर रहे हैं। आत्म-निर्भर बनने के लिए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सलादीपुरा, राजस्थान की माइन्स बिल्कुल तैयार बैठी हैं, उनको भी रख लें।

[अनुवाद]

श्री अमिताभ बच्चन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि फूलपुर में उर्वरक कारखाने का विस्तार करने की स्वीकृति दे दी गई है और यदि हां, तो उसको लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरे पास फूलपुर का ब्यौरा नहीं है और उसके लिए मुझे नोटिस चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या हम उनकी लम्बी चुप्पी के टूटने पर मेजें थपथपाएं?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको कोई आपत्ति है?

श्री एस० जयपाल रेड्डी :-मुझे उनकी चुप्पी पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले ग्यारह गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों में से क्या आंध्र प्रदेश में भी कोई लगाया जाएगा, क्योंकि कृष्णा-गोदावरी बेसिन में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : आंध्र प्रदेश में यूरिया के उत्पादन के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम को लाइसेंस दिया गया है और डी० ए० पी० के उत्पादन के लिए आशय-पत्र पहले ही दिया जा चुका है। दुर्भाग्य से अभी तक प्रगति बड़ी असंतोषजनक रही है। मैं जानता हूं कि उसकी मांग है और यदि राज्य सरकार इन दो परियोजनाओं को पास करके इनको मूर्त रूप दे देती है तो हम निश्चय ही देखेंगे कि क्या एक या दो को और सम्मिलित करना संभव हो सकेगा।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

*3. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार कृष्णा-गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस पर आधारित वैसा ही पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने का है जैसा कि महाराष्ट्र में नागाथाणे में प्रस्तावित है?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी अनेक उर्वरक इकाइयों को गैस सप्लाई करने के लिए पाइप लाइन के निर्माण पर सरकार करोड़ों रुपये व्यय कर रही है जिनको कि बहुत दूर-दराज के स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है और वर्तमान मामले में भारी मात्रा में गैस उपलब्ध है जैसा कि खोजों से पहले ही सिद्ध हो चुका है, क्या अब सरकार महाराष्ट्र में नागाथाने की तरह एक पेट्रो-रसायन समूह स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी? यह राष्ट्रीय हित में है कि प्राकृतिक गैस भारी मात्रा में कृष्णा-गोदावरी बेसिन में उपलब्ध है।

श्री नवल किशोर शर्मा : आंध्र प्रदेश में कृष्णा-गोदावरी बेसिन में पेट्रो-रसायन परियोजना के स्थापित करने पर विचार करने के प्रश्न के संबंध में यह कहना सही नहीं है कि वहां पर भारी मात्रा में गैस उपलब्ध है। सच तो यह है कि 1-1-1984 को इस बेसिन में लगभग 5 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के भू-भण्डार होने का अनुमान लगाया गया है। अब तक अनुमान लगाई गयी गैस की इस मात्रा से, पेट्रो-रसायन परियोजना स्थापित करना संभव नहीं है। जब कभी यदि भारी मात्रा में गैस उपलब्ध हो सकेगी तो निश्चय ही उस अवस्था में इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है, परन्तु वह भी बहुत-सी अन्य बातों पर निर्भर करेगा।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : जब आंध्र प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक गैस की सप्लाई की मांग की तो उस समय उन्हें तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने यह बताया था कि उसके लिए प्रति 5000 क्यूबिक मीटर के लिए 900 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, परन्तु आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि उन्हें भी गैस उसी दर पर सप्लाई की जाए जिस दर पर यह महाराष्ट्र सरकारें को उनकी प्रस्तावित और स्थापित इकाइयों के लिए सप्लाई की जा रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग आंध्र प्रदेश को भी उसी दर पर गैस सप्लाई करेगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : जैसा कि मैं कह चुका हूं कि गैस के भण्डार 5.5 बिलियन क्यूबिक मीटर हैं और उनका अभी मूल्यांकन किया जाना है। एक पेट्रो रसायन परियोजना स्थापित करने के लिए गैस की कुल उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। अतः, किसी विशेष दर पर गैस सप्लाई करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। परंतु आन्ध्र प्रदेश सरकार ने एक विद्युत इकाई टर्बो-जेनेरेटिंग सेट के लिए गैस सप्लाई करने का पेट्रोलियम मंत्रालय से अनुरोध किया है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

श्री रेणुपद दास : महोदय, मैं श्री राव के कृष्णा-गोदावरी बेसिन में पेट्रो-रसायन समूह स्थापित करने के प्रस्ताव का अत्यधिक समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना के लिए छः लाख मीट्रिक टन नेटथा प्रति वर्ष देगी जिसे हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है।

श्री नवल किशोर शर्मा : मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि पश्चिम बंगाल सरकार हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना को संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करना चाहती है। जब कभी इसकी आवश्यकता होगी, यदि सम्भव हुआ तो हम मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं, क्या पैट्रो-कैमिकल उद्योग समूह के अन्तर्गत भारत सरकार ने बिहार में कैपोलैक्टम की स्थापना की स्वीकृति दी है? यदि हां, तो इसकी प्रगति की रूपरेखा क्या है और कब तक कार्य प्रारम्भ होगा?

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, सरकार ने शायद कप्रोलैक्टम की स्वीकृति दे दी है, तो इसका काम भी जल्दी शुरू होना चाहिए, ऐसा विश्वास किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, क्या मंत्री महोदय सभा को बतायेंगे कि एच० बी० जे० पाइप लाइन पर गैस पर आधारित 6 उर्वरक संयंत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिए बम्बई हाई में गैस का अनुमानित भण्डार कितना है ? मैं यह जानने के लिए यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या कृष्णा-गोदावरी बेसिन में ऐसी कोई संभावना है।

श्री नवल किशोर शर्मा : स्थापित किए जा रहे छः उर्वरक संयंत्रों के लिए गैस की उपलब्धता इनकी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, परन्तु कृष्णा-गोदावरी बेसिन के मामले में ऐसा नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कृष्णा-गोदावरी बेसिन के सम्बन्ध में आपने 5.5 बिलियन क्यूबिक मीटर के आंकड़े दिए हैं। बम्बई हाई की क्या स्थिति है ?

श्री नवल किशोर शर्मा : मेरे विचार में यह मोटे तौर पर 320 बिलियन क्यूबिक मीटर है और पूरी तरह से तो मुझे याद नहीं है परन्तु लगभग उतना ही है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

श्री नवल किशोर शर्मा : इसके लिए मुझे अलग से सूचना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुकुल वासनिक : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बम्बई हाई से मथुरा तक गैस-पाइप लाइन बिछाने का जो प्रपोजल है, उस पाइप लाइन का एग्जेक्ट रूट क्या होगा ? क्या वह मराठवाडा, विदर्भ तथा मध्य प्रदेश से होकर मथुरा पहुंचेगी या गुजरात होते हुए मथुरा पहुंचेगी ?

श्री नवल किशोर शर्मा : यद्यपि यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं बतलाना चाहूंगा कि वह गुजरात से होकर मथुरा पहुंचेगी।

[अनुवाद]

टायर उद्योग के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

*4. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टायर उद्योग संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सत्यपाल समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, कहने को तो देश में टायर बनाने वाली बड़ी-बड़ी एक दर्जन कम्पनियां हैं, लेकिन 70 प्रतिशत मार्केट इस समय चार कम्पनियों के हाथ में है। 1 अक्तूबर, 1984 को जिस टायर की कीमत 3560 रुपए थी, 1 जनवरी, 1985 को उस टायर की कीमत 4160 रुपए हो गई यानी 3 महीनों में 600 रुपए बढ़ गए। उसके बाद मार्च में 9 परसेन्ट की वृद्धि हुई। इस तरह से वे लोग मनमाने ढंग से कीमतें बढ़ा रहे हैं और सरकार का इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार इन मैनुफैक्चरर्स की मीटिंग बुलाती है, जो आर्डर वहां देती है उसके लिए हां बोलकर जाते हैं लेकिन दूसरे दिन कीमतें बढ़ा देते हैं। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट हम लोगों के सामने नहीं आई है। जो टायरों के डीलर्स हैं वे इस भाव वृद्धि से इतने चिन्तित हैं कि उन्होंने एजिटेशन की धमकी दी है। मैं जानना चाहता हूं कि एक्सपर्ट कमेटी की क्या-क्या रिकमेण्डेशंज हैं तथा उनको लागू करने में सरकार के सामने क्या-क्या अड़चनें हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह रिपोर्ट सामने आएगी या नहीं—यह भी पूछो।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इस समिति के द्वारा जो मुख्य संस्तुतियां दी गई हैं यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें सदन के पटल पर रख दूंगा, लेकिन मैं उन्हें पढ़कर सुना भी सकता हूं परन्तु पढ़ने में समय अधिक लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप सदन की मेज पर रख दीजिए। लेकिन उनसे कुछ फायदा होगा या नहीं, यह बतलाइए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं इन संस्तुतियों को आपकी आज्ञानुसार सदन की मेज पर रख दूंगा। सरकार का प्रयास यही रहता है कि मूल्यों पर नियंत्रण रहे। इसके लिए पिछली बार बजट के बाद सरकार ने कई स्तरों पर टायर मैनुफैक्चरर्स के साथ मीटिंग करके यह कोशिश की है कि उनको पुरानी कीमतों पर वापस लाया जा सके। लेकिन चूंकि टायर में लगने वाले कच्चे माल के मूल्यों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, इसलिए बनने वाले टायरों के दामों पर भी नियंत्रण करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया है, हम कई स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं ताकि मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सके।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : सरकार चाहती है कि पहले जो कीमतें थीं उन पर टायर उपलब्ध होने चाहिए, परन्तु सरकार ऐसा कर नहीं पा रही है। मैं जानना चाहता हूं सरकार इसके लिए कौन से कारगर कदम उठाने वाली है ? हमारी और आपकी इच्छा से काम नहीं चलेगा, मैं जानना चाहता हूं आप ऐसे कौन से कदम उठाएंगे जिनसे टायर पुरानी कीमतों पर उपलब्ध हो सकें ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मूल्यों के नियंत्रण का काम या किस मूल्य पर कौन-सी चीज बाजार में उपलब्ध है—यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और सरकार इसमें लगी हुई है। टायर मैनुफैक्चरर्स की डवेलपमेंट कान्सिल में उद्योग मंत्री जी ने खास तौर से जोर देकर कहा है कि इनकी कीमतों को ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। उद्योग विभाग के सचिव द्वारा भी····· **(व्यवधान)**···टायरों के सम्बन्ध में कीमतों पर काबू रखने के लिए हमारे पास एक ही साधन है

कि टायर मैनुफैक्चरर्स को समझा-बुझा कर इसके लिए तैयार करें कि वे नाजायज कीमतें न लें।··· (व्यवधान)···मुझे पूरी बात कहने दें। श्रीमन् दूसरा साधन भी सरकार के पास है और वह एशोसियल कामोडिटीज ऐक्ट है। उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है···(व्यवधान)···हमारे पास दूसरा भी साधन है।···(व्यवधान)···उस पर भी विचार किया जा सकता है लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि उसके कारण दूसरी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएं। हम इस तरह से नियंत्रण करना चाहते हैं, जिसमें वाकई में उपभोक्ताओं को सहूलियतें मिल सकें।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि सरकार के लिए संभव नहीं है। तो क्या ये मोटी थैली वाले, टायर प्रोड्यूस करने वाले सरकार के कन्ट्रोल से बाहर हैं। दूसरी बात यह है कि आखिर में इनको यह मालूल हुआ कि एशेंसियल कामोडिटीज ऐक्ट भी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐक्ट का उपयोग सरकार ने इन सेठों के खिलाफ कितनी बार किया है, जो टायरों की कीमतें बढ़ा कर इस देश की जनता को फ्लीस कर रहे हैं?

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : जब कभी टायरों की कीमतों में वृद्धि होती है तो मंत्रालय उसकी जांच करता है कि क्या मूल्य वृद्धि का कोई औचित्य है। कई बार मामला बी० आई० सी० पी०, जो कि उत्पादन लागत, लाभांश आदि का पता लगाने वाला विशेषज्ञ निकाय है, के पास जांच के लिए भेजा जाता है। सदन की जानकारी के लिए सूचना देता हूं कि टायरों के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे माल में प्राकृतिक रबड़, सिंथेटिक रबड़, नायलोन टायर कोर्ड कार्बन ब्लैक, पोलिबुटा डाईन रबड़ आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। मैं उदाहरण दे सकता हूं। अक्तूबर, 1983 में वृद्धि हुई उसके बाद 1984 में फिर उसके बाद फरवरी, 1985 में टायर की कीमतों में वृद्धि हुई। मौजूदा बजट प्रस्तुत करने के बाद भी एक बार कीमत बढ़ी है। ····· (व्यवधान)···मैं कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के तुलनात्मक आंकड़े देता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : हमें मालूम हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, कृपया इस पर आध घंटे की चर्चा की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे। एक और चर्चा की अनुमति दी जा सकती है। चिन्ता न करें। देखते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये। अगर वे संतुष्ट नहीं तो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

सिंथेटिक रबड़ की कीमत अक्तूबर, 1983 में 19,000 रुपए प्रति टन थी। अप्रैल, 1985 में यह 34,490 रुपए हो गई अर्थात् कीमत में 29 प्रतिशत वृद्धि हुई। नायलान टायर कोर्ड की कीमत अक्तूबर, 1983 में 78,430 रुपए थी। अप्रैल, 1983 में यह 94,750 रुपए हो गई अर्थात् 21 प्रतिशत वृद्धि हुई। कार्बन ब्लक की कीमत अक्तूबर,

1983 में 13,860 रुपए थी। अप्रैल, 1985 में यह 16,500 रुपए हो गई अर्थात् 19 प्रतिशत वृद्धि हुई। बूटिल रबड़ की कीमत अक्तूबर, 1983 में 29,850 रुपए थी। अप्रैल,1985 में 41,170 रुपए हो गई अर्थात् 38 प्रतिशत वृद्धि हुई।

पोलिबुटाडाईन रबड़ की कीमत अक्तूबर, 1983 में 16,600 रुपए···(**व्यवधान**) टायर निर्माण के लिए इन कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। इनकी कीमतों में वृद्धि होने पर टायर की कीमतों में वृद्धि होना स्वाभाविक है इसके अलावा···(**व्यवधान**)। अगर आपमें धैर्य है तो मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

इसके अलावा उत्पादन शुल्क लगाया जाता है और अगर किसी वस्तु का आयात किया जाय तो उस पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। टायर-निर्माण में काम आने वाले सभी कच्चे माल पर ही उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाता है, बल्कि टायर पर भी उत्पादन शुल्क लगता है। टायर पर 66 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगता है। शुल्क के बारे में मैं प्रतिशततावार बताता हूं।

प्राकृतिक रबड़ पर 50 प्रतिशत, सिंथेटिक रबड़ पर 122 प्रतिशत, नायलन टायर कोर्ड पर 200 प्रतिशत, पोलिबुटाडाइन रबड़ पर 88 प्रतिशत तथा कार्बन ब्लैक पर 143 प्रतिशत शुल्क लगता है। इन सबको मद्दे-नजर रखकर जब कच्चे टायर की कीमतों में वृद्धि होती है तो हम बी. आई. सी. पी. को यह जांच करने के लिए कहते हैं कि क्या कीमतों में वृद्धि उचित है और यदि हां तो किस सीमा तक। बी. आई. सी. पी. की रिपोर्ट मिलने तक टायर निर्माताओं से बात की जाती है। मई, 1983 में वे कीमतें बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने बढ़ाई भी लेकिन हमने उनसे कहा कि उन्होंने जो कीमत वृद्धि की है उसे कम किया जाय। हम ऐसा करते हैं। इसके बावजूद अगर वे नहीं सुनें और अनुचित रवैया अपनाएं तो हम स्पष्ट कर चुके हैं···(**व्यवधान**)

श्री भागवत झा आजाद : मेरा प्रश्न है कि कीमतों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। (**व्यवधान**) मैंने पूछा है कि क्या अनिवार्य वस्तु अधिनियम का कीमत कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसका जवाब नहीं दिया गया। उल्टा सरकार कीमत वृद्धि के लिए सफाई दे रही है।

(**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने का प्रश्न तभी उठता है जब मूल्य वृद्धि करने का उनका औचित्य सिद्ध हो जाता है। (**व्यवधान**)

महोदय, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है (**व्यवधान**) मैं कह रहा था कि हम अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि हमें यह तसल्ली हो जाए कि कीमतों में वृद्धि का औचित्य नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री भागवत झा आजाद : मोदी भी कीमत-वृद्धि का औचित्य सिद्ध करने के लिए इतनी अच्छी तरह तर्क नहीं दे सकते।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, कीमतों में वृद्धि उचित है या नहीं इसकी तसल्ली करने के

लिए बी० आई० सी० पी० से जांच करने के लिए कहा जाता है। इस जांच के आधार पर अगर हमें यह महसूस होता है कि ऐसा करना उचित नहीं है तो हम उनसे बात करते हैं। उदाहरण के लिए मई, 1983 में हमने उन्हें कहा कि वे बढ़ाई गई कीमत को कम कर दें और उन्होंने हमारी बात मानकर ऐसा किया। जहां तक मौजूदा कीमत वृद्धि का प्रश्न है। हम उसकी जांच कर रहे हैं। मैंने बी० आई० सी० पी० से कहा है कि वह जल्दी जांच करके मुझे उसकी रिपोर्ट दे और इस सम्बन्ध में मैं निर्माताओं से भी विस्तार से विचार-विमर्श कर चुका हूं। बम्बई में तो मैंने उन्हें धमकी तक दे दी थी। टायर ओ० जी० एल० प्रणाली के अन्तर्गत आता है। अगर किसी को महसूस होता है कि टायर की कीमत उसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत से अधिक है तो उसे उसका आयात करने की छूट है। यह ओ० जी० एल० के अन्तर्गत है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मंत्री महोदय ने टायर निर्माताओं द्वारा टायर की कीमतों में वृद्धि का औचित्य यह तर्क देकर सिद्ध किया है कि कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं। मैं मन्त्री महोदय से एक ठोस प्रश्न करना चाहता हूं। क्या सरकार का काम केवल निर्मित उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित तथा विनियमित करना ही है अथवा उसका क्या यह कर्तव्य नहीं है कि वह तैयार माल के निर्माण के लिए अपेक्षित निवेश सामग्री की कीमतों पर भी नियंत्रण रखे ? अगर दोनों पर नियंत्रण रखना कर्तव्य है तो मैं जानना चाहूंगा कि निवेश सामग्री की कीमतें नही बढ़ने देने के लिए सरकार ने अब तक क्या उपाय किए हैं ताकि टायर निर्माता टायर की कीमतों में वृद्धि का औचित्य सिद्ध नहीं कर सकें ? मैं इसका स्पष्ट जवाब चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : कई बार निवेश सामग्री की कीमतों में भी वृद्धि होती है और उन पर नियंत्रण रखना हमारे बस की बात नहीं है, उदाहरण के लिए·· (**व्यवधान**)।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सुनिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : वे सुन नहीं रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए। उन्हें समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : उदाहरण के लिए सिंथेटिक रबड़···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब सुनिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सदस्यों से अनुरोध है कि वे मेरी बात सुनें।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपसे अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें समाप्त करने दें। देखिए, वह क्या तर्क देते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : कृपया आप इसे उपभोक्ताओं के हित में देखें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के लिए निवेश सामग्री की कीमतों पर नियंत्रण रखना संभव नहीं है। कई बार हमारे लिए निवेश सामग्री की कीमतों पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है। एक उदाहरण देता हूं। टायर निर्माण में सिंथेटिक रबड़-नायलान टायर कोर्ड कार्बन, ब्लैक बुलिट रबड़ आदि कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी पेट्रोलियम पर आधारित उत्पाद हैं। यही मुश्किल है। पेट्रोलियम उत्पाद की कीमत में वृद्धि होने पर इनसे बनाए जाने वाले उत्पादों की कीमत पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे स्पष्ट जवाब नहीं मिला। बहुत से देशों में ऐसे वैकल्पिक उपाय निकाले हैं जिनके द्वारा कई बार वैकल्पिक उपायों या कच्चे माल द्वारा किसी उत्पाद को तैयार किया जाता है ताकि उत्पाद की वास्तविक कीमत नियन्त्रित रहे अथवा उसे घटाकर कम से कम एक निर्धारित सीमा तक लाया जा सके। अगर अन्य देशों में ऐसा संभव है तो हमारी सरकार उस प्रक्रिया विशेष को अपनाने तथा निवेश की कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास क्यों नहीं करती ताकि टायर की कीमत न बढ़े ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे खुशी होगी अगर माननीय सदस्य इस मुद्दे पर प्रकाश डालें कि पैट्रोलियम पर आधारित उत्पादों के बजाय कोई और कच्चा माल टायर के निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकता है तथा कोई अन्य उपाय भी हैं ? अगर ऐसा है तो मैं उनके साथ बात करने, विचार-विमर्श करने तथा इस काम को किसी विशेषज्ञ निकाय को सौंपने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : डा० वी० वेंकटेश।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस पर आधे घंटे की चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बाद में देखेंगे। मैंने इस एक प्रश्न पर 15 मिनट से अधिक समय दे दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है। लेकिन प्रश्न प्रश्न ही है। यह चर्चा नहीं हो सकता।

श्री भागवत झा आजाद : आधा घंटे की चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे।

करनाल तेलशोधक परियोजना में गैर-सरकारी कम्पनियों की भागीदारी

*** 5. डा० वी० वेंकटेश :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल तेलशोधक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या इस परियोजना का कार्यान्वयन संयुक्त-उद्यम के रूप में करने के उद्देश्य से इसमें कुछ गैर-सरकारी कम्पनियों को शामिल करने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों/कम्पनियों को शामिल करने का क्या कारण है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में स्रोतों पर पड़ने वाले दबाव को दृष्टिगत रखते हुए करनाल परियोजना के कार्यान्वयन की सम्भावनाओं का पता लगा रही है। कुछ प्राइवेट पार्टियों ने संयुक्त उद्यम में भागीदारी के प्रति रुचि दर्शाई है और वह मामला विचाराधीन है।

डा० वी० वेंकटेश : महोदय, उत्तर से वस्तुतः कुछ और ही अर्थ निकलता है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है ? करनाल तथा मंगलौर तेलशोधक परियोजनाओं के निर्माण से सम्बन्धित संभाव्यता रिपोर्ट तो बहुत अच्छी थी परन्तु जब उन्हें लागू करने का प्रश्न आया तो वित्तीय कठिनाइयां आड़े आ रही हैं। अब निजी एजेंसियां पेशकश कर रही हैं और आप हमें बता रहे हैं कि आप निजी एजेंसियों से सम्पर्क कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के कार्यकाल के दौरान उन सबकी इन उद्योगों का देशीकरण करने में बहुत रुचि थी। अब मुझे नए प्रधान मन्त्री को नीति में सन्देह हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह निजीकरण क्यों किया जा रहा है। इस तरह से तो देश में ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सहभागीदारी हो जाएगी। इस देश में इन उद्योगों तथा अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में सरकार की स्पष्ट नीति क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, लगता है कि माननीय सदस्य "निजीकरण" तथा "देशीकरण" शब्दों को लेकर अत्यधिक भ्रम में पड़ गए हैं। इनमें से किसी भी शब्द में विदेशी तत्व निहित नहीं हैं। मेरे ख्याल से जो कुछ उन्होंने कहा उस पर उन्हें सोचना चाहिए।

डा० वी० वेंकटेश : मुझे पता चला है कि एक निजी कम्पनी पेशकश कर रही है और वह कम्पनी विदेशों से धनराशि एकत्र करेगी। इसका क्या आशय है ? मैं जानना चाहता हूं।

श्री नवल किशोर शर्मा : जैसा कि माननीय प्रधान मन्त्री ने ठीक ही कहा है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप दोहराएंगे कि प्रधान मन्त्री जी ने क्या कहा है ?

श्री नवल किशोर शर्मा : जैसा कि प्रधान मन्त्री जी ने ठीक ही कहा है कि मुझे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में अपने माननीय बन्धु के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। वास्तव में, सिद्धांततः हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में मंगलूर तथा करनाल तेलशोधक कारखानों को स्थापित करने का निर्णय लिया था। लेकिन दुर्भाग्य से सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण हमें या तो मंगलूर अथवा करनाल तेलशोधक कारखानों के लिए धनराशि जुटानी होगी या फिर दोनों परियोजनाएं समाप्त कर देनी होंगी। इसीलिए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। कुछ निजी कम्पनियों ने मंगलूर तथा करनाल रिफाइनरी में पैसा लगाने में रुचि दिखाई है। जैसा कि मैं अपने उत्तर में कह चुका हूं, यह मामला बहुत आरम्भिक स्तर पर है, अतः यह आरोप सही नहीं है कि वह राष्ट्रीय कंपनियों को निमंत्रित किया जा रहा है, यह प्रश्न देश के वृहत हितों में इन दो परियोजनाओं की जरूरतों के कारण धनराशि प्राप्त करने का है। यह निर्णय लिया जाना है कि

यह काम किस प्रकार किया जाए ।

डा० वी० वेंकटेश : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या सरकार निजीकरण किए बिना क्रमिक आधार पर परियोजनाओं को कार्यान्वित कर सकती है ?

श्री नवल किशोर शर्मा : हम चरणबद्ध तरीके से, शीघ्रता से अथवा धीरे कार्य करें, यह संसाधन जुटाने पर निर्भर करता है । हम देर से करें अथवा शीघ्रता से करें, यह धन का सवाल है और जब तक धन नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं किया जा सकता ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या माननीय मंत्री सदन को यह जानकारी देंगे कि क्या करनाल तेलशोधक कारखाने के लिए भूमि वास्तव में अधिग्रहण कर ली गई है और सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दिया गया है तथा क्या माननीय मंत्री सदन को आश्वासन देंगे कि करनाल तेलशोधक कारखाने को ताक पर नहीं रखा जा रहा है अथवा छोड़ा नहीं जा रहा है ?

श्री नवल किशोर शर्मा : जी, हां । भूमि अधिग्रहण कर ली गई है और मुआवजा दे दिया गया है । परन्तु जहां तक करनाल तेलशोधक कारखाने को ताक पर रखने की बात है, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता । सरकार तेलशोधक कारखाने के निर्माण के तरीके ढूंढ रही है ।

श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या यह सत्य नहीं है कि करनाल और मंगलौर तेलशोधक कारखानों को भी सार्वजनिक क्षेत्र में ही शुरू किया जाएगा ?

प्रो० एन० जी० रंगा : धन कहां से आएगा ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है । कृपया कोई अन्य प्रश्न पूछिए ।

श्री एस० एम० गुरड्डी : हम वापस मूल विचारधारा की तरफ जा रहे हैं, अर्थात् हमने अपने आपको समाजवादी समाज के प्रति वचनबद्ध कर लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है । क्या कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री एस० एम० गुरड्डी : अगर कोई नया उद्योग इस वर्ष देश में शुरू किया जाता है तो वह केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही होगा । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे प्रधान मंत्री इन तेलशोधक कारखानों को सार्वजनिक क्षेत्र में शुरू करने के हक में हैं अथवा नहीं ?

श्री नवल किशोर शर्मा : हालांकि मैंने बताया है कि यह प्राथमिक चरण में है परन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि यद्यपि 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के परिशिष्ट 'ए' में खनिज तेल सम्मिलित है परन्तु उसी संकल्प में यह भी कहा गया है, सदन की जानकारी के लिए मैं पढ़कर सुनाता हूं :

> "जब भी कभी गैर-सरकारी उद्यमों से सहयोग आवश्यक होगा, राज्य या तो अधिकांश मात्रा में पूंजी लगाकर या अन्य किसी प्रकार से यह सुनिश्चित करेगा कि उसके

पास उपक्रम की नीति का मार्गदर्शन करने और उसके कार्य पर नियंत्रण रखने के लिए आपेक्षित शक्तियां हैं।"

अतः, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार भी, अगर सरकार जनहित में ऐसा सोचती है, तो, इस शर्त के साथ सरकार संयुक्त कारखाना लगा सकती है !

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

फ्रांस की सहायता से टेलेक्स लाइनें और टेलीफोन एक्सचेंज

*6. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस की सहायता से कुछ टेलेक्स लाइनों और टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो फ्रांस की सहायता से देश में कितने टेलीफोन एक्सचेंज और टेलेक्स लाइनों की स्थापना करने का विचार है;

(ग) फ्रांस की कौन-सी फर्म भारत को उक्त उपकरणों की सप्लाई कर रही है; और

(घ) फ्रांस से इस प्रकार के टेलीफोन उपकरण किस वर्ष में आयात किये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। फ्रांस की सहायता से स्थानीय टेलीफोन और ट्रंक स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है न कि टेलेक्स एक्सचेंज।

(ख) 23 टेलीफोन एक्सचेंज तथा 16 ट्रंक स्वचल एक्सचेंज।

(ग) मैसर्स सी० आई० टी० अलकातेल, फ्रांस।

(घ) टेलीफोन एक्सचेंज का 1983 और 1984 में आयात किया गया। ट्रंक स्वचल एक्सचेंज का 1985 से 1986 के दौरान आयात किया जा रहा है।

मिराज-2000 का निर्माण

*7. **श्री चित्त महाता :**
श्री जी० जी० स्वैल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में मिराज-2000 के निर्माण के विकल्प पर कार्रवाई करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत में इन विमानों के निर्माण का विचार त्याग देने का क्या कारण है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ग) 1982 में फ्रांस के निर्माताओं के साथ 40 "मिराज-2000" विमानों की खरीद और उनसे संबंधित उपकरणों की सप्लाई सहित के लिए एक करार हुआ था। इस करार में इन विमानों का देश में ही निर्माण करने का विकल्प भी रखा गया था। बाद में सरकार ने तकनीकी और आर्थिक कारणों से इस विकल्प का प्रयोग न करने का निर्णय लिया।

पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की भारतीय सीमा में घुसपैठ

*8. **श्री मुरलीधर माने :**
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों द्वारा जो फोटो शैपिंग अभियान पर थे, भारतीय सीमा में हाल ही में घुसपैठ किए जाने से संबंधित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस मामले पर पाकिस्तान की सरकार के साथ बातचीत की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ऐसी गतिविधियों को बंद करने के बारे में यह मामला पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है।

कर्नाटक में मंगलौर शोधनशाला

*9. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**
श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में मंगलौर शोधनशाला आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन से चेयरमैन ने हाल ही में बंगलौर में एक प्रैस वक्तव्य दिया था और इससे इन्कार किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी पता है कि भूतपूर्व पेट्रोलियम मंत्री ने मंगलौर शोधनशाला को शीघ्र ही प्रारम्भ किये जाने के बारे में सभा में आश्वासन दिया था;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ङ) मंगलौर शोधनशाला कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ङ) कर्नाटक राज्य के मंगलौर में 60 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली रिफाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तथापि सातवीं योजना में वित्त पोषण के लिए किए गए प्रयासों के दौरान यह देखा गया कि योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय में साधनों की कमी रुकावट के रूप में काम कर रही है। मुझे 30 अप्रैल, 1985 को तारांकित प्रश्न संख्या 649 के पूरक प्रश्नों के उत्तर में इस सदन में साधनों पर पड़ने वाले इस दबाव के बारे में जिक्र करने का अवसर मिला था। अतः सरकार मंगलौर रिफाइनरी जैसी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए अन्य साधनों का पता लगा रही है। संयुक्त उद्यम में भाग लेने के लिए कुछ निजी पक्षों ने रुचि दिखायी है। मामला विचाराधीन है।

अध्यक्ष, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने सामान्य संवाददाता सम्मेलन में, निसन्देह, योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय में अपनी कम्पनी के लिए मंगलौर रिफाइनरी के लिए व्यवस्था न होने का जिक्र किया था।

भारत तथा पाकिस्तान के बीच लद्दाख में लड़ाई

*10. **श्री जगन्नाथ पटनायक :**

श्री अनंत प्रसाद सेठी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख में 18,000 फुट पर सामारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार करने के लिए भारत तथा पाकिस्तान के बीच घमासान लड़ाई हुई थी जिसमें भारी संख्या में सैनिक हताहत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इसके बारे में कोई विरोध प्रकट किया है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों द्वारा सियचिन ग्लेशियर क्षेत्र में गोलाबारी और हमारी सैनिक टुकड़ियों को मोर्चों से हटाने के कुछ प्रयास करने की कुछ घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं से दोनों ही के कुछ सैनिक हताहत हुए।

(ग) जी हां।

केरल में नाइलोन कारखाने की स्थापना

*11. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, पेट्रोलियम मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक उपक्रम है, का विचार नाइलोन कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) क्या केरल सरकार ने यह कारखाना केरल में स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) गुजरात राज्य में स्थापना हेतु पेट्रोलियम कोआपरेटिव लिमिटेड की नाइलोन फिलामेंट यार्न यूनिट को अनुमोदन प्रदान किया गया है । तथापि, केरल राज्य में एक नाइलोन फिलामेंट यार्न यूनिट की स्थापना के लिए केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम को अलग से एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है ।

उड़ीसा में रसायन उद्योग

*12. **श्री के० प्रधानी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए रसायन उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उन रसायन उद्योगों में से कुछ उद्योगों ने प्रदूषण नियंत्रण के पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है, और इन उद्योगों को क्या नए मार्गनिर्देश दिए गए हैं?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख)

उड़ीसा में संगठित क्षेत्र में मुख्य रसायन उद्योगों के नाम	रसायन का नाम
1 2	3
1. ईस्ट कास्ट फर्टिलाइजर एण्ड कैमि० लि०, एट/पीओ-कालमा डि० स्मयूरभंज	सलफ्यूरिक एसिड
2. जैश्री कैमिकल्स लि०, एट/पीओ-गंजम जिला-गंजम	कास्टिक सोडा और सलफ्यूरिक एसिड
3. ओरियन्ट पेपर मिल्स लि०, एट/पीओ०वृजराजनगर जिला-संभलपुर	पल्प एण्ड पेपर एण्ड कास्टिक सोडा

1	2	3
4.	उड़ीसा कैमिकल्स लि०, ओरिचेम लि० पीओ-तालचर जिया-धेनकनाल	सोडियम डाईक्रोमेट
5.	इंडियन कार्बाइड एण्ड कैमिकल्स लि०, ए-1, 13वीं मंजिल, चर्टजी इंटरनेशनल सेण्टर, 33ए, जवाहरलाल नेहरू रोड, कलकत्ता-700071 फेक्टरी का पता-आसनवानी रेयरंगपुर, मयूरभंज	कैलसियम कार्बाइड
6.	इण्डियन रेयर-अर्थ्स ओसकम साइट पो० ओ० छतरपुर-761045 जिला-गंजम	सिन्थेटिक रुटाइल

(ग) और (घ) उड़ीसा राज्य में उद्योगों द्वारा किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों के नियंत्रण तथा पर्याप्तता का सम्बन्ध उड़ीसा राज्य (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) बोर्ड से है जो उद्योगों द्वारा छोड़ी गई निस्सारी को मानीटर करता है तथा उनके परिशोधन के लिए उचित उपायों का सुझाव देता है। भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण उपायों के उचित कार्यान्वयन द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य के संरक्षण एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन जारी किए हैं।

औषधियों और फार्मूलेशनों का उत्पादन और बिक्री

*13. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में यह पता चला है कि देश में विदेशी एककों और सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के बड़ी संख्या में औषधियों और फार्मूलेशनों का उत्पादन और बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) क्षमता की मान्यता/पुनः पृष्ठांकन के लिए औषध कम्पनियों के आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों की जांच पड़ताल करने पर यह नोट किया गया था कि 29 कम्पनियों द्वारा संदेहात्मक वैधता वाले औद्योगिक अनुमोदनों पर 432 मदों का निर्माण किया जा रहा था। वैध औद्योगिक अनुमोदनों के बिना औषधों के उत्पादन के प्रश्न की जांच करने और की जा सकने वाली सम्भावित कार्यवाही का सुझाव देने हेतु 1982 में एक अन्तर मंत्रालय कार्यकारी दल (आई० एम० डब्ल्यू जी०)

गठित किया गया था। आई० एम० डब्ल्यू० जी० के गठन को, समस्याओं की विस्तृत प्रकृति, लम्बे समय तक उत्पादन और यदि कुछ फार्मूलेशनों का उत्पादन रोक दिया जाए तो मरीजों को होने वाली कठिनाई की सम्भावना जैसे अनेक कारणों से आवश्यक समझा गया था। आई० एम० डब्ल्यू० जी० अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है। आई० एम० डब्ल्यू० जी० की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

[हिन्दी]

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

*14. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य चुनाव आयुक्त से निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में कुछ सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में कुछ प्रस्ताव 1981 में तैयार किए थे। हाल ही में जब सरकार को स्वयं इस मामले की समीक्षा करने का अवसर मिला और उसने आयोग से परामर्श किया तो आयोग ने अपने पूर्वतर प्रस्तावों को दोहराया।

(ख) प्रस्ताव निम्नलिखित हैं : संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) का इस प्रकार संशोधन किया जाए जिससे कि लोक सभा में विभिन्न राज्यों और विभिन्न राज्य विधान सभाओं को आबंटित स्थानों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन किए बिना, प्रत्येक दशाब्दिक जनगणना के पश्चात् प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन की मूल स्थिति इस प्रकार पुनःस्थापित कर ली जाए जिससे कि समान रूप से विकास-क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन करते समय प्रशासनिक परिवर्तनों और जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगीकरण आदि जैसी बातों को ध्यान में रखा जाए। प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् अनुसूचित जातियों और अनुसचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को राज्य के एक जिले में या किसी उपयुक्त प्रशासनिक इकाई के भीतर इस प्रकार चक्रानुक्रमित किया जाना चाहिए कि कोई स्थान एक बार में कुछ अनुबंधित वर्षों से अधिक समय के लिए आरक्षित न रह जाए।

[अनुवाद]

हिसार को सेना के लिए परिवार निवास स्थल (फैमिली स्टेशन) घोषित करना

*15. **श्री प्रताप सिंह बघेल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिसार को सेना के लिए परिवार निवास स्थल (फैमिली स्टेशन) घोषित करने के बारे में सरकार का विचार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) हिसार एक परिवार निवास स्थल (फैमिली स्टेशन) है और इसे व्यवस्था को बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति तथा टेलको के वाणिज्यिक वाहन संयन्त्र का उत्तर प्रदेश में स्थानांतरण

*16. **श्री अमल दत्त** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लाइसेंस देने की सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार उद्योगपतियों पर अपने उद्योगों को दूसरी जगहों पर ले जाने तथा कतिपय राज्यों में उद्योग स्थापित न करने के लिए दबाव डाल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी के प्रस्तावित वाणिज्यिक वाहन संयंत्र को कर्नाटक से उत्तर प्रदेश में क्यों स्थानान्तरित किया जा रहा है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति जुलाई, 1980 में उद्योग राज्य मंत्री द्वारा संसद के समक्ष दिए गए औद्योगिक नीति वक्तव्य के अधीन प्रशासित होती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उत्तर प्रदेश में एक एकक स्थापित किये जाने हेतु लाइसेंस के लिए टेलको के 12.9.1983 के आवेदन पर विचार किया गया था और कम्पनी को एक आशय पत्र दे दिया गया था। दूसरा एकक कर्नाटक में स्थापित करने के लिए कम्पनी के दिनांक 10.4.1984 के बाद वाले आवेदन पर भी सरकार द्वारा विचार किया गया था और कंपनी को सूचित किया गया था कि उक्त अनुरोध पर विचार किया जाना संभव नहीं है क्योंकि वाणिज्यिक वाहन बनाने के लिए पर्याप्त क्षमता पहले ही अनुमोदित की जा चुकी है। फिर भी, सरकार द्वारा उनके आवेदन पर अंतिम निर्णय किए जाने से पूर्व कंपनी को अपना मामला पेश करने के लिए एक अवसर दिया गया था। किन्तु कम्पनी ने कोई अभ्यावेदन नहीं दिया।

कम्पनी के प्रस्तावित संयंत्र को कर्नाटक से उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता चूंकि कम्पनी ने अलग-अलग दो आवेदन किए थे—पहला उत्तर प्रदेश में स्थापना के लिए सितम्बर, 1983 में और दूसरा कर्नाटक में स्थापना हेतु अप्रैल, 1984 में।

लोक अदालत

*17. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती ने दुर्घटना संबंधी दावों के लिए मुम्बई में लोक अदालत स्थापित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विधिक प्रणाली में अन्य न्यायालयों की तुलना में "लोक अदालत" पर कम खर्च होगा; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) सरकार द्वारा गठित विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, श्री न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती ने, जो इस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं, 15 जून, 1985 को मुम्बई में दुर्घटना दावों के लिए एक "लोक अदालत" का उद्घाटन किया था। लोक अदालत के दो पैनल बनाए गए जिन्हें दावे संबंधी 90 मामलों पर विचार करना था। इनमें से 69 मामले निपटाए गए और 12,16,000 रु० का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया। शेष 21 मामलों में से 17 मामलों में अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए तथा अन्य चार मामलों में पक्षकारों ने लोक अदालत के अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया और मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष अपने मामले रखे।

(ख) और (ग) लोक अदालत कानूनी न्यायालय नहीं है। यह एक सेवा स्वैच्छिक निपटारा अधिकरण है जिसे अनुनयी पद्धति द्वारा पक्षकारों के बीच सुलह कराने के लिए बनाया गया है और लोक अदालत में किए गए विनिश्चय या निपटारे से दोनों पक्षकारों का समाधान हो जाता है जो साधारण न्यायालयों द्वारा किए गए निर्णयों से नहीं होता है।

मध्यवर्ती औषधों के बारे में सीमा शुल्क का ढांचा

*18. **श्री सिद्ध लाल मुरमू :**
श्री आनन्द पाठक :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन समाचारों की जानकारी है कि मध्यवर्ती औषधों पर सीमा शुल्क 135 प्रतिशत तक है, जबकि इन्हीं मध्यवर्ती औषधों से बनने वाला तैयार शुदा औषधियों पर सीमा शुल्क 100 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे मध्यवर्ती स्तरों पर औषधियों के उत्पादन के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहन मिलेगा ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सामान्यतः प्रपुंज औषधों के आयात पर यथा मूल्य 60 प्रतिशत प्रारम्भिक शुल्क और 40 प्रतिशत उप-शुल्क (कुल मूल्य 100 प्रतिशत शुल्क यथा मूल्य) लगाया जाता है। उसी प्रकार औषध मध्यवर्तियों सहित रसायनों के आयात पर यथा मूल्य 70 प्रतिशत प्रारम्भिक शुल्क और यथा मूल्य 40 प्रतिशत उप-शुल्क तथा 12 प्रतिशत प्रति-कर शुल्क (कुल शुल्क 135.2 प्रतिशत यथा मूल्य) लगाया जाता है। तथापि, अनेक प्रपुंज औषधों एवं औषध मध्यवर्तियों पर रियायती दर से सीमा शुल्क लगाया जाता है। प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाले औषध मध्यवर्तियों पर से प्रतिकर हटा लिया गया है। शुल्क संरचना की सतत् समीक्षा की जाती है ताकि ध्यान में आने वाली विसंगतियों को दूर किया जा सके।

असम में निर्वाचक नामावलियों को अन्तिम रूप देना

*19. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम राज्य में राज्य विधान सभा और लोक सभा के लिए निर्वाचन कराने के लिए राज्य में निर्वाचक नामावलियों को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) और (ख) आपका ध्यान तारीख 22 जनवरी, 1985 के अतारांकित प्रश्न सं० 129 और तारीख 19 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न सं० 553 के दिए गए उत्तरों की ओर आकृष्ट किया जाता है। निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि सभी 126 निर्वाचन क्षेत्रों की नामावलियों के प्रारूप प्रकाशित किए जा चुके हैं। 21 निर्वाचन क्षेत्रों की नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित की जा चुकी हैं, शेष निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम नामावलियां, सभी फाइल किए गए दावों और आक्षेपों के निपटारे के पश्चात्, प्रकाशित कर दी जाएंगी।

उड़ीसा में महानदी जलक्षेत्र (बेसिन) में तेल के लिए खुदाई

*20. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान उड़ीसा में महानदी जलक्षेत्र में तेल की खुदाई के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी थी और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) वर्ष 1985-86 और सातवीं योजना के शेष वर्षों के दौरान शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम और परियोजनाएं कौन-सी हैं;

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है और इसके लिए वर्ष 1985-86 के दौरान कितनी धनराशि की व्यवस्था की जायेगी; और

(घ) उनके मन्त्रालय द्वारा निर्धारित अवधि में खुदाई कार्य पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) छठी योजना के दौरान आयल इंडिया ने महानदी बेसिन में अन्वेषण के लिए लगभग 114 करोड़ रुपए व्यय किए हैं।

तटवर्ती तथा अपतटीय भूकम्पीय सर्वेक्षणों के अतिरिक्त 8 अपतटीय कुएं खोदे गए हैं। आखिरी कुंआ अभी परीक्षणाधीन है।

(ख) सातवीं योजना के कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम नहीं रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 1985-86 के दौरान कुल 12,000 मीटर के, एक खंड कूप (पार्टवल) सहित 4 कुएं खोदने का प्रस्ताव है।

(ग) 1985-86 का परिव्यय लगभग 45 करोड़ रुपए है।

(घ) अपतटीय ड्रिलिंग के लिए आवश्यक उपस्कर तथा सेवाएं किराए पर ले ली गई हैं तथा तटवर्ती क्षेत्र के लिए किराए पर लेने के वास्ते कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। जिन स्थानों पर खुदाई करनी है उनकी खोज कर ली गई है।

[अनुवाद]

करनाल शोधनशाला

1. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

डा० ए० के० पटेल :

श्री लोडे रमैया :

क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल शोधनशाला, जिसकी स्थापना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली के पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जा रही है, का निर्माण कार्य योजना आयोग द्वारा, सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान न किए जाने के कारण रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है जिससे कि शोधनशाला का कार्य बन्द न हो;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वहां पर किस अवधि तक उत्पादन प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या नई योजना में कुछ विदेशी कम्पनियों ने रुचि दिखाई है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में स्रोतों पर पड़ने वाले दबाव को दृष्टिगत रखते हुए करनाल परियोजना के कार्यान्वयन की सम्भावनाओं का पता लगा रही है। कुछ निजी पार्टियों ने संयुक्त उद्यम में भागीदारी के प्रति रुचि दर्शायी है और यह मामला विचाराधीन है।

उपग्रह संचार व्यवस्था

2. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के अन्तर्गत किस्म में सुधार लाने और जानकारी प्राप्त करने में विश्वसनीयता तथा गति लाने के लिए एक उपग्रह संचार व्यवस्था प्रारम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है, प्रस्तावित व्यवस्था पर कितनी लागत आयेगी तथा इसके किस अवधि तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में एक उपग्रह संचार व्यवस्था विद्यमान है जिसके विस्तार का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विस्तार योजना तैयार की जा रही है। इसलिए लागत अनुमानों तथा इसे आरम्भ किए जाने की तिथि के बारे में अभी बताना सम्भव नहीं है।

आंखों की दवाइयों की कमी

3. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आंखों की दवाइयों की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) सामान्यत: आंखों की बीमारी के इलाज के लिए अपेक्षित औषधों की कोई कमी नहीं है। तथापि, इस मन्त्रालय के पास ग्लूकोमा के इलाज के लिए अपेक्षित पिलोकार्पाइन आई ड्राप्स की कमी की सूचना प्राप्त हुई है। यह कमी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रपुंज औषध पिलोकार्पाइन नाइट्रेट की सतत् एवं तीव्र कमी के कारण हुई है।

(ख) पिलोकार्पाइन आई ड्राप्स की उपलब्धता को सुलभ करने के लिए सरकार ने निम्न कदम उठाए हैं :—

(1) सरकार ने इस दुर्लभ माल की आपूर्ति हेतु प्रपुंज औषध के मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादकों से सिफारिश की है तथा जितनी मात्रा भी उपलब्ध की जा सकी, वह इन फार्मूलशनों के देशी उत्पादकों को दे दी गई है।

(2) इस प्रपुंज औषध को प्राप्त करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सहायता की मांग की गई है तथा परिणामस्वरूप उनके माध्यम से कुछ माल उपलब्ध होने की सम्भावना है।

(3) मैं० फेयरडील कार्पोरेशन, जो इस फार्मूलेशन के मुख्य उत्पाद हैं, को नियमित रूप से सलाह दी जा रही है कि वे उन प्रभावित क्षेत्रों में स्टाक पहुंचायें जहां से उनकी अपर्याप्त उपलब्धता की सूचना प्राप्त हुई है।

(4) वर्तमान आयात नीति में खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत पिलोकार्पाइन आई ड्राप्स का आयात अनुमेय कर दिया गया है। इस औषध की उपलब्धता में शीघ्र सुधार आने की सम्भावना है।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

4. **श्री गुरुदास कामत** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सातवीं योजना के अन्त तक पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी मांग होने का अनुमान है;

(ख) क्या कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन से पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग पूरा होने की आशा है; और

(ग) यदि नहीं, तो कमी को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) लगभग 54 मि० मी० टन।

(ख) जी, नहीं।

(ग) क्रूड तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात द्वारा कमी को पूरा किए जाने की आशा है।

कुशल दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए "अर्थ स्टेशन" की स्थापना

5. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपग्रह की सहायता से कुशल दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों (1982-83, 1983-84 और 1984-85) तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनेक "अर्थ स्टेशन" स्थापित करने की योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक दूरसंचार मण्डल का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे "अर्थ स्टेशनों" के नाम क्या है जिन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ग) शेष स्टेशनों द्वारा किस तारीख तक कार्य शुरू किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में मण्डल-वार और अधिक अर्थ स्टेशन स्थापित करने संबंधी योजना क्या है और प्रत्येक स्टेशन पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) 82-83—शून्य

83-84—विभिन्न दूरसंचार सर्किलों के लिए 18 भूकेन्द्रों की योजना मंजूर की गई थी जिसका विवरण इस प्रकार है :—

उत्तर पश्चिम सर्किल	2
उत्तर पूर्वी सर्किल	4
उड़ीसा सर्किल	1
राजस्थान सर्किल	1
उत्तर प्रदेश सर्किल	3
पश्चिम बंगाल सर्किल	3
जम्मू कश्मीर सर्किल	4

1984-85—10 परिवहनीय आपातकालीन संचार उपग्रह टर्मिनलों की व्यवस्था करने सम्बन्धी योजना को मंजूरी दी गई। इनसे देश में किसी भी स्थान पर आपातकालीन संचार सेवा प्रदान की जा सकेगी।

1985-86—उत्तर पूर्वी दूरसंचार सर्किल के लिए 26 अतिरिक्त भू-केन्द्रों की योजना पर स्वीकृति दे दी गई है।

(ग) 1986-87—18 भूकेन्द्र ।
1987-88—10 आपातकालीन संचार उपग्रह टर्मिनल ।
1988-89—26 भू-केन्द्र ।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लगभग 80 भू-केन्द्र स्थापित करने की योजना है जिसमें ऊपर उप पैरा (ख) में दिए गए स्टेशन भी शामिल हैं । प्रत्येक भू-केन्द्र की लागत अलग-अलग होगी जो सेवा की मांग पर आधारित होगी । सभी योजनाओं का विस्तृत प्राक्कलन उत्तरोत्तर तैयार किया जा रहा है ।

जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज से नये टेलीफोन कनेक्शन

6. **श्री एच० जी० रामुलु** : क्या **संचार मन्त्री** जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज से नये टेलीफोन कनेक्शन के बारे में 23 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न 4014 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, अप्रैल और मई, 1982 में "नान ओ० वाई० टी० श्रेणी"के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत किए गए आवेदनकर्ताओं को अभी तक टेलीफोनों के आबंटन पत्र नहीं मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन कनेक्शन आबंटित करने में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त एक्सचेंज में सभी श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली प्रतीक्षा-सूचियों की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(घ) सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत मार्च, अप्रैल और मई, 1982 के महीनों में पंजीकृत किए गए आवेदनकर्ताओं को कब तक टेलीफोन कनेक्शन मिलने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी नहीं । मार्च, अप्रैल और मई, 1982 के दौरान रजिस्टर किए गए सभी आवेदकों को आबंटन पत्र पहले से ही जारी किए जा चुके हैं ।

(ग) 30-6-85 को इस एक्सचेंज की प्रतीक्षा-सूची की स्थिति इस प्रकार है :

ओ० वाई० टी०-सामान्य	ओ०वाई० टी०-विशेष	विशेष	सामान्य
17	13		866

(घ) आबंटन पत्र पहले से ही भेज दिए गए हैं । टेलीफोन कनेक्शन दो महीनों के भीतर दे दिए जाएंगे ।

बम्बई हाई से कच्चे तेल और गैस का उत्पादन

7. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **पेट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई से कच्चे तेल और गैस का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) उद्योगों द्वारा कितने पेट्रोलियम और गैस का प्रयोग किया जाता है और उसमें से कितनी मात्रा में ये पदार्थ व्यर्थ हो जाते हैं;

(ग) इनका अधिकतम उपयोग कब तक होने लगेगा; और

(घ) फिर भी कितना पेट्रोलियम और गैस अनुपयुक्त रह जायेगा ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 1984-85 के दौरान बम्बई हाई और उपक्रम वाले क्षेत्रों से हुए कच्चे तेल और गैस का उत्पादन निम्न प्रकार है :

कच्चा तेल—20.136 मि० मी० टन

गैस —4408 मि० टन मीटर

(ख) 1984-85 के लिए प्रयोग में लाई गई गैस के विवरण निम्न प्रकार थे :—

(आंकड़े मि० घन मीटरों में)

1. विभिन्न उद्योगों को की गई सप्लाई	2050
2. आन्तरिक खपत	464
[illegible]ज्वलन	1894

और (घ) फरवरी, 1986 से इस समय तक उपयोग के लिए गैस की उपलब्धता बेहतर हो जाएगी जब दो अतिरिक्त कम्प्रेसर प्लेटफार्म (एस० एच० एवं एन० क्यू०) स्थापित और चालू हो जायेंगे। इसके बाद, गैस तभी जलायी जाएगी, जब उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित कोटा के उठान में भारी कमी आ जाएगी।

भारत में तेल तथा गैस की खोज के लिए सोवियत संघ के साथ समझौता

8. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तेल गैस की खोज के लिए सोवियत संघ के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी शर्तें क्या हैं;

(ग) सोवियत संघ द्वारा जिन क्षेत्रों में खोज की जाएगी, उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में कार्य कब शुरू होगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री न[illegible]ोर शर्मा) : (क) से (घ) 23 मई, 1985 को भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक, [illegible] वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग की मुख्य दिशाओं पर हस्ताक्षरित करार के अनुस[illegible] सोवियत संघ कावेरी तथा कैम्बे बेसिनों के आपस में सहमत क्षेत्रों में अपने उपस्करों तथा विशेषज्ञों को लगाकर तेल और गैस के लिए गहन एकीकृत अन्वेषण करेगा।

हाथ में लिए जाने वाले वास्तविक क्षेत्रों तथा काम की योजना आपसी विचार-विमर्श से नियत की जानी है जिसके लिए सोवियत दल को आमंत्रित किया गया है।

छिद्रण रिग सागर प्रगति

9. **श्री रेजुपद दास** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रतिष्ठित छिद्रण करने वाले जहाज, रिग सागर प्रगति में लगभग 50 विध्वंसात्मक दरारें आई हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) अप्रैल, 1985 में रिग "सागर प्रगति" के निरीक्षण के दौरान इसके पायों में कुछ दरारों का पता चला था।

(ख) इस समय दुबई में रिंग के लिए ड्राई डाकिंग की प्रतीक्षा की जा रही है जिसके पश्चात् इन दरारों के पड़ने के कारणों का पता लगाया जाएगा।

दुर्गापुर में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन एकक का विस्तार

10. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर स्थित हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन एककों के विस्तार और आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच० एफ० सी०) के दुर्गापुर एकक का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मुसलमानों को समान सिविल संहिता के उपबंधों से छूट

12. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा (एक) अनुच्छेद 44 के अनुसरण में मुसलमानों को, उनकी स्वीय विधि को प्रभावित करने वाली समान सिविल संहिता के उपबंधों से छूट देने के लिए संविधान को संशोधित करने और (दो) उच्चतम न्यायालय द्वारा विच्छिन्न-विवाह स्त्री के भरण-पोषण के बारे में हाल ही में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम स्वीय विधि के नियमों को बहाल करने के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और 127 को संशोधित करने के संबंध में बड़ी संख्या में अभ्यावेदन, ज्ञापन, पत्र और तार प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी हां। सरकार की नीति यह है कि वह अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधियों में तब तक कोई

परिवर्तन नहीं करती है जब तक कि वे समुदाय स्वयं पहल नहीं करते हैं। अतः संविधान के अनुच्छेद 44 का संशोधन करने का विचार नहीं है।

जहां तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और 127 से संबंधित अभ्यावेदनों, ज्ञापनों, आदि का संबंध है, सरकार उन पर विचार कर रही है।

कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि

13. **श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ पूंजी निवेश करने तथा तेल निकालने की परियोजनाओं को गति देने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना तथा प्रायोगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा तेजी से तेल निकालने के तरीकों को कहां-कहां प्रयोग में लाया जाता है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की जाने वाली संबंधित तेल निष्कर्षण तेल को (ई० ओ० आर०) योजनाओं से संबंधित परिव्यय तथा अन्य विवरण योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे। तथापि, इसके अतिरिक्त सनन्द क्षेत्र में एक पालीमेर फ्लड पायलट प्राजेक्ट को कार्यरूप दिया जा रहा है, 7वीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित ई० ओ० आर० पायलट परियोजनाओं के आरम्भ होने की सम्भावना है।

(i) आमतौर में झालीमेर फ्लड

(ii) बलोल क्षेत्र में भारी तेल के लिए इनसिटु कम्बस्सन पायलट

(iii) अंकलेश्वर क्षेत्र में मिसलर पालीमेर फ्लड

(iv) कलोल फील्ड में कार्बन डायऑक्साइड फ्लड

(v) लवां क्षेत्र में भारी तेल के लिए इनसिट कम्ब्रस्सन ।

(vi) बलोल क्षेत्र में भारी तेल के लिए स्टीम फ्लड

(vii) गैलेकी क्षेत्र में एल० पी० जी० फ्लड।

बीदर (कर्नाटक) में उद्यमियों को प्रोत्साहन

14. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीदर, कर्नाटक को उद्योगविहीन क्षेत्र घोषित किये जाने के पश्चात् यहां के विभिन्न उद्यमियों को कोई प्रोत्साहन प्रदान करने की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ

मोहम्मद खां) : (क) और (ख) कर्नाटक के बीदर जिले में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमी औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृतियों में सर्वोपरि प्राथमिकता पाने, 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम 25 लाख रुपए तक की केन्द्रीय निवेश राजसहायता और अखिल भारतीय सावधिक ऋणदायी संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं पाने के पात्र हैं। उद्यमियों को उपदान की जाने वाली रियायतों/प्रोत्साहनों का ब्यौरा दिनांक 9-4-85 के प्रेस टिप्पण संख्या 14/2/83-डी० बी० ए० 1 के साथ पठित "इंसेंटिक्स फॉर इन्डस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज" नामक पुस्तिका में दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

गुजरात औद्योगिक निवेश निगम को आशय-पत्र की मंजूरी

15. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में एक नाईलोन-6 फिलामेंट यार्न प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए गुजरात औद्योगिक निवेश निगम को आशय-पत्र मंजूर किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो आशय-पत्र कब मंजूर किया गया था और इस एकक की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) अप्रैल, 1983 में गुजरात में नाइलान फिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए नया उपक्रम स्थापित करने के लिए मैसर्स गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड को एक आशय-पत्र जारी किया गया था। विदेशी सहयोग यथा पूंजीगत माल के आयात के प्रस्तावों को अनुसार कर दिया है। इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए मैसर्स गुजरात नाइलान लिमिटेड नामक नई कम्पनी बनाई गई है। जून, 1983 में आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया गया है।

बिहार के मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर डाक-प्रभागों में नई डाकखाना शाखाएं खोलना

16. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर डाक-प्रभागों में 1-1-1985 को कुल कितने शाखा डाकखाने और उच्च ग्रेड डाकखाने थे; और

(ख) वर्ष 1985-86 में नई डाकखाना शाखाएं खोलने और उनका दर्जा बढ़ाने के क्या विशिष्ट प्रस्ताव हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(क) प्रधान डाकघर		विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
मधुबनी	1	39	1	365
समस्तीपुर	2	40	5	316
दरभंगा	2	43	11	351

(ख) 1985-86 के दौरान नए डाकघर खोलने के प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

(i) मधुबनी	6
(ii) समस्तीपुर	7
(iii) दरभंगा	3

उक्त कार्यक्रम पदों के सृजन पर मितव्ययी सम्बन्धी आदेशों को समाप्त करने, छूट देने पर निर्भर होगा।

सभी तीन मंडलों में 1985-86 के दौरान दर्जा बढ़ाने को कोई कार्यक्रम नहीं है।

राजौरी गार्डन टेलीफोन एक्सचेन्ज में नए टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

17. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजौरी गार्डन टेलीफोन एक्सचेन्ज में टेलीफोन कनेक्शन हेतु श्रेणी-वार कितने आवेदन प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) क्या सरकार का राजौरी गार्डन में एक नया टेलीफोन एक्सचेन्ज लगाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो टेलीफोन लाइनों की संख्या कितनी होगी और टेलीफोन कनेक्शन आबंटित करने का मानदण्ड क्या होगा;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने नया टेलीफोन एक्सचेन्ज लगाने के लिए दो या तीन बार समाचारपत्रों में घोषणा की है; और

(ङ) यह कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1-7-1985 को राजौरी गार्डन टेलीफोन एक्सचेन्ज की प्रतीक्षा सूची में श्रेणीवार दर्ज आवेदकों की संख्या इस प्रकार है :

ओ० वाई० टी०	1948
विशेष	180
सामान्य	22617
	24,745

(ख) जी हां।

(ग) इस एक्सचेन्ज में लगभग 9400 नए कनेक्शन जोड़े जायेंगे। टेलीफोन लाइनों का प्रतिशत आबंटन निम्नलिखित है :

ओ० वाई० टी०	40 प्रतिशत
गैर-ओ० वाई० टी०—विशेष	20 प्रतिशत
गैर-ओ० वाई० टी० सामान्य	40 प्रतिशत

(घ) जी नहीं।

(ङ) 28-6-85 से 10,000 लाइनों के एक्सचेन्ज (541 कोड पर) ने काम करना प्रारम्भ कर दिया है। 1986-87 में 10,000 लाइनों की क्षमता वाला एक एक्सचेन्ज चालू किया जाएगा।

'भेल' के अधिकारियों के विदेशी दौरे और कम्पनी द्वारा निर्यात/आयात

18. **डा० एच० के० पटेल** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के 25 शीर्षस्थ अधिकारियों के नाम क्या हैं और अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 के दौरान उन्होंने कितनी बार विदेश यात्राएं कीं;

(ख) प्रत्येक अधिकारी का पदनाम क्या है, प्रत्येक अधिकारी ने किस-किस देश की यात्रा की तथा कितनी बार यात्रा की तथा प्रत्येक अधिकारी की प्रत्येक यात्रा पर कुल कितना खर्च (किराये और भत्ते सहित) हुआ;

(ग) 'भेल द्वारा गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष आयात पर कुल कितनी धनराशि (माल उतारने पर रुपयों में लागत) खर्च की गई तथा 'भेल' द्वारा खर्च की जाने वाली कुल सामग्री लागत की तुलना में इसकी प्रगतिशीलता क्या है; और

(घ) 'भेल' द्वारा गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कुल कितना निर्यात (रुपयों में) किया गया, उन 25 शीर्षस्थ विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनसे 'भेल' ने गत तीन वर्ष के दौरान सर्वाधिक आयात किया और प्रत्येक कम्पनी से कुल कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात किया ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

टेलीफोन कार्यकरण के सुधार के लिए सलाहकार समिति का गठन

19. **श्री मलिक रेड्डी** :
श्री चिन्ता मोहन :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जुलाई 1985 को "टाइम्स आफ इण्डिया" में टेलीफोन के कार्यकरण के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में टेलीफोनों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सभी नगरों में प्रत्येक एक्सचेंज के लिए परामर्शदात्री समितियां गठित करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) समाचार में दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंज के कुछ क्षेत्र को किदवई भवन इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में स्थानांतरित करने का हवाला दिया गया है । इस कार्य में कुछ उपरिहार्य कारणों से कुछ विलंब हुआ था । परन्तु दिल्ली गेट एक्सचेंज के कुछ क्षेत्र को किदवई भवन एक्सचेंज में अन्तरित करने का पहला चरण 21-6-85 को पूरा कर लिया गया था । क्षेत्र अंतरण के दूसरे चरण को पूरा करने का कार्य चल रहा है ।

(ग) जी नहीं । फिर भी, प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र के लिए एक दूरसंचार सलाहकार समिति तथा प्रत्येक टेलीफोन जिले के लिए एक टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन किया जाता है । विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को इन समितियों में नामित किया जाता है । आमतौर से सदस्य इस समिति के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं । राज्य/टेलीफोन जिले में टेलीफोन के कार्यकरण सहित सभी दूरसंचार संस्थापनों से संबंधित मामलों पर संबंधित समिति में विचार किया जा सकता है ।

मध्यम किस्म के स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

20. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव 1985-86 में देश में कुछ और मध्यम किस्म के स्वचालित केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के दौरान उड़ीसा में ऐसे कितने मध्यम किस्म के स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जाने हैं;

(ग) क्या सरकार का उड़ीसा के फुलबनी जिले में एक ऐसा मध्यम किस्म का स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) 1985-86 के दौरान उड़ीसा में 4 मीडियम टाइप आटोमैटिक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि स्टोर उपलब्ध हो सके । इसके अतिरिक्त 1985-86 में एक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज भी चालू करने की योजना है ।

(ग) और (घ) जी हां । फुलबनी में 400 लाइनों वाला एक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है । यह एक्सचेंज 1986-87 में चालू किए जाने की संभावना है ।

नई औषध नीति

21. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार की नई औषध नीति से स्वदेशी औषध निर्माताओं में असन्तोष व्याप्त है, उनके विचार से इस नीति से स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न होगी, तथा इससे आत्मनिर्भरता, आत्मपर्याप्तता तथा भारत की औद्योगिक नीति संकल्प को धक्का लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औषध तथा भेषज विकास परिषद जो 19 अप्रैल, 1983 को गठित की गई थी, ने औषध नीति के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। 1978 की औषध नीति में किए जाने वाले आवश्यक संशोधनों/सुधारों के सम्बन्ध में सरकार ने अभी निर्णय लेना है।

खाना पकाने की गैस के पिन टाइप सिलिण्डर शुरू करना

22. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वे कौन से क्षेत्र हैं जहां खाने पकाने की गैस के पिन टाइप सिलिण्डर शुरू नहीं किए गए हैं; और

(ख) उन क्षेत्रों में भी उक्त पिन टाइप सिलिण्डर कब तक शुरू करने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) दक्षिणी दिल्ली में कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्वयं-बंद होने वाले नये पिन टाइप सिलिण्डर अभी तक शुरू नहीं किये गये हैं।

(ख) 31-8-1985 तक।

[हिन्दी]

आई० डी० पी० एल० द्वारा एल० डी० पी० प्लास्टिक के लिए कच्चे माल का उत्पादन

23. **श्री विष्णु मोदी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में एल० डी० पी० प्लास्टिक के लिए कच्चे माल का उत्पादन आई० डी० पी० एल० द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्लास्टिक बनाने वाले लघु औद्योगिक एककों की एल० डी० पी० हेतु कच्चे माल की आवश्यकताएं उक्त उपक्रम द्वारा उत्पादित और वितरित किए जाने वाले कच्चे माल से पूरी हो जाती हैं;

(ग) क्या इन दिनों एल० डी० पी० का अभाव है और इसे काला बाजार में बेचा जा रहा है;

(घ) क्या यह सरकार की नीति है कि लघु एककों में कच्चे माल का वितरण किसी सरकारी अभिकरण द्वारा किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या आई० डी० पी० एल० द्वारा क्षेत्र में लघु एककों में कच्चे माल का वितरण गैर-सरकारी वितरकों के माध्यम से किया जा रहा है और उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है; और

(छ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निर्वाचन सुधार

24. **श्री नरसिंह मकवाना :**
श्री विजय कुमार यादव :

क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन आयोग ने, निर्वाचन सुधारों के बारे में, क्या सिफारिशें की हैं और सरकार उन सिफारिशों की बाबत क्या विनिश्चय कर रही है ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : निर्वाचन आयोग निर्वाचन सुधारों से सम्बन्धित सिफारिशें समय-समय पर करता रहा है और ऐसा अन्तिम सुधार-समूह सितम्बर, 1982 में प्रस्तुत किया गया था। सिफारिशों के पूरे ब्यौरे तारीख 5 अप्रैल, 1983 को अतारांकित प्रश्न सं० 5754 के उत्तर में सदन के पटल पर रखे गये थे। गत दिसम्बर में हुए लोक सभा निर्वाचनों और इस वर्ष मार्च में हुए विधान सभा निर्वाचनों के दौरान प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने स्थिति का जायजा लिया है और उसकी नई सिफारिशें 14 मई, 1984 को सदन के पटल पर रखी गई उसकी दूसरी वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ सं० 77-84 में दी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा की गई कुछ अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

आयोग की सिफारिशें हाल ही में प्राप्त हुई हैं और सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण सिफारिशों पर राजनैतिक दलों के विचार भी जानने चाहते हैं। सरकार इन निर्वाचन सुधारों को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिए उत्सुक है और वह राजनैतिक दलों आदि से परामर्श करने के पश्चात् ऐसा कर लेगी।

विवरण

निर्वाचन सुधारों के लिए प्रस्ताव :

(1) गैर-संजीदा अभ्यर्थियों का निकाला जाना।

(क) प्रतिभूति निक्षेप की रकम दस गुना कर दी जाए;

(ख) ऐसे अभ्यर्थी को निरर्हित कर दिया जाये, जिसे डाले गये विधिमान्य मतों में से 20% मत भी प्राप्त नहीं होते हैं।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप के प्रतिदाय के लिये अपेक्षित मतों की न्यूनतम संख्या छठांश से बढ़कर चतुर्थांश कर दी जाये।

(घ) टेलीफोन कनेक्शनों के आबंटन में पूर्विकता, यानों की अध्यपेक्षा से उन्मुक्ति, पोस्टर आदि के मुद्रण के लिये कागज की सहायता प्राप्त प्रदाय जैसी सुविधाएं निर्दलीय अभ्यर्थियो को उपलब्ध नहीं होंगी।

(ङ) मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों का कुछ भाग सरकार निःशुल्क निर्वाचक नामावलियों का प्रदाय करके, तय पाये गये सिद्धांतों के अनुसार आकाशवाणी/दूरदर्शन पर क्रय किये गये समय की सहाय्यकी आदि देकर वहन करे।

(च) किसी संसदीय निर्वाचन की दशा में, प्रत्येक संघटक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से कम से कम एक प्रस्तावक और अधिक से अधिक दस प्रस्तावक नामनिर्देशन करें। किसी सभा निर्वाचन की दशा में, विभिन्न मतदान क्षेत्रों में से प्रत्येक से कम से कम एक प्रस्तावक और अधिक से अधिक दस प्रस्तावक नामनिर्देशन करें।

(छ) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में और मत-पत्रों में, मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दलों को एक समूह में रखा जाये और उनके नाम पहले वर्णानुक्रम में रखे जाएं और तत्पश्चात् शेष अभ्यर्थियों के नाम भी वर्णानुक्रम में रखे जाएं।

(2) **दो से अधिक निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने पर पाबन्दी** :

लोक सभा या विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचनों में या लोक सभा और राज्य विधान सभा के एक साथ निर्वाचनों में या ऐसे उपनिर्वाचनों की दशा में, जो दो या अधिक स्थानों के लिये हों, किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचन न लड़ने दिया जाए।

(3) **अपराधी अभिलेख वाले व्यक्तियों की निरर्हता** :

ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी अपराधिकता साबित हो चुकी है और विगत इतिहास धूमिल हो और जो पूर्वापराधी हैं तथा उन व्यक्तियों को, जिनको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा वितियमन अधिनियम, गुंडा अधिनियम (जहां वह प्रवृत्त है), आदि के अधीन निरुद्ध किया गया है/ निष्कासित किया गया है और ऐसा निरोध/निष्कासन उपरोक्त अधिनियमों आदि के अधीन गठित न्यायिक सलाहकार बोर्डों में अनुमोदित कर दिया है, सत्तारूढ़ दल द्वारा इस शक्ति के मनमाने ढंग से निवारण के लिए पर्याप्त रक्षोपाय करते हुए, निर्वाचन लड़ने से निरर्हित किया जाना है। "अपराध अभिलेख" पद की परिभाषा राजनैतिक दलों के परामर्श से परिनिश्चित की जा सकती है।

वह व्यक्ति जिसे नैतिक अधःपतन वाले किसी अपराध के लिए भारत में किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किया जाता है उस दशा में भी निरर्हित होगा जब उसे दो वर्ष से कम के लिए दण्डादिष्ट किया जाता है। निम्नतम न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि की दशा में भी निरर्हता लागू होगी, किन्तु तब नहीं जब अपील न्यायालय द्वारा उसे वस्तुतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त कर दिया जाता है।

(4) निर्वाचन अधिवेशनों में विघ्न डालने को रोकने के लिए दण्डात्मक उपाय :

उन व्यक्तियों का, जो निर्वाचन अभियान के दौरान हिंसा करते हैं अथवा जो निर्वाचन अधिवेशनों में विघ्न डालते हैं, संक्षिप्त रूप में निवारण किया जाना चाहिये और सिद्धदोष ठहराये जाने की दशा में उन्हें निरर्हित किया जाना चाहिये ।

(5) उड़ीसा में काकतपुर सभा निर्वाचन-क्षेत्र से नामांकन पत्रों का कपटपूर्ण फाइल किया जाना— ऐसे मामलों की आवृत्ति को रोकने के लिए कदम :

आयोग ने सरकार से निम्नलिखित कदम उठाये जाने की सिफारिश की है, अर्थात्—

(1) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचन के मामलों में नामनिर्देशन पत्र पर प्रत्येक सभा खण्ड से कम से कम एक प्रस्तावक को हस्ताक्षर करने चाहिये, किन्तु ऐसे प्रस्तावकों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिये । इसी प्रकार सभा निर्वाचन क्षेत्र के मामलों में प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र पर, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक निर्वाचन भाग से कम से कम एक प्रस्तावक को हस्ताक्षर करने चाहिए, किन्तु ऐसे प्रस्तावकों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी ।

(2) अभ्यर्थी के लिये यह बाध्यता होनी चाहिये कि वह अपना फोटो प्रस्तुत करे अथवा यदि अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में नामनिर्देशन पत्र उसके प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाना है तो किसी एक प्रस्तावक का फोटो प्रस्तुत करे ।

(3) नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गये फोटो को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी या संसद् सदस्य या विधान सभा सदस्य या विधान परिषद् सदस्य द्वारा सम्यक्तः अनुप्रमाणित किया जाना चाहिये ।

(4) नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय अभ्यर्थी या प्रस्तावकों में से उस प्रस्तावक को जिसमें अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है, उपस्थित रहना चाहिये और रिटर्निंग आफिसर को ऐसे अभ्यर्थी की पहचान के बारे में अपना समाधान कर लेना चाहिये—

उपर्युक्त सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए, आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 और 36 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के साथ संलग्न प्ररूप 2-क और 2-ख का संशोधन करने का भी सुझाव दिया है ।

(6) बूथ पर कब्जा करना :

आयोग ने इस बुराई को न पनपने देने के लिए प्रभावी उपाय करने का विनिश्चय किया था, तद्नुसार लोक, प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक नई धारा 135-क अंतःस्थापित करने की सिफारिश की गई । यह धारा निम्नलिखित हो सकती है—

135-क. बूथ पर कब्जा करना :

(1) किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति बूथ पर कब्जा करने का दोषी होगा, यदि वह—

(क) घातक अस्त्र से लैस है, मतदान या बूथ या केन्द्र को अभिग्रहीत करता है, मतदान पार्टी से मतपत्र अभ्यर्पित कर लेता है, उन पर अपनी पसंद के अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान चिह्न अंकित करते हैं, और इन मतदान पत्रों को मत पेटियों में डाल देता है;

(ख) मतदान बूथ या केन्द्र पर कब्जा कर लेता है और केवल अपने समर्थकों को करने देता है और अन्य को बाहर निकाल देता है;

(ग) मतदान अधिकारियों की भोजन, पेय पदार्थ आदि से आवभगत करता है और उन पर ऐसी रीति से कार्य करने के लिए असर डालता है जिससे कि इसका हितसाधन हो सके; या

(घ) किसी निर्वाचक को धमकी देता है और ऐसे निर्वाचक को अपना देने के लिए मतदान बूथ/केन्द्र को जाने से रोकता है।

(2) इस धारा के अधीन किसी अपराध का दोषी कोई भी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है और जो कम से कम छह मास होगी या जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक हो सकता है, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय अपराध होगा और उसका प्रयत्न या दुष्प्रेरण भी अपराध होगा।

एक नई धारा 10-ख का भी प्रस्ताव किया गया है जो निम्नलिखित रूप में हो सकती है—

10-ख. बूथ पर कब्जा करने का अपराध करने के लिए निरर्हता—यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 135-क में यथा उल्लिखित बूथ पर कब्जा करने के निर्वाचन अपराध का, जिसके अन्तर्गत ऐसे अपराध का प्रयत्न या दुष्प्रेरण भी है, दोषी है, तो निर्वाचन आयोग राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे आदेश की तारीख से छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करेगा।

यह भी सुझाव दिया गया है कि जांच के पश्चात् आयोग का समाधान हो जाता है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी मतदान केन्द्र के बूथ पर कब्जा कर लिया गया है तो आयोग को ऐसे सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में हुए मतदान को रद्द करने और पुनः मतदान किए जाने का आदेश करने की शक्ति होनी चाहिए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन

25. **श्री नरसिंह मकवाना : क्या विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों से परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो आरक्षित स्थानों वाले निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और की गई सिफारिशों का कब तक क्रियान्वयन सम्भव है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन पर और आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों के चक्रानुक्रम से सम्बन्धित प्रश्न पर निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा है।

(ख) इस सिफारिश पर निर्वाचन सुधारों से सम्बन्धित अन्य सिफारिशों के साथ विचार किया जा रहा है। यह भी आवश्यक है कि अन्तिम विनिश्चय किए जाने के पूर्व राजनैतिक दलों से परामर्श किया जाये। सरकार निर्वाचन विधि के सुधार से सम्बन्धित प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिये उत्सुक है किन्तु यह बताना सम्भव नहीं है कि इसमें कितना समय लगेगा।

विवरण

निर्वाचनों के परिसीमन और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों के चक्रानुक्रम के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग की सिफारिश

आयोग ने पहले यह सिफारिश की थी कि संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) का संशोधन किया जाए जिससे कि लोक सभा में विभिन्न राज्यों और विभिन्न राज्य विधान सभाओं का आबंटित स्थानों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन किये बिना, प्रत्येक दशाब्दिक जनगणना के पश्चात् प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के नए परिसीमन की मूल स्थिति इस प्रकार पुनःस्थापित कर ली जाए जिससे कि समान रूप से विकास क्षम निर्वाचन-क्षेत्रों में परिसीमन करते समय प्रशासनिक परिवर्तनों और जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगीकरण आदि जैसी बातों को ध्यान में रखा जाए। आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को राज्य के एक जिले में या किसी अन्य उपयुक्त प्रशासनिक इकाई के भीतर इस प्रकार चक्रानुक्रमित किया जाना चाहिए कि कोई स्थान एक बारे में कुछ अनुबंधित वर्षों से अधिक समय के लिए आरक्षित न रह जाए।

सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया और कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगे थे। आयोग ने सूचित किया कि इसके पूर्व के परिसीमन आदेशों का गम्भीर अध्ययन करने से पता चलता है कि 1956, 1966 और 1976 के परिसीमन आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुछ निर्वाचन-क्षेत्र लगभग उसी क्षेत्र में बने हुए हैं। कई मामलों में, निर्वाचन-क्षेत्रों के नाम और उनका विस्तार लगभग अपरिवर्तित रहा है। इसलिए, जब तक परिसीमन अधिनियम में ही कोई स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों का उपबंध नहीं किया जाता है तब तक परिसीमन आयोग के लिए यह साध्य नहीं होगा कि वह उन निर्वाचन-क्षेत्रों की, जिनमें अनुसूचित जातियों की संख्या अधिकतम है, उपेक्षा करके ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को आरक्षित कर दे जिनमें अनुसूचित जातियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यदि स्थानों के चक्रानुक्रम की नीति अपनाए जाने के लिए विनिश्चय किया जाता है तो अधिनियम में ऐसा आवश्यक उपबंध स्पष्ट रूप से किया जाए जिससे कि परिसीमन आयोग अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के किसी प्रकार का चक्रानुक्रम अवधारित करके उसका अधिकथन कर सके।

आयोग अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में स्थानों के चक्रानुक्रम के सिद्धांत के अपनाए जाने पर जोर नहीं देना चाहता है।

कृष्णा-गोदावरी नदी बेसिन पर कार्य

26. **श्री एस० एम० भट्टम :**
प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी नदी बेसिन, जहां गैस का पता लगा है, पर कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है ;

(ख) क्या यह घोषणा की गई थी कि इस बेसिन में कुओं से प्राकृतिक गैस का उपयोग 1985 तक शुरू हो जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) कृष्णा-गोदवरी बेसिन में कुछ कूओं में गैस मिली है। इन कूओं को खोद कर गैस के भण्डारों का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ-साथ और हाइड्रोकार्बन खोजने के लिए अन्वेषण का काम चल रहा है। इस गैस के निकाले जाने के बाद इसके सम्भावित आयोग की जांच की जा रही है। 1985 में इस बेसिन से गैस उत्पादन को आरम्भ करने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

भोपाल दुर्घटना प्रतिकर वाले मामले के सम्बन्ध में विधि मंत्री की अमरीका यात्रा

27. **श्री गौरी शंकर राजहंस :**
श्री एस० एम० भट्टम :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री जगन्नाथ पटनायक :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे भोपाल में गैस दुर्घटना से पीड़ितों को प्रतिकर दिलाने के लिए सरकार द्वारा यूनियन कारबाइड के विरुद्ध फाइल किये गये मामलों के सम्बन्ध में हाल ही में अमरीका गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामलों की नवीनतम स्थिति क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) न्यूयार्क के दक्षिण जिले (सदर्न डिस्ट्रिक्ट) के फेडरल कोर्ट में मामले की विचारण-पूर्व सुनवाई के लिए तारीख 7 अगस्त, 1985 नियत की गई है।

तमिलनाडु के सलेम जिले में टेलीफोन सुविधा में सुधार

28. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम्** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले की टेलीफोन सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या सलेम के लिए क्रास-बार एक्सचेंज ही मंजूर किया गया है जबकि वहां इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की मांग की गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) (i) फरवरी, 1985 में शिवापेट में 2500 लाइन का एक नया क्रासवार एक्सचेंज खोला गया।

(ii) जून, 1985 में उक्त एक्सचेंज का 3000 लाइनों में विस्तार किया गया।

(iii) सलेम टाउन और अन्य समीपवर्ती स्थानों के उपभोक्ताओं की एस० टी० डी० सुविधा में सुधार करने के लिए फरवरी, 1985 में सलेम में 1000 लाइनों का एक नया ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज खोला गया।

(iv) 1984-85 के दौरान सलेम टाउन में 1607 नये टेलीफोन कनेक्शन दिये गये।

(v) 1984-85 में सलेम जिले में 1142 नये कनैक्शन दिये गये।

(vi) 1984-85 में 32 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित किए गये।

(vii) 1984-85 में 12 नये छोटे आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज खोले गये।

(viii) 1984-85 के दौरान सलेम जिले के थिरुचेंगोड़े टाउन में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की गयी।

(ix) 1985-86 के दौरान सलेम जिले तथा सलेम टाउन में लगभग 950 नये टेलीफोन कनेक्शन देने की योजना है।

(ख) 1981-82 में शेवपेट सलेम के लिये 2500 लाइनों का एक क्रासवार एक्सचेंज आबंटित किया गया।

(ग) देश में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर की कमी है।

विधिक सहायता स्कीम के लिए विधान

29. **श्री डी० के० नायकर** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुकदमों के निर्धन पक्षकारों को विधिक सहायता देने की वर्तमान स्कीम से जरूरतमन्द निर्धन पक्षकारों को फायदा नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां तो क्या जरूरतमन्द लोगों को प्रत्यक्ष फायदा प्रदान करने के लिए उनका विचार कोई विधान बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि निर्धनों के लिए वर्तमान विधिक सहायता स्कीम का फायदा मुकदमे के जरूरतमन्द पक्षकारों को सीधे प्राप्त नहीं हो रहा है। सरकार द्वारा सितम्बर, 1980 में गठित विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति ने दो प्रकार के विधिक सहायता कार्यक्रम को अपनाया गया है, अर्थात्—

(i) न्यायालय या मुकदमोन्मुखी मामलों में विधिक सहायता; और

(ii) निवारक या युक्तिपूर्ण विधिक सहायता।

इस कार्यक्रम के अनुसरण में समिति द्वारा बनाई गयी आदर्श स्कीम के अनुसार देश में राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड और उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय विधिक सहायता और सलाह समितियों का गठन किया गया है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति भी गठित की है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विधिक साक्षरता को विभिन्न प्रकार से बढ़ावा देना भी है।

(ख) और (ग) विधिक सहायता कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, समिति इस विषय पर एक प्रारूप विधि तैयार करने के लिये सक्रिय रूप में कार्य कर रही है। प्रारूप विधि तैयार हो जाने पर सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

[हिन्दी]

आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में खाना पकाने की गैस की एजेन्सियां खोलना

30. **श्री राजकुमार राय** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ गाजीपुर, जौनपुर और बलिया जिलों में खाना पकाने की गैस की नई एजेंसियां खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ये एजेन्सियां किन-किन स्थानों पर खोलने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष में तेल उद्योग द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर एल० पी० जी० की नई वितरणशिप खोलने की योजना है—

जिले का नाम	स्थान का नाम
आजमगढ़	1. मउनाथ—भंजन
	2. मुबारकपुर
जौनपुर	1. जौनपुर
	2. जौनपुर (मुख्यालय)

गाजी तथा बलिया जिलों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नई वितरणशिप खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

राजधानी में सार्वजनिक टेलीफोनों की खराब स्थिति

31. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें राजधानी में सार्वजनिक टेलीफोनों की खराब हालत की जानकारी है;

(ख) क्या उन्हें यह भी जानकारी है कि जिस बाक्स में सिक्का डाला जाता है उसमें डिजाइन दोषपूर्ण है क्योंकि सिक्का अटक जाता है जिसके परिणामस्वरूप न तो टेलीफोन करने वाला और न ही सुनने वाला एक दूसरे की बात को सुन पाता है; और

(ग) यदि हां, तो डिजाइन को सुधारने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) आमतौर से राजधानी शहर दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन काफी संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ख) किसी अन्य उपकरणों की भांति इन सिक्का संग्रह बाक्सों में भी छेड़छाड़ से उत्पन्न होने वाले दोषों के अलावा अक्सर खराबी उत्पन्न हो जाती है।

(ग) इन उपकरणों का पुनः डिजाइन तैयार करने के लिए विभाग में निरंतर कार्यवाही की जा रही है ताकि इनमें सुधार लाया जा सके।

वर्तमान टेलीफोन व्यवस्था का विस्तार और उसका स्तर बढ़ाना

32. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं योजना के दौरान देश में विद्यमान टेलीफोन व्यवस्था के विस्तार करने तथा उसका स्तर बढ़ाने के लिये उच्च प्राथमिकता देने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये भिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कौन-कौन-सी विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जायेगा; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) एक महत्वपूर्ण संरचना के रूप में दूरसंचार की भूमिका को मान्यता देते हुए सरकार ने सातवीं योजना में दूरसंचार के विस्तार और सुधार को उच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

(ख) संचार मंत्रालय ने एक प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत किया था जिसमें दूरसंचार के विस्तार तथा उसमें सुधार लाने के लिये लगभग 13 हजार करोड़ रु० खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है। इस मसौदे पर अभी योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है जिन्होंने संकेत दिया है कि कुल संसाधनों की सीमाबद्धताओं को देखते हुए, इतना खर्च करना व्यवहार्य नहीं है तथा इस प्रस्ताव में भारी मात्रा में कटौती की जा सकती है।

(ग) और (घ) प्रस्ताव के मसौदे में दी गई योजनाओं में एक ओर टेलीफोन और टेलेक्स सेवा में पर्याप्त वृद्धि, एस० टी० डी० सेवा का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में विस्तार करने का प्रस्ताव है तो दूसरी ओर जिन उपस्करों की कार्य अवधि समाप्त हो गई हैं, उन्हें बदलकर, स्वचलीकरण, केबिल डक्टों का निर्माण करके सेवा में सुधार लाने का प्रस्ताव है।

कुल खर्च के स्तर को अंतिम रूप दिये जाने के बाद विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिये विभिन्न योजनाओं के विवरण तैयार किये जाएंगे।

बल्क औषधियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों के निर्देश पद

33. **श्री सरफराज अहमद :**
श्री तारिक अनवर :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बल्क औषधियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों के निर्देश पद क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि चिकित्सा विशेषज्ञों ने मूल्य नियंत्रण के प्रयोजन से प्राथमिक सूची तैयार नहीं की थी तथा चिकित्सा विशेषज्ञों को यह कहा गया था कि प्राथमिकता औषधियों की संख्या केवल 100 तक ही सीमित रहे;

(ग) प्राथमिकता सूची किस आधार तथा मानदण्ड पर आधारित थी तथा सूची किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार प्रत्येक बल्क औषधि का कितना उत्पादन हुआ तथा प्राथमिकता सूची सहित प्रत्येक बल्क औषधि पर आधारित फार्मूलों की कुल कितनी बिक्री हुई ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) उन चिकित्सा विशेषज्ञों ने, जो राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद की संचालन समिति के सदस्य थे, यू० एन० आई० डी० ओ० द्वारा अनिवार्य सूची में औषधों को शामिल करने हेतु अपनाये गये मानदण्डों और डब्ल्यू० एच० ओ० सूची की औषधों और हाथी समिति की सूची को ध्यान में रखते हुये एक अग्रता सूची तैयार थी।

विशेषज्ञ किसी भी औषध को अग्रता सूची में शामिल करने के लिये स्वतंत्र थे। प्रारम्भिक अग्रता सूची जिसमें 133 औषधें थीं, को बाद में उनके द्वारा 95 तक कम कर दिया गया था। इस सूची में ज्ञात सामान्य बीमारियों से लिये बहुसंख्यक जनता तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित दवाईयां शामिल हैं। इन औषधों के देश में प्रचुर मात्रा में आवश्यकता थी और इन्हें हर समय नियंत्रित और उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय औषधों और भेषज विकास परिषद का विचार था कि केवल अग्रता वाले बल्क औषधों और उनके फार्मूलेशनो को ही मूल्य नियंत्रण के अधीन होना चाहिए।

(घ) उपलब्धि की सीमा तक सूचना एकत्र की जायेगी और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पटना टेलीफोन एक्सचेंज में आंगुलिक (डिजीटल) टेलीफोन प्रणाली

34. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना टेलीफोन एक्सचेंज में, जो बाढ़ में डूब गया था और संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, आंगुलिक (डिजीटल) टेलीफोन प्रणाली उपलब्ध नहीं कराई गई है; और

(ख) क्या वहां आंगुलिक (डिजीटल) टेलीफोन प्रणाली स्थापित करने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पटना के मौजूदा मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज जो बाढ़ में जलमग्न हो गया था, के बदले डिजिटल टेलीफोन प्रणाली आबंटित कर दी गई है । इस एक्सचेंज को सतत प्रयासों द्वारा बनाए रखा जा रहा है ।

(ख) पहले से ही आबंटित डिजीटल टेलीफोन प्रणाली के लगभग 3 वर्ष में चालू हो जाने संभावना है ।

सीमेंट निर्माताओं को रियायत दिए जाने का प्रभाव

35. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष 5 जून को की गई एक घोषणा के द्वारा सीमेंट निर्माताओं को लेवी कोटे हेतु ही जाने सीमेंट की मात्रा में कमी करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस रियायत के फलस्वरूप सीमेंट उद्योग को कितना आर्थिक लाभ होगा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) विनिर्दिष्टियों की लागत में हुई वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति करने हेतु लेवी सीमेंट के संधारण मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति देने के लिए सीमेंट उत्पादकों की एसोसिएशन से प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में सरकार ने निर्णय लिया था कि 4 जून, 1985 से विद्यमान सीमेंट कारखानों के मामले में लेवी कोटे को अधिष्ठापित क्षमता के 65 प्रतिशत से घटा कर वास्तविक उत्पादन का 60 प्रतिशत कर दिया जाए तथा नए व रुग्ण सीमेंट कारखानों के मामले में अधिष्ठापित क्षमता के 45 प्रतिशत से घटा कर वास्तविक उत्पादन का 40 प्रतिशत कर दिया जाए । सरकार द्वारा लेवी कोटे में उपर्युक्त कमी की घोषणा इस बात को ध्यान में रखते हुए की गई थी कि लेवी सीमेंट के संधारण मूल्य में होने वाली वृद्धि के परिणामस्वरूप संभावित मुद्रा स्फीति में होने वाली वृद्धि की प्रवृत्ति को रोका जाए और सीमेंट की उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को भी पूरा किया जा सके ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया में प्राकृतिक गैस खोज करने और उसको निकालने के लिए अलग खण्ड की स्थापना करना

36. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक गैस की खोज करने तथा उसकी प्राप्ति करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया में एक अलग खण्ड स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मजगांव डाक लिमिटेड को रिग तथा प्लेटफार्म (आधार) बनाने के लिए आर्डर

37. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने मजगांव डाक लिमिटेड को रिग तथा प्लेटफार्म बनाने के लिए भारी मात्रा में आर्डर दिए हैं जिसकी लागत कई सौ करोड़ रुपए है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मजगांव डाक लिमिटेड, जिसकी क्षमता सीमित है, इन आर्डरों को इस देश के तथा दूसरे देशों के उप-ठेकेदारों को दे रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रतिष्ठान को, जिसकी इन आर्डरों को पूरा करने की क्षमता ही नहीं है, इतने अधिक आर्डर देने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) मझगांव डाक लिमिटेड में रिगों प्लेटफार्मों आदि के निर्माण के लिए आकलित क्षमता के अनुरूप आर्डर दिये गये हैं।

(ख) उप ठेके देना किसी भी औद्योगिक कार्यकलाप का अनिवार्य अंग है। ऐसे ठेके केवल तभी दिये जाते हैं जब यह आवश्यक और किफायती हो तथा उन्हीं मदों के लिए दिए जाते हैं जिनके लिए उपस्कर और सेवाएं देश में उपलब्ध न हों।

(ग) ऊपर (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बसई, बम्बई के निकट प्राकृतिक गैस

38. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसई बम्बई के निकट भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस मिली है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में गैस उपलब्ध है और इसके उपयोग करने की क्या योजना तथा इसका उपयोग कहां किया जाएगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) यहां से लगभग 1.5 से 1.7 लाख घन मीटर तक प्रतिदिन की दर से गैस निकाली गई। इस कुएं से होने वाले उत्पादन की सम्भावना का अनुमान लगाने के लिये आगे अन्वेषण कार्य प्रगति पर है जिस पर भविष्य का कार्य निर्भर करेगा।

भारतीय फर्मों के साथ सहयोग करने वाली विदेशी आटोमोबाइल फर्मों का स्वदेशीकरण

39. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आटोमोबाइल उद्योग में भारतीय फर्मों के साथ सहयोग करने वाली विदेशी फर्मों का स्वदेशीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप प्रभावित होने वाली विदेशी फर्मों की संख्या और उनके नाम क्या हैं और वे भारत में किस-किस स्थान पर स्थित हैं;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश में भी कुछ विदेशी फर्में इससे प्रभावित होंगी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी फर्मों को मुआवजे के रूप में भी कितनी धनराशि अदा की जायेगी ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा ग्रह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

1978 में अपनाई गई औषध नीति में परिवर्तन

40. **श्री वी० वी० देसाई :**
श्री सी० पी० ठाकुर :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे 1978 में अपनाई गई औषध नीति की व्यापक समीक्षा करने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो नई औषध नीति में कौन-कौन से मुख्य परिवर्तन किए जाने की सम्भावना है;

(ग) इस नीति के कब तक घोषित किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) 1978 की औषध नीति की समीक्षा के मुख्य कारण क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद ने औषध नीति पर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार औषध नीति में आवश्यक परिवर्तनों/संशोधनों पर सभी संबंधित पहलुओं और विभिन्न विचारों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लेगी।

सरकारी क्षेत्र के औषध एककों को घाटा

41. **श्री हरिकृष्ण शास्त्री :**
श्री उत्तम राठौड़ :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के औषध एककों ने 1984-85 के दौरान घाटा उठाया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितना घाटा उठाया; और

(ग) इस प्रकार के घाटों को रोकने और उक्त एककों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) एवं (ख) वर्ष 1984-85 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की औषध कम्पनियों द्वारा उठाई गई अद्यतन अनुमानित हानि निम्न प्रकार है :—

	(रु० करोड़ों में)
1. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	26.28
2. हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि०	4.98
3. बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	5.40
4. बंगाल इम्युनिटी लि०	1.99

(ग) मांग अवरोध तथा पावर/पानी की कमी, प्रौद्योगिकी समस्याओं मूल अवस्था से उत्पादन की उच्च लागत तथा निम्न मार्क अप वाले श्रेणी एवं-II प्रपुंज औषधों युक्त उत्पाद मिश्र जैसे विभिन्न कारणों के परिणामस्वरूप स्थापित क्षमता के निम्न उपयोग होने से हानियां हुईं।

उठाये जा रहे उपचारी कदमों में उत्पादन एवं क्षमता उपयोगिता को प्रभावित करने वाली आयात नीति की कमियों को दूर करना, पर्याप्त कार्यकारी पूंजी, कच्चे माल एवं मध्यवर्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा प्रौद्योगिकी को प्रोन्नत करने के प्रयास सम्मिलित हैं।

कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण में सुधार

42. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने और क्रास-बार एक्सचेंज को हटाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) सातवीं योजना में कलकत्ता टेलीफोन के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत अब किन नये क्षेत्रों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) क्या औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण 24-परगना क्षेत्र को कलकत्ता टेलीफोन के कार्यक्षेत्र में शामिल करने पर भी विचार किया जा सकता है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कलकत्ता की टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए जो उपाय किए गए उसकी जानकारी वाला विवरण संलग्न है। निकट भविष्य में किसी स्थानीय क्रासवार एक्सचेंज के बदले जाने का प्रस्ताव नहीं है। 4000 लाइनों के एक क्रासबार ट्रंक ओटोमेटिक एक्सचेंज के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) सातवीं योजना के दौरान कलकत्ता टेलीफोन के अधीन किसी नए क्षेत्र को शामिल करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 24 परगना जिले के एक प्रमुख भाग को कलकत्ता टेलीफोन क्षेत्र में पहले ही शामिल कर दिया गया है।

विवरण

टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिए उठाए जाने वाले दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक सुधारात्मक उपाय

1. अब तक प्रयुक्त इलेक्ट्रानिक मैगनेटिक स्विचिंग उपस्कर में होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए परिष्कृत इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज चालू करना।
2. जिन उपस्करों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उन्हें निकालना।
3. उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवाओं में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रानिक ट्रंक ऑटो एक्सचेंजों की स्थापना करना।
4. नए जंकशन प्राइमरी और सेकेण्डरी के बिलों को डक्ट में बिछाना ताकि उन्हें बाहरी क्षति से बचाया जा सके।
5. प्राइमरी, सेकेण्डरी और जंकशन के बिलों का दाबीकरण ताकि केबिल दोषों को कम किया जा सके।
6. केबिल दोषों से बचने के लिए उनमें पानी के प्रवेश को रोकने के लिए वितरण नेटवर्क से जेलीभरे केबिलों का प्रयोग करना।
7. उपभोक्ता के अहातों में लगी फिटिंग और डी० पी० बाक्सों को सही करना ताकि लाइन दोषों को कम किया जा सके।
8. बेहतर किस्म की तथा विश्वसनीय सेवा प्रदान करने के लिए पल्स कोड माड्यूलेशन कोएक्सिअल और माइक्रोवेव मीडिया पर उच्च ग्रेड जंकशन सर्किट प्रदान करना।
9. नए टेलीफोन उपकरणों का उपयोग करना।
10. उपभोक्ता के अहातों में लगी फिटिंग में एल्यूमीनियम की तारों के स्थान पर तांबे की तारें लगाना जिससे दोष उत्पन्न हों।

11. ओवर हैड वायर के स्थान पर इंस्यूलेटेड ड्राप वायर लगाना ताकि पतंगबाजी, पक्षियों के घोंसलों आदि जिससे सम्पर्क या अल्प इंस्यूलेशन दोष उत्पन्न होते हैं, के कारण उत्पन्न होने वाले दोषों से बचा सके।

12. केबिल रिकार्ड और दोष मरम्मत सेवा का कम्प्यूटरीकरण जिससे बार-बार होने वाले दोषों की अवधि को कम किया जा सके।

तेल की खोज के विदेशी प्रस्ताव

43. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में तेल की खोज के सम्बन्ध में विदेशों से अनेक प्रस्ताव हुए हैं;

(ख) इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये प्रस्ताव किन क्षेत्रों के विषय में प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों के बारे में सरकार के विस्तृत विचार क्या हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) तेल की खोज और उत्पादन के क्षेत्रों के लिए पट्टे पर देने के लिए दो बार बोलियां लगाये जाने पर केवल एक ही ब्लाक यू० एस० ए० शेवरन को दिया गया था। पट्टे तीसरे दौर के लिए बोलियां आमन्त्रित नहीं की गई हैं। अतः प्रस्तावों के प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में मिट्टी के तेल से मरने वालों के सम्बन्ध में जांच पेनल प्रतिवेदन

44. **श्री टी० बशीर** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मिट्टी के तेल से मरने वाले लोगों के सम्बन्ध में जांच पेनल प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) तकनीकी समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि क्रैकड मोटर स्प्रिट प्रदूषक थे तथा यह प्रदूषण तेल उद्योग के तटीय संस्थापनाओं में नहीं हुआ तथा यह एक ही सरोजिनी नायडू तेल टैंकर जो मिट्टी के तेल का यह विशिष्ट खेप साउदी अरेबिया के रास तनुरा से लाया था, के अन्दर ही शायद सम्मिश्रण हुआ।

(ग) (i) सरकार ने तकनीकी समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है।

(ii) तेल उद्योग को सलाह दी गई है कि किसी स्थापना/डिपो से वितरण के लिए

मिट्टी तेल या डीजल जारी किये जाने से पूर्व उसका लैश प्वाइंट टेस्ट किया जाय।

(iii) तेल उद्योग के लिए एक समान किस्म नियन्त्रण नियमावली बनाने के लिए एक तेल उद्योग कार्यकारी दल का गठन किया गया है।

(iv) यथोचित कार्यवाही के लिए रिपोर्ट की एक प्रति नौवहन और परिवहन मन्त्रालय को भेजी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनी अधिनियम के सम्बन्ध में सच्चर समिति द्वारा की गई सिफारिशों का कियान्वयन

45. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**
श्री विजय कुमार मिश्र :

क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कम्पनी अधिनियम के बारे में सच्चर समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किया है तथा उन्हें कार्यान्वित किया है; और

(ख) इस बारे में अन्य सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सरकार कम्पनी अधिनियम में विभिन्न संशोधन के लिए सच्चर समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर अपने मत को अन्तिम रूप देने की तैयारी कर रही है।

एक प्रयोक्ता से दूसरे प्रयोक्ता को टेलीफोन हस्तांतरण

46. **श्री विजय कुमार यादव :**
श्री सोडे रमैया :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग एक प्रयोक्ता से दूसरे प्रयोक्ता को टेलीफोन के स्वतन्त्र हस्तांतरण की अनुमति प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे हस्तांतरण के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1 जून, 1985 से कुछ शर्तों के अन्तर्गत एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता को टेलीफोन अन्तरण करने की अनुमति दे दी गई है। यह निकट सम्बन्धियों, नाम में परिवर्तन/फर्म के गठन होने जैसे कुछ विशेष मामलों में पहले दी गई अनुमति के अलावा है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) ऐसे अन्तरणों के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या क्रमशः 7, 8, 2 और शून्य है।

विवरण

एक उपभोक्ता से किसी दूसरे उपभोक्ता को टेलीफोन अन्तरण करने की पात्रता के लिए टेलीफोन कनेक्शन कम से कम 5 वर्ष तक अन्तरण करने वाले के यहां कार्य करता रहा हो। 100 रु० के अन्तरण शुल्क के अलावा, नीचे दी गई तालिका के अनुसार गैर-वापसी शुल्क जो एक्सचेंज की क्षमता पर निर्भर करता है, लिया जाता है।

एक्सचेंज प्रणाली की दक्षता

10000 लाइनों से अधिक	1000 लाइनों से अधिक लेकिन 10000 लाइनों से कम	जहां कुल लाइनें 1000 से अधिक न हों।
प्रभार्य राशि 8,000 रु०	6,000 रु०	5,000 रु०

सातवीं योजना में सभी जिला मुख्यालय में "टेलेक्स" "नेटवर्क" का विस्तार

47. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सातवीं योजना अवधि के दौरान सभी जिला मुख्यालयों में "टेलेक्स नेट वर्क" के विस्तार के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में मांग करने पर टेलेक्स कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है। यदि मांग के आधार पर सभी जिला मुख्यालयों में टेलेक्स सुविधा प्रदान करने का औचित्य बनता है तो यह सुविधा प्रदान करा दी जाएगी।

[हिन्दी]

नाहन फाउंड्री का अधिग्रहण

48. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश में 'नाहन फाउन्ड्री' और अन्य ऐसे उद्योगों को, जो घाटे में चल रहे हैं, अपने हाथ में लेने का है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि बहुत समय पहले नाहन फाउन्ड्री केन्द्र सरकार द्वारा ही चलाई जाती थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इसमें उस समय लाभ होता था और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे राज्य सरकार को सौंपे जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

केरल के पथानमचिट्टा जिले के डाकघरों में तार और टेलीफोन सुविधाएं

49. **श्री के० कुन्जम्बू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के पथानमचिट्टा जिले की स्थापना के पश्चात् उस जिले में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि है कि इसमें से कई डाकघरों में तार और टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन डाकघरों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पथानमचिट्टा जिले के गठन के बाद 30 डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) संयुक्त डाकतारघरों में परियात का औचित्य पाए जाने पर तार सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं। लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की मौजूदा नीति में सभी डाकघरों में यह सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोनघर श्रेणी वाले स्टेशनों पर तथा स्थानीय वितरण नीति के अधीन खोले जाते हैं ताकि अधिकांश आबादी वाले गांवों में 5 किलोमीटर के भीतर यह सुविधा उपलब्ध हो सके।

देश में नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

50. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषतः संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में नए टेलीफोन एक्सचेन्ज स्थापित करने सम्बन्धी नीति क्या है;

(ख) दिल्ली में लम्बित नये कनेक्शन देने की सूची कब तक समाप्त हो जायेगी और उनका एक्सचेन्जवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनको त्रुटिपूर्ण केबल लाइन की जानकारी है जिसके कारण बड़ी संख्या में टेलीफोन भली-भांति कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दर्ज कराई गई तथा प्रक्षेपित टेलीफोन की मांग के आधार पर ही देश में नए एक्सचेन्ज स्थापित किए जाते हैं बशर्ते कि संसाधन और उपस्कर उपलब्ध हों। दिल्ली संघ क्षेत्र में कुल मिलाकर इलेक्ट्रानिक टाइप के एक्सचेन्ज होंगे।

(ख) सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग की सातवीं योजना के लिए निधि का आबंटन हो जाने के पश्चात् ही एक्सचेन्जवार योजना को अन्तिम रूप दिया जाएगा। वर्तमान संकेतों के अनुसार ऐसी संभावना है कि सातवीं योजना अवधि के दौरान 1-4-85 तक की टेलीफोन की मांग पूरी कर दी जाएगी।

(ग) जी हां। खुदाई का कार्य करने वाली विभिन्न एजेन्सियों द्वारा क्षतिग्रस्त कुछ केबिलें वर्षा के दौरान प्रभावित हुई हैं जिसकी वजह से 5000 टेलीफोन लाइनें खराब हो गईं।

(घ) स्थिति से निपटन के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं;

(1) बाहरी क्षति के बचाव के लिए मुख्य केबिलों को डक्टों में बिछाना।

(2) केबिलों में होने वाली खराबी को कम करने के लिए मुख्य केबिलों का दाबीकरण करना।

(3) वितरण नेटवर्क में जेलीभरे केबिलों का उपयोग करना ताकि केबिलों में पानी प्रवेश न कर सके जिससे उनमें खराबी उत्पन्न होती है।

(4) केबिलें बन्द करने से पूर्व उसमें पानी भरना ताकि केबिल दोष का पता चला सके।

(5) अनुकूल मौसम के दौरान जब कभी भी केबिलें क्षतिग्रस्त होती हैं, तो उनके बचाव के लिये केबिल मार्गों की राहत लगाना।

डीलरों को खाना बनाने की गैस और मिट्टी का तेल आबंटित करने के मापदण्ड

51. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान आयल सैलेक्शन बोर्डों को समाप्त करके जो डीलरों का चयन करने में काफी समय लेते हैं, डीलरों को खाना बनाने की गैस और मिट्टी का तेल आबंटित करने के मापदण्ड में परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक प्रभावी होगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में पंचानपुर, नेऊरी, गरुआ में पेट्रोल और डीजल की डीलरशिप का आबंटन

52. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गया जिले में पंचानपुर (टेकारी तहसील), नेऊरी (बलागंज तहसील), गुरुआ तहसील में पेट्रोल और डीजल की डीलरशिप के आबंटन के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन क्षेत्रों में डीजल और पेट्रोल की सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके परिणामस्वरूप इन्हें खरीदने के लिए लोगों को 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है; तो क्या सरकार इन क्षेत्रों में डीजल और पेट्रोल की सप्लाई की व्यवस्था करेगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) पंचनपुर, न्यौरी तथा गुरुआ तहसीलों में सर्वेक्षण किए गए हैं। इन सर्वेक्षणों के आधार पर पंचनपुर से 6 किलोमीटर दूर टिकरी में एक खुदरा बिक्री केन्द्र तथा न्योरी से 16 किलोमीटर दूर मखदूमपुर में एक खुदरा बिक्री केन्द्र खोजा जा रहा है।

न्योरी तथा गुरुआ में खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की आर्थिक व्यवहार्यता देखी गई है। इस समय इन क्षेत्रों की मांग गया तथा शेरघाटी के खुदरा बिक्री केन्द्रों से पूरी की जा रही है।

[अनुवाद]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना

53. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पृथक न्यायपीठ स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह न्यायपीठ कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है और उस स्थान के चुने जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या जसवन्त सिंह आयोग ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दो से अधिक न्यायपीठें स्थापित की जाने का प्रस्ताव रखा है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जसवन्त सिंह की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) जसवन्त सिंह आयोग ने जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने के प्रश्न की समीक्षा करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था, 30 अप्रैल, 1985 को सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। आयोग की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

54. **श्री श्रीहरि राव** :
श्री सी० माधव रेड्डी :
क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले कुछ महीनों में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में और वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो 1980 में प्रवृत्त मूल्यों की तुलना में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों के मौलिक कीमतों में दिनांक 17 मार्च, 1985 से वृद्धि की गई थी।

(ख) मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों की 1980 में प्रचलित कीमतों की तुलना में दिनांक 17 मार्च, 1985 से इसमें हुई वृद्धि की मात्रा को संलग्न विवरण पत्र में दर्शाया गया है।

विवरण

उत्पाद	विक्रय यूनिट	दिनांक 1 जनवरी, 1980 को मूल उच्चतम विक्रय मूल्य	दिनांक 17 मार्च, 1685 को की गई वृद्धि	1 जनवरी, 1980 से संचयी वृद्धि (कालम 4 सहित)	17 मार्च, 1085 को मूल उच्चतम विक्रय मूल्य रु०/एस
1	2	3	4	5	6
ए०टी०एफ०	के०एल०	2116.85	618.00	2623.00	4739.85
एम०एस०-85/87*	के०एल०	3888.07	831.00	2481.00	6369.07
एस०एस०डी०ओ०	के०एल०	1309.55	228.00	1768.00	3077.55
एस०के०ओ०	के०एल०	1294.93	247.00	597.00	1891.93
एल०डी०ओ०	के०एल०	1206.97	398.00	1847.00	3053.97
एफ०ओ०(फर्ट)	के०एल०	829.06	172.00	617.00	1446.06
एफ०ओ०(नान-फर्ट)	के०एल०	1209.06	379.00	1694.00	2903.06
बिटूमन (वेल्क)	एम०टी०	1825.85**	329.00	699.00	2524.85
बिटूमन (पैक्ड)	एम०टी०	1460.91	404.00	1639.00	3099.91
नैफ्था (एन०एफ)	एम०टी०	2482.00	419.00	729.00	3211.00

1	2	3	4	5	6
नैफ्था (एफ०)	एम०टी०	596.31	259.00	1386.00	1982.31†
एल०पी०जी० (डोमेस्टिक)	एम०टी०	1965.98	395.00	1063.00	3028.98

*1-9-1983 से।

†26 मार्च, 1985 से 70 रुपए प्रति किलोमीटर की कमी की गई थी।

**बिक्री 1 जनवरी, 1980 से आरम्भ की गई थी। 8 जून, 1960 को मूल्य।

बंगलौर में अतिरिक्त टेलीफोन एक्सचेन्ज की स्थापना

55. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में कितने टेलीफोन एक्सचेन्ज हैं;

(ख) प्रत्येक एक्सचेन्ज के अन्तर्गत कितने टेलीफोन हैं; और

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कोई लाइन उपलब्ध नहीं है; सरकार ने बंगलौर शहर में अतिरिक्त एक्सचेन्ज स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बंगलौर शहर में ग्यारह एक्सचेंज हैं।

(ख) इनकी क्षमता और चालू कनेक्शन इस प्रकार हैं :—

	क्षमता	चालू कनेक्शन
1	2	3
1. सिटी एक्सचेंज	10,000	9,619
2. सेन्ट्रल	13,150	12,163
3. उल्सूर-I	9,900	9,529
4. उल्सूर-II	7,400	6,609
5. जयनगर	2,900	2,701
6. शंकरापुरम-I	11,000	10,120
7. शंकरापुरम-II	4,000	2,712
8. कृष्णा राजपुरम	900	689
9. विजयनगर	10,000	9,415

1	2	3
10. पनिया	2,000	1,415
11. मालेसरम	9,900	9,115
	योग 81,150	74,087

(ग) सातवीं योजना की अवधि के दौरान 1-4-1985 तक की प्रतीक्षा सूची के सभी आवेदकों की टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए अतिरिक्त एक्सचेंज स्थापित किए जायेंगे।

मनमाने ढंग से कीमत लगाने और वितरण करने की रोकथाम के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन

56. **श्री शान्ति धारीवाल :**
श्री विष्णु मोदी :

क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो मनमाने ढंग से कीमत लगाने और वितरण करने के कितने मामले सरकार के सामने आए हैं और इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) एकाधिकारिक व्यापार प्रथाओं, अवरोधक व्यापार प्रथाओं और अनुचित व्यापार प्रथाओं के सम्बन्ध में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के विद्यमान उपबन्ध, मनमाने ढंग से कीमत लगाने और वितरण करने के लिए, जो इस प्रकार की सभी प्रथाओं में सामान्य मूल तत्व हैं, को रोकने में पर्याप्त है। इसलिए इस संबंध में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में और संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पेट्रोल के लिए अग्रिम अदायगी

57. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : **क्या पेट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि यद्यपि देश में पेट्रोल की अधिकांश मांग को आंतरिक स्रोतों से पूरा किया जाता है, तथापि पेट्रोल के मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं और अब पेट्रोल का मूल्य 7.34 रुपए प्रति लीटर है जबकि 1973 में यह 1.69 रुपए प्रति लीटर था;

(ख) क्या देश में पेट्रोल डीलर उधार के आधार पर पेट्रोल लेने वाले ग्राहकों ने 2 महीने के पेट्रोल के औसत बिल की अग्रिम और अदायगी की जांच कर रहे हैं;

(ग) उधार पेट्रोल लेने वाले ग्राहकों से पेट्रोल कम्पनियों ने कितनी अग्रिम धनराशि एकत्रित त्रित की है तथा जिसके लिए पेट्रोल कम्पनियां ग्राहकों को ब्याज भी नहीं देती हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) देश में स्वदेशी तथा आयातित क्रूड तेल दोनों से पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है । यह सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल के विक्रय मूल्यों में वृद्धि की गई है । दिल्ली में वर्तमान में पेट्रोल का मूल्य 7.00 रुपए प्रति लीटर है ।

(ख) और (ग) सभी पेट्रोलियम उत्पाद "नगद दो और माल लो" के आधार पर बेचे जाते हैं तथा मूल्य-निर्धारण व्यवस्था में ऋण सुविधा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है । यदि डीलर तथा उपभोक्ताओं के बीच कोई ऋण व्यवस्था है तो वह दोनों के बीच स्वतः आधार पर होगी ।

रक्षा अकादमी हैदराबाद में वायु सेना विमान चालक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र

58. **श्री ई० अय्यापु रेड्डी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के रक्षा अकादमी, हैदराबाद में वायुसेना विमान चालक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रशिक्षण हेतु रक्षा वायुसेना अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के उपरान्त प्रशिक्षु विदेशों से खरीदे गए नवीनतम सैन्य विमानों को चलाने में पूर्णतः सक्षम हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान वायु सेना अकादमी, हैदराबाद में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या इस प्रकार थी :—

जनवरी, 84 से जून, 84	64
जुलाई, 84 से जून, 84	83
जनवरी, 84 से जून, 85	82
जोड़	229

(क) इस समय यहां केवल एक विदेशी अफसर प्रशिक्षण ले रहा है जबकि विदेशी प्रशिक्षणार्थियों के लिए यहां हर पाठ्यक्रम में पांच स्थान अलग से सुरक्षित हैं ।

(ख) उड़ान प्रशिक्षण तीन स्तरों में दिया जाता है । प्रशिक्षणार्थियों को अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रियात्मक प्रशिक्षण विभिन्न उड़ान स्थापनाओं में दिया जाता है । इस प्रशिक्षण के पूरा हो

जाने पर पायलटों को उस वायुयान में, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, उड़ान कौशल प्राप्त करने के लिए सक्रियात्मक यूनिटों में भेजा जाता है। जब वे उड़ान का अपेक्षित कौशल और अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तो इसके बाद ही उन्हें अधिक उन्नत किस्म के विमान उड़ाने के लिए दिए जाते हैं जिनमें विदेशों से प्राप्त विमान भी शामिल हैं।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक लिमिटेड, बम्बई के पास रिक्त मकान

59. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक लिमिटेड ने महाराष्ट्र आवास बोर्ड बम्बई से 120 से अधिक मकानों का कब्जा ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो ये मकान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक लिमिटेड के कब्जे में कब से हैं;

(ग) कम्पनी द्वारा महाराष्ट्र आवास बोर्ड के कितने किराये का भुगतान किया जा रहा है और कब से;

(घ) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक लिमिटेड के कर्मचारी वास्तव में कितने मकानों में रह रहे हैं;

(ङ) रिक्त पड़े मकानों की संख्या कितनी है; और

(च) इन मकानों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एच० ए० एल०) ने कम्पनी के शांताक्रुजवेस के कामगारों के लिए रहने के मकानों की व्यवस्था करने के लिए 1968 में महाराष्ट्र आवास बोर्ड से 130 मकान पट्टे पर लिए थे। स्टाफ में कमी होने के कारण 1981 में 28 मकान वापस कर दिए गए। शेष 102 मकानों में से हिन्दुतान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने बम्बई स्थित अपने सम्पर्क कार्यालय के लिए 40 मकान खरीद लिए, जबकि 62 मकान अभी पट्टे पर चल रहे हैं।

(ग) पट्टे पर लिए गए मकानों के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक लिमिटेड ने दिसम्बर, 1984 तक प्रति मकान प्रतिमास 85.75 रुपये की दर से और उसके बाद 107.60 रुपए की दर से किराया अदा किया।

(घ) से (च) इस समय 18 मकान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों के कब्जे में हैं जबकि बाकी मकान खाली पड़े हैं। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का सान्ताक्रुज बेस 31 दिसम्बर, 1984 को बंद कर दिया गया। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को वायु सेना मुख्यालय ने यह सलाह दी कि वे पट्टे पर लिए गए इन मकानों को वापस न करें क्योंकि भारतीय वायुसेना को इन मकानों की आवश्यकता है।

खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के केरल राज्य के कोटे में वृद्धि

60. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **पेट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान केरल राज्य के लिए खाना बनाने की गैस के कुल कितने कनेक्शन मंजूर किए गए, और मांग कितनी थी;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान तेल कम्पनियों ने केरल राज्य मे लगभग 53,000 नये गैस कनेक्शन जारी किए हैं तथा लगभग 34,000 आवेदक प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल के मामले में आत्मनिर्भरता

61. **श्री अंतुले दशर** : क्या **पेट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1990 तक तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त होने की आशा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1990 तक आत्मनिर्भरता लक्ष्य पर आधारित प्रक्षेपण के पुनः समायोजन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) इस समय कच्चे तेल के उत्पादन में करीब 70% तक आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है। तेल में सम्पूर्ण आत्म-निर्भरता शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करने के प्रयास विनिर्दिष्ट किए गये हैं। तथापि, चूंकि तेल की खोज का कार्य अत्यधिक सम्भावना मूलक है अतः निश्चयपूर्वक यह बताना सम्भव नहीं है कि इसमें आत्मनिर्भरता कब तक प्राप्त हो जायेगी।

तारों के वितरण में विलम्ब

62. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार प्रणाली के आधुनिकीकरण किए जाने और कम्प्यूटरों का प्रयोग करने तथा प्रकाशकीय तन्त्र को चुस्त बनाने के बावजूद तारों के वितरण में पहले से कहीं अधिक समय लग रहा है (देखिए दिनांक 22-6-1985 का टाइम्स आफ इण्डिया) और यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) वर्ष 1985 के दौरान कितने तार भेजे गए और उनमें से कितने तार एक दिन में, कितने दो दिन में और कितने तीन दिन से अधिक समय में वितरित किए गए और उनके वितरण में विलम्ब होने के क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की दिशा में पहले कदम के रूप में उन सभी लोगों को तार शुल्क की राशि वापस कर देने का है जिनके द्वारा किए गए तारों को सम्बन्धित पतों पर पहुंचने में एक दिन से अधिक का समय लगा; और

(घ) क्या सरकार देश में प्रत्येक डाकघर के लिए जनता और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों की निगरानी समितियां बनाएगी और उनके साथ प्रत्येक जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त शीर्षस्थ निकाय बनाए जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। माइक्रो-प्रोसेसर टेक्नालाजी पर आधारित स्टोर एण्ड फारवर्ड टेलीग्राफ सिस्टम चालू करके दूरसंचार के आधुनिकीकरण ने तारों के विलम्ब में सार्थक रूप से सुधार लाकर उसमें कमी कर दी है। देश में 582 विभागीय तारघरों में से केवल 225 विभागीय और केन्द्रीय तारघरों को ही अभी आधुनिक एस० एफ० टी० नेटवर्क से जोड़ा गया है। 22-6-1985 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित समाचार के बारे में यह बताया गया है कि रानीगंज को अभी आधुनिक एस० एफ० टी० नेटवर्क के साथ नहीं जोड़ा गया है।

(ख) विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जहां कहीं भी तारों में असामान्य विलम्ब होता है, तो तार शुल्क वापस करने की पहले से ही व्यवस्था है बशर्ते कि संचारण और वितरण में होने वाले सम्भावित विलम्ब सूचना तार बुक करते समय भेजने वाले को न दी गई हो।

(घ) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी ये राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर डाक सलाहकार समितियों के प्रतिनिधियों के रूप में पहले से ही कार्य कर रही है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा रासायनिक संयंत्रों में निवेश

63. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अनिवासी भारतीयों ने देश में रासायनिक संयंत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है; और

(घ) उन विशेष क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें ये अनिवासी भारतीय अपनी पूंजी निवेश करने के इच्छुक हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) यद्यपि रसायन संयंत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तथापि अनिवासी भारतीयों द्वारा कार्यान्वयनाधीन मुख्य रसायन संयंत्रों के विवरण संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं।

अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति जो स्थायी आवास के लिए भारत वापिस आ रहे हैं, को आयात नीति अप्रैल, 1984-मार्च, 85 के प्रावधानों के अनुसार ओजीएल के अन्तर्गत पूंजीगत माल तथा कच्चे माल, खपत वाले संघटकों एवं अतिरिक्त पुर्जों के आयात जैसी कुछ रियायतें दी जाती हैं।

विवरण

अनिवासी भारतीयों के कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं दर्शाने वाला विवरण

एन०आर०आई सं०	आवेदक का नाम	उत्पादन की मद	भूमि, भवन एवं मशीनरी पर कुल निवेश	टिप्पणियां
1. एन०आर०आई०- 27/84-आई०एल०	मै० गुजरात कलोर एलकली इन्ड. लि.	कास्टिक सोडा क्लोरीन	रु० 1545.00 लाख	लाइ०सं० 227/83
2. ई०ओ०228(83) कोम्प एन.आर.आई.	डा०वी० राममूर्ति न्यूयार्क	सिन्थेटिक डाइज	रु० 200.00 लाख	लाइ. 75 (84)-ई.क्यू. 228 (83) कोम्प/एर.आर आई० दि० 31-1-84
3. एन.आर.आई.- 54 (84)	इण्डो-यू.एस. इन्वेस्टमेंट इन्ट० न्यूयार्क	मेथानोल	रु० 1135.00 लाख	लाइ. 372 (84) दि० 27-9-84

भूतपूर्व सैनिकों/विकलांगों/अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आबंटित पेट्रोल पम्प

64. श्री मूलचन्द डागा :
श्री लालाराम केन :
श्री बनवारी बैरवा :

क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाली जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन व्यक्तियों को गैस एजेंसियां और पेट्रोल पम्प आबंटित किये गए हैं उनके तारीखवार और स्थानवार नाम क्या हैं और आबंटन के सम्बन्ध में किन मानदण्डों का अनुसरण किया गया;

(ख) इनमें से कितनी गैस एजेंसियां और पेट्रोल पम्प भूतपूर्व सैनिकों/विकलांगों/अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आबंटित किये गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई जांच की है कि कितनी गैस एजेंसियां और पेट्रोल पम्प बेनामी हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल उद्योग ने निम्नलिखित व्यक्तियों को एल० पी० जी० की वितरणशिपें/खुदरा बिक्री डीलरशिपें अलाट की हैं—

एल० पी० जी वितरणशिप :

स्थान	वर्ग	जिसको अलाट किया गया है, उनका नाम	देने की तारीख
एम० पाली	सामान्य	श्रीमती बिना काक	21-1-82
खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें			
जयत राम	बेरोजगार/इंजीनियरिंग स्नातक	श्री अनूपसिंह	2-7-82
बेगावास	अनुसूचित जाति	श्री गोरख राम	25-2-83
कान्तालिया	शारीरिक रूप से विकलांग	श्री जगदीश सिंह पुरोहित	30-9-83
तकतीगढ़	बेरोजगार स्नातक/ बेरोजगार इंजीनियरिंग/स्नातक	श्री जोगसिंह बालोट	22-2-84
बार	सामान्य	श्री भीखम चन्द कोथारी	3-12-84
चन्दवाल	शारीरिक रूप से विकलांग/डी० डी० पी० डब्ल्यू डब्ल्यू	श्री हरलाल चौधरी	15-6-82

पात्र उम्मीदवारों में से चयन करने के लिए जिन मानदण्डों को देखा जाता है, वे हैं— (i) व्यापार प्रतिभा/सेल्समैनशिप, (ii) वित्त प्रबन्धन की क्षमता तथा सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता, (iii) डीलर के रूप में पूर्णकालिक काम करने के लिए तैयार रहना आदि।

(ग) जी नहीं, डीलरशिप के कार्यचालन के बारे में किसी भी शिकायत के मिलने पर उपयुक्त पूछताछ की जाती है।

संचार मन्त्रालय में लेखन-सामग्री की खरीद

65. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 14-7-1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14-14-80-कल्याण के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के दिल्ली और नई दिल्ली स्थित सभी विभागों, उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकार द्वारा वित्त पोषित तथा/अथवा नियन्त्रित अन्य संगठनों के लिए अपनी आवश्यकता की सभी लेखन-सामग्री, बिजली एवं सैनिटरी

का सामान तथा अन्य वस्तुएं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली से खरीदना है;

(ख) उनके मन्त्रालय के अधीन उन सभी कार्यालयों के नाम क्या हैं जिन पर उक्त आदेश लागू होता है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग सहित उनके मन्त्रालय के अधीन सभी कार्यालय उक्त निदेशों का पालन कर रहे हैं और उक्त वस्तुएं इस सोसायटी से खरीद रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो आदेश का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) 1. दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली।
2. डाक विभाग, नई दिल्ली।
3. विदेश संचार सेवा, नई दिल्ली।
4. अनुश्रवण संघटन, नई दिल्ली।
5. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (क्षेत्रीय कार्यालय), नई दिल्ली।
6. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड (क्षेत्रीय कार्यालय), नई दिल्ली।
7. टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सलटेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
8. महाप्रबन्धक टेलीफोन्स, नई दिल्ली।
9. महाप्रबन्धक (परियोजना), नई दिल्ली।
10. महाप्रबन्धक उपग्रह, नई दिल्ली।
11. अधीक्षण इंजीनियर (सिविल सर्किल), नई दिल्ली।
12. अधीक्षण इंजीनियर (विद्युत सर्किल), नई दिल्ली।
13. अधीक्षण इंजीनियर, पंचाट, नई दिल्ली।
14. पोस्टमास्टर जनरल, नई दिल्ली।
15. महाप्रबन्धक, उच्चस्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित अधिकांश संगठन कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी अनुदेशों का पालन कर रहे हैं। फिर भी इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए सभी सम्बन्धितों को निदेश दिए जा रहे हैं।

हिन्दुस्तान, उर्वरक निगम, हल्दिया के अधिकारियों द्वारा ज्ञापन

66. **श्री हन्नाम मोल्लाह** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, हल्दिया के अधिकारियों ने मई, 1985 में सरकार को एक ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में कौन-सी मुख्य बातों को उठाया गया था ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन में हल्दिया संयंत्र की कुछ उपकरण समस्याओं पर विचार किया गया है। इसमें हल्दिया संयंत्र के प्रारम्भण हेतु और राशि मंजूर करने की मांग की गई है ।

नई औषध नीति

67. **श्री चिंतामणी पाणिग्रही** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नई औषध नीति सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय ने इस प्रयोजन के लिए किसी परिषद की नियुक्ति की है;

(ग) क्या नई नीति तैयार करने में विलम्ब होने के कारण उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है; और

(घ) नई नीति की घोषणा लगभग कितने समय में कर दी जायेगी ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) राष्ट्रीय औषध तथा भेषज विकास परिषद जो 19 अप्रैल, 1983 को नियुक्त की गई थी, ने औषध नीति के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है । सरकार सभी सम्बद्ध पहलुओं तथा विभिन्न विचारों को ध्यान में रखते हुए औषध नीति में किए जाने वाले आवश्यक परिवर्तनों/सुधारों के सम्बन्ध में निर्णय लेगी ।

[हिन्दी]

ध्याढ़ी, जिला अलमोड़ा (उत्तर प्रदेश) में उप-डाकघर खोलना

68. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में ध्याढ़ी, जिला अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) में एक उप-डाकघर को मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) पोस्टमास्टर जनरल उत्तर प्रदेश सर्किल ने सूचित किया है कि अल्मोड़ा जिले (उत्तर प्रदेश) में ध्याढ़ी का नाम का कोई ग्राम नहीं है । तथापि, अल्मोड़ा जिले में ध्याढ़ी नाम का एक शाखा डाकघर है, जिसके विभागीय उप-डाकघर का दर्जा बढ़ाने का औचित्य नहीं बनता क्योंकि यहां का कार्यभार दो घण्टे से भी कम है जबकि विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार 5 घण्टे का कार्यभार होना चाहिए ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में बड़ा उद्योग स्थापित करना

69. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में केवल गढ़चिरोली ही "उद्योग विहीन" जिला है और क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस जिले में बड़ा उद्योग स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेशम उद्योग के लिए वहां पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है;

(घ) क्या सरकार यहां पर सरकारी क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने के लिए गम्भीरता से विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) महाराट्र में केवल गढ़चिरोली नामक ऐसे जिले का पता लगाया गया है जहां कोई भी उद्योग नहीं है । महाराष्ट्र सरकार से इस जिले में कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय निवेश मुख्य रूप से मूल प्रकार की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए होते हैं । इसलिए ऐसी परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए स्थान का निर्णय व्यापक तकनीकी-आर्थिक बातों पर किया जाता है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार की नीति केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए स्थान विनिश्चित करने के अपेक्षाकृत पिछड़े वर्गों क्षेत्रों को तरजीह देने की रही है ।

[अनुवाद]

दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1985 के अधीन नियमों का बनाया जाना

70. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1984 के अधीन अपेक्षित नियम बना लिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें कब बनाया और परिचालित किया जाएगा;

(ग) क्या इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को कोई अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1984 के अधीन प्रारूप बना कर, कुछ राज्य सरकारों को उनकी टीका-टिप्पणी के लिए, भेज दिए गए थे। उनसे प्राप्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, नियमों को इस दृष्टि से अन्तिम रूप दिया जा रहा है कि वे सरल हो जाएं और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें उन्हें उचित रूप में कार्यान्वित कर सकें।

[हिन्दी]

अशोधित तेल के शोधन में आत्मनिर्भरता

71. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की वर्तमान अशोधित तेल शोधन क्षमता कितनी है;

(ख) प्रति वर्ष कितना अशोधित तेल विदेशों को भेजा जाता है; और

(ग) अशोधित तेल के शोधन के मामले में देश के कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) अपने देश में उत्पादों की लगभग 41.50 मिलियन मीट्रिक टन की वर्तमान वार्षिक मांग के मुकाबले इस समय इसकी शोधन क्षमता 45.55 मिलियन मीट्रिक टन है। इस शोधन क्षमता को देखते हुए वर्तमान उत्पादन स्तर पर कच्चे तेल का निर्यात नहीं किया जा सकेगा।

[अनुवाद]

राजस्थान में तेल/गैस की खोज

72. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान तेल/गैस की खोज के बारे में 16 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3532 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में उन क्षेत्रों के नाम तथा ब्यौरा क्या है, जिसमें उक्त संगठन द्वारा अब तक भूकम्पीय सर्वेक्षण और खोज कार्य किया गया है;

(ख) क्या ड्रिलिंग कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जाएगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) इस समय आयल इण्डिया लि० राजस्थान में जिला जैसलमेर के टनोट-किशनगढ़ क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षण कर रही है।

(ख) और (ग) आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा 1986 में खुदाई आरम्भ कराये जाने की आशा है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में तालुका मिट्टी के तेल डिपो

74. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कम्पनियां उन स्थानों पर भी तालुका मिट्टी के तेल के डिपुओं की स्थापना कर रही है जो दूर-दराज और पहाड़ी क्षेत्र नहीं हैं और जहां पर पहले से ही बड़े डिपो विद्यमान हैं;

(ख) क्या भोपाल में निशातपुर डिपो के निकट तालुका मिट्टी-तेल डिपो है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) तालुका मिट्टी का तेल के डिपो की स्थापित क्षमता क्या है; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश में तालुका मिट्टी के तेल के डिपुओं में मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं रहता है और कितने डिपुओं में मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं रहता है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तालुक करोसिन डिपो की स्थापित क्षमता उसकी थ्रूपुट तथा सप्लाई प्वांइट को निकटता पर निर्भर करता है तथा इसमें 15 किलो लीटर से 20 किलो लीटर तक का अन्तर होता है।

(घ) टैंक बैगन समस्या के कारण निवारी, जिला टीकमगढ़ में तालुक केरोसिन डिपो 9, 16 तथा 26 जून, 1985 को तीन दिन के लिए बन्द रही।

[अनुवाद]

उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच करने की योजना

74. **श्री जी० भूपति** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय डाक तथा दूरसंचार सेवा उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच करने और उन पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये एकल कक्ष (सिंगल विण्डो) योजना शुरू करने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दूरसंचार विभाग में उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच करने के लिए "सिंगल विण्डो" योजना चालू की गयी है। डाक विभाग में जनता की सुविधा के लिए सभी डाकघरों में ऐसी शिकायतें प्राप्त की जाती हैं।

(ख) दूरसंचार विभाग ने अपने कार्यालयों को ऐसे अनुदेश जारी किए हैं कि वे 1.5.85 से "सिंगल विंडो" नामक जन शिकायत कक्ष खोलें जहां जनता का प्रतिनिधि इस विभाग के

किसी भी कार्यालय में एक ही केन्द्रीय स्थान पर संपर्क कर सकता है। उसे एक टोकन या स्लिप दी जाएगी जिस पर क्रमांक और वह तारीख अंकित होगी जिस दिन उसे उसकी शिकायत का उत्तर मिलेगा। वह निर्दिष्ट तारीख को अपेक्षित सूचना और उचित सलाह प्राप्त करेगा। इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। शिकायत कक्ष अपने अधीनस्थ क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधियों से सभी प्रकार की शिकायतें प्राप्त करेगा तथा सम्बन्धित अनुभागों के समन्वय से उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

इसी प्रकार डाक विभाग में भी सुनियोजित शिकायत संगठन है जो अनेक वर्षों से कार्य कर रहा है। निम्नलिखित कार्यालयों में पूर्णरूपेण शिकायत शाखाएं हैं जो डाक सेवाओं के कार्य-करण संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करती है :—

(क) डाक निदेशालय।

(ख) पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय।

(ग) क्षेत्रीय निदेशक, डाक सेवा के कार्यालय।

(घ) मंडल अधीक्षक, डाकघर/रेल डाक सेवा के कार्यालय।

(ङ) सभी राजपत्रित डाकघर।

किसी भी अन्य डाकघर में शिकायतें दी जा सकती हैं जहां से उन्हें कार्रवाई और तुरन्त निपटान के लिए उनके नियन्त्रक प्रशासनिक कार्यालय की शिकायत शाखा को भेजा जाता है।

कुरनूल स्थित कागज कारखानों द्वारा वनों का अनधिकृत उपयोग

76. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी**: क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुरनूल स्थित कागज कारखाने से नल्लामेल वन, जहां बांध परियोजना भी है, के लिए खतरा पैदा हो रहा है; और

(ख) वन का इस प्रकार अनधिकृत उपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) कुरनूल की कागज मिल द्वारा नल्लमाला वनों का अनधिकृत रूप से विदोहन किए जाने के बारे में केन्द्र सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

सरकार के नियन्त्रणाधीन वनों का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इन योजनाओं में वार्षिक कटाई के क्षेत्र, काटे जाने वाले वनोत्पादों की किस्म (क्वालिटी) और इस प्रकार के उत्पादों को काट कर निकालने के मार्ग विनिर्दिष्ट होते हैं। इन प्रावधानों के क्रियान्वयन को नियमित रूप से मानिटर किया जाता है। वनों का अनधिकृत शोषण रोकने के लिए राज्य सरकार ने विशेष चौकियां और चलते-फिरते दस्ते गठित किए हैं।

सीमा के पार पाकिस्तानी टुकड़ियों की असामान्य तैनाती और गतिविधियां

77. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान सीमा के पार पाकिस्तानी टुकड़ियों की असामान्य तैनाती और गतिविधियों की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछली सर्दियों और इन गर्मियों में पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं ने भारतीय सीमा के साथ कुछ अभ्यास किए हैं।

(ग) सरकार उन सभी गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखती है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है ताकि पूर्ण रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जा सकें।

[हिन्दी]

देवास (मध्य प्रदेश) में टेलीफोन एक्सचेंज में नया उपकरण लगाना

78. **श्री बापूलाल मालवीय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवास (मध्य प्रदेश) के टेलीफोन एक्सचेंज में नया उपकरण गत वर्ष लगाया जाना था परन्तु उसे कहीं अन्यत्र भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है; और

(ग) सरकार का विचार वहां नया उपकरण कब लगाने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) सातवीं योजना के दौरान वर्तमान एक्सचेंज की 400 लाइनों द्वारा क्षमता बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना

79. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में 750 करोड़ रुपये की लागत की गैस पर आधारित उर्वरक परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि गैस पर आधारित एक उर्वरक परियोजना की स्थापना शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में की जाये। परियोजना के कार्यान्वयन हेतु पार्टी के चयन से सम्बन्धित मामला प्रक्रिया की अन्तिम अवस्था में है।

कागज उद्योग को वित्तीय सहायता

80. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 1 जून, 1985 के "न्यूज टाइम" में "पेपर इण्डस्ट्री इन क्रिटिकल स्टेज" शीर्षक से प्रकाशिस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या कुछ इकाइयां पहले ही बन्द हो चुकी हैं और यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है तो अन्य इकाइयों के भी बन्द होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा कागज उद्योग को पुनः स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने सहित क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) तीन बड़ी कागज मिलें और लगभग 36 छोटी कागज मिलों के उस समय विभिन्न कारणों जैसे औद्योगिक विवादों, वित्तीय समस्याओं आदि के कारण बंद पड़े रहने की सूचना मिली है। सरकार ने कागज मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु अपेक्षित विशिष्ट अभ्युपायों का पता लगाने के लिए वित्तीय संस्थाओं/राज्य सरकारों से बातचीत शुरू की है। उद्योग को सहायता देने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की राजकोषीय राहतें दी जा रही हैं और अत्यधिक क्षमता उपयोग प्राप्त करने के लिए उद्योग को समर्थ बनाने हेतु अवस्थापनापरक समर्थन में भी सुधार किया जा रहा है।

तट रक्षक दल को सुदृढ़ बनाना

81. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तट रक्षक दल की खामियों की जानकारी है;

(ख) क्या देश के तट रक्षक दल को सुदृढ़ बनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तट रक्षक दल की खामियों को सुधारने तथा इसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) तट रक्षकों की विस्तृत योजनाओं और इन योजनाओं को कार्यान्वित करने

के लिए कार्मिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय आधार पर संचालित योजनाबद्ध नियमित भरती करके तट रक्षक संगठन में सीधी भरती द्वारा कार्मिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है और उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जहां जरूरी होता है, तटरक्षक संगठन जब तक अपने कार्मिक भरती करके उन्हें प्रशिक्षण नहीं दे देता तब तक वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य प्रशिक्षित कार्मिकों को भारतीय नौसेना से प्रतिनियुक्ति/पुनः रोजगार के आधार पर नियुक्ति करता है।

उर्वरक के क्षेत्र में अल्जीरिया के साथ संयुक्त उद्यम

82. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में अल्जीरिया के साथ कोई संयुक्त उद्यम शुरू करने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की कौन-सी उर्वरक कम्पनी के साथ अल्जीरिया का विचार संयुक्त उद्यम शुरू करने का है; और

(ग) संयुक्त उद्यम कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में अल्जीरिया और भारत द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) अल्जीरिया ने उर्वरकों के निर्माण के लिए भारत के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने की इच्छा व्यक्त की है। दोनों पक्ष ऐसे प्रस्तावों की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए सहमत हो गये हैं।

उड़ीसा में "बल्क" औषधियों के उत्पादन के लिए एक यूनिट की स्थापना हेतु औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम, उड़ीसा लिमिटेड को लाइसेंस देना

83. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा राज्य में "बल्क" औषधियों के उत्पादन के लिए एक यूनिट की स्थापना हेतु औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम, उड़ीसा लिमिटेड से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम, उड़ीसा लिमिटेड को उक्त प्रयोजन के लिए डी० जी० टी० डी० पंजीकरण और लाइसेंस जारी करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) 1984 के दौरान प्रपुंज औषधों के निर्माण के लिए डी० जी० टी० डी० के पास पंजीकरण के लिए इन्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लि० से दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। प्रपुंज औषध अर्थात् क्लोरम्फेनीकोल उत्पादन के लिए आवेदन पत्र को रद्द कर दिया गया

क्योंकि उत्पादन का स्तर उपांत्य मध्यवर्ती से प्रस्तावित किया गया था। प्रपुंण औषधों, अर्थात् मेट्रोनिडाजोल, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट, फिनाइल बुटाजोन, आक्सीफेनाइल बुटाजोन आदि के उत्पादन के लिए दूसरे आवेदन पत्र को सामग्री ब्यौरों के अभाव में रद्द कर दिया गया था।

सरकारी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं का आधुनिकीकरण

84. **श्री गुरुदास कामत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूरसंचार सेवाओं का आधुनिकीकरण करने के कार्य में गैर सरकारी क्षेत्र को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं के आधुनिकीकरण की संभावना पर भी विचार किया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) देश में उपलब्ध सभी संसाधनों का प्रयोग करके तथा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग से दूरसंचार सेवाओं को आधुनिक बनाने तथा उनमें सुधार लाने का प्रस्ताव है। दूरसंचार में प्रयुक्त होने वाले उपस्कर की अनेक किस्मों और मात्रा को मद्देनजर रखते हुए सेवा को आधुनिक बनाने तथा उसका विस्तार करने के लिए दूरसंचार उपस्कर के उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभाता रहेगा परन्तु इसके साथ-साथ उपभोक्ता के अहाते में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टर्मिनल उपस्करों का निजी क्षेत्र में विनिर्माण और उत्पादन करने की अनुमति देने की नीति को उदार बनाने का भी निर्णय लिया गया है।

अम्बाला छावनी में थल सेना/वायु सेना के अधिकारियों के लिए गैर सरकारी आवास का अभाव

85. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला छावनी में थल सेना/वायु सेना के मेजर/विंग कमांडर रैंक के अधिकारियों के लिए आवास का अत्यधिक अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन अधिकारियों को परिवार आवास के आबंटन के लिए दो या इससे भी अधिक वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और जब तक उनकी बारी आती है, उनका स्थानान्तरण हो जाता है;

(घ) क्या अम्बाला छावनी में गैर सरकारी आवास का भी अत्यधिक अभाव है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त स्टेशन पर सेना अधिकारियों को परिवार आवास उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) आवास का अभाव धन की कमी और निर्माण कार्य की योजनाओं में सक्रियात्मक परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण हैं।

(ग) जी नहीं। मेजरों और लेफ्टिनेंस कर्नलों को औसतन क्रमश: 14 महीनों और 1 वर्ष के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है। स्क्वाड्रन लीडरों और विंग कमांडरों को औसतन क्रमश: 12 महीनों और 3 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

(घ) छावनी में उपयुक्त/उचित गैर-सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह अम्बाला शहर में उपलब्ध है।

(ङ) परिवार आवास की कमी को दूर करने के लिये थल/वायु सेना मुख्यालयों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) मेजरों के लिये 20 फ्लैटों के निर्माण की मंजूरी देने के बारे में कार्रवाई की जा रही है। इससे मेजर के रैंको के अफसरों को 100 प्रतिशत आवास प्राप्त हो जायेगा।

(2) अफसरों के बोर्ड ने वायु सेना अफसरों के परिवार आवास की कमी को पूरा करने की मंजूरी दे दी है और इस सम्बन्ध में अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

(3) अन्य कमियों को दूर करने के लिये अफसरों के एक अन्य बोर्ड की स्थापना की गई है जिसका कार्य प्रगति पर है।

(4) इसके अतिरिक्त अविवाहित अफसरों के आवासों को फिर से ठीक-ठाक करने से 16 अस्थायी आवास उपलब्ध हो गये हैं। इसके अफसर अपने परिवार को अस्थायी तौर पर 3 महीने के लिए अपने साथ रख सकते हैं और फिर वे इस अवधि में छावनी/सिविल क्षेत्र में कोई मकान ढूंढ़ सकते हैं।

डाक तथा दूरसंचार सलाहकार समितियों का गठन

86. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि विभिन्न मण्डल/राज्य स्तर पर डाक और दूरसंचार सलाहकार समितियों का गठन कर लिया गया है और वे निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन मण्डलों/राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें ऐसी समितियों का गठन नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और ये समितियां किस तारीख से कार्य नहीं कर रही हैं तथा किस तारीख तक इनका गठन किये जाने की संभावना है;

(ग) जो समितियां वर्ष 1984 और वर्ष 1985 की प्रथम तिमाही में अस्तित्व में थीं उनकी कितनी बैठकें हुई हैं; और

(घ) उनकी बैठकें बुलाने के मानदण्ड क्या हैं (बैठक बुलाने की अवधि आदि) और क्या

यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस सम्बन्ध में दोषी समितियां भविष्य में मानदण्डों का पालन करेंगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) डाक—कुल 24 डाक सलाहकार समितियां हैं। इनमें से हिमाचल प्रदेश की डाक सलाहकार समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है। अन्य 19 डाक सलाहकार समितियों का पुनर्गठन करने के लिए हाल ही में आदेश जारी कर दिये गये हैं। शेष 4 समितियों का अभी पुनर्गठन किया जाना है। आन्ध्र प्रदेश और पंजाब की समितियों के लिए राज्य सरकारों से अभी नामांकन आने हैं। इन समितियों का कार्यकाल 31-12-83 को समाप्त हो गया था। दिल्ली और राजस्थान के लिये नामांकन प्राप्त हो चुके हैं तथा शीघ्र ही समितियों का पुनर्गठन किये जाने की संभावना है।

(ग) 1984 में हिमाचल प्रदेश की डाक सलाहकार समिति की केवल एक ही बैठक हुई थी।

(घ) डाक सलाहकार समितियों के विधान के अनुरूप इन समितियों की 6 महीने में एक बैठक की जायेगी। इस नियम के अनुपालन को सुनिश्चित किया जायेगा।

दूरसंचार :

(क) प्रत्येक टेलीफोन जिले के लिये एक टेलीफोन सलाहकार समिति तथा प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिये एक दूरसंचार सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। समूचे देश में 60 टेलीफोन/दूरसंचार सलाहकार समितियां हैं। 41 सलाहकार समितियों का गठन हो चुका है तथा उन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

(ख) जिन सलाहकार समितियों का अभी पुनर्गठन किया जाना है उनके नाम तथा कार्यकाल समाप्त होने की तारीखें संलग्न विवरण में दी गई हैं। जिसे सभा पटल पर दिया गया है।

संसद सदस्यों के नाम संसदीय कार्य विभाग से, विधायकों के नाम राज्य विधान सभाओं से तथा अन्य नाम सम्बन्धित दूरसंचार सर्किलों टेलीफोन जिलों के महाप्रबन्धकों के यहां से आने हैं। इसमें कुछ समय लग जाएगा। सरकार इन समितियों के पुनर्गठन के मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है तथा इनके शीघ्र ही पुनर्गठन किए जाने की संभावना है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर दी जाएगी।

(घ) समिति की बैठकें तिमाही में एक बार आयोजित की जानी हैं। इन समितियों की बैठकें आयोजित करने के लिए जो मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं उनके अनुपालन के सुनिश्चित करने के लिये पहले से ही अनुदेश मौजूद हैं।

विवरण

जिन सलाहकार समितियों का अभी पुनर्गठन किया जाना है, उनके नाम तथा कार्यकाल समाप्त होने की तारीखें दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	सलाहकार समिति का नाम	कार्यकाल समाप्त होने की तारीख
	टेलीफोन जिले	
1.	इलाहाबाद	नया मामला
2.	गुवाहाटी	31-5-83
3.	लखनऊ	31-4-83
4.	पटना	31-7-84
5.	राजकोट	30-4-84
6.	सूरत	30-4-84
7.	त्रिवेन्द्रम	30-6-84
	राज्य/संघ शासित प्रदेश :	
8.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	31-10-84
9.	बिहार	31-5-84
10.	दादरा एवं नागर हवेली	31-5-84
11.	कर्नाटक	30-6-84
12.	केरल	30-6-84
13.	मिजोरम	31-5-83
14.	नागालैंड	31-5-84
15.	उड़ीसा	31-5-84
16.	पंजाब	30-6-83
17.	सिक्किम	31-5-84
18.	तमिलनाडु	31-5-84
19.	उत्तर प्रदेश	30-4-83

उत्तर पश्चिम दूरसंचार सर्किल में भू-केन्द्रों (अर्थ स्टेशनों) का निर्माण

87. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार में सुधार लाने के लिये उत्तर पश्चिम दूरसंचार सर्किल में काफी संख्या में भू-केन्द्र निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों के नाम क्या-क्या हैं और उनके किस तारीखें से कार्य प्रारम्भ करने की संभावना है; और

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु ऐसे कुछ अन्य स्थानों का भी चयन किया गया है तथा उनके नाम क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां,

(ख) कुल्लु	85-86
कल्पा और किलोंग	86-87

(ग) जी नहीं।

इंजीनियरी उद्योग का विकास

88. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इन्जीनियरी उद्योग के विकास का रिकार्ड छठी योजनावधि के दौरान उत्साहवर्धक नहीं था;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इन्जीनियरी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में अड़चनों को दूर करने और उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) भारतीय इन्जीनियरी उद्योग ने छठी योजनावधि के दौरान अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त की है जबकि कुछ क्षेत्रों में वृद्धि में पीछे भी रहे हैं; एक विस्तृत विवरण संलग्न है।

(ख) कुछ इन्जीनियरी उद्योगों के उत्पादन की वृद्धि पर प्रभाव पड़ा था जो अन्य कारणों के अलावा बिजली की कमी, कच्चे माल की कमी तथा मांग व सप्लाई में अस्थायी असंतुलनों के कारण था।

(ग) औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। अन्य बातों के अलावा इनमें स्वतः वृद्धि के लिए प्रावधान, कुछ उद्योगों को लायसेन्स मुक्त करना, कुछ उद्योगों में व्यापक रूप दिए जाने की योजनाओं से अपने उत्पाद-मिश्र को समन्वित करने के लिए निर्माताओं को अनुकूलता प्रदान करना तथा अवस्थापना-सहायता में सुधार करना शामिल है। इन्जीनियरी उद्योग के कार्य को नियमित रूप से मानीटर किया जाता है और जैसा आवश्यक हो, समय-समय पर नीति सम्बन्धी सुधार किए जाते हैं।

विवरण

छठी योजना में विशिष्ट उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि

क्रमांक	उद्योग	गणना की इकाई	वास्तविक उत्पादन 1979-80	वास्तविक उत्पादन 1984-85 (अनन्तिम)	छठी योजना वृद्धि में औसत वृद्धि प्रतिवर्ष प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
(I)	मूल धातु उद्योग 34 (ख)				
1.	स्टील कास्टिंग्स	हजार टन	73.1	85.4	(+) 3.2
2.	स्टील फोर्जिंग्स	वही	121.5	152.9	(+) 4.7
3.	ट्रांसमिशन टावर	वही	95.3	115.3	(+) 3.9
4.	ढांचे	वही	105.2	129.9	(+) 4.3
5.	सीवन रहित स्टील ट्यूबें	वही	27.0	46.0	(+)11.2
6.	ब्लैक एण्ड गेल्वानाइज्ज पाइप्स एण्ड ट्यूब्स	वही	615.6	828.1	(+) 6.1
7.	सी० आई० स्पन पाइप्स	वही	177.4	178.0	(+) 0.1
8.	एल्यूमीनियम फोयल्स	वही	3.9	9.2	(+)18.7
(II)	धातु उत्पादों का निर्माण मेकेनिकल व परिवहन उपकरण 35 को छोड़कर				
9.	नट, बोल्ट और रिवट	हजार टन	26.4	16.7	(—)8.7
10.	वायर पोप्स	वही	30.4	32.0	(+) 1.1
11.	फोल्ड हैन्ड टूल्स	करोड़ रु०	27.5	29.5	(+) 1.4
(III)	मशीनों का निर्माण इलेक्ट्रिकल्स 36 को छोड़कर				
12.	बायलर	करोड़ रु०	259.5	537.6	(+)15.7
13.	डीजल इंजन (स्थिर)	हजार नग	144.6	170.9	(+) 3.4
14.	चीनी मशीनें	करोड़ रु०	31.6	43.7	(+) 6.7
15.	माइनिंग मशीनरी	करोड़ रु०	30.3	47.9	(+) 9.6
16.	धातुकर्मी मशीनें (इस्पात संयंत्र उपकरणों सहित)	वही	42.2	63.0	(+) 8.4

1	2	3	4	5	6
17.	रसायन तथा भेषज मशीनें	वही	79.8	155.0	(+)14.2
18.	कागज तथा लुगदी मशीनें	वही	32.1	20.2	(—) 8.9
19.	सीमेंट मशीनें	वही	25.3	53.8	(+)16.3
20.	मुद्रण मशीनें	वही	7.3	14.7	(+) 15.0
21.	रबड़ मशीनें	वही	8.0	13.9	(+) 11.7
22.	मिट्टी हटाने के उपकरण	संख्या	128.5	1627	(+) 4.8
23.	क्रेनें	हजार टन	16.7	20.7	(+) 4.4
24.	लिफ्टें	संख्या	854	1422	(+) 10.7
25.	विद्युत चालित पम्प	हजार टन	346.8	482.3	(+) 6.8
26.	वायु एवं गैस कम्प्रेसर	हजार नग	13.3	30.8	(+) 18.3
27.	मशीनी औजार	करोड़ रु०	165.2	302.8	(+) 12.9
28.	कृषि ट्रैक्टर	हजार नग	62.4	85.9	(+) 6.4
29.	रोड रोलर	संख्या	823	309	(—) 17.8
(IV)	**विद्युत उपकरों का निर्माण** 37				
30.	पावर ट्रांसफार्मर	मिलियन केवीए	18.6	25.5	(+) 6.5
31.	विद्युत मोटरें	मिलियन एच पी ए	3.7	4.9	(+) 5.8
32.	विद्युत पंखे	मिलियन नग	3.9	4.8	(+) 4.2
	तार व केबल्स				
33.	ए० सी० एस० आर०/ ए० ए० सी०	हजार टन	69.1	53.2	(—) 5.1
	अन्य बिजली का सामान				
34.	स्टोरेज बैट्रीज	हजार नग	1645	1997	(+) 4.0
35.	मोटर स्टार्टर और कन्टेक्टर्स	वही	1132.9	1418.0	(+) 4.0
(V)	**परिवहन उपकरण** 38				
36.	रेलवे वैगन	हजार नग	12.1	13.0	(+) 1.4
37.	वाणिज्यिक गाड़ियां	वही	57.4	96.8	(+) 11.0
38.	कारें	वही	33.1	74.2	(+)17.5

1	2	3	4	5	6
39.	जीपें	हजार नग	14.1	25.2	(+)12.3
40.	मोटर साइकिलें	वही	90.3	181.9	(+)15.0
41.	स्कूटर	वही	155.4	322.2	(+)15.7
42.	मोपेड/स्कूटरेट्स	वही	71.8	413.9	(+)42.0
43.	तिपहिए	वही	17.5	43.5	(+)20.0
44.	साइकिलें	वही	3736.3	5892.5	(+) 9.5
(VI)	विविध निर्माणकारी उद्योग 39				
45.	बड़ी घड़ियां	हजार नग	312.9	229.0	(—) 6.1
46.	कलाई घड़ियां	मिलियन नग	4.6	5.5	(+) 3.6

प्राकृतिक गैस का उत्पादन और उपयोग

89. **श्री के० प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्राकृतिक गैस के उत्पादन और उपयोग की ओर अधिक ध्यान देने प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिये सातवीं योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) उक्त योजनावधि में प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिये क्या कार्यक्रम कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सातवीं योजना अभी तक निश्चित नहीं की गई है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन लक्ष्य और इसके उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रम के विवरण इसके बाद ही निश्चित किये जाएंगे। तथापि, प्रस्ताव है कि गैस का उपयोग उर्वरक एवं पेट्रोरसायन संयंत्रों की फीड-स्टाक की मांगों की पूर्ति एल० पी० जी० की और निकासी विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाए।

कच्चे तेल का निर्यात

90. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने कच्चे तेल का वर्षवार निर्यात किया गया और इसने कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनको इसका निर्यात किया गया;

(ग) किस एजेंसी के माध्यम से निर्यात किया जा रहा है;

(घ) क्या हमारे उत्पादों की विदेशों में भारी मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के कच्चे तेल का निर्यात किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों में कच्चे तेल के निर्यात की मात्रा तथा अर्जित विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा "000" (मीट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)
1982-83	4552	1063.37
1983-84	5522	1231.10
1984-85	6478	1563.16

(ख) यह कहना कठिन है कि ये किन देशों को भेजे जाते हैं क्योंकि ये लेन देन अन्तर्राष्ट्रीय तेल व्यापारियों के साथ किए जाते हैं।

(ग) कच्चे तेल के निर्यात के लिय आई० ओ० सी० केनालाइजिंग एजेंसी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि हमारे उत्पाद मुख्यतः घरेलू उपभोग के लिये है।

(ङ) अनुमान है कि वर्ष 1985-86 के दौरान लगभग 5 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का निर्यात होगा जिसकी कीमत लगभग 140 करोड़ रुपए होगी।

राज्यों में लगाए गए विधिक सहायता शिविर

91. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों में विधिक सहायता शिविर लगाए गए थे;

(ख) इन शिविरों के लगाए जाने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या थे और उन्हें प्राप्त करने में ये शिविर कहां तक सफल हुए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में ऐसे कितने शिविर लगाए गए और किन-किन स्थानों पर लगाए गए; और

(घ) इनसे कितने लोगों को फायदा हुआ ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) सरकार द्वारा गठित विधिक सहायता स्कीम कार्यान्यवन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों में विधिकि सहायता शिविर आयोजित किए गए थे।

(ख) विधिक सहायता शिविर आयोजित करने के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(i) समाज कल्याण विधियों और सरकारी स्कीमों और अध्युपायों द्वारा लोगों को प्रदत्त अधिकारों और फायदों के बारे में उनमें विधिक जागृति उत्पन्न करना।

(ii) विधिक सहायता शिविरों में निर्धनों को विधिक सलाह और सहायता देना और राजस्व और अन्य मामलों में उन्हें सहायता सुनिश्चित करना; और

(iii) उन विवादों का निपटारा कराना, जो लोगों की निर्धनता के कारण न्यायालयों में लाए गए हैं।

लोक अदालतें, विधिक सहायता शिविरों में और कुल राज्यों में, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में ऐसे शिविरों से स्वतंत्र रूप में भी आयोजित की जा रही हैं।

(ग) और (घ) 1983-84 के दौरान 102 शिविर लगाये गये थे और विधिक सहायता के लिये 3708 आवेदन प्राप्त हुए थे। 1984-85 के दौरान 115 शिविर लगाए गए और 2135 आवेदन प्राप्त हुए। ब्यौरे संलग्न विवरण एक और दो में दिये गये हैं।

विवरण-एक

उन स्थानों को दर्शित करने वाला विवरण जहां वर्ष 1983-84 के दौरान उड़ीसा राज्य में भिन्न-भिन्न विधिक सहायता समितियों द्वारा विधिक सहायता शिविर लगाए गए थे

(वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित)

क्र० सं०	समिति का नाम	आयोजित विधिक सहायता शिविरों की सं० (जैसे बोर्ड द्वारा दी गई है)	स्थान/तारीखें (जैसे बोर्ड से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट में दिए गए/दी गई हैं)
1	2	3	4
1.	उप-मंडल विधिक सहायता समिति अथगढ़	1	(i) तियिड़िया/5-2-84 (ii) गोपापुर/2-3-84
2.	बड़गढ़ उप-मंडल विधिक सहायता समिति	4	(i) पथराला/10-3-84 (ii) तुलांदी/11-3-84 (iii) भुक्ता/25-3-84

1	2	3	4
3.	भद्रक उप-मंडल विधिक सहायता समिति	1	—
4.	भंजानगर उप-मंडल विधिक सहायता समिति	2	(i) बुगुदा/27-11-83 (ii) आसका/26-2-84 (iii) तारासिंग/11-3-84
5.	जिला विधिक सहायता समिति बोलंगीर	2	(i) बोलंगीर/26-12-83 (ii) चूड़ापली/25-3-84
6.	उप-मंडल विधिक सहायता समिति बोलंगीर	1	(i) गुरुडिया/25-3-84
7.	चम्पुआ उप-मंडल विधिक सहायता समिति	5	(i) रौला/4-5-83 (ii) चम्पुआ/26-11-83 (iii) निश्चिन्तपुर/5-2-84 (iv) टुकुडिया/26-2-84 (v) चम्पकपुर/25-3-84
8.	उप-मंडल विधिक सहायता बोर्ड/समिति, छतरपुर	2	(i) पोलरा/(पुरुषोत्तमपुर)/15-2-84 (ii) रम्भा/26-2-84
9.	जिला विधिक सहायता समिति, कटक	1	(i) बंकी/28-1-84
10.	उप-मंडल विधिक सहायता समिति देवगढ़	3	(i) टिकबीर/8-1-84 (ii) कोंसर/19-2-84 (iii) लैमेड़ा/4-3-84
11.	उप मंडल विधिक सहायता, समिति, धर्मगढ़	2	—
12.	उप-मंडल विधिक सहायता समिति ढेनकनाल	6	(i) अर्थमलिक/12-4-83 (ii) तालचेड/7-5-83 (iii) सडंगी/24-5-83 (iv) चंडीपाड़ा/9-12-83 (v) सदाशिवपुर/17-12-83 (vi) भूबम/29-1-84
13.	जिला विधिक सहायता समिति, गंजम	4	(i) पारलाखेमुंडी/11-4-83 (ii) कोडाला/17-12-83

1	2	3	4
			(iii) पारलाखेमुंडी/11-2-84 (iv) दिग्पाहांडी 11-2-84
14.	उप-मंडल विधिक सहायता समिति, गुनपुर	3	(i) पदमपुर/30-11-83 (ii) गुडारी/26-2-84 (iii) विसाम/19-3-84
15.	उप-मंडल विधिक सहायता समिति, जगत सिंहपुर	1	(i) सोमनाथाट/25-2-84
16.	उप-मंडल विधिक सहायता समिति, जामपुर	1	(i) विझारपुर/13-1-84
17.	उप-मंडल विधिक सहायता समिति, झारसुगुडा	3	(i) तलापटिया/21-8-83 (ii) लखनपुर/19-2-84
18.	जिला विधिक सहायता समिति, कालाहांडी	4	(i) धर्मगढ़/16-1-84 (ii) मदनपुर/बामपुर/12-2-84
19.	खुर्दा उप-मंडल विधिक सहायता समिति	2	(i) पुबुसेंशी/20-11-83 (ii) बोलगढ़/18-12-83 (iii) कुलुपाडाघाट/25-3-84
20.	कोरापुट जिला विधिक सहायता समिति	1	(i) नन्दापुर/9-12-83 (ii) कुमुलोपत/17-3-84
21.	कोरापुट उप-मंडल विधिक सहायता समिति	1	(i) पदमपुर/30-11-84 (ii) नन्दपाड़ा/7-12-84 (iii) लक्ष्मीपुर/19-3-84
22.	कुचिन्दा उप-मंडल विधिक सहायता समिति	5	(i) जामनकीरा/19-2-84 (ii) कुनतारा/26-2-84 (iii) अरदाभाल/9-3-84 (iv) वाक/11-3-84 (v) जयसार/14-3-84
23.	मल्कानगिरि जिला विधिक सहायता समिति	2	(i) वालीमेला/(ओरकल)/ 11-12-84 (ii) काली मेला/2-2-84 (iii) मिथिली/10-2-84 (iv) मिथिली/4-3-84

1	2	3	4
24.	मयूरभंज अनु-मंडल विधिक सहायता समिति	1	(i) उदाला/3-2-84 (ii) करन्जिया/26-2-84
25.	नवादा अनुमंडल विधिक सहायता समिति	1	(i) सुजापाली/26-2-84 (ii) वेल्तुकरी/19-2-84 (iii) भेला/5-2-84
26.	जिला विधिक सहायता समिति, नयागढ़	2	(i) नुआगन/10-12-83 (ii) रामपुर/7-1-87
27.	नीलगिरि अनुमंडल विधिक सहायता समिति	1	(i) बहरामपुर/7-1-84 (ii) मित्रपुर/4-2-84
28.	नवरंगपुर अनुमंडल विधिक सहायता समिति	7	(i) वालीमेला/11-12-83 (ii) देवपाली/4-12-83 (iii) केसनगुड़ा/27-1-84 (iv) कटिंगा/13-2-84 (v) पडहंगी/25-2-84
29.	अनुमंडल विधिक सहायता समिति, पानपोश	3	(i) वीरमित्रपुर/21-1-84
30.	पटनागढ़ अनुमंडल विधिक सहायता समिति	5	(i) हरीशंकर/10-12-83 (ii) पटनागढ़/26-12-83 (iii) बेलपाडा/14-4-84 (iv) मण्डल/14-1-84 (v) घासिम/26-2-84
31.	अनुमंडल विधिक सहायता समिति, परलाखेमुंडी	3	(i) सेरंगा/25-9-83 (ii) गुम्मा/19-5-83 (iii) लावण्यगोड़ा/6-11-83 (v) गायरंग/4-2-84
32.	जिला विधिक सहायता समिति, फूलबनी	4	—
33.	पुरी जिला विधिक सहायता समिति	1	(i) वाणपुर/16-12-83 (ii) कोणार्क/11/12-2-84
34.	राइराखोल अनुमंडल विधिक सहायता समिति	2	(i) राइराखोल/28-1-84

1	2	3	4
35.	रायगोड़ा अनुमंडल विधिक सहायता समिति	4	(i) कोल्नारा/29-1-84 (ii) चरमल/25-2-84 (iii) के० एस० सिंहपुर/26-2-84 (iv) देवगिरि/1-3-84 (v) रायगोडा/18-3-84 (vi) गुम्मा/20-3-84
36.	संभलपुर अनुमंडल विधिक सहायता समिति	3	(i) नृसिंहनद/14-1-84 (ii) नक्तिदूल/30-1-84 (iii) भीदन/11-2-84
37.	सोनपुर अनुमंडल विधिक सहायता समिति	3	(i) डूंगरीपाली/19-2-84 (ii) बिनका/11-3-84 (iii) कुलुन्दा/30-3-84
38.	सुन्दरगढ़ जिला विधिक सहायता समिति	2	(i) हेमागिरि/25-2-84 (ii) लेफरीपाड़ा/25-2-84
39.	तीतलागढ़ विधिक अनुमंडल सहायता समिति	3	(i) खांडकलगांव/27-11-83 (ii) खोलन/27-12-83 (iii) कुरसदा/26-2-84
40.	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	2	(i) भवानीपटना/13-4-84 (ii) देवगढ़/3-12-83 (iii) कालाहांडी/13-4-83

विवरण-दो

वर्ष 1984-1985 के दौरान उड़ीसा में लगाए गए शिविरों का ब्यौरा

उप-खण्ड समिति	शिविर का स्थान
1	2
1. आनन्दपुर	1. विधाधरपुर 2. रेखाल 3. बनखीड़ी 4. तरतर्सं 5. हाटासेसखाल 6. तेस्बली

1	2
2. अंगुल	1. बनरपाल 2. जगन्नाथपुर 3. जरापाड़ा
3. अठमल्लिक	1. किसोरनगर
4. अथगढ़	1. महाकालदेस्तिया 2. महाकालदेस्तियां 3. कन्डारसी
5. मेजनगर	1. गंगापुर 2. कुलाद 3. बडाबारासिंह 4. नौगाव
6. बौध	1. पलासक्वारा 2. घटापाड़ा
7. बोनाई	1. राजुमुंडा 2. गुरुड़ियां 3. तंद्रा 4. दुंजिग 5. खूंटागांवकैर्स
8. चंपुआ	1. गुआली
9. छत्रपुर	1. कविसूर्यनगर 2. पोलटामपुर
10. दोगढ़	1. कल्ला 2. रेमाल 3. दांतेरीपहल
11. गुनुपुर	1. जलबार 2. पतासिंग 3. जगन्नाथपुर 4. रामनगुडा 5. हनुमंतपुर
12. हिंडोल	1. हतूरा

1	2
13. जगतसिंहपुर	1. नौगांव 2. रघुनाथपुर
14. कामास्थानगर	1. बाईसिंगा 2. तुमुसिंग्स
15. करंजिया	1. अंगारपाड़ा 2. सुकुरुली
16. केन्द्रपाड़ा	1. डेराबीस 2. राजकनिका 3. ओल
17 कुंचिदा	1. कुटुराचुआन 2. के० तुमुनकिरा 3. बामरा
18. खुरदा	1. कुनुदी
19. कोरापुर	1. —
20. नवापाड़ा	1. साराबंगा 2. लखमा
21. नबरंगपुर	1. काओसागुमुदा 2. बीजापुर 3. रायगढ़ 4. ताउवहाड 5. सियालालुटी
22. पाल लडारा	1. चासागुगुजंग
23. पदमपुर	1. मंदासिल 2. पानीमोरा
24. परलाखमंडी	1. नारायणपुर 2. केनपुर 3. रानीपाटा 4. गुम्मा
25. रायगढ़	1. सुलीपाडर 2. जमीदीपेटा 3. टिकरी 4. काशीपुर

1	2
	5. हाटासेसखाल
	6. थेस्वाली
26. सोनोपुर	1. तरवा
	2. मेंडा
	3. कालापत्थर
	4. बांकीगिरडी
	5. लच्छीपुर
27. तिसिलागढ़	1. लूठाबंधा
	2. सिंघाकाला
	3. धमूडांगा
28. तलचर	1. कांकिली
	2. हरिजनपाड़ा
	3. सामल
राज्य विधिक सहायता समितिया	
1. बोलंगीर	1. कुरुलु
2. कटक	1. नरसिंहपुर
	2. कुजंग
	3. बारम्पा
	4. जगपुर
3. गंजाम	1. पालुर
	2. के० टी० एन० पुर
	3. गोडागौठा
	4. बेलगुंटा
4. कालाहांडी	1. नारला
	2. उत्कल
	3. केलामपुर
5. कोरापुर	1. वालीमेडा
	2. मलकानगिरि
	3. बाईपारीगुडा
	4. कोटपाड़
	5. नौगांव
	6. कालीगाम

1	2
6. मलकानगिरि	1. चित्राकंद
7. नयागढ़	1. छपुंडिया 2. बहाडाझोला
8. फूलबनी	1. तिलेश्वर 2. धाया
9. पुरी	1. नीमापारा 2. पोपली 3. पुरी
सार्वजनिक सभाएं	ब्रह्मनगरी संतपद 4. सखीगोपाल
10. सुन्दरगढ़	1. राजगंगपुर 2. गंगापुर 3. दादरलुंगडा 4. सुबहेगा
11. क्योंझर	1. पटना 2. हरिचन्दपुर 3. तेलकोई

[हिन्दी]

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में खाना पकाने की गैस की नई एजेंसी/पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प खोलना

92. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में खाना पकाने की गैस की नई एजेंसी/पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कब तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) एल० पी० जी०, पेट्रोल/डीजल के लिये आर्थिक व्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिये स्थानों का

पता लगाने के लिये आवधिक सर्वेक्षणों के आधार पर तेल उद्योग बोर्ड ने एक वार्षिक विपणन योजना तैयार की है। जबकि 1985-86 की विपणन योजना में जिला बाराबंकी में पेट्रोल/डीजल पम्प खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु सदौली में एक एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोले जाने का प्रस्ताव है। इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिये आवेदन-पत्र आमन्त्रित करने के सम्बन्ध में अगस्त/सितम्बर, 1985 में एक विज्ञापन के जारी होने की आशा है।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री द्वारा टेलीफोन उपकरणों का उत्पादन

93. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री द्वारा वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान किस प्रकार की टेलीफोन लाइनों के उपकरणों का उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) स्विचिंग के लिए स्ट्रोजर और क्रासबार किस्म के दो भिन्न उपस्करों का निर्माण वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान टेलीफोन लाइनों को जोड़ने के लिए इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज (आई० टी० आई०) द्वारा तैयार किए गये थे।

(ख) और (ग) स्ट्रोजर उपस्कर का उत्पादन वर्ष 1983-84 और 1984-85 के लक्ष्यों के बराबर ही रहा। वर्ष 1983-84 और 1984-85 में आई० टी० आई० के बंगलौर एकक में क्रासवार उपस्कर का उत्पादन लक्ष्यों के बहुत निकट रहा। लेकिन उपर्युक्त दो वर्षों में आई० टी० आई० के रायबरेली कारखाने के क्रासवार प्रभाग के उत्पादन में गिरावट आई। इसका कारण था—उत्पादन सहयोगी से मिले घटक और परियोजना की अन्य सामग्री का टूटा-फूटा होना जिसको बदल कर नई सामग्री की आपूर्ति नहीं हो पाई। इसके अलावा संस्थान के अपने उत्पादन कार्यक्रमों में देर लगी और स्वदेशी सामग्री भी नहीं मिल पाई।

उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में समानांतर डाक सेवा आरम्भ करना

94. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1985-86 की वार्षिक योजना के दौरान गांवों में अतिरिक्त विभागीय वितरक एजेंट नियुक्त करने तथा समानांतर डाक सेवा का प्रावधान करने के लिए प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले के कितने गांवों में समानांतर डाक सेवा शुरू की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मितव्ययिता के लिए नये पदों के सृजन पर लगी रोक के कारण विभिन्न डाक सर्किलों में अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों की नियुक्ति तथा काउंटर सेवा सुविधा प्रदान करने के लिए 1985-86 के लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

गैर-लाइसेंसशुदा औषधियों को मूल्य नियंत्रण से मुक्त करने की मांग

95. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन ने सरकार से गैर-लाइसेंसशुदा औषधियों को मूल्य नियन्त्रण से मुक्त करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इन औषधियों का ब्यौरा क्या है और उसके लिए तर्क दिए गए हैं तथा सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार ने मार्च, 1985 में गैर-फेरा और गैर-एम० आर० टी० पी० कम्पनियों को 12 प्रपुंज औषधों/मध्यवर्तियों के सम्बन्ध में जून, 1985 में 82 प्रपुंज औषधों तथा अन्य सम्बद्ध फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में लाइसेंस से छूट दे दी थी। दि इण्डियन ड्रग्स मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन ने अनुरोध किया था कि लाइसेंस मुक्त प्रपुंज औषधों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनको मूल्य नियन्त्रण की कठोरता से मुक्त करने के लिए अधिक फलमूलक रवैया अपनाया जाना चाहिए। इस एसोसिएशन का विचार था कि मूल्य अनियन्त्रण के परिणामस्वरूप बाजार में मुक्त प्रतियोगिता होगी जिससे मूल्य नियन्त्रण में रहेंगे और उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। सरकार सभी सम्बद्ध पहलुओं तथा विभिन्न विचारों को ध्यान में रखते हुये औषध नीति में आवश्यक परिवर्तन/सुधारों के सम्बन्ध में निर्णय लेगी।

देश में टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए लक्ष्य

96. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन कनेक्शन देने का राज्यवार निर्धारित लक्ष्य क्या था;

(ख) योजनावधि के दौरान राज्यवार कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई;

(ग) क्या यह सच है कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी कोई लक्ष्य अनिर्धारित किया गया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) जानकारी अनुबंध में दी गई है।

(ग) 71 प्रतिशत तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

(घ) सातवीं योजना अवधि के लिये अभी निधि आबंटन को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। लक्ष्यों का निर्धारण तभी किया जाएगा, जब योजना में अन्तिम आबंटन का पता चल जाएगा। फिर भी 1985-86 के दौरान 2 लाख लाइनें प्रदान करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है।

विवरण

क्रम० सं०	दूरसंचार सर्किल तथा टेलीफोन जिले और सेवा प्रदान करने वाले राज्य	छठी पंचवर्षीय योजना अवधि	
		लक्ष्य	प्राप्ति
1	2	3	4
1.	**आंध्र प्रदेश** (हैदराबाद, विजयवाड़ा टेलीफोन जिलों सहित)	87,700	70,449
2.	**बिहार** (पटना टेलीफोन जिले सहित)	28,510	12,134
3.	**गुजरात** (अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और सूरत जिलों सहित) दमन, दिव, दादरा और नागर हवेली (सलवासा को भी सेवा प्रदान की जा रही है)	86,070	72,709
4.	**जम्मू एवं कश्मीर**	13,310	4,764
5.	**कर्नाटक** (बंगलौर टेलीफोन जिले सहित)	61,650	62,853
6.	**केरल** (कालीकट, एर्नाकुलम, त्रिवेन्द्रम टेलीफोन जिलों सहित) (माहे और लक्षद्वीप को भी सेवा प्रदान की जा रही है)	44,110	44,253
7.	**मध्य प्रदेश** (इन्दौर टेलीफोन जिले सहित)	48,710	25,774
8.	**महाराष्ट्र** (बम्बई, नागपुर और पुणे टेलीफोन जिलों सहित) (गोवा को भी सेवा प्रदान की जा रही है)	317,010	2,16,060
9.	**उत्तर पूर्व** (असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और गुवाहाटी टेलीफोन जिले सहित)	28,770	9,445

1	2	3	4
10.	**उत्तर पश्चिम** (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित) (अमृतसर, चंडीगढ़, जालंधर और लुधियाना टेलीफोन जिलों सहित)	67,740	56,915
11.	**उड़ीसा**	23,680	10,635
12.	**राजस्थान** (जयपुर टेलीफोन जिले सहित)	52,880	31,384
13.	**तमिलनाडु** (कोयम्बतूर, मद्रास और मदुरै टेलीफोन जिलों सहित) (पांडिचेरी को भी सेवा प्रदान कर रहा है)	80,650	79,848
14.	**उत्तर प्रदेश** (आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी टेलीफोन जिलों सहित)	65,740	46,982
15.	**पश्चिम बंगाल** (कलकत्ता टेलीफोन जिले सहित)	90,210	38,702
16.	**दिल्ली** (दिल्ली टेलीफोन जिला) (दिल्ली संघ शासित क्षेत्र)	1,40,540	1,00,906
	कुल योग :	12,37,280	8,83,813

छठी पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों के सम्बन्ध में निर्धारित किए गए लक्ष्य

97. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों के सम्बन्ध में क्या उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गये थे; और

(ख) लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें कहां तक सफलता मिली है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में योजना के अन्त अर्थात 1984-85 तक 42 लाख टन नाइट्रोजन और 14 लाख टन पी2 ओ5 के उत्पादन की परिकल्पना की गई थी।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान उर्वरकों का वास्तविक उत्पादन 39.17 लाख टन नाइट्रोजन और 12.64 लाख टन पी2 ओ5 हुआ।

पटना के लिए दूरभाष सलाहकार समिति का गठन

98. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटना जिले के लिए एक दूरभाष सलाहकार समिति गठित की है और यदि हां, तो कब तथा उस समिति के कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं तो उस समिति के गठन में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, पटना टेलीफोन जिले के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन 19-7-1985 को दो वर्ष के लिए कर दिया गया है। इस समिति के कार्यकलापों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं जो सभा पटल पर रखा गया है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

टेलीफोन सलाहकार समिति के कार्य

1. टेलीफोन उपभोक्ताओं और दूरसंचार विभाग के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना।
2. जनता को यह विश्वास दिलाना कि उनकी शिकायतों को विधिवत उठाया जा रहा है तथा उन पर विचार किया जा रहा है।
3. स्थानीय और ट्रंक सेवाओं में सुधार लाने के लिए विभाग को सलाह देना।
4. टेलीफोन सेवाओं का विकास करने और उसमें सुधार लाने के लिए विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का प्रचार करना।
5. टेलीफोन उपस्कर और लाइनों की मौजूदा कमी को दूर करने के लिए जनता से सहयोग तथा धैर्य से विभाग की सहायता करना।
6. ओ० वाई० टी० और गैर ओ० वाई० टी० विशेष श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची के विभिन्न आवेदकों की तुलनात्मक योग्यता के संयुक्त मूल्यांकन के आधार पर नियमों के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार बिना बारी के कनेक्शन देने के लिये सही और उचित निर्णय लेने में विभाग की सहायता करना।

देश में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज

99. **श्री प्रकाश चन्द्र :**
श्री के० मोहन दास :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों/नगरों के नाम क्या हैं जहां पिछले दो वर्ष से इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों ने कार्य करना शुरू कर दिया है तथा राज्यवार उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1985-86 से इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज कार्य करना शुरू कर देंगे तथा उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में सभी राज्यों में ऐसे एक्सचेंज स्थापित करने की कोई योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पिछले दो वर्षों (अर्थात् 1983-84 और 1984-85) के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर इलेक्ट्रानिक स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंजों ने कार्य करना शुरू कर दिया था—

राज्य	स्थान/नगर
1. महाराष्ट्र	बंबई, मेहुनबाड़ी, पिंपलगांव, चाहसदी, खेडगांव, बहादरपुर, कुरहे
2. तमिलनाडु	मद्रास, मलानगिनार, कक्कीवाडमपेठ
3. पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
4. दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	दिल्ली
5. आंध्र प्रदेश	कुर्नूल
6. गुजरात	गांधीधाम, वेरावल
7. असम	डिब्रूगढ़
8. हरियाणा	सिरसा
9. उत्तर प्रदेश	उझानी, अलमोड़ा
10. केरल	चुमदा कुझी, पारूप्पारा
11. राजस्थान	बाधुल, रामपुर, बिदियाल, लालम, लाम्बा, नरसिंह, बिछून, भांडरेज, खर्छवा, मोजमेबाद, संथाल, खछमरिया, करनसार, बैरियां कलां, कारावा, लुनवा

(ख) 1985-86 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर इलेक्ट्रोनिक स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्य प्रारम्भ कर देने की संभावना है—

राज्य	स्थान/नगर
1	2
1. महाराष्ट्र	बंबई
2. तमिलाडु	मद्रास, कारूर
3. पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
4. दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	दिल्ली
5. आंध्र प्रदेश	हैदराबाद

1	2
6. गुजरात	अहमदाबाद, पोरबंदर, मेहरगांव, मेहसाना
7. असम	तिनसुकिया, जोरहाट
8. हरियाणा	गुड़गांव
9. पंजाब	पठानकोट, खन्ना
10. राजस्थान	श्रीगंगानगर, बेवाड़, पालीमाड़वार, अलवर
11. उत्तर प्रदेश	कानपुर
12. मणिपुर	इंफाल
13. बिहार	गया
14. जम्मू तथा कश्मीर	श्रीनगर
15. कर्नाटक	गुलबर्गा
16. केरल	चिंगनचेरी

इनके अतिरिक्त, 1985-86 के दौरान कुछ राज्यों में, 9 लाइनों के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू होने की सम्भावना है।

(ग) जी नहीं।

डेनमार्क की फर्म हाल्डर टोप्से द्वारा थाल वैशेट संयंत्र के लिए कार्यनिष्पादन गारंटी दिया जाना

100. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनमार्क की एक बहुराट्रीय उर्वरक परामर्श फर्म, हाल्डर टोप्से द्वारा सरकारी क्षेत्र संगठन पी० डी० आई० एल० (प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड) के केटालिस्ट्स को थाल वैशेट संयंत्र में प्रयुक्त किए जाने की स्थिति में इस संयंत्र के कार्य निष्पादन की गारंटी देने से मना कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पी० डी० आई० एल० ने कैटालिस्ट्स के क्षेत्र में एक स्वतंत्र प्रतियोगी के रूप में भारतीय मंडी पर नियंत्रण पा लिया है; और

(ग) क्या हाल्डर टोप्से फर्म द्वारा इंकार किये जाने से इस बहुराष्ट्रीय कंपनी के किसी विशिष्ट उद्देश्य का पता चलता है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ग) थाल वैशेट उर्वरक परियोजना के अमोनिया संयंत्र के लिए परामर्शी और सम्बद्ध सेवाओं हेतु मै० राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आर० सी० एफ०) और मै० हाल्डर टोप्सो के बीच हुये

करार के अनुसार निष्पादन गारंटी इस शर्त के साथ दी गई है कि अमोनिया संयंत्रों को परामर्श-दाता के केटालिस्टों अथवा उनके द्वारा अनुमोदित कैटेलिस्टों से सुसज्जित किया जाए। मै० हाल्डर टोप्सो ने पी० डी० आई० एल० द्वारा निर्मित केटेलिस्टों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी । तथापि, बातचीत के पश्चात् हल्डर टोप्सो पी० डी० आई० एल० के केटालिस्ट के सन्तोषप्रद निष्पादन की शर्त के साथ अमोनिया संयंत्र की द्वितीय स्ट्रीम की निष्पादन गारंटी देने हेतु सहमत हो गये जिसमें ज्यादातर कैटेलिस्ट पी० डी० आई० एल० के थे ।

(ख) गत वर्षों में पी० डी० आई० एल० के केटेलिस्टों के बाजार अंश में वृद्धि हुई है ।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायलय में न्यायाधीशों के रिक्त पद तथा लंबित मामलों का निपटाया जाना

101. **श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव :**
श्री बी० वी० देसाई :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंबित मामलों के यथाशीघ्र निपटान में सहायता प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय तथा अनेक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) पिछले एक वर्ष से अधिक अवधि से न्यायाधीशों के राज्य-वार कितने पद रिक्त पड़े हैं तथा उन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बी अवधि से बड़ी संख्या में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अन्य क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सदस्य संख्या में भी वृद्धि की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के सेन) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों के भरे जाने से संबंधित विषय पर, सरकार संबद्ध प्रशासनिक प्राधिकारियों के परामर्श से विचार कर रही है ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पदों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण-1 संलग्न है ।

(ग) लंबित मामलों को कम करने के लिए किये गये उपाय संलग्न विवरण-2 में दिए गये हैं। सरकार लंबित मामलों की समस्या को हल करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है ।

(घ) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में समय-समय पर वृद्धि की गई है। सरकार का विचार इसमें और भी वृद्धि करने का है।

विवरण-1

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	एक वर्ष से अधिक समय से न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	मुंबई	5
3.	गुजरात	2
4.	केरल	2
5.	मध्य प्रदेश	1
6.	मद्रास	6
7.	पंजाब और हरियाणा	5
		26

विवरण-2

लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदम

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों को कम करने के लिये हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं—

(1) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100क) ।

(2) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अधिनियमित की गई ।

(3) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश-संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31.12.1977 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई, इसमें मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित नहीं हैं ।

(4) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मार्च, 1977 में 351 से बढ़ाकर 1 जुलाई, 1985 को 424 कर दी गई है ।

(5) उच्चतम न्यायालय के नियमों का संशोधन करके रजिस्ट्रारों और चैंबर में न्यायाधीशों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे कि न्यायालय का समय छोटे प्रकीर्ण मामलों में नष्ट न हो ।

(6) उच्चतम न्यायालय ने भी निम्नलिखित उपाय किये हैं—

(i) कुछ मामलों को पूर्विकता दी जाती है।

(ii) प्रकीर्ण मामले प्रतिदिन सुनवाई के लिये रखे जाते हैं।

(iii) ऐसी रिट पिटशनों को जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है और 50 से लेकर 100 मामलों के बैच की सुनवाई के लिए एक साथ रखे जाते हैं।

(iv) ऐसे अन्य मामलों का भी जिनमें एक समान प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, समय-समय पर पता लगाकर उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बात का प्रयास किया जाता है कि ऐसे ग्रुपों का निपटारा शीघ्र हो जाए।

(v) उच्चतम न्यायालय के नियमों को 1966 में पुनरीक्षित किया गया और उसमें यह उपबंध किया गया था कि अभिलेखों का मुद्रण स्वयं उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। चूंकि उसमें भी काफी समय लग जाता था, अतः कुछ समय से न्यायालय ने जहां कहीं भी संभव होता है, अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करना और अपील की सुनवाई विशेष इजाजत पेपर बुक पर ही करना आरम्भ कर दिया है, परन्तु वह ऐसा तब करता है जब दोनों पक्षकार अपने शपथपत्र और प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर देते हैं।

(7) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं—

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियम करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

(8) सरकार ने उन राज्यों के जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लम्बित हैं, मुख्य मंत्रियों को और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को भी लिखा है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविधान के अनुच्छेद 224-क के अधीन नियुक्ति पर विचार किया जाए।

(9) विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा की गई है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है, इसलिए, वे सिफारिशें, संघ सरकार के विचारों सहित, उनको भेज दी गई

हैं और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(10) सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की नियुक्ति भी की है। विधि आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित हैं—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(i) इस आधारभूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्चे पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलंब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए;

(ii) तकनीकी शारीकियों और विलंबकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में में कार्य करे; और

(iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए;

न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केंद्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धार्थताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

(11) सरकार ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के बकाया की समस्या की समीक्षा करने के लिए और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए 3 मुख्य न्यायमूर्तियों की एक अनौपचारिक समिति गठित की है।

नागपुर, महाराष्ट्र में डीजल की कमी

102. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले में डीजल की कमी है और उपभोक्ताओं को डीजल प्राप्त कराने में बहुत कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में तेल कम्पनियों से बात की है;

(ग) यदि हां, तो डीजल की कम सप्लाई होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने नागपुर, महाराष्ट्र में डीजल की कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जून, 1985 के दौरान महाराष्ट्र के नागपुर जिले में डीजल की कमी की कुछ छुट-पुट खबरें मिली हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) इसमें हुई कमी का कारण भारी वर्षा तथा रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के कारण बम्बई से रेल के आवागमन में रुकावटों के आने के परिणामस्वरूप डिपो के भण्डारों को भरने में देरी होना था।

(घ) तेल कम्पनियों को बम्बई और कोयाली से सड़क द्वारा सम्भव मात्रा तक उत्पाद को भेज कर मांगों को पूरी करने की सलाह दी गई है। इस कार्यवाही से तथा रेल लोडिंग में सुधार आने से स्थिति में सुधार हुआ है। तेल कम्पनियां कमी की अवधि में नागपुर तथा अन्य देहाती क्षेत्रों में डिपुओं को पूरा करने के लिए योजनाएं बना रही हैं।

भारतीय सीमेंट निगम के अधीनस्थ सीमेंट संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि करना

103. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय सीमेंट निगम के वर्तमान संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश में सीमेण्ट की आवश्यकताओं को किस सीमा तक पूरा किया जा सकेगा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के विद्यमान संयंत्रों की विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता, प्री-केल्सीनेटर को लागू करके बढ़ाई गई स्वीकृत क्षमता, आवेदन किये गए विस्तार और विस्तार विषयक प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति सम्बन्धी ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	विद्यमान संयंत्र का स्थापना स्थल	विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता	प्री-केल्सीनेटर लागू करके स्वीकृति प्राप्त कर बढ़ायी गई क्षमता	प्रस्तावित विस्तार (लाख मी० टन प्रति वर्ष)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	नया गांव संयंत्र (म० प्र०)	4.00	प्रथम अवस्था 1.00	10.00	सरकार द्वारा विस्तार की स्वीकृति दे दी गई
2.	येरागुंतला संयंत्र (अ० प्र०)	4.00	1.00	10.00	-वही-
3.	अकलतरा संयंत्र (म० प्र०)	4.00	प्रथम अवस्था 1.00	—	—
4.	मंधार संयंत्र (म० प्र०)	3.80	—	2.00	विस्तार के संबंध में सरकार द्वारा अभी स्वीकृति दी जानी है
5.	कुरकुन्ता संयंत्र (कर्नाटक)	2.00	—	6.70	-वही-
6.	बोकाजन संयंत्र (असम)	2.00	—	2.00	-वही-
7.	राजवद संयंत्र (हि० प्र०)	2.00	—	2.00	-वही-
8.	आदिलाबाद संयंत्र (अ० प्र०)	4.00	—	2.50	-वही-

(ग) कारपोरेशन के विद्यमान संयंत्रों के होने वाले प्रस्तावित विस्तार से कुछ सीमा तक सीमेंट की मांग पूरी हो जाएगी।

चीन द्वारा पाकिस्तान को एस० ए०-27 प्रक्षेपास्त्र की बैटरी की सप्लाई

104. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने हाल ही में पाकिस्तान को एस० ए०-27 प्रक्षेपास्त्र की बैटरी सप्लाई की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान को पहले भी इस प्रकार की बैटरियां सप्लाई की गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की इस सौदे पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में कुछ रिपोर्टें देखी हैं लेकिन चीन द्वारा हाल में या पहले, इस प्रकार के मिसाइलों की पाकिस्तान को सप्लाई किये जाने के संबंध में कोई पक्की सूचना नहीं है।

(ग) सरकार उन सभी गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखती है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है ताकि पूर्ण रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जा सकें।

क्षय रोग-निरोधक औषधियों का अभाव

105. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री बी० एन० रेड्डी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि एक महत्वपूर्ण क्षयरोग निरोधक औषधि "रिफेम्पीसिन" का भारी अभाव है जिसके कारण इसका मूल्य 50 से 60 प्रतिशत बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने क्षयरोग निरोधक औषधियों के निर्माताओं से इस मामले में बातचीत की है; और

(ग) देश में क्षयरोग निरोधक औषधियों का अभाव कब तक दूर हो जाएगा ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) यह मन्त्रालय राज्य औषध नियंत्रकों, केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन से प्राप्त रिपोर्टों तथा जनता से प्राप्त शिकायतों के आधार पर आवश्यक तथा जीवन रक्षक दवाइयों की बाजार में उपलब्धता की देखरेख करता है।

रिफैम्पसिन फार्मूलेशन की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।

1985-86 की आयात और निर्यात नीति के अधीन खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत

रिफेम्पिसिन प्रपुन्ज औषध के आयात की अनुमति दी जाती है और रिफेम्पिसिन फार्मूलेशनों के उत्पादक उपरोक्त नीति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इस प्रपुंज औषध का आयात कर रहे हैं।

कुछ आवश्यक और सार्वजनिक खपत की बल्क औषधों के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त किया जाना

106. **कुमारी पुष्पा देवी :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ आवश्यक और सार्वजनिक खपत की बल्क औषधों के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की आवश्यक औषधों के नाम और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) इन औषधों के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने के क्या कारण हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) गैर-फेरा, गैर एम० आर० टी० पी० कम्पनियों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा वृद्धि, निवेश एवं आवश्यक/अधिकाधिक उपयोग की प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों के वातावरण को सुधारने के लिए मार्च, 1985 में 12 प्रपुन्ज औषधों/औषध मध्यवर्तियों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया और 82 प्रपुंज औषधों एवं सम्बद्ध फार्मूलेशनों को जून, 1985 में लाइसेंस-मुक्त किया गया। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मार्च, 1985 में लाइसेंस मुक्त किए गए प्रपुन्ज औषध/औषध मध्यवर्ती

क्र० सं०	बल्क ड्रग्स/औषध मध्यवर्ती का नाम
1.	रिफाम्पीसिन
2.	डेपसोन
3.	ग्लोफेजिमाइन
4.	प्रिमाक्वीन
5.	ई० एम० एम० ई० (ईथोक्सी मिथाइलीन मेलोनिक ईस्टर)
6.	नोवालडियामाइन
7.	इन्सुलिन
8.	एन्टी-केन्सर ड्रग्स
9.	विटामिन बी 6
10.	नोरगिस्ट्रोल
11.	पिपराजाइन
12.	स्वदेशी अनुसन्धान से विकसित किए गए नए प्रपुंज औषध।

जून, 1985 में लाइसेंस मुक्त किए गए प्रपुन्ज औषध/मध्यवर्ती

1. एसपरिन
2. डिगोक्सिन
3. साइड्रोक्लोरोथिजाइड
4. आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड
5. थियासिटाजोन
6. टालबुटामाइड
7. पी० ए० एस० एसिड
8. पी० ए० एस० सोडियम
9. केलसियम बी० पी० ए० एस०
10. केलसियम पी० ए० एस०
11. क्लोरमफेनिकोल
12. अमोडियाक्वीन
13. क्लोरोक्वीन
14. डाइथाइल कार्बामाजाइन सिट्रेट
15. फ्रूसेमाइड़
16. ग्लाइसिरिल ट्राइनाइट्रेट
17. पेथेलाइल सल्फाथियाजोल
18. प्रेडनीसोलोन
19. ईथर एनेस्थेटिक्स
20. हेलोथेन
21. थियोपेन्टल
22. लिडोकाइन
23. प्रोकेन
24. निट्रस आक्साइड
26. इब्यूप्रोफिन
26. क्लोरफेनिरेमाइन
27. इक्वेफिरिन
28. मेवेन्डाजोल

29. बिफेनियम हाइड्रोक्सी नेफथोऐट
30. मेट्रानिडाजोल
31. एम्पोसिलिन
32. सल्फामेथोक्साजोल
33. ट्राइमेथोप्रिम
34. एरिथ्रोमाइसिन
35. इथम्बुटोल
36. पाइरेजिनामाइड
37. ग्रीसियोफुलविन
38. हाइड्रोक्सी कोबालामाइन/साइनोकोबालामाइन
39. डेक्सट्रान
40. आइसोरवाइड डिनाइट्रेट
41. प्रोप्रानोलोल
42. वीरापामिल
43. हाइड्रेलाजाइन
44. मिथाइल डोपा
45. नियोमाइसिन
46. वेसीट्रेसिन
47. वेटामेथाजोन
48. वेन्जाइन वेन्जोएट
49. सल्फासिटामाइड
50. पिलोकारपाइन
51. होमाट्रोपाइन
52. क्लोरहेक्सीडाइन
53. सिट्रामाइड
54. पेराक्लोरोमेटाजाइलीनोल
55. प्रोमेथाजाइन
56. डेक्सामेथाजोन
57. इथिनाइल ओस्ट्राडियल

58. नोराथिस्टीरोन
59. ग्लाइनक्लेमाइड
60. क्लोरप्रोपागाइड
61. नियोस्टीगमा
62. सक्सामेथोमियम (सक्सीनाइल कोलाइन क्लोराइड)
63. इरगोमेट्रिन/मिथाइल एरगोमेट्रिन
64. ओक्सीटोक्सिन
65. अमीं ट िन
66. इमीप्रामाइन
67. ट्रिलियोपिराजाइन
68. अकीनोफिलाइन/थियोफिलाइन
69. सालबुटामोल
70. इफीड्रिन
71. विटामिन ए
72. विटामिन डी
73. विटामिन सी
74. पेन्टोथिनेटस
75. फेरस साल्ट्स
76. क्लोरोमेक्जाइन
77. आइड्रोक्सीनाइल थियोफाइलिन
78. डोक्सासाइक्लीन
79. डाएजोपाम
80. सिफालेक्सिन
81. सिफाडाइन
82. सिफालोरिडाइन

सातवीं योजना में तेल क्षेत्र में वित्तीय परिव्यय और वास्तविक लक्ष्य

107. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम क्षेत्र को छठी योजना की तुलना में सातवीं योजना से कम प्राथमिकता दी जा रही है;

(ख) सातवीं योजना में तेल क्षेत्र का वित्तीय परिव्यय और वास्तविक लक्ष्य कितना है;

(ग) उनके मन्त्रालय द्वारा सातवीं योजना में प्रस्तावित अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि का अनुमान लगाया है; और

(घ) उक्त योजना में क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना को सरकार तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा अभी तक अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए, पेट्रोलियम मन्त्रालय ने लगभग 34078 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की है।

(घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए योजना के ब्यौरों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सहायक क्षेत्र का स्वदेशीकरण

108. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक क्षेत्र का तेजी से स्वदेशीकरण किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो गतिरोध को दूर करने तथा सहायक क्षेत्र के स्वदेशीकरण के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) विभिन्न ऐसे इन्जीनियरी एसेम्बली प्रधान परियोजनाओं में, जहां सहायक उद्योगीकरण की गुंजाइश है, अपेक्षित आयातित उपकरणों और सामग्री के स्थापना स्थान पर स्वदेशी उपकरणों और सामग्री का इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में बल देना सरकार की नीति है। ऐसी परियोजनाओं में, अलग-अलग उद्योगों के लिए स्वीकृत चरणबद्ध उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से अन्तिम उत्पादों में उपयोग करने के लिए स्वदेशी उपकरणों और सामग्रियों का धीरे-धीरे शामिल करने से प्रभाव पड़ता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत, विभिन्न उत्पादों में से आयातित अन्तर्वस्तु का चरणबद्ध ढंग से उपयोग न करके उनके स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है। किन्तु, समय की सीमा, जिसके अन्तर्गत ऐसे स्वदेशीकरण को पूरा किया जाना है, विशिष्ट उत्पादों के विनिर्माण में निहित प्रौद्योगिकी पर आधारित होता है। अतः यह समय सीमा प्रत्येक उत्पाद के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न होगी और तदनुसार ही उसका ब्यौरा तैयार किया जाता है।

पंजाब और असम में निर्वाचन कराना

109. **श्री चित्त महाता** : क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब में लोक सभा तथा विधान सभा निर्वाचन और असम में लोक सभा निर्वाचन कराने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि असम में निर्वाचन कराने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब राज्य में निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया, जो अभी चल रही है, पूरी हो जाए। जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि सरकार ने राज्य में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर उस वर्तमान संवैधानिक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसके अधीन निर्वाचन कराये जाने हैं और 5 अक्तूबर, 1985 से पूर्व नए मंत्रिमण्डल को शपथ दिलाई जानी है और यह भी जानकारी मांगी है कि क्या विधानमंडल और लोक सभा, दोनों के निर्वाचनों को शांतिपूर्वक और व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए राज्य में विधि और व्यवस्था की स्थिति अनुकूल है। आयोग ने इस विषय को केन्द्र सरकार के समक्ष रखा है जिसमें निर्वाचन कराये जाने के लिए किए जाने वाले उपायों और निर्वाचन कराने पर उनके प्रभाव के बारे में जानकारी मांगी है। इस मामले की जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में "हिन्दुस्तान मशीन टूल्स" की फैक्टरी का घाटे पर चलना

110. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** :
श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में "हिन्दुस्तान मशीन टूल्स" की फैक्टरी, अपनी स्थापना के समय से ही घाटे पर चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना के समय से हुई हानियों का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) इन हानियों के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) रानीबाग स्थित एच० एम० टी० घड़ी कारखाना एक नया संयंत्र है जिसमें कार्यक्रम के अनुसार लगभग मार्च, 1985 में ही उत्पादन प्रारम्भ हुआ। 1987-88 तक इसके लाभ-हानि रहित स्तर तक पहुंचने का कार्यक्रम है।

बूथ पर कब्जा किए जाने की बाबत अधिरोपित की जाने वाली शक्ति के संबंध में निर्वाचन आयोग की सिफारिशें

111. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा उस अभ्यर्थी/दल पर, जो मतदान के समय बलपूर्वक बूथ पर कब्जा करने का प्रयत्न करता है अथवा कब्जा किया है, शास्ति अधिरोपित करने के लिए कोई सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस बाबत क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें बूथ पर कब्जा किए जाने को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा किए गये प्रस्तावों का ब्यौरा दिया गया है ।

(ग) आयोग द्वारा किए गये प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

विवरण

बूथ पर कब्जा किए जाने को रोकने के उपाय :

(i) यदि आयोग द्वारा जांच की जाने के पश्चात् यह सिद्ध हो जाता है कि कुछ मतदान केन्द्रों के बूथों पर कब्जा किया गया है तो आयोग को सम्पूर्ण निर्वाचन-क्षेत्र में हुये निर्वाचन को शून्य घोषित करने और वहां नए सिरे से मतदान कराने के आदेश देने की शक्ति होनी चाहिए ।

(ii) बूथ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा करने के लिए जिम्मेदार पाए गए अभ्यर्थियों को अगले छह वर्ष के लिए निर्वाचन लड़ने से निरर्हित कर दिया जाना चाहिए । आयोग को ऐसे व्यक्तियों को, किसी न्यायालय को निर्देश के बिना, निरर्हित करने की शक्ति होनी चाहिए जिससे कि तुरन्त कार्रवाई की जा सके और दोषी अभ्यर्थियों को, निर्वाचनों के पूरा होने के पूर्व ही, निरर्हित किया जा सके ।

(iii) बूथ पर कब्जा करना संज्ञेय अपराध होना चाहिए और ऐसे अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं पर, जो ऐसे किसी अपराध से सम्बद्ध हैं या उसका दुष्प्रेरण करते हैं, कठोर शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए ।

(iv) यदि बूथ पर कब्जा किए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो, ऐसे अभिकथनों की, आयोग द्वारा ऐसे अभिकरण के माध्यम से जांच की जानी चाहिए जैसा आयोग उचित समझे और यदि शिकायत सिद्ध हो जाती है तो सम्पूर्ण निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान को शून्य घोषित कर दिया जाना चाहिए और नए सिरे से मतदान कराए जाने के आदेश दिए जाने चाहिए । अपराध के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए । जांच लम्बित रहने तक, मतगणना और परिणाम की घोषणा रोक दी जानी चाहिए ।

(v) यदि यह पाया जाता है कि रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर या ऐसे अन्य अधिकारियों ने, जो मतदान के संचालन से सम्बद्ध हैं, अपराध में दुष्प्रेरण किया है तो

आयोग को ऐसे अपचारी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन आरम्भ करने की शक्ति होनी चाहिए।

(vi) ऐसे अभ्यर्थियों को, जिनके विरुद्ध डकैती आदि जैसे बल प्रयोग वाले या हिंसात्मक अपराध सिद्ध हो चुके हैं, निर्वाचन लड़ने से निरर्हित और विधि को उपयुक्त रूप से संशोधित कर दिया जाना चाहिए। किन्तु ऐसे संशोधनों के लिए राजनैतिक दलों से पूर्व परामर्श करना भी आवश्यक है जिससे कि इन उपबंधों का दुरुपयोग न किया जा सके।

कोचीन में एक सुरभित परिसर (एरोमैटिक काम्पलैक्स) स्थापित करना

112. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में एक सुरभित परिसर (ऐरोमैटिक काम्पलैक्स) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि स्थापित किए जाने वाले परिसर के आकार (साइज) के बारे में अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में फैसला कब तक कर लिए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या वर्तमान प्रस्ताव केवल बेन्जीन का अर्क निकालने का है;

(ङ) क्या उक्त परिसर से टालुइन और जाइलोन्स जैसे अन्स पदार्थ भी निकाले जायेंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (च) कोचीन में 87,200 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष बेंजीन के उत्पादन की सुविधाओं सहित एटोमेटिक्स संयंत्र लगाने के लिए मैसर्स कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड को अनुमति दी गई है। इस समय कोचीन में टोल्युइन और/या जाइलीन के उत्पादन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में आयुध कारखाने की स्थापना करना

113. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक आयुध कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) इस समय केरल में आयुध कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में "नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन" के विस्तार स्कन्ध की स्थापना

114. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने मन्त्रालय से "नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन" के विस्तार स्कन्ध की केरल में स्थापना करने का निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में "भेल" की इकाई

115. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की केरल में कोई इकाई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केरल में ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर आदि बनाने के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की इकाइयां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुर्दे के रोगियों के लिए जीवन रक्षक औषधियों की कमी

116. **मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि देश में गुरदे के रोगियों के लिए जीवन रक्षक औषधियों की भारी कमी है और इन औषधियों की कीमतें बहुत अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) यह मन्त्रालय राज्य औषध नियन्त्रकों, केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन से प्राप्त रिपोर्टों तथा जनता से प्राप्त शिकायतों के आधार पर बाजार में आवश्यक तथा जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता की देखरेख करता है । यद्यपि, मैसर्स वेलकम फाउण्डेशन, यू० के० द्वारा उत्पादित गुर्दे के मरीजों की दवा इमुरन गोलियों की स्थानीय कमी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इमुरन गोलियों के प्राधिकृत स्टाकिस्ट्स ने सूचित किया है कि उनके पास पर्याप्त भण्डार है । उन्हें सलाह दी जा रही है कि जिन क्षेत्रों से कमी की सूचना मिली है वहां स्टाक शीघ्रता से भेजें ।

सुपर बाजार, नई दिल्ली की एजेंसी के माध्यम से इन गोलियों का आयात करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

[हिन्दी]

प्रमुख नगरों में नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

117. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रमुख नगरों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए वर्ष 1982 से कितने लोग प्रतीक्षा सूचियों में हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतीक्षा सूची में आए सभी लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक और इस सम्बन्ध में कार्यवाही कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अप्रैल, 1982 से देश के बड़े शहरों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां। इन शहरों में 1-4-85 तक की प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को सातवीं योजना के दौरान उत्तरोत्तर टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रस्ताव है बशर्ते कि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सकें।

(ग) मौजूदा प्रतीक्षा सूची के सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए जहां कहीं व्यवहार्य हो वहां मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने तथा नए एक्सचेंज खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। स्विचन उपस्करों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। फिर भी, उक्त सभी कार्यक्रम सातवीं योजना में विभाग को दी जाने वाली धनराशि पर निर्भर होंगे।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	शहर का नाम	प्रतीक्षा सूची			
		1-4-82 को	1-4-83 को	1-4-84 को	1-4-85 को
1	2	3	4	5	6
1.	बम्बई	1,52,904	1,57,019	1,63,841	1,66,153
2.	कलकत्ता	26,992	27,858	29,615	25,550
3.	दिल्ली	89,762	1,08,065	1,11,873	1,31,862
4.	मद्रास	21,000	27,451	33,570	33,242
5.	अहमदाबाद	20,546	24,376	28,076	27,473

1 2	3	4	5	6
6. बेंगलूर	10,046	12,803	18,786	20,759
7. हैदराबाद	15,488	21,579	28,575	31,661
8. कानपुर	5,118	4,194	5,013	7,343
9. पुणे	10,326	12,264	16,656	18,968
10. चण्डीगढ़	7,018	4,838	6,374	8,973
11. जयपुर	8,956	6,071	7,811	8,283
12. लखनऊ	2,219	2,581	1,598	1,579
13. पटना	2,060	1,922	2,824	3,211
14. त्रिवेन्द्रम	2,784	3,258	4,646	3,931

भारतीय वायुसेना में मिराज-2000 लड़ाकू विमानों को शामिल करना

118. **श्री आर० एस० भोये :**
प्रो० के० के० तिवारी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस से हाल ही में पहली खेप में प्राप्त हुए नवीनतम माडल के मिराज-2000 विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्षमता, उपयोग के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है तथा उन पर कितना व्यय होने की सम्भावना है;

(ग) शेष अनुबंधित विमान कब तक भेजे जाएंगे; और

(घ) क्या अन्य साधनों से मिग-29 लाड़ाकू जैसे विमान भी खरीदे जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मिराज-2000 विमान एक समकालीन बहुउद्देशीय विमान है जिसे हवाई सुरक्षा और हवाई हमले दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है । इस संबंध में और ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा ।

(घ) अन्य स्रोतों से उन्नत तकनालाजी वाला विमान प्राप्त करने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

[अनुवाद]

वस्त्रों के लघु उत्पादकों को प्रोत्साहन

119. **श्री अनंत प्रसाद सेठी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में औद्योगिक विभाग के पास पंजीकृत लघु एककों को वस्त्रों के अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य में सिलेसिलाए वस्त्र बनाने वाले कितने लघु एकक हैं; और

(ग) उड़ीसा राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में कुल लगभग कितने व्यक्ति रोजगार करते हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां, सरकार लघु एककों को और अधिक वस्त्रों का उत्पादन करने के लिए सभी सम्भव प्रोत्साहन दिये हैं। इस प्रयोजन के लिए, "सिलेसिलाए वस्त्र" मद को एकमात्र लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिये ही आरक्षित किया गया है।

(ख) और (ग) जैसा कि उड़ीसा सरकार द्वारा सितम्बर, 1984 में सूचित किया गया था, सिलेसिलाये वस्त्रों के 12 कारखाने हैं जहां 291 व्यक्ति रोजगार पर लगे हुए हैं । उड़ीसा में औद्योगिक क्षेत्र में कुल रोजगार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

तेल की खुदाई के लिए रिग और प्लेटफार्मों के निर्माण हेतु गार्डन रीच शिपयार्ड वर्कशाप की क्षमता का उपयोग

120. **श्री अमल दत्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डन रीच शिपयार्ड वर्कशाप में तेल की खुदाई के लिए रिगों और प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए आवश्यक क्षमता और विशेषज्ञता है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उक्त क्षमता का उचित उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त उपयोग का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में राजनैतिक दलों के लिए आचार संहिता सम्मिलित करना

121. **श्री अमल दत्त** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने सरकार से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के कुछ उपबंध सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) वे मदें जिनके संबंध में आयोग विधान बनाना चाहता है;

(ग) आयोग से सरकार को उक्त संसूचना कब प्राप्त हुई;

(घ) इन विषयों पर सरकार का क्या विचार है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए विधायी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) निर्वाचन आयोग के प्रस्तावों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) निर्वाचन आयोग द्वारा सितम्बर, 1982 में भेजे गये प्रस्ताव-समूह में ऐसे ही प्रस्ताव सम्मिलित थे। निर्वाचन आयोग ने तारीख 1-९-1985 के अपने पत्र में इन्हीं प्रस्तावों को दोहराया है।

(घ) और (ङ) प्रस्ताव विचाराधीन हैं। सरकार का विचार है कि इस संबंध में आरंभिक कार्रवाई करने के पश्चात् अंतिम विनिश्चय करने से पूर्व वह राजनैतिक दलों से परामर्श करेगी।

विवरण

(i) (क) मंत्री अपनी सरकारी यात्रा को निर्वाचन प्रचार संबंधी कार्य से नहीं जोड़ेंगे और न ही निर्वाचन प्रचार के दौरान सरकारी तंत्र या कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करेंगे।

(ख) सत्तारूढ़ दल के हित को अग्रसर करने के लिए सरकारी यानों, तंत्र और कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ii) मैदानों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर निर्वाचन सभाएं करने के लिए सत्तारूढ़ दल का एकाधिकार नहीं होगा। अन्य दलों और अभ्यर्थियों को भी ऐसे स्थानों का उपयोग उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर करने दिया जाएगा, जिन पर सत्तारूढ़ दल उनका उपयोग करता है।

(iii) विश्राम गृहों डाक बंगलों या अन्य सरकारी वास-सुविधा का अन्य दलों या अभ्यर्थियों को उचित रीति से उपयोग करने दिया जाएगा।

(iv) निर्वाचन-काल के दौरान समाचार-पत्रों और अन्य माध्यम में, सत्तारूढ़ दल की सम्भावनाओं को अग्रसर करने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियों का सरकारी खर्च पर विज्ञापन कराने से यथासम्भव बचा जाए।

(v) आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा कर दी जाने के समय से, मन्त्री और अन्य प्राधिकारी वैवेकिक निधि में से अनुदान/संदाय मंजूर नहीं करेंगे।

(vi) आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा कर दी जाने के समय से, मन्त्री और अन्य प्राधिकारी, सड़कों के निर्माण, पेय-जल सुविधाओं की व्यवस्था, आदि जैसे आश्वासन, जो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मतदाताओं पर असर डालते हों, निर्वाचकों को नहीं देंगे।

औषधियों के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करना

122. **श्री सिद्ध लाल मुरमू** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को औषधियों के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने के सम्बन्ध में 26 जून, 1985 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार की जानकारी है,

(ख) क्या सरकार के पास औषध उद्योग में लघु इकाइयों की उत्पादन क्षमता के बारे में पूरे आंकड़े हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार किस आधार पर यह मानने से इन्कार करती है कि लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने के हाल ही के उसके निर्णय से लघु इकाइयों को नुकसान नहीं होगा।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि लघु उद्योग क्षेत्र के सैकड़ों औषध उत्पादन एकक हैं तथा उनके लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है, अतः उनकी उत्पादन क्षमता पर पूर्ण आंकड़े प्राप्त करना कठिन है।

(ग) चूंकि लाइसेंस रद्द करने की योजना का उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित न की गई वस्तुओं के सम्बन्ध में गैर-फेरा एवं गैर-एम० आई० टी० पी० कम्पनियों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल करना है, अतः यह लघु उद्योग क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है।

लघु एककों में वल्क औषधियों का उत्पादन

123. **श्री सिद्ध लाल मूरमू** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु एककों द्वारा बनाई जाने वाली वल्क औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनकी वर्षवार क्षमता और उत्पादन कितना रहा; और

(ग) क्या आशय पत्र जारी करते समय इन क्षमताओं को दृष्टि में रखा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में क्षमता को ध्यान में रखा गया और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) मेरा मन्त्रालय संगठित क्षेत्र में 87 प्रपुंज औषधों के उत्पादन की देख-रेख करता है। इसका विस्तार लघु उद्योग एककों में करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि हजारों लघु उद्योग औषध एकक हैं और उन्हें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने से छूट प्राप्त है, इसलिए लघु उद्योग क्षेत्र में क्षमताओं का ठीक अन्दाज लगाना कठिन है। गुण-दोष के आधार पर, मदों को समय-समय पर लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा के जनजाति तथा पिछड़े जिलों में दूरसंचार तथा डाक सुविधायें

124. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा छठी योजनावधि के दौरान दूरसंचार तथा डाक सेवाओं के विकास के लिए उड़ीसा राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा वहां के महाप्रबन्धक टेलीफोन तथा पोस्टमास्टर जनरल सर्किल द्वारा क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं;

(ख) महाप्रबन्धक टेलीफोन तथा पोस्टमास्टर जनरल सर्किल द्वारा क्या योजनायें और कार्यक्रम तैयार किए गए हैं तथा उनके मंत्रालय को सातवीं योजना के लिए प्रस्तुत किये गए हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा छठी योजना के नियतन में से छठी योजना के दौरान उड़ीसा के जनजाति तथा पिछड़े जिलों में दूरसंचार तथा डाक सेवाओं में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं तथा उसकी क्या-क्या योजनायें हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा सर्किल को मुख्य कार्यों के लिए छठी योजना के दौरान 20.41 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। दूरसंचार सर्किल ने छठी योजना के दौरान 4 विभागीय तारघर, 380 लंबी दूरी के संयुक्त डाक तारघर और 101 नए एम० ए० एक्सचेंज 111 खोले और पांच मैनुअल एक्सचेंजों को स्वचल बनाया तथा स्थानीय स्विचन क्षमता में 12,625 लाइनों में वृद्धि की गई और 10,656 सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान की गईं।

(ख) उड़ीसा दूरसंचार सर्किल द्वारा सातवीं योजना अवधि के दौरान स्थानीय स्विचन उपस्कर की 31,600 लाइनों तथा टेलेक्स उपस्कर की 250 लाइनें संस्थापित करने का प्रस्ताव है। कटक में 4000 लाइनों के डिजीटल टी० ए० एक्स उपस्कर की भी योजना बनाई गई है। सातवीं योजना अवधि के दौरान कि लम्बी दूरी के 2250 सार्वजनिक टेलीफोन घर और 2287 तारघर खोले जाने का प्रस्ताव है। सर्किल ने बाह्य संयंत्र की सुरक्षा के लिए 75 कि० मी० तक डक्ट बिछाने का प्रस्ताव रखा है। ये लक्ष्य के ही एक भाग हैं जिस पर 13,000 करोड़ रुपये व्यय का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों पर ही विचार किया जा रहा है। इन प्रस्तावों पर हो रही चर्चा की प्रारंभिक स्थिति से स्पष्ट है कि इस सीमा तक साधन उपलब्ध नहीं हो पाएगा और इसमें पर्याप्त कमी होगी।

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य के पिछड़े तथा जनजातीय इलाकों में प्रदान की गई दूरसंचार सुविधाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(एक) लम्बी दूरी के (296) सार्वजनिक टेलीफोन घर 54 नए एम० ए० एक्स—III एक्सचेंज तथा एक डी० टी० ओ० खोला गया।

(दो) 3 मैनुअल एक्सचेंजों को स्वचल बनाया गया।

(तीन) 5656 सीधा एक्सचेंज लाइन प्रदान करने के एक्सचेंजों की स्थानीय स्विचन क्षमता में 6765 लाइनों की वृद्धि की गई है।

डाक

(क) उड़ीसा सर्किल में छठी योजना अवधि के दौरान डाक सेवाओं के विस्तार के लिए 62 लाख रुपये प्रदान किए गए थे। छठी योजना के दौरान प्राप्त योजना लक्ष्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(एक) खोले गए डाकघर	—	377
(दो) ग्रामीण वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए नियुक्त किए गए अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेन्ट		570
(तीन) संस्थापित लेटर बाक्स		797
(चार) ग्रामों में प्रदान की गई काउंटर सेवाएं		486

(ख) डाक विभाग की सातवीं योजना के बारे में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है। वर्षवार वार्षिक योजनाओं की योजना आयोग द्वारा मंजूरी प्रदान किए जाने के पश्चात्, डाक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। 1985-86 के दौरान 92 डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है जिसमें से 52 डाकघर पिछड़े इलाकों में खोले जाएंगे बशर्ते कि मितव्ययिता के लिए नए पदों पर लगी रोक हटा ली जाए।

(ग) छठी योजना के दौरान उड़ीसा के जनजाति तथा पिछड़े इलाकों में आबंटित निधि से डाक के क्षेत्र में किए गए विकास का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(एक) खोले गए डाकघर	258
(दो) ग्रामीण वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए नियुक्त अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट	354
(तीन) संस्थापित लेटर बाक्स	396
(चार) ग्रामों में प्रदान की गई काउंटर सेवा	197.

उड़ीसा के कोरापुट जिले में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

125. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले में दूरसंचार मण्डल द्वारा वर्ष 1984-86 के दौरान लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्दों को किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा;

(ख) रायगढ़ा को गुणुपुर उपमंडलीय मुख्यालय से सीधी लाइन द्वारा जोड़ने में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) खण्ड मुख्यालय सिंचाई परियोजना आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर लम्बी दूरी के

सार्वजनिक टेलीफोन तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं तथा उसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं; और

(घ) उस जिले के भिन्न विकासीय पहलुओं के लिए कौन-कौन-सी योजनायें स्वीकृत की गई; जिन पर कार्य चल रहा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कोरापुट जिले के निम्नलिखित 15 स्थानों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना है :—

1. हाटीबाड़ा	2. पाडवा
3. रामनागुडा	4. बन्धुगांव
5. जगन्नाथपुर	6. कातिकी
7. उमेरी	8. कुमुलीपुट
9. अलमांदा	10 गुनेईपाड़ा
11. घोनार	12. दुर्गी
13. सासाहांडी	14. चुराहांडी
15. सन्तोषपुर	

(ख) गुनुपुर को रामगडा के जरिए कोरापुट से जोड़ने के प्राक्कलन की मंजूरी दे दी गई है। यह कार्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया जाना है बशर्ते कि लाइन संबंधी स्टोर उपलब्ध हो सके।

(ग) 40 ब्लाक मुख्यालयों में से 6 ब्लाक मुख्यालयों में दूरसंचार सुविधाएं अभी प्रदान की जानी हैं। इन स्थानों के लिए रेडियो प्रणाली की योजना तैयार की गई है। इंद्रावती और अपर कोलाबा जैसी महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के लिए दूरसंचार सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। ऐसी ही अन्य परियोजनाओं के लिए दूरसंचार सुविधाएं उत्तरोत्तर प्रदान की जा रही हैं।

(घ) कोरापुट जिले के विभिन्न विकासीय पहलुओं के लिए निम्नलिखित योजनाएं स्वीकृत की गई हैं :—

I. जैपुर (के) कोरापुट और रायगड़ा (के) में मौजूदा मैनुअल एक्सचेंजों के बदले स्वचल टेलीफोन एक्सचेंजों की योजनाओं को मंजूरी दी गई है जिसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग की भी व्यवस्था है।

II. (1) कोरापुट (2) मलकानगिरि (3) नवरंगपुर में बेस स्थापित करते हुए एम० ए० आर० आर० प्रणालियां तथा दामनजोड़ी में टेलेक्स प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है।

III. जैपुर-कोरापुर-विशाखापट्टनम के बीच माइक्रोवेव प्रणाली संस्थापना की जा रही है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा अवैध व्यापार की जांच

126. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में 'प्रोब इन टू अन-फेयर लाटरीगेम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने देश में अनेक कंपनियों द्वारा आयोजित लाटरी प्रतियोगिताओं और भाग्य का खेल जैसे अवैध व्यापार की जांच शुरू कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने जांच शुरू की है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) हां, श्रीमान् जी ।

(ग) अपेक्षित ब्यौरों को सम्मिलित करता हुआ विवरण-पत्र सभापटल पर रखा गया है । [ग्रथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1136/85]

मानव चालित टाईपराइटरों का मूल्य

127. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय मानव चालित टाईपराइटरों का निर्माण करने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन टाईपराइटरों के निर्माताओं ने अपने उत्पादों के दामों में बहुत अधिक वृद्धि कर दी है;

(ग) क्या सरकार का इन उद्योगों पर कोई मूल्य नियंत्रण है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और टाईपराइटरों के निर्माताओं से उनके उत्पाद का मूल्य कम करवाने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) निम्नलिखित कम्पनियां मानव-चालित टाईपराइटरों का निर्माण कर रही है :—

1. मैसर्स रैमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता ।
2. मैसर्स रायला कारपोरेशन प्रा० लिमिटेड, मद्रास ।

3. मैसर्स फेसिट एशिया लिमिटेड; मद्रास ।

4. मैसर्स गोदरेज एण्ड बोएस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी प्रा० लिमिटेड, बम्बई ।

5. मैसर्स बिजनेस मशीन्स इण्डिया लिमिटेड, सिकन्दराबाद ।

(ख) से (घ) देश में निर्मित टाईपराइटरों की कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है । तथापि, देश की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन पर्याप्त है । सरकार को हाल ही में मानव-चालित टाइपराइटरों की कीमतों में असामान्य वृद्धि से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

बल्क औषधों और उनके इन्टरमीडिएट्स और उनके फार्मूलेशनों के लिए लाइसेन्स व्यवस्था समाप्त करना

128. **डा० गौरी शंकर राजहंस :**
श्री रेणु पद दास :
श्री ज्ञानपाल सिंह मलिक :
श्री एस० रघुमा रेड्डी :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन स्माल स्केल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सरकार से 94 बल्क औषधों उनकी इंटरमीडिएट और उनके फार्मूलेशनों के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने के अपने निर्णय को निलम्बित रखने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार ने उनके अभ्यावेदन पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मेरे मंत्रालय ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) और (ग) लाइसेंसों को रद्द करने की योजना, जो अभी तक प्रपुंज औषधों एवं फार्मूलेशनों पर लागू की गई है, का उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित न की गई वस्तुओं के संबंध में गैर फेरा एवं गैर एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल करना है तथा उसे जन साधारण में खपत वाले अनिवार्य प्रपुंज औषधों एवं फार्मूलेशनों के विकास, निवेश एवं उत्पादन को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है ।

मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

129. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास उच्च न्यायालय में रिक्त पदों को भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस संबंध में उनके मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो लम्बित मामलों की संख्या में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रिक्त ामों को शीघ्र भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) मद्रास च न्यायालय में रिक्त स्थानों को भरने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार सम्बद्ध विधानिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके इस विषय में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए ीरता से विचार कर रही है और इस बारे में उक्त प्राधिकारियों को कई बार स्मरण कराया ा है।

कार्यात्मक स्वतन्त्रता के अभाव में घाटे में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के एकक

130. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की ा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के एककों में कार्यात्मक तंत्रता के अभाव में उनमें भारी हानि हो रही है; और

(ख) क्या जहां तक उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सरकारी संयुक्त श के एककों का संबंध है, कार्यात्मक स्वतंत्रता की धारणा का पूरी तरह से पालन किया जा ा है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ हम्मद खां) : (क) उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र कुछ उपक्रम अलाभकारी मूल्यों, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, विद्युत कठिनाइयों, विपणन संबंधी स्याओं आदि जैसे विभिन्न कारणों से घाटा उठा रहे हैं न कि कार्यशील स्वायत्तता की कमी के रण।

(ख) यह मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में र्यशील स्वायत्तता संबंधी धारणा को कार्यान्वित कर रहा है।

तमिलनाडु में कंपनियों और नागरिकों द्वारा यू० एच० एफ०/वी० एच० एफ० बेतार संचार उपकरण का प्रयोग

131. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिकों और कम्पनियों को अन्तः संचार सुविधा के लिए यू० एच० एफ०/ ० एच० एफ० बेतार संचार प्रणाली के प्रयोग की अनुमति दी जाएगी और यदि हां, तो संबंधी प्रक्रिया और नियम तथा प्रतिबन्ध क्या हैं; और

(ख) तमिलनाडु में इस प्रकार की सुविधा कितनी कंपनियों/नागरिकों को गई है और ाका ब्यौरा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, आवेदकों को प्रस्ताव

की तकनीकी उपयुक्तता/संगतता की शर्त पर भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अधीन, अनुज्ञप्ति के रूप में अनुमति दी जाती है। उन्हें ऐसी अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए निर्धारित फार्म पर संचार मंत्रालय के बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कन्ध को आवेदन भेजना पड़ता है।

(ख) ऐसी सुविधाओं के लिए तमिलनाडु में इन दिनों छियानवे अनुज्ञप्तियां चल रही हैं। ये अनुज्ञप्तियां, कम्पनियों के मुख्यालयों और कारखानों के बीच उत्पादन/आग/सुरक्षा आदि, जलयान आने जाने/माल चढ़ाने/उतारने के सिलसिले में जलयान और तट के बीच संचार सम्पर्क, अस्पतालों को संकेत प्रणाली (पेजिंग सिस्टम), दुग्ध डेरियों द्वारा दूध बांटने और परिवहन कम्पनियों द्वारा यातायात के नियंत्रण आदि के लिए दी जाती हैं।

सातवीं योजना में नए तेल शोधक कारखानों की स्थापना

132. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना के दौरान कुछ नए तेल शोधक कारखाने लगाने और वर्तमान तेलशोधक कारखानों का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक तेल शोधक कारखाने की कुल क्षमता क्या है;

(ग) क्या यह तेल शोधक कारखाने परिशोधक उत्पादों की आवश्यकता पूरी करेंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो परिशोधित उत्पादों की आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ङ) एक विवरण सलग्न है।

विवरण

1. आई० ओ० सी० की गुजरात रिफायनरी का विस्तार	7.3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से 9.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करना
2. बोंगाईगांव रिफाइनरी का विस्तार	एक मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से तीन मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करना
3. मथुरा रिफाइनरी का विस्तार	6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से 7.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करना

प्रत्येक की 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली दो ग्राम रूट रिफाइनरीज स्थापित करने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

उत्पादों की कमी को आयात द्वारा पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मऊ में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

133. **श्री राज कुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व संचार मंत्री ने वर्ष 1983-84 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मऊ में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की आधारशिला रखी थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यह एक्सचेंज कब तक तैयार हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) इस एक्सचेंज की इमारत का निर्माण किया जा रहा है।

(ग) इस एक्सचेंज के 1986-87 में चालू होने की संभावना है बशर्ते कि इमारत तैयार हो जाए तथा साज-सामग्री उपलब्ध हो जाए।

[अनुवाद]

पारादीप में तेल टर्मीनल की स्थापना

134. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम ने देश में तेल टर्मिनल स्थापित करने का कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो जिन स्थानों पर ये तेल टर्मिनल लगाए जाने हैं उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में पारादीप को तेल टर्मिनल की स्थापना के लिए चुना गया है; और

(घ) यदि हां, तो पारादीप में तेल टर्मिनल स्थापित करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियन कारपोरेशन ने छठी योजना अवधि के दौरान वाशी (नया बम्बई) और लोणी (पुणे) का पता लगाया और इनका निर्माण आरम्भ किया था।

(ग) और (घ) पारादीप में तेल टर्मिनल का एक प्रस्ताव विचाराधीन है, परन्तु यह प्रस्ताव छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, अनुमोदित परियोजनाओं का भाग नहीं था।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को इस परियोजना की सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है

[हिन्दी]

गैस रिसने के मामले में गैस डीलरों द्वारा कार्यवाही

135. **श्री सरफराज अहमद** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा समाचार पत्रों में समय-समय पर विज्ञापन दिए जाते हैं कि गैस रिसने के मामले में गैस डीलर को तुरन्त सूचित करेंगे;

(ख) क्या ऐसे आपातकाल में डीलर तुरन्त कार्यवाही करने के लिए बाध्य हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उन डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जिन्होंने इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही नहीं की है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जो वितरक तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

रेल डाक सेवा और डाक मोटर सेवा के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

136. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री नारायण चौबे :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डाक सेवा और डाक मोटर सेवा के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में इस वर्ष 6 जून सारे देश में एक दिन की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में आरक्षित प्रशिक्षित पूल से संबद्ध 80 कर्मचारियों को उपर्युक्त हड़ताल में भाग लेने के कारण मुअत्तिल कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में सारे राज्य में डाक कर्मचारियों ने इस मुद्दे पर हड़ताल कर दी थी और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) रेल डाक सेवा तथा डाक मोटर सेवा के कर्मचारियों का एक सेक्शन 6-6-1985 को हड़ताल पर रहा।

(ख) अखिल भारतीय रेल डाक सेवा और डाक मोटर सेवा कर्मचारी यूनियन श्रेणी-III और भारतीय रेल डाक सेवा और डाक मोटर सेवा कर्मचारी यूनियन श्रेणी-III द्वारा निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई थीं :—

(एक) सभी छंटाई सैक्शनों/छंटाई डाक कार्यालयों/सेटों को पुनः चालू करना और तमिलनाडु में रात्रिकालीन सेटों को समाप्त करने का प्रस्ताव त्यागना।

(दो) भर्ती पर लगी रोक को हटाना।

(तीन) आरक्षित प्रशिक्षित पूल/नैमित्तिक श्रमिक/अतिरिक्त विभागीय एजेंटों/पार्टटाइम कर्मचारियों और श्रेणी-तीन पदों के लिए स्वीकृत मेलमैनों को तत्काल सेवा में खपाया जाना।

(चार) मुख्य टिकट कार्यालयों/उप रिकाई कार्यालयों से चेकर को हटाने सम्बन्धी महा-निदेशक के आदेशों को निरस्त करना, उप रिकाई कार्यालयों और डाक कार्यालयों को समाप्त करना और उन्हें पहले की तरह कायम रखना।

(पांच) बेवूर-तारपाड़ा, मराठा टाइम टेस्ट में निर्धारित कार्यभार के अलावा उसमें किसी प्रकार की वृद्धि न करना तथा मदन किशोर समिति का फार्मूला लागू करना।

(छः) लेखा देय वस्तुओं की एकमुश्त इंदराज करने की प्रणाली को शुरू न करना।

(सात) रेल डाक सेवा में न तो कोई मशीनीकरण, न कोई कम्प्यूटरीकरण हो और न ही वहां छंटाई मशीनों का प्रयोग किया जाए।

(आठ) डाक मोटर ड्राइवरों का मेल पियन/मेल गार्ड प्रदान करना।

(नौ) डाक तार मोटर सेवा के लिए स्टाफ की मंजूरी हेतु मानदण्ड निर्धारित करना।

(दस) एम० एम० एल० के कार्यों में किसी प्रकार की कटौती न करना तथा जो कार्य समाप्त किए गए हैं, उन्हें पुनः चालू करना।

(ग्यारह) परेशान करने के सभी तरीके समाप्त करना।

यूनियन के साथ इन मांगों पर चर्चा की गई। उप-मुख्य श्रम आयुक्त (मध्य) नई दिल्ली द्वारा भी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन समझौता वार्ता की गई। फिर भी सरकार के लिए यह मांगें स्वीकार करवाना संभव न हो सका।

(ग) और (घ) जी नहीं। आरक्षित प्रशिक्षित पूल के कर्मचारी नियमित कर्मचारी नहीं होते हैं तथा सी० सी० एस० (सी० सी० ए०) नियम-1965 के अधीन निर्धारित निलम्बन सम्बन्धी आदेश उन पर लागू नहीं होते हैं। आरक्षित प्रशिक्षण पूल के 85 कर्मचारी हड़ताल वाले दिन काम पर नहीं आए। उनके आवेदनों की छानबीन करने पर पोस्टमास्टर जनरल, कलकत्ता ने इनमें से 80 कर्मचारियों को अपने काम पर आने की अनुमति दे दी है। तीन कर्मचारी मई, 1985 से लम्बे अर्से तक गैरहाजिर थे। शेष दो उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों पर पोस्टमास्टर जनरल कलकत्ता विचार कर रहे हैं।

(ङ) जी नहीं, तथापि कलकत्ता जी० पी० ओ० के कार्य में, 6-6-1985 को बाधा उत्पन्न हुई थी। कलकत्ता सिटी तथा जिलों के कुछ डाक कर्मचारियों ने 11-6-1985 को भी कार्य नहीं किया था। तत्पश्चात् स्थिति सामान्य हो गई थी।

महानगरों में टेलीफोन प्रणाली

137. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में टेलीफोन प्रणाली को सरकारी क्षेत्र के नियमों को सौंपा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में एक सरकारी समिति ने पहले भी अध्ययन किया था और इस समिति ने इसे अस्वीकृत कर दिया था ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दूरसंचार समिति ने अन्य बातों के अलावा दूरसंचार संगठन को सरकारी विभाग के बतौर एक वैधानिक निगम बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया है। उस समय उन्होंने इसकी एक सरकारी विभाग के बतौर कार्य करने की स्वीकृति दी थी।

अमरीका द्वारा "यू० एस० एम० 90 सर्फेस-टू-सर्फेस" मिसाइल और चीन द्वारा 'एस० ए०-27 सर्फेस-टू-सर्फेस" मिसाइल की पाकिस्तान को सप्लाई

138. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने अमरीका से "यू० एस० एम० 90 सर्फेस-टू-सर्फेस मिसाइल" और चीन से एस० ए० 27 सर्फेस-टू-सर्फेस मिसाइल प्राप्त किए हैं;

(ख) अमरीका और चीन के मिसाइलों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पाकिस्तान ने ये मिसाइल चीन से सहायता के रूप में लिए हैं या वाणिज्यिक आधार पर ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नर्रासिह राव) : (क) से (ग) सरकार ने अमरीका द्वारा पाकिस्तान को एम-90 "हवा से हवा" में मार करने वाली मिसाइलों और चीन द्वारा एस ए-27 "हवा से हवा" में मार करने वाली मिसाइलों की सप्लाई किए जाने के बारे में हाल में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों को देखा है लेकिन इस बारे में कोई पक्की सूचना नहीं है।

अशोधित तेल और तेल उत्पादों के निर्यात में गिरावट

139. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल आयातक देश होने के बावजूद भारत अशोधित तेल और तेल उत्पादों का निर्यात करता है;

(ख) किन-किन देशों को निर्यात किया जाता है;

(ग) क्या इनके निर्यात में तेजी से गिरावट आयी है; और

(घ) तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा निर्दिष्ट करना कठिन है कि यह किन देशों को जाता है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय तेल व्यापारियों के साथ ही लेन देन होता है।

(ग) जी हां।

(घ) ऐसा देश की खपत के लिए उसकी मांग के कारण होता है।

"अदालत" न्यायालयों की स्थापना

140. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में "अदालत" न्यायालयों की स्थापना की गई है;

(ख) अब तक स्थापित इन न्यायालयों की संरचना और उनकी संख्या क्या है; और

(ग) क्या इनसे विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में एकत्रित मामलों की संख्या में संतोषप्रद कमी हुई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) सरकार द्वारा गठित, विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के विभिन्न भागों में "अदालत" न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

(ख) इन "अदालतों" में वकील, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, प्रशासक, महिला वकील और महिला सामाजिक कार्यकर्ता आदि हैं। ये नियमित न्यायालय नही हैं, अतः उनकी ठीक-ठीक संख्या बताना संभव नहीं है।

(ग) "लोक अदालतें" नियमित न्यायालय नहीं हैं। ये स्वैच्छिक निपटारा अभिकरण प्रकृति के न्यायालय हैं, जिनका प्रयोजन उन विवादों का निपटारा करना है, जो न्यायालयों में या अन्यथा लम्बित हैं।

गुजरात के खम्बात क्षेत्र में और तमिलनाडु में कावेरी बेसिन में तेल की खोज के लिए सोवियत संघ से सहायता

141. **श्री रेणुपद दास** : क्या **पेट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने गुजरात के खम्बात क्षेत्र और तमिलनाडु के कावेरी बेसिन में तेल की खोज के लिए सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पेशकश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसे स्वीकार न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन दो क्षेत्रों में सरकार के वैकल्पिक कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ङ) आर्थिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के मुख्य निर्देशों के सम्बन्ध में भारत और सोवियत संघ के बीच 22 मई, 1985 को किए गए समझौते के अनुसार सोवियत संघ अपने उपकरणों और विशेषज्ञों के उपयोग के खम्भात और कावेरी थालों के परस्पर स्वीकृत क्षेत्रों में तेल और गैस की गहन, समेकित खोज करेगा।

हाथ में लिए जाने वाले क्षेत्रों और कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम का वास्तविक रेखांकन पारस्परिक विचार-विमर्श से निश्चित किया जाएगा, जिसके लिए एक सोवियत दल अगस्त/सितम्बर, 1985 में आएगा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में संगणकों का प्रयोग शुरू करना

142. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को अपने विभिन्न कार्य क्षेत्रों में संगणकों का व्यापक-स्तर प्रयोग शुरू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए एक बड़ी कम्प्यूटर प्रणाली के डी मालवीय इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन देहरादून में स्थापित की जानी है और जांच 32 बिट मेनफ्रेम कम्प्यूटर क्षेत्रीय मुख्यालयों में और बम्बई, बड़ौदा, मद्रास, कलकत्ता और नजीरा में एक-एक लगाये जाने की योजना है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कई व्यापारिक (तकनीकी एवं व्यापारिक) प्रयोगों के लिए कई मिनी (16 बिट) और माइक्रो (8 बिट) कम्प्यूटर भी लगाये जाने का प्रस्ताव है।

केपरोलक्टम तथा डी० एम० टी० की कमी

143. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नायलोन तथा पालिएस्टर उद्योगों को "केपरोलक्टम" तथा डी० एम० टी० की अत्यन्त कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) वर्तमान में कैपरोलेक्टम तथा डी० एम० टी० का देशी उत्पादन क्रमशः नाइलोन तथा पोलिएस्टर उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कमी को आयात के द्वारा पूरा किया जा रहा है।

आई०.डी० पी० एल० तथा एच० ए० एल० में घाटा

144. श्री आनन्द पाठक :
श्री मूल चन्द डागा :

क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० डी० पी० एल० तथा एच० ए० एल० घाटे में चल रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक कम्पनी को उत्पादन लागत से कम खर्च में पेनिसिलिन गिस्त क्रिस्टल सप्लाई किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान इस पार्टी को की गई सप्लाई की मात्रा तथा मूल्य क्या हैं; और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों में बढ़ता हुआ यह घाटा किन कारणों से हुआ ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में डाक और संचार "नेट वर्क" में विकास

145. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में डाक और संचार "नेटवर्क" में सुधार, जो कि बहुत ही आवश्यक है, को सातवीं योजना में शामिल करने के कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) डाक विभाग के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में देश में, आन्ध्र प्रदेश सहित, 12,000 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। योजना प्रस्तावों पर अभी योजना आयोग ने अपनी मंजूरी देनी है। प्रस्तावों में संशोधन किया जा सकता है योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय पर आधारित होगा। योजना आयोग से वर्ष प्रतिवर्ष की योजनाओं की स्वीकृति मिलने पर ही लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।

दूरसंचार विभाग के बारे में मंत्रालय ने सातवीं योजना के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों का मसौदा प्रस्तुत किया है। प्रस्तावों पर योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। आयोग ने बताया है कि सम्भवतः इतनी मात्रा में धनराशि उपलब्ध नहीं हो सकेगी और प्रस्तावों के मसौदे में काफी सीमा तक कमी करनी पड़ेगी।

योजना के मसौदे में समूचे देश में, आन्ध्र प्रदेश सहित, वास्तविक तौर पर मांग होते ही टेलीफोन और टेलेक्स कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए टेलीफोन

एक्सचेंजों की क्षमता को लगभग दुगना करने तथा टेलेक्स क्षमता में भी काफी वृद्धि करने की आवश्यकता है। प्रस्ताव में प्रत्येक आबादी वाले क्षेत्र 5 कि० मी० के भीतर ही लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की व्यवस्था है जिसके लिए 2,159 अतिरिक्त लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने होंगे जिनकी संख्या इस समय 3,735 है।

सीमित संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए कुल आबंटन पर सहमति हो जाने के बाद प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

स्मारक डाक टिकटें जारी करना

146. **श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के स्मारक डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) भारत के स्वाधीनता संग्राम की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को चित्रित करने वाली स्मारक डाक टिकटों की श्रृंखला जारी करने के सन्दर्भ में इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में महबूब नगर जिले में कागज संयंत्रों की स्थापना

147. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महबूब नगर जिले (आन्ध्र प्रदेश) के मायेमपेटतालुक में कागज बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और यह कागज बनाने के लिए देश के अन्य भागों में भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कच्चे माल, अर्थात् बांस और घास, की उपलब्धता को देखते हुए सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में कागज निर्माण के लिए कुछ कारखाने स्थापित करने का है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी इस बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) आंध्र प्रदेश राज्य के काचेमपेट तालुक, मेहबूबनगर में एक बड़ी मिल को सहारा देने के लिए निरन्तर आधार पर कच्चे माल की आपूर्ति हेतु पर्याप्त वनों के बारे में ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में कागज और गत्ता बनाने के कार्य में संलग्न इस समय 15 एकक हैं जिनकी अधिष्ठापित क्षमता 3.29 लाख मी० टन प्रति वर्ष है। आन्ध्र प्रदेश में कागज अथवा गत्ता बनाने के लिए किसी अतिरिक्त एकक की स्थापना करने हेतु केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) तथा (घ) राज्य क्षेत्र में वनों से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित कागज मिलों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। कृषि अवशिष्ट पदार्थों कचरे और खोई से लिखाई, छपाई व लपेटने का कागज बनाने के लिए क्षमता स्थापित करने को केन्द्र सरकार ने अभी हाल ही में लाइसेंस मुक्त कर दिया है।

तमिलनाडु में स्थापित किए गए न्यूज प्रिंट संयंत्र का ब्यौरा

148. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में खोई पर आधारित अखबारी कागज कारखाना स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कारखाना लगाने की लागत और इसका कुल वार्षिक-उत्पादन क्या है, तथा इसमें कब से उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा है;

(ग) किस किस्म का कागज उत्पादित किया जाएगा;

(घ) कारखाने में कागज के उत्पादन के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी; और

(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश में भी ऐसा कोई कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) 50,000 मी० टन अखबारी कागज और 40,000 मी० टन लिखाई और छपाई कागज की वार्षिक क्षमता वाले तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लिमिटेड की स्थापना 230 करोड़ रु० की लागत से की गई है। एकक में अखबारी कागज का उत्पादन पहले ही शुरू हो गया है।

(ग) कारखाने द्वारा निर्मित अखबारी कागज की किस्म देश में अन्य एककों द्वारा उत्पादित अखबारी कागज जैसी ही होने की आशा है।

(घ) एकक से अखबारी कागज का पूरा उत्पादन होने पर लगभग 30 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की बचत होने की आशा है।

(ङ) आन्ध्र प्रदेश राज्य में इस प्रकार का एकक स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास इस समय कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। किन्तु आन्ध्र प्रदेश राज्य में अखबारी

कागज का उत्पादन करने के लिए क्षमता को स्थापना हेतु विभिन्न स्थितियों में कार्यान्वित किए जा रहे निम्नलिखित आशयपत्रों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है :—

नाम	स्थापना स्थल	घोषित अधिष्ठापित क्षमता	प्रक्रिया
1. श्री बी० हनुमन्त राय	विजयवाड़ा जिला-कृष्णा	40,000	रोशनाई हटाना
2. श्री क्लीटस विन्सेंट	तहसील व जिला श्रीकाकुलम	30,000	वही
3. मै० दक्ख न सीमेंट्स	तहसील-मसुलीपटनम जिला-कृष्णा	40,000	वही
4. श्री सरवारायलू	वही	80,000	वही

देश में टेलेक्स नेटवर्क का विस्तार और आधुनिकीकरण

149. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में टेलेक्स नेट वर्क के विस्तार और उसके आधुनिकीकरण को उच्च प्राथमिकता दिए जाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना के दौरान देश में स्थापित किए जाने वाले इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंजों की संख्या क्या है तथा वे कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे;

(ग) ये एक्सचेंज हमारी आवश्यकता पूर्ति हेतु कहां तक समर्थ होंगे;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश में भी ऐसे कुछ एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे, यदि हां, तो कहां-कहां पर तथा उनकी क्षमता कितनी होगी; और

(ङ) योजना पर होने वाला अनुमानित व्यय कितना होगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में चार इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। सातवीं योजना के दौरान निम्नलिखित 10 स्थानों पर इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

अहमदाबाद, बेंगलूर, जयपुर, एर्णाकुलम्, गुवाहाटी, हैदराबाद, चंडीगढ़, पुणे, लखनऊ और बड़ौदा।

वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य होने पर तथा मांग के अनुसार पर अन्य स्थानों में भी अनेक छोटे इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रस्तावित एक्सचेंज क्षमता से इन स्थानों की आवश्यकताएं पूर्ण होंगी।

(घ) जी, हां।

हैदराबाद	2000 लाइनें
चिलकालूरीपेट	20 लाइनें
निजामाबाद	20 लाइनें
जींदी मातला	20 लाइनें

इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश में लगभग 14 स्टेशनों के लिए छोटे इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज भी स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह कार्यक्रम मांग तथा वित्तीय व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

(ङ) आन्ध्र प्रदेश में इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने में लगभग 445 लाख रुपये खर्च होंगे।

रायल्टी की दर में वृद्धि

150. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा तेल पर रायल्टी बढ़ाने के लिए किए गए अनुरोध पर इस बीच कोई फैसला किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है;

(घ) पिछली बार रायल्टी कब निर्धारित की गई थी;

(ङ) तब से पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादकों के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है; और

(च) असम राज्य और तेल उत्पादक राज्यों को रायल्टी का भुगतान किस दर पर किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुजरात के मुख्य मंत्री तथा पेट्रोलियम मंत्री के बीच अभी तक विचार-विमर्श नहीं हुआ है।

(घ) कूड तेल पर रायल्टी की दर पहले दिनांक 1 अप्रैल, 1981 से निर्धारित की गई थी।

(ङ) विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में 15 प्रतिशत से 45 प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई थी।

(च) असम राज्य तथा अन्य तेल उत्पादक राज्यों को 61 रुपये प्रति मी० टन की दर पर रायल्टी दी जा रही है।

उर्वरकों की खपत में अपर्याप्त वृद्धि के कारण संकट

151. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों की खपत में अपर्याप्त वृद्धि के कारण उर्वरक उद्योग में भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है तथा स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाये गये हैं;

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया और इसमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) वर्ष 1985-86 के दौरान उर्वरकों के उत्पादन तथा आयात के संद मेंभं सरकार की क्या नीति है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान उर्वरकों के आयात की मात्रा तथा मूल्य नीचे दर्शाए गए हैं :—

मात्रा (लाख टनों में)				आयात का लगभग सी० एण्ड एफ० मूल्य (रु० करोड़ों में)
एन	पी	के	कुल मात्रा	
20.30	7.45	8.71	36.46	1435.0

(घ) सरकार की यह नीति है कि वर्तमान संयंत्रों से इष्टतम उत्पादन के माध्यम से अधिकतम स्वदेशी उत्पादन किया जाए और स्रोतों की उपलब्धि तथा अन्य मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त उर्वरक क्षमताएं स्थापित की जाएं। तथापि, गत समय की भांति, उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन जिस सीमा तक आवश्यकता से कम होगा, उस कमी को आयात से पूरा किया जाएगा।

भारत में बल्क औषधों के बारे में तकनीकी जानकारी विकसित किया जाना

152. **श्री तारिक अनवर :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने डोक्सीसाइक्लीन इरीथोमाइसिन, एम्पीसिलिन, इबप्रोलफेन, मेट्रोप्रोपोल, प्रोप्रेनोलोल, इथिनिलेसट्राडियम सलबुटामोल, लोराजपम, मेथाकावामोल नेट्रानिडाजोल निट्राजेपम, मिथाइल डोपा सल्फामीथोक्साजोल तथा विनक्रिस्टिन और विनलास्टिन जैसा कैंसर रोधी औषधियों के निर्माण के लिए स्वदेशी तकनीकी जानकारी विकसित की है;

(ख) क्या उपरोक्त औषधियों का निर्माण भारतीय और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा प्रारम्भिक चरणों में ही किया जा रहा है ; और

(ग) इन अन्य बल्क औषधियों के नाम क्या हैं जिनके बारे में गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कम्पनियों द्वारा तकनीकी जानकारी विकसित की गई और क्या उन औषधों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) उपलब्ध सीमा तक प्राप्त सूचना के अनुसार उन भारतीय कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिन्होंने स्वदेशी तकनीकी जानकारी विकसित करने का दावा किया है तथा सूचित किया गया है कि उन्होंने प्रपुंज औषधों का निर्माण किया है जिनको प्रश्न में निर्दिष्ट किया गया है। इनमें अधिकांश प्रपुंज औषधों का भारतीय कम्पनियों द्वारा मूल स्तर में उत्पादन किया जा रहा है।

(ग) भारतीय कम्पनियों द्वारा बिना विदेशी सहयोग से पाइराजिनामाइड, ट्राइमेथोप्रिम, मोवेन्डाजोल, टिनिडाजोल, आइसोप्रोफिलफिनाजोल, हाइड्राक्सी इथाइल थियोफिलाइन, इथमबिटोल, सहित बड़ी संख्या में प्रपुंज औषधों का उत्पादन किया जा रहा है।

विवरण

क्रमांक	औषध का नाम	प्रौद्योगिकी विकसित करने वाली कम्पनी का नाम
1.	डोक्सीसाइक्लीन	रेनवेक्सी
2.	इरीथ्रोमाइसिन	अनुपलब्ध
3.	एम्पीसिलिन	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से कई कम्पनियां
4.	इब्यूप्रफिन	सिपला
5.	मेटोप्रोलोल	अनुपलब्ध
6.	प्रोप्रानोलोल	सिपला और साराभाई
7.	इथिनाइलेस्टराडियल	अनुपलब्ध
8.	सालबुटामोल	सिपला और फेयरडील
9.	लोराजिपाम	सिपला
10.	मेथाकारबामोल	अनुपलब्ध
11.	मेट्रानिडाजोल	यूनीक्यू लेब्स यूनीलाइड्स और अन्य कई
12.	निट्राजोपाम	सिपला
13.	मिथाइल डोपा	आईडीपीएल
14.	सल्फामेथोक्साजोल	आईडीपीएल, स्टेण्डर्ड ओर्गेनिक्स और कई अन्य
15.	विनिक्रिस्टाइन और विनबलास्टाइन	सिपला

वर्ष 1985-86 के दौरान तेल के निर्यात में कमी

153. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1985-86 के दौरान तेल के निर्यात में भारी कमी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इससे देश में तेल की खपत पर कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान आयात किए जाने वाले तेल के बदले तत्संबंधी प्रतिपूर्ति करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा): (क) और (ख) जी हां। ऐसा एक वर्ष के दौरान चालू की गई नई परियोजनाओं में देशी कच्चे तेल के अधिक परिशोधन की योजना के कारण हुआ है।

(ग) ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वाणी रहित (नान वायस) दूरसंचार प्रणाली को मजबूत करना

154. **श्री बी० बी० देसाई :**
प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का विचार टेलेक्स, टेलीप्रिंटर्स और तार जैसे वाणी-रहित (नान वायस) दूरसंचार प्रणाली को आगे और मजबूत करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणी-रहित दूरसंचार प्रणाली के महत्व को देखते हुए सरकार का विचार दूरसंचार सुविधाओं की मांग को पूरा करने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के प्रस्तावों में टैलेक्स नेटवर्क का विस्तार करने, तार सेवाओं को आधुनिक बनाने तथा सार्वजनिक डाटा संचार सेवाएं शुरू करने की व्यवस्था की गई है। टेलीफेक्स, टेलीटेक्स, विडियोटेक्स आदि जैसी अन्य नान-वायस सेवाएं भी शुरू करने का प्रस्ताव है।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा इलैक्ट्रानिक टेलीफोन यंत्रों का उत्पादन

155. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक टेलीफोन यंत्रों का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इनका वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो गया है और ये यंत्र प्रयोक्ताओं को उपलब्ध हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) इलेक्ट्रानिक टेलीफोनों का देश में ही विकास का काम इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने शुरू किया था और इस प्रकार विकसित इलेक्ट्रानिक टेलीफोन के आदिरूप की परख दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र में हो रही थी। इसी दौरान सरकार ने इलेक्ट्रानिक टेलीफोनों को बनाने के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का निर्णय लिया है और इसलिए इलेक्ट्रानिक टेलीफोन देश में विकसित करने का विचार छोड़ दिया गया है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए राज्यों को सहायता

156. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उसके द्वारा निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों के विकास और औद्योगिक विकास केन्द्रों के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रहेगी ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा पेट्रोलियम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) केन्द्रीय सरकार उद्योग रहित जिलों में निर्धारित किए गए विकास केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए राज्यों/संघशासित प्रदेशों को सहायता देती है।

(ख) यह योजना 1.4. 1983 से शुरू की गई थी और राज्य सरकारें परियोजना रिपोर्टों को अन्तिम रूप दे रही हैं।

(ग) उद्योग रहित जिलों में निर्धारित किए गए विकास केन्द्रों में अवस्थापना का विकास करने हेतु केन्द्रीय सहायता संबंधी योजना इस समय 31 मार्च, 1986 तक बढ़ा दी गई है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार

157. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर वर्ष 1985-86 के दौरान

टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) हिमाचल प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां के लिये राज्य सरकार ने टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने की मांग की थी और उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1985-86 के दौरान अभी तक हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार नहीं किया गया है।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार से निम्नलिखित 18 स्थानों पर टेलीफोन सुविधा के लिए मांग प्राप्त हुई है तथा इन सभी पर मंजूरी दे दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी बशर्ते कि लाइन-स्टोर उपलब्ध हों :—

1. माहरी
2. जालौठ
3. थाथल
4. लथानी
5. लागरू
6. बाथरी
7. लांगा
8. माझिन
9. द्रुबल
10. पाठलियार
11. भोलाग
12. डयोठी
13. कांगो का घेरा
14. स्प्रोह
15. निहारी (संथाला)
16. कोसरी
17. पोलियन-परोहिता
18. क्यारवन

हिमाचल प्रदेश में खोले जाने वाले पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां

158. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1985-86 के दौरान कितने पेट्रोल पम्प और कितनी गैस एजेंसियां खोलने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) कितने स्थानों के लिए अनेक बार विज्ञापन दिए गए हैं परन्तु आबंटन के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जबकि तेल उद्योग की 1985-86 की विपणन योजना में हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु इस योजना के अधीन सम्बद्ध यू० जी० और एस० टी० श्रेणियों के अन्तर्गत जिला कांगड़ा में कांगड़ा और डेरा गोपीपुर में दो एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ख) डना में एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिप और बेणीखेत में फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्र के लिए एक से अधिक बार विज्ञापन इसलिए देना पड़ा था, चूंकि कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे।

हिमाचल प्रदेश में रसायन तथा उर्वरक संयंत्र स्थापित करना

159. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का हिमाचल प्रदेश में भी रसायन तथा उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब तक तथा इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ख) क्या राज्य सरकार से इस संयंत्र को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस समय सरकार के पास हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई रसायन एवं उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

[अनुवाद]

मिरजापुर जिले के लिए सूक्ष्म तरंग परियोजना

161. **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिरजापुर जिले को पिमारी केनूकूट के लिए औद्योगिक क्षेत्र हेतु एक सूक्ष्म तरंग परियोजना की मंजूरी दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक चालू हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) जी हां । मिरजापुर जनपद पिमारी (रेनुकूट) औद्योगिक वेल्ट को वाराणसी के साथ जोड़ने के लिए एक माइक्रोवेव योजना की मंजूरी दे दी गई है ।

(ख) इस योजना के सातवीं योजना के अन्त तक चालू होने की संभावना है, बशर्ते कि उपस्कर तथा सिविल संरचना उपलब्ध हो ।

बिहार के गया जिले में शाखा डाकघर खोलना

162. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिशा निर्देशों के अनुसार 1500 की आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक शाखा डाकघर होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान बिहार के गया जिले में गांवों में कितने शाखा डाकघर खोले गए हैं और ऐसे कितने गांवों में अभी तक डाकघर नहीं हैं; और

(ग) शेष गांवों में कब तक शाखा डाकघर खोल दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम विलास सिंधी) : (क) विभाग द्वारा ऐसे कोई मार्ग निर्देश सिद्धांत निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों में गया जिले में आठ डाकघर खोले गए। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोले जाते हैं बशर्ते कि विभाग द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करते हों तथा इसके लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जाएं। इस समय 1805 ग्राम ऐसे हैं जहां डाकघर नहीं हैं। विभागीय मानदण्डों के अनुसार इनमें से सभी ग्राम ऐसे नहीं हैं जहां डाकघर खोलने का औचित्य बनता हो।

(ग) डाक का विस्तार प्रतिवर्ष एक चरणबद्ध ढंग से किया जाता है बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो तथा साथ ही समूचे देश में किए गए कुल डाक विकास को भी ध्यान में रखा जाता है।

लघु क्षेत्र उद्योग के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बड़े औद्योगिक गृहों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध

163. श्री राम स्वरूप राम : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के लिए आरक्षित व्यापार के क्षेत्र में बड़े औद्योगिक गृहों पर प्रतिबन्ध लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) विद्यमान लाइसेंस नीति के अनुसार लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तु/मद का उत्पादन केवल लघु औद्योगिक एकक द्वारा ही किया जा सकता है। लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बड़े अथवा मझौले उपक्रमों के प्रवेश के लिए उसके उत्पादन का कम से कम 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व के आधार पर ही विचार किया जा सकता है। इस नीति में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

164. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित किए जाने वाले गैस पर आधारित चार उर्वरक संयंत्रों को विभिन्न औद्योगिक समूहों में आबंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन औद्योगिक समूहों के नाम क्या हैं जिन्हें आशय पत्र दिए गए हैं;

(ग) उपरोक्त उर्वरक संयंत्रों में से प्रत्येक संयंत्र का विदेशी सहयोगी कौन है; और

(घ) प्रत्येक उर्वरक संयंत्र के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है और क्या कार्य की प्रगति पहले निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है और यदि नहीं, तो नया कार्यक्रम क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में स्थापना के लिए प्रस्तावित गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के सम्बन्ध में स्थान, स्वामित्व और विदेशी सहयोगों से सम्बन्धित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(घ) उत्तर प्रदेश में स्थापना के लिए प्रस्तावित गैस पर आधारित चार संयंत्रों की प्रारम्भण तिथियां निम्न प्रकार हैं :—

1. आंवला	1-10-1984
2. जगदीशपुर	1-3-1985
3. बबराला	1-10-1985
4. शाहजहांपुर	1-4-1986

ऊपर दी गई प्रारम्भण तिथियों के अनुसार आंवला और जगदीशपुर परियोजनाओं का कार्यान्वयन आरम्भ हो गया है और निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रगति हो रही है । तथापि, ठेके सम्बन्धी करारों को अन्तिम रूप दिए जाने में विलम्ब के कारण आंवला और जगदीशपुर परियोजनाओं की प्रारम्भण तिथियां बदलकर क्रमशः 1-4-1984 से 1-10-1984 और 1-10-1984 से 1-3-1985 कर दी गई थी ।

विवरण

क्र० सं० स्थान	स्वामित्व	विदेशी सहयोग
1. आंवला, जिला बरेली, यू० पी०	मै० इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि०	अमोनिया प्रोद्योगिकी के लिये : मै० होल्डोर टोप्सो आफ डेनमार्क यूरिया प्रोद्योगिकी के लिए : मै० सनमप्रगति आफ इटली
2. जगदीशपुर, जिला-सुल्तानपुर, यू० पी०	मै० इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन लि०	मै० स्नमप्रोगेटी एकमात्र इंजीनियरिंग ठेकेदार हैं। अमोनिया प्रौद्योगिकी के लिए : मै० हाल्डोर टोप्सो आफ डेनमार्क यूरिया टैकनोलोजी के लिए : मै० स्नमप्रोगेटी आफ इटली मै० स्नमप्रोगेटी एकमात्र इंजीनियरिंग ठेकेदार हैं।
3. बबरेला, जिला-बदायूं, यू० पी०	मै० टाटा कैमिकल्स लि०	कम्पनी द्वारा अभी निर्णय नहीं लिया गया है।
4. शाहजहांपुर	अभी निर्णय नहीं लिया गया है	अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

उत्तर प्रदेश सर्किल के जिला मुख्यालयों में टेलीफोन से प्राप्त होने वाला राजस्व

165. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सर्किल के टेलीफोन जिलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि राजस्व में कमी हुई है, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध के क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है; और

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान टेलीफोन के जिलावार तुलनात्मक आकड़े क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। उत्तर प्रदेश के टेलीफोन जिलों के कुल राजस्व में पिछले 3 वर्षों में वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पिछले एक वर्ष के लिए टेलीफोन जिलों के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं :—

टेलीफोन जिला	(राशि लाख रुपयों में) वर्ष 1984-85
1. इलाहाबाद	199.84
2. आगरा	364.17
3. लखनऊ	688.90
4. कानपुर	736.20
5. वाराणसी	262.61

विकासशील देशों में दूरसंचार नेटवर्क नियोजन के लिए परामर्शदात्री सेवायें

166. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विकासशील देशों में द्विपक्षीय आधार पर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन के सहयोग से व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने और दूरसंचार नैटवर्क योजना बनाने के लिए परामर्श सेवा पेश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हमारे देश की प्रगति और भारत का सहयोग मांगने वाले देशों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) दूरसंचार विभाग के लिए गए भारतीय विशेषज्ञ वर्षों से अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ सहयोग करके या भारत सरकार तथा अन्य संबंधित सरकार के बीच द्विपक्षीय समझौते के

आधार पर दूरसंचार नेटवर्क की योजना तैयार करने में विकासशील देशों को सहायता प्रदान करते आ रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट्स इंडिया लि०, जो दूरसंचार विभाग के अधीन एक सार्वजनिक उद्यम है, विभिन्न विकासशील देशों को दूरसंचार परियोजनाओं की योजना बनाने तथा निष्पादित करने में परामर्शी सेवाएं प्रदान करता रहा है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा गैस टरबाइन का निर्माण

167. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :**
श्री के० प्रधानी :

क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम गैस-टरबाइनों का निर्माण करते हैं;

(ख) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड गैस टरबाइनों का निर्माण कर रहा है;

(ग) क्या सरकार देश में विद्युत संकट को दूर करने के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा और अधिक गैस टरबाइनों का निर्माण किये जाने के लिए कदम उठाएगी; और

(घ) ये गैस टरबाइन किन-किन राज्यों में लगाई जानी हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा ग्रह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) इस समय सरकारी क्षेत्र में गैर टरबाइनों का निर्माण करने वाला कोई भी भी एकक नहीं है।

(ग) और (घ) गैस टरबाइनों के निर्माण हेतु भारत हेवी इलेक्टिकल्स के पास एक आशय-पत्र है। कम्पनी इस समय प्रारम्भिक कार्य में लगी हुई है। प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही गैस टरबाइनों का निर्माण शुरू किया जायेगा। आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आदि बिजली बोर्डों ने गैस टरबाइन से चलने वाले जनरेटर सेटों के बारे में बी० एच० ई० एल० से पूछताछ की है।

जनरल स्टोरों और छोटे दुकानदारों द्वारा पोस्ट कार्डों, लिफाफों और टिकटों की बिक्री

168. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल स्टोरों और छोटे दुकानदारों को पोस्ट कार्ड, लिफाफे और टिकटें बेचने की अनुमति है;

(ख) क्या यह बात जानकारी में आई है कि वह इनके लिये दोगुने दाम वसूल करते हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनके सरकारी दरों पर डाक टिकटें, लिफाफे, कार्ड आदि बेचने की अनुमति दी है; और

(घ) क्या सरकार का विचार दुकानदारों को थोक कमीशन देने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी हां, यदि वे डाक विभाग से इसके लिए लाइसेंस प्राप्त कर लें, तो इसकी अनुमति दे दी जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) विभाग द्वारा इसके लिए नियुक्त एजेंटों को डाक टिकट तथा डाक सामग्री की बिक्री पर 1.5 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कम्प्यूटर लागू करना

169. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के कार्यकरण में कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी लागू करने तथा वहां मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कोई इलैक्ट्रानिक केन्द्र स्थापित करने के बारे में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी० एम० लोढ़ा ने कोई परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ख) क्या सरकार का विचार लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कम्प्यूटर लागू करने का है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) इस विषय पर भारत सरकार ध्यान दे रही है।

नेशनल ड्रग्स एण्ड फर्मास्युटिकल डेवलपमेंट काउन्सिल के कार्यदल की रिपोर्ट

170. **श्री सरफराज अहमद** :
श्री तारिक अनवर :
श्री अनिल बसु :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स डेवलपमेंट काउंसिल एनडीपीडीसी के कार्यदल की रिपोर्ट में कोई अध्ययन शामिल नहीं है बल्कि उसमें विभिन्न दृष्टिकोण शामिल हैं;

(ख) क्या एनडीपीडीसी की उपरोक्त रिपोर्ट में मूल्यों और लाभप्रदता की वर्तमान नीति के प्रभाव का अध्ययन भी शामिल है;

(ग) क्या यह सच है कि एनडीपीडीसी की उक्त रिपोर्ट में कोई सिफारिशें शामिल नहीं हैं;

(घ) क्या सरकार उक्त रिपोर्ट की जांच कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद द्वारा गठित कार्यकारी दल ने उत्पादन, मूल्य निर्धारण लाभप्रदता आदि से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया।

(ग) आवश्यकतानुसार विभिन्न विकल्पों के साथ सिफारशें राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद की रिपोर्ट में निहित है।

(घ) और (ङ) सरकार औषध नीति में आवश्यक परिवर्तनों/संशोधनों पर कोई निर्णय, सभी सम्बन्धित तथ्यों और विभिन्न विचारों को ध्यान में रखते हुये लेगी।

मेढक स्थित आयुध कारखाने पर किया गया पूंजी निवेश

171. **श्री ई० अय्यापु रेड्डी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेढक स्थित आयुध कारखाने पर अब तक कुल कितनी पूंजी निवेश किया गया है; और

(ख) मेढक स्थित आयुध कारखाने में अनुमानत: किस वर्ष से उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) आरम्भिक अनुमानों के आधार पर मेढक स्थित आयुध कारखाने की स्थापना पर लगभग 421 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

सिविल निर्माण कार्य आदि जैसे अनेक कार्य संतोषजनक रूप से और सहयोगकर्ताओं के साथ किए गए विचार-विमर्श करके तैयार किए गए उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं।

इस संबंध में आगे और ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

आन्ध्र प्रदेश में एल० पी० जी० सिलेंडर बनाने वाली इकाइयां

172. **श्री ई० अय्यापु रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में एल० पी० जी० गैस सिलेन्डर बनाने वाली इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ख) इन कठिनाइयों की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) वर्ष 1984-85 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की मांग कितनी है तथा आन्ध्र प्रदेश स्थित विभिन्न इकाइयों के लिए दिए गए आर्डरों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या मांग से अधिक गैस सिलेन्डर बनाए गए हैं तथा क्या गैस सिलेन्डर बनाने की मांग कम होने के कारण इन इकाइयों के बन्द होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 14 एकक।

(ख) 37.00 लाख एल० पी० जी० सिलेन्डर प्रति वर्ष।

(ग) 1984-85 के दौरान विपणन करने वाली तेल कम्पनियों (ओ० एन० जी० सी० को

छोड़कर) की सिलेन्डरों की मांग 50 लाख की थी तथा आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न एककों को 23.36 लाख सिलेन्डरों के लिए आर्डर दिए गए।

(घ) देश में एल० पी० जी० सिलेण्डरों के उत्पादन की क्षमता तेल उद्योग की मांगों से अधिक है। जिन एककों ने तेल उद्योग तकनीकी समिति से अनुमति ली है, उन्हें तेल उद्योग द्वारा सिलेण्डरों के लिए आर्डर दिए जा रहे हैं।

हैदराबाद और सिकन्दराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदन

173. **श्री ई० अय्यापु रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 को आन्ध्र प्रदेश के (एक) हैदराबाद और सिकन्दराबाद के दो सहनगरों और (दो) जिला मुख्यालयों में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए कितने आवेदन लम्बित थे; और

(ख) इन दोनों सहनगरों और जिला मुख्यालयों में टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की मासिक औसत दर क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31 मार्च, 1985 को आन्ध्र प्रदेश के हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद दो शहरों में और जिला मुख्यालयों में लम्बित आवेदकों की संख्या क्रमशः 31,661 और 9,885 है।

(ख) 1984-85 के दौरान दोनों शहरों में और जिलों में प्रतिमाह दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की औसत दर क्रमशः लगभग 360 और 60 थी।

सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच गोलाबारी

174. **श्री ई० अय्यापु रेड्डी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच कोई गोलाबारी हुई है; यदि हां, तो दोनों पक्षों के कितने लोग हताहत हुए;

(ख) क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने 8-6-1985 को प्रेस में वक्तव्य दिया, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान का दावा दिया गया था; और

(ग) क्या उक्त क्षेत्र भारतीय सेना के वास्तविक नियंत्रण और कब्जे में है; और यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में पाकिस्तानी और भारतीय फौजों के बीच गोलाबारी की घटनाएं हुई हैं। दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए। इस सम्बन्ध में ब्यौरे देना वांछनीय नहीं होगा।

(ख) सरकार ने 8 जून, 1985 को पाकिस्तानी विदेश मंत्री द्वारा पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा में दिए गए वक्तव्य से सम्बन्धित रिपोर्टों को समाचार पत्रों में देखा है जिसमें उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र को "पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों" का हिस्सा बताया है।

(ग) सियाचिन ग्लेशियर भारत का एक अभिन्न अंग है और इस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है।

पेट्रोल-हाइड्रोजन से चलने वाली कारें

175. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **पेट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की "न्यू पेट्रोल-हाइड्रोजन" से चलने वाली कारों की जानकारी है, जिनकी 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रदूषण को कम करने के लिए पश्चिमी जर्मनी और अन्य पश्चिम राष्ट्रों में जांच की जा रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है (टेलीग्राफ, 25 मई, 1985);

(ख) क्या इस प्रकार के किसी ईंधन की भारत में जांच की जा रही है और यदि हां, तो इस बारे में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देश में पहले किये गये नये डिजाइन वाले इंजनों के विकास के बावजूद, भारत में अल्कोहल का पेट्रोल से चलने वाली कारों में प्रयोग नहीं किया जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार का इस दिशा में अपने अनुसंधान और विकास की पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव है और क्या इसके पास 21वीं शताब्दी के लिए तैयार रहने के लिए स्पष्ट उद्देश्य और सम्बद्ध परियोजनायें हैं, जैसा कि अन्य देशों द्वारा किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां। गत कई वर्षों से पश्चिमी देशों में कारों और अन्य वाहनों में हाइड्रोजन को उपयोग में लाने का काम चल रहा है। बहुत से देशों में हाइड्रोजन को भविष्य में ईंधन के रूप में मान लिया है।

(ख) सम्बन्धित विषय पर कुछेक विश्वविद्यालयों और इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी में प्रयोगशाला अध्ययन किए गए हैं।

(ग) जी, हां। पेट्रोल वाली कारों में अल्कोहल का व्यापारिक प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और न इस देश में अल्कोहल से चलाये जाने वाली विशेष इंजनों का निर्माण किया जा रहा है।

(घ) यद्यपि आटोमोटिव फ्यूल के रूप में प्रयोग में लाए जाने के लिए पावर अल्कोहल के साथ पेट्रोल के मिलाने की प्रौद्योगिकी संस्थापित की गई है, भारत में आटोमोटिव फ्यूल के रूप में अल्कोहल का व्यापारिक प्रयोग व्यवहार्य नहीं पाया गया है क्योंकि इस प्रयोजन के लिए अधिशेष अल्कोहल अधिनियम आधार पर उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त अल्कोहल के ईंधन के रूप में उपयोग, वैसे औद्योगिक कच्चे माल के लिए अनुकूलतम उपयोग योग्य नहीं माना गया है जो देश में उच्च मूल्य के रसायनों को बनाने के लिए अधिमान्यतः प्रयोग में लाया जा सकता है।

6 एपीए के उत्पादकों को निम्न दरों पर पैंसलीन की आपूर्ति

176. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : —

(क) क्या उसके मंत्रालय ने पैंसलीन के देशी निर्माताओं को अनुदेश जारी किये हैं कि 6 एपीए के उत्पादकों को सरकार द्वारा नियत किए गए मूल्य से कम दरों पर पैंसलीन सप्लाई की जाये;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान प्रतिमाह सप्लाई की गई पैंसलीन की मात्रा कम्पनी का नाम तथा उसका मूल्य क्या है;

(ग) क्या जिन पार्टियों ने रियायती दरों पर पैंसलीन प्राप्त की उनमें से कुछ ने इसे पुनः पैंसलीन के देशी निर्माताओं को बेच दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) एच० ए० एल० एवं आई० डी० पी० एल० ने अगस्त, 1984 में 6-ए० पी० ए० के उत्पादकों को 500 रु० प्रति बी० यू० की दर पर पोटेशियम पैंसलीन की आपूर्ति करने का प्रस्ताव रखा था।

(ख) से (घ) उपलब्धियों की सीमा तक सूचना की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सोडा ऐश का उत्पादन और खपत

177. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी सोडा ऐश कम्पनियां चल रही हैं और वे कहां-कहां स्थिति हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) देश में सोडा ऐश की वार्षिक खपत कितनी है;

(ग) क्या मांग को पूरा करने के लिए सोडा ऐश का आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने सोडा ऐश का आयात किया गया;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में सोडा ऐश की बढ़ती मांग को देखते हुए इसके उत्पादन के लिए और अधिक एकक स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस समय देश में सोडा ऐश के 6 संयंत्र कार्य कर रहे हैं। इन संयंत्रों के स्थान और 1984-85 के दौरान इनका उत्पादन निम्न प्रकार था :—

एकक का नाम	स्थान	उत्पादन (1984-85)	
1. टाटा केमिकल्स लि०	मिथापुर, गुजरात	467692	टन
2. सौराष्ट्र केमिकल्स	पोरबन्दर गुजरात	206390	टन
3. ध्रांगंधरा केमिकल्स वर्क्स	ध्रांगंधरा, गुजरात	62044	टन
4. हरी फर्टिलाइजर्स लि०	शाहपुरी, वाराणसी, यू० पी०	10029	टन
5. टूटीकोरिन अल्कली केमी० एण्ड फर्टि० लि०	टूटीकोरिन, मद्रास	59976	टन
6. पंजाब नेशनल फोर्ट, एण्ड केमिकल्स लि०	नंगल, पंजाब	9113*	

*वाणिज्यिक उत्पादन 26-1-1985 से प्रारम्भ किया।

(ख) 1983-84 के दौरान सोडा ऐश की अनुमानित खपत 7.90 लाख टन थी। 7 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ यह अनुमान था कि 1984-85 के दौरान 8.50 लाख टन सोडा ऐश की खपत होगी। तथापि, विभिन्न तथ्यों के कारण 1984-85 में सोडा ऐश की खपत में अनुमानों की तुलना में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि गत तीन वर्षों के दौरान सोडा ऐश से सम्बन्धित वास्तविक आयात के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। इस सांख्यिकी का संलग्न और प्रकाशन महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी कलकत्ता द्वारा किया जाता है। आंकड़ों के संकलन और प्रकाशन में सामान्यतः समय लगता है। सांख्यिकी का संकलन हो जाने पर उसे भारत के विदेशी व्यापार की मासिक सांख्यिकी भाग II में प्रकाशित किया जाता है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ङ) और (च) जी, हां, सोडा ऐश की भावी मांग को पूरा करने के लिए 5.26 लाख टन की एक अतिरिक्त क्षमता अनुमोदित की गई है।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, हल्दिया, कम्पलेक्स

178. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया स्थित हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, कम्पलेक्स का काम, जिसकी सोडा राख बनाने की वार्षिक क्षमता 60,000 मैट्रिक टन है, बहुत पहले ही पूरा हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो संयंत्र द्वारा उत्पादन करने में असफल होने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क)

जी, हां ।

(ख) संयंत्र द्वारा उत्पादन नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ कच्चे माल एच० एफ० सी० के अन्य संयंत्रों से प्राप्त किये जाने हैं जो अभी प्रारम्भ नहीं हुए हैं ।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, हल्दिया के साथ विदेशी तथा भारतीय फर्मों का व्यापार

179. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी और भारतीय फर्मों द्वारा हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, हल्दिया के साथ व्यापार किया जाता है और यदि हां, तो उसके नाम क्या हैं;

(ख) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के अन्य किसी एकक द्वारा बड़ी संख्या में विदेशी फर्मों के साथ ऐसा व्यापार किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे एककों के नाम क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां । अनेक भारतीय और विदेशी कंपनियों का एच० एफ० सी० हल्दिया के साथ व्यापार सम्बन्ध हैं । ऐसी फर्मों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन के तीन एकक हैं दुर्गापुर, बरौनी और नामरूप । इन एककों के उत्पादों-मध्यवर्ती तथा अन्तिम उत्पाद दोनों की संख्या कम है । इसके परिणामस्वरूप उनको कम विदेशी कंपनियों से व्यापार करना पड़ता है ।

विवरण

मूल तथा विस्तृत इंजीनियरी

संयंत्र/अनुभाग	मूल इन्जीनियरी	विस्तृत इजीनियरी
1	2	3
(1) अमोनिया		
(क) गैसीफिकेशन	सेल (हालैण्ड)	पी० डी० आई० एल०
(ख) रेक्टिसोल	लुर्गा	,,
(ग) शिफ्ट	पी० डी० आई० एल०	,,
(घ) सिंथेसिस	टेक्नीमोन्ट	,,
(ङ) भण्डारण तथा वसूली	टेक्नीमोन्ट	,,
2. यूरिया	टेक्नीमोन्ट	,,
3. सल्फ्यूरिक एसिड	पी० डी० आई० एल०	,,
4. फास्फोरिक एसिस	निसान	,,

1	2	3
5. निट्रिक एसिड	पी० डी० आई० एल०	,,
6. अमोनिया सल्फेट	पी० डी० आई० एल०	,,
7. एन० पी० के०	स्टेमीकार्बन नीदरलैंडस	एन्सा हयूट्रे
8. सोडा आश	पोलिमेक्स चेकप	पालीमेक्स चेकप
9. मेथानोल		
(क) सिन्थेसिस	हाल्दर टोपसी	पी० डी० आई० एल०
(ख) रिफाइनिंग स्टोरेज और फिलिंग	पी० डी० आई० एल०	पी० डी० आई० एल०

प्रमुख निष्पादक

(क) सिविल

1. मै० एच० सी० सी० लि०
2. मै० एन० बी० सी० सी० लि०
3. मै० जेमन (आई०) लि०
4. मै० ई० सी० सी० लि०
5. मै० ब्रिज एण्ड रूफ (आई०) लि०
6. मै० सिम्पलैक्स लि०
7. मै० जेमन डंकरली एण्ड कं० लि०

(ख) मेकेनिकल

1. मै० बी० एच० ई० एल०
2. मै० हेड विरिंगटन (आई०) लि०
3. मै० डेवी आशमोर
4. मै० ब्रिज एण्ड रूफ (आई०) लि०
5. मै० स्टीवर्ड्स एण्ड लवाइडस

(ग) इलैक्ट्रिकल

1. मै० क्रोम्पटन ग्रीएव्ज
2. मै० बम्बई सुवरवान इलैक्टिक कम्पनी
3. मै० टेक्नो इलैक्ट० इन्जी० कंपनी

(घ) इन्सूमेन्टेशन

1. मै० इलैक्ट्रो जेबोड (आई०) लि०
2. मै० वूसटवेल (आई०) लि०
3. मै० टेलर इन्सूमेंट (आई०) लि०

उपस्कर का आपूर्ति :

संयंत्र	उपस्कर	स्थापित संख्या	कार्य	उत्पादक आपूर्तिकर्ता
प्र	2		3	4
अमोनिया	सिन्थेसिस कम्प्रैसर	1	कम्प्रेलिंग अमोनिया सिन्थेसिस गैस	न्यूवोपिलोन भेल
	रेफरीजरेशन कम्प्रैसर	1	लिक्वीफिकेशन आफ अमोनिया	न्यूवोपिगनोल भेल

1	2	3	4
नाइट्रोजन कम्प्रैसर	1	कम्प्रेसिंग नाइट्रोजन	,,
एयर कम्प्रैसर	1	कम्प्राइजिंग एटमोस फियरिक एयर	डी० ई० एम० ए० जी०
आक्सीजन कम्प्रैसर	3	कम्प्राइजिंग आक्सीजन	लिड/एटलस-कोपको/सील
वायलर फीड वाटर पम्प्स	2	हाई प्रेशर वेस्टहीट वायलरों को पानी की आपूर्ति करना	पोम्पस गिने
हाई प्रैसर फीड स्टोक पम्प	5	द्रवीकरण के लिए फीट स्टाक की आपूर्ति	रिनीसटेहलंग
वाटर सेटुरेटर	1	शिफट रिएक्शन के लिए स्कीम की आपूर्ति करना	लारसन और टयूबरो
मेथानोल सिन्थेसिस	1	मेथनोल सिन्थेसिस के लिए	ताजी वी० सी०
कम्प्रेसर		मेकअप गैस की कैम्प्रेसिंग	पी०
हाइड्रोजिनिरेटर/एच 2 एस एवजोरवर	1	सिंथेसिस गैस से सल्फर कम्पाउन्डों को हटाना	टी० एल० एल०
एक्सट्रेक्शन कालम	1	मेथनोल का बरिष्करण	टी० एस० एल०
मेथानोल कालम	1	-वही-	ब्रिड एण्ड
टाइल्स कालम	1	-वही-	,, ,,
रिएक्टर	4	सिन्थेसिस आफ मेथेनोल	वी० एच० पी० वी०
यूरिया कारबेमेट पम्प्स	3	उच्च प्रेशर पर रिएक्टर को रिसाइकल्ड अमोनिया फीड करना	वर्थिंगटन
अमोनिया पम्प	2	उच्च प्रेशर पर रिएक्टर को तरल अमोनिया फीड करना	वर्थिंगटन
कार्बन-डि-औक्साइड कम्प्रेसर	1	रिएक्टर को उच्च प्रेशर पर सी ओ-2 का अम्पेसिंग और फीडिंग	डेमाग
सोडा आश लाइम किलन	1	कोक की उपस्थिति में केलशियम कार्बोनेट को जलाना	ए० सी० सी०

1	2	3	4
डिस्टिलर	2	अमोनिया रिजनरेशन	वी० एच० पी० वी०
कारबोनेटिंग टावर	3	अमोनियेटेड वाइन का कार्बोनेशन	पोलीमेक्स
अमोनिया एवजोरवर	1	अमोनिएशन आफ ब्राइन	हुगली डोग
कार्बन डाइ आक्साइड कम्प्रेसर	1	कम्प्राइजिंग सी ओ-2 गैस	रेतेयू
केलसिनर	1	ताप से कार्बोनेट के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिंग	पोलीमेक्स
मोनोहाइड्रेटर	1	मेकिंग डेन्स सोडा ड्राइंग	पोलीमेक्स हुगली
ड्रायर कूलर	1	अन्तिम (प्रत्येक) उत्पाद की कूलिंग	डोक
अमोनियम सल्फेट			
प्रेयन फिल्टर	1	सलरी फिलटरेशन	सी० एल० आई०
रोटेरी ड्रम फिल्टर	2	सलरी फिलटरेशन अमोनियम कार्बोनेट सोल्यू०	इमीको के० सी० पी०
कार्बोनेशन टावर	1	तैयार करना	
रिएक्टर एसेम्बली	5	अमोनियम कार्बोनेट और जिम्पसम के बीच रिकएक्शन	
एम० पी० के०			
बाल मिल	2	ग्रिंडिंग रोक फास्फेट	भारत आर० पी० जी०
प्रेयन फिल्टर	1	सलरी फिलटरेशन	इनसा ह्यूटरी
कोएटिंग ड्रम	1	अंतिम उत्पाद की कोटिंग	-वही-
डिजोलविंग रिएक्टर	2	प्रतिक्रिया उत्पन्न करना	-वही-
प्रिसिपिटेटर	2	क्रेसिंग प्रतिक्रिया उत्पन्न करना	-वही-

1	2	3	4
न्यूट्रेलाइजर	1	-वही-	-वही-
सल्फ्यूरिक एसिड			
मैन एयर ब्लोअर	2	सल्टर फर्नेस को वायु की आपूर्ति करना	सोलिवेन्ट वेनटेक
सल्फर पम्प टरबाइन	2	सल्फर पम्प को ड्राइव करने के लिए	केसटनर
वायलर-इकोनोमाइजर	1	प्रतिक्रिया के ताप से स्टीम तैयार करना	इंसा
निट्रिक एसिड			
एयर कम्प्रेशर	1	अमोनिया ओक्सीडेशन के लिए वायु की आपूर्ति करना	देलावलस्टो
एवजोरप्शन टावर	6	एन ओ-2 का अवशोषण तथा एन ओ का आक्सीडेशन	ए० पी० वी०
अमोनिया वरनर कम रिएक्टर	2	अमोनिया का आक्सीडेशन	वी० एच० एल०
वायलर	2	प्रतिक्रिया के ताप से स्टीम उत्पन्न करना	पोलीमेक्स
फास्फोरिक एसिड			
परायन फिल्टर	1	सलरी फिलटरेशन	स्पीओहिम
रिएक्शन फ्यूल स्क्रूवलर	1	जल से कोरेसिव गैस का मार्जन	एयर इन्ड०
ग्राउन्ड राक फास्फेट के फीडर	1	उचित अनुपात में ग्राउण्ड राक फास्फेट मिक्स करने के लिए	वुरीमट
98 प्रतिशत सल्फ-यूरिक एसिड तनु-करण तथा शीतली-करण एकक	1	एसिड के तनुसरण तथा शीतली-करण के लिए	विर्कव

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम हल्दिया में सुरक्षा उपाय

180. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, हल्दिया में कार्य करने वाले इन्जीनियरों द्वारा लगाए गए आरोपों से अवगत है कि 86 करोड़ रुपए की निर्धारित राशि के भीतर परियोजना का डिजाइन बनाते समय मूल डिजाइनकारों को सुरक्षा के बहुत से पहलुओं, यहां तक उसके नाजुक क्षेत्रों में भी कटौती करनी पड़ी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समुद्र तट क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए फ्रांस की तेल कम्पनी सी० एफ० पी० के साथ समझौता

181. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **पेट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र-तट क्षेत्रों में तेल को संयंत्र के लिए फ्रांस की तेल कम्पनी, सी० एफ० पी० के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो समुद्र-तट पर किन क्षेत्रों में तेल की खोज की जाएगी;

(ग) उक्त खोज कार्य लगभग कितने समय में शुरू कर दिया जाएगा; और

(घ) उक्त समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तट रक्षकों की भर्ती

182. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट रक्षकों की संख्या में वृद्धि करने की अब अधिक आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें भारत के पूर्वी तट पर नियुक्त करने और अधिक संख्या में तट रक्षकों को भर्ती करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) देश में पर्याप्त संख्या में तट रक्षकों को नियुक्त अथवा भर्ती करने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) तट रक्षकों की विस्तृत योजनाओं और इन योजनाओं की कार्यान्विति करने

के लिए कार्मिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय आधार पर संचालित योजनाबद्ध नियमित भर्ती करके तट रक्षक संगठन में सीधी भर्ती द्वारा कार्मिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है और उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जहां जरूरी है, तट रक्षक संगठन जब तक अपने कार्मिक भर्ती करके उन्हें प्रशिक्षण नहीं दे देता तब तक वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना से योग्य प्रशिक्षित कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति/पुनः रोजगार के आधार पर नियुक्त करता है।

देश में टेलीफोनों की व्यापकता

183. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक (31 मार्च, 1985) को टेलीफोनों की व्यापकता (प्रति एक हजार व्यक्तियों पर टेलीफोनों की संख्या) कितनी रही और प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में टेलीफोनों की संख्या कितनी थी;

(ख) टेलीफोनों की उक्त व्यापकता की स्थिति एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के अग्रणी देशों तथा पश्चिम के अग्रणी देशों और समाजवादी देशों और जापान में टेलीफोनों की व्यापकता की तुलना में कैसी है;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या कदम उठाए गए हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में टेलीफोनों की व्यापकता कितनी हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31 मार्च, 1985 को देश में टेलीफोन का घनत्व (प्रति हजार व्यक्तियों के लिए टेलीफोन की संख्या) 5.01 है।

31 मार्च, 1985 को प्रत्येक संबंधित राज्य/संघ क्षेत्रों के टेलीफोन घनत्व की सूचना क्षेत्रीय यूनिटों से एकत्रित की जा रही है फिर भी, 30 सितम्बर, 1984 को घनत्व का ब्यौरा संलग्न विवरण-एक में दिया गया है।

(ख) विभिन्न देशों में टेलीफोन घनत्व का तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) योजना आयोग को प्रस्तुत किए गए दूरसंचार की सातवीं योजना के प्रस्ताव में वर्ष 1990 तक 70 लाख मुख्य टेलीफोन लाइनें सीधी एक्सचेंज लाइनें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। यदि यह कार्यक्रम स्वीकृत हो जाता है तो वर्ष 1990 तक सभवतः यह घनत्व प्रति हजार जन-संख्या के लिए लगभग 8.5. सीधी एक्सचेंज लाइनें तथा लगभग 11 स्टेशन हो जाएगा। फिर भी योजना आयोग अभी इस प्रस्ताव हर विचार कर रहा है तथा वास्तविक व्यवस्था संसाधनों की उपलब्धता पर ही निर्भर करेगी।

विवरण-एक

राज्य/संघ क्षेत्र	प्रति 1000 जनसंख्या के लिए टेलीफोन
I. राज्य	
1. आन्ध्र प्रदेश	3.99
2. असम	1.43
3. बिहार	1.02
4. गुजरात	7.68
5. हरियाणा	3.84
6. हिमाचल प्रदेश	3.85
7. जम्मू व काश्मीर	3.99
8. कर्नाटक	5.30
9. केरल	5.94
10. मध्य प्रदेश	1.87
11. महाराष्ट्र	11.91
12. मणिपुर	1.83
13. मेघालय	4.63
14. नागालैण्ड	4.50
15. उड़ीसा	1.51
16. पंजाब	6.19
17. राजस्थान	3.07
18. सिक्किम	5.36
19. तमिलनाडु	6.24
20. त्रिपुरा	1.82
21. उत्तर प्रदेश	1.71
22. पश्चिम बंगाल	5.50
II. संघ क्षेत्र	
1. अण्डमान निकोबार	5.77
2. अरुणाचल प्रदेश	2.50

1	2
3. चण्डीगढ़	42.66
4. दादरा व नागर हवेली	3.90
5. दिल्ली	49.01
6. गोवा दमन दिव	10.27
7. मिजोरम	2.16
8. पाण्डीचेरी	7.59
9. लक्षद्वीप	10.95

टिप्पणी : 30-9-84 को टेलीफोनों की स्थिति ।

विवरण-दो

क्रमांक देश	टेलीफोन प्रति 1000 जनसंख्या
1 2	3
I. भारत	4.3
II. तृतीय विश्व के प्रमुख देश	
(क) एशिया	
1. श्रीलंका	7.1
2. इजरायल	346.7
3. मलेशिया	61.10
4. फिलिपीन	15.4
5. सिंघापुर	342.4
6. थाईलैण्ड	10.3
7. हांग-कांग	372.2
(ख) अफ्रीका	
1. अल्जीरिया	31.1
2. इथोपिया	3.1
3. केन्या	12.5
(ग) लेटिन अमरीका	
1. कोष्टारिका	117.6

1 2	3
2. मेक्सिको	81.3
3. अर्जेंटीना	111.9
III. प्रमुख पश्चिमी देश	
1. यू० एस० ए०	760.3
2. कनाडा	630.9
3. इंगलैंड	516.6
4. नीदरलैंड	559.7
5. जर्मनी (संघीय गणतंत्र)	509.3
6. फ्रांस	541.4
7. आस्ट्रिया	440.4
8. स्वीडन	856.4
9. डेनमार्क	702.7
10. फिनलैंड	546.2
IV. समाजवादी देश	
1. हंगरी	125.0
2. पोलैण्ड	100.2
V. जापान	519.7

स्रोत : कॉमन कैलियर टेलीकम्युनिकेशन स्टेटिसटिक्स की वार्षिक पुस्तिका (11वां संस्करण)

[हिन्दी]

बर्मा सरकार के पेंशनभोगियों की पेंशन दर में वृद्धि

184. **श्री हरीश रावत** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय बर्मा सरकार के भूतपूर्व पेंशनभोगियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन पेंशनभोगियों की पेंशन दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) बर्मा सरकार के भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन देने का उत्तरदायित्व बर्मा सरकार का ही है यद्यपि उन्हें भारत में पेंशन विभिन्न खजानों और

रक्षा लेखा नियंत्रण (पेंशन), इलाहाबाद के माध्यम से दी जा रही है इसलिए उनकी पेंशन में किसी भी प्रकार की वृद्धि के प्रश्न पर उसी सरकार को विचार करना होता है। फिर भी, भारत के नागरिक होने के नाते इन भूतपूर्व सैनिकों की मदद करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय के कहने पर विदेश मंत्रालय ने नवम्बर, 1978 में बर्मा सरकार से अनुरोध किया था कि वे बढ़ती हुई महंगाई को पूरा करने के लिए इन पेंशनरों को कुछ राहत मंजूर करें। उस समय एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार इन पेंशनरों की संख्या लगभग 2000 थी।

चूंकि स्मरण पत्र भेजने के बावजूद भी बर्मा सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ इसलिए फरवरी, 1985 में उन्हें दूसरा स्मरण पत्र दिया गया।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करना

185. **श्री हरीश रावत** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए स्थान का चुनाव करते समय उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा; और

(ग) क्या इस पीठ के सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही कार्य आरम्भ करने की संभावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) जसवंस सिंह आयोग ने, जिसे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने के प्रश्न की समीक्षा करके रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल, 1985 को सरकार को दे दी है। आयोग की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

[अनुवाद]

एबोट, बार्नर, हिन्दुस्तान आदि द्वारा भारत में व्यापार की स्थापना

186. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एबोट, बार्नर, हिन्दुस्तान ग्लेक्सो, ईस्फ-मेरक, बूट्स, होचेस्ट, बुरोवेल्कम, पार्क डेविस राउसर्ले, फिजर सिअरल, संडोज, डूफर इंटरफर्म एस० ई० एण्ड एफ० और जर्मन रेमेडीज द्वारा भारत में किन तारीखों को व्यापार स्थापित किया गया था; और

(ख) उनका मूल निवेश कितना था ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) उपलब्धि की सीमा तक संबद्ध आंकड़े संलग्न विवरण पत्र में दर्शाए गए हैं।

विवरण

क्रमांक	कम्पनी का नाम	भारत में निगमित किए जाने का वर्ष	मूल साम्य (रु० लाख)
1.	अबोट	1946	अनुपलब्ध
2.	वार्नर हिन्दुस्तान	1962	70.00
3.	ग्लैक्सो	1924	1.50
4.	ई-मर्क	1967	20.00
5.	बूट्स	1929	10.00
6.	हैक्सट	1956	20.00
7.	बर्रो वैलकम	1912	5.00
8.	पार्क डेविस	1907	87.50
9.	रूसल	1956	1.96
10.	फाइजर	1952	2.00
11.	सर्ले	1967	6.00
12.	सैन्डोज	अनुपलब्ध	10.00
13.	डूफर इंटरफान	1951	8.00
14.	एस० के० एण्ड एफ०	1950	ब्रांच
15.	जर्मन रेमेडीज	1949	अनुपलब्ध

स्वदेशी चमड़ा रसायन की उपलब्धता

187. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जून, 1985 को "विजनेस स्टैण्डर्ड में इम्पोर्ट ट्रेम्पलर्स लैदर एन्जाइम मेकर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि भारत में निर्मित एक चमड़ा रसायन को बंगलादेश, पाकिस्तान और नेपाल की चर्मशालाओं द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है जबकि भारत की चमड़ा यूनिटें ऊंचे दामों पर रसायन का आयात करती हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और ऐसे हानिकारक आयात को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लघु क्षेत्र में एक एकक द्वारा धारीय (अल्कालाइन) मध्यवर्ती वस्तु के लिए इंजाइम का सूत्रिम चर्म सारपूर्ण घोल (फार्मुलेटिड लैदर वेट्स) बनाया जाता है। इस सामग्री की आपूर्ति चमड़ा उद्योग को की जाती है। सरकार को वस्तु का कोई विशिष्ट निर्यात होने की जानकारी नहीं है। आयात केवल उन्हीं सूत्रिम (फार्मुलेटिड) उत्पादों का किया जा रहा है जो गुणवत्ता की दृष्टि से उत्कृष्ट या अम्लीय मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए अपेक्षित होते हैं। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए चमड़ा उद्योग सम्बन्धी आयात नीति में उद्योग की महत्ता को भी ध्यान में रखा जाता है।

प्रौद्योगिकी का आयात

188. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने हाल में सुझाव दिया है कि प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए उद्योगों को सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति दी जाए;

(ख) क्या प्रौद्योगिकी को आयात की मांग खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो योजना का अन्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किए जाने की सम्भावना है?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) प्रौद्योगिकी के आयात के लिए शर्तों के उदारीकरण और क्रिया-विधियों के सरलीकरण की जांच करने के लिए अन्तर्विभागीय कार्यकारी दल का गठन किया गया है। यह उन क्षेत्रों/उद्योगों के बारे के भी सुझाव देगा, जहां खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी के आयात के रूप में और सरलीकरण औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया। कार्यकारी दल की रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की गई है।

[हिन्दी]

अजमेर टेलीफोन का दोषपूर्ण कार्यकरण

189. **श्री विष्णु मोदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अजमेर टेलीफोन एक्सचेन्ज के दोषपूर्ण कार्यकरण के कारण उपभोक्ताओं को हो रही कठिनाइयों के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अजमेर टेलीफोन एक्सचेन्ज (राजस्थान) के कार्यकरण की जांच हेतु तकनीकी रूप से अनुभवी इंजीनियरों के एक दल को भेजने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह दल वहां कब तक भेजा जाएगा और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। अजमेर के टेलीफोन उपभोक्ताओं को जो दिक्कतें हो रही हैं, केवल उन्हीं के बारे में व्यक्तिगत शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जी नहीं। टेलीफोन प्रणाली सामान्यतः संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। फिर भी केबिल में खराबी उत्पन्न हो गई थी जिसे पहले ही दूर कर दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए लागू नहीं होता।

राजस्थान में मानव चालित टेलीफोन एक्सचेन्ज को सीधे डायल द्वारा घुमाकर टेलीफोन व्यवस्था में परिवर्तित किया जाना

190. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान में उन टेलीफोन एक्सचेंजों को, जहां पर सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था नहीं है, सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था में परिवर्तित करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान किन-किन स्थानों पर इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस योजना को किस अवधि तक कार्यान्वित करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राजस्थान में मैनुअल एक्सचेंजों का स्वचलीकरण चरणबद्ध रूप में किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान तीन एक्सचेंजों अर्थात् सीकर, चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर को स्वचल बनाये जाने की संभावना है।

(ग) राजस्थान में 140 मैनुअल एक्सचेंज हैं। इनमें से एक तिमाई एक्सचेंजों को सातवीं योजना में स्वचल बनाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो जाएं।

[अनुवाद]

उल्हासनगर और अम्बरनाथ (महाराष्ट्र) से सीधे डायल करने की सुविधा

191. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उल्हासनगर (महाराष्ट्र) में हाल ही में एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज चालू किया गया है; और यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी लागत आई है;

(ख) क्या उल्हासनगर और अम्बरनाथ से कोई सीधे डायल कर सकने (एस० टी० डी०) की सुविधा नहीं है; और यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) उक्त एक्सचेंज की वर्तमान क्षमता कितनी है और क्या इसका लक्ष्य 30,000 काल प्रति घंटा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। परियोजना की लागत 6.78 करोड़ रुपए है।

(ख) अमरनाथ से बंबई के लिए एस० टी० डी० सुविधा पहले से ही उपलब्ध है तथा चालू वर्ष के दौरान संभवत: यह सुविधा उल्हासनगर में उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ग) एक्सचेंज की मौजूदा क्षमता 7,000 लाइनें है तथा इस एक्सचेंज की अधिकतम काल निपटाने की क्षमता 56,000 काल प्रति घंटा है।

देश में सुपरफास्फेट उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

192. **श्री हरिहर सोरेन** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में कुछ सुपरफास्फेट उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) इन संयंत्रों पर कितनी लागत आयेगी; और

(घ) इन सुपरफास्फेट संयंत्रों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन कब शुरू किए जाने की आशा है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) जी हां। देश में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित सुपर फास्फेट संयंत्रों की स्थापना हेतु सरकार को आई० (डी० एण्ड आर०) अधिनियम 1951 के अधीन अनेक आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं।

आशय पत्र, देश में एस० एस० पी० की मांग को ध्यान में रखते हुये जारी किए जाते हैं। प्रतिवर्ष 66.000 टन एस० एस० पी० और 33,000 टन सल्फ्यूरिक एसिड की क्षमता वाले प्रत्येक संयंत्र की वर्तमान अनुमानित लागत लगभग 7 करोड़ रुपए है और जिसे वाणिज्यिक उत्पादन के लिए आशय पत्र जारी करने की तिथि से दो से ढाई वर्ष तक की अवधि में पूरा किया जा सकता है।

घड़ियों का उत्पादन

193. **श्री हरिहर सोरेन** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कितनी घड़ियों का उत्पादन होता है;

(ख) 1984-85 में कितनी घड़ियां तैयार की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने 1985-86 के दौरान घड़ी उद्योग को कुछ प्रोत्साहन दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) वर्ष 1981, 1982, 1983 और 1984 का कलाई घड़ियों (यांत्रिकी/क्वार्ट्ज एनालाग) का वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन (लाख नगों में)
1981	56.29
1982	64.03
1983	59.46
1984	60.26

(ख) वर्ष 1984-85 में 62.91 लाख कलाई घड़ियों का उत्पादन हुआ।

(ग) जी, हां।

(घ) कलाई घड़ियों के पुर्जों और सहायक हिस्से-पुर्जों तथा घड़ी साजी की मशीनों एवं कुछ कच्चे माल पर 28-2-1985 से आयात शुल्क में कमी की गई है। 28-2-1985 के पहले और बाद की शुल्क की तुलनात्मक दरें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कलाई घड़ी उद्योग का शुल्क ढांचा

मद	शुल्क की पुरानी दर				शुल्क की नई दर				
	मूल	सहायक	सी० वी० डी०	कुल	मूल	सहायक	सी० वी० डी०	कुल	छूट
(क) कच्चा माल									
1. एस० एस० फ्लैट्स	150%	40%	रु० 330 प्रति मी० टन	190%	15%	शून्य	शून्य	15%	175%
2. एस० एस० स्ट्रिप्स	220%	20%	रु० 650 प्रति मी० टन	240%	15%	शून्य	शून्य	15%	225%
3. होरोलोजीकल ब्रास, सुपर एलाय, स्ट्रिप्स, सिन्थेटिक रूबी	50%	25%	रु० 5,600	75%	15%	शून्य	शून्य	15%	60%
(ख) मशीनरी	40%	25%	शून्य	65%	10%	30%	शून्य	40%	25%
(ग) कलाई घड़ी के हिस्से पुर्जे	(शुल्क की रियायती)								
	50%	25%	10%	925%	10%	30%	शून्य	40%	52.5%
(घ) पुरःस्थिति पुर्जे	(शुल्क की रियायती)								
	50%	25%	10%	925%	30%	30%	शून्य	60%%	32.5

[हिन्दी]

सरकारी कारखानों में निम्न स्तर की औषधियों का बनाया जाना

194. **श्री विष्णु मोदी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कारखानों द्वारा निर्मित घटिया औषधियों की सप्लाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में की गई शिकायतों के बारे में जांच की है;

(ग) यदि हां, तो जांच के दौरान कौन-कौन से तथ्य सामने आए; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) सरकार का ध्यान दिनांक 10 मार्च, 1985 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसका शीर्षक था सरकारी कारखाने से घटिया दवा की आपूर्ति। इस सम्बन्ध में सूचना पहले ही लोक सभा को अ० प्र० 2223 के उत्तर में 9 अप्रैल, 1985 को दी जा चुकी है।

[अनुवाद]

डाक विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में शिकायत कक्षों की स्थापना

195. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने विभिन्न राज्यों में शिकायत कक्ष स्थापित किए हैं;

(ख) क्या डाक विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में इस प्रकार के कोई कक्ष स्थापित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या-क्या नाम हैं जहां पर मध्य प्रदेश राज्य में ऐसे शिकायत कक्ष स्थापित किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश में जन शिकायतों को तेजी से निपटाने के लिए पोस्ट मास्टर जनरल, क्षेत्रीय निदेशक डाक सेवा, वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक डाकघर/रेल डाक सेवा तथा राजपत्रित पोस्टमास्टरों के कार्यालयों में पहले से ही शिकायत कक्ष कार्य कर रहे हैं। शिकायत किसी अन्य डाकघर को भी सुपुर्द/संबोधित की जा सकती है।

(ख) जी, हां।

(ग) मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कार्यालयों में शिकायत कक्ष काम कर रहे हैं :—

(एक) पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, म० प्र० सर्किल, भोपाल।

(दो) क्षेत्रीय निदेशक डाक सेवा, रायपुर और इन्दौर।

(तीन) वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, डाकघर, भोपाल, होशंगाबाद, सागर, विदिशा, छतरपुर, इन्दौर, इन्दौर मुफस्सिल, ग्वालियर, खण्डवा, उज्जैन, छिंदवाड़ा,

गुना, मुरैना, रतलाम, मंदसौर, सीहोर, रायपुर, दुर्ग, जबलपुर, बालाघाट, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, रीवा, शहडोल ।

(चार) अधीक्षक रेल डाक सेवा कार्यालय, भोपाल, इन्दौर, रायपुर और जबलपुर।

(पांच) पोस्ट मास्टर (राजपत्रित) का कार्यालय, इन्दौर, रायपुर, भोपाल और जबलपुर ।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा हैलीकोप्टरों और विमानों के निर्माण के लिए पुर्जों और उपकरणों का आयात

196. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड अब हैलीकोप्टरों और विमानों के निर्माण के लिए पुर्जों और उपकरणों का अब भी आयात कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो आयात में कमी करने और पुर्जे और उपकरण स्वदेश में ही बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री वी० पी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (हाल) विभिन्न किस्मों के विमानों और हैलीकोप्टरों का उत्पादन कर रहा है। तकनीकी और वित्तीय दोनों कारणों से इन विमानों तथा हैलीकोप्टरों के निर्माण के लिए अपेक्षित सभी पुर्जों और उपकरणों का देश में उत्पादन करना सम्भव नहीं है। फिर भी देश की आयातित पुर्जों और उपकरणों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति को कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के पास अधिक से अधिक पुर्जों और उपकरणों के निर्माण के स्वदेशीकरण का एक नियमित वार्षिक कार्यक्रम है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में शाखा डाकघर खोलना

197. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में कितने नए शाखा डाकघर खोले जाएंगे;

(ख) सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में एटा जिले में कितने शाखा डाकघर खोलने तथा कितने शाखा डाकघरों को उप-डाकघरों में बदलने का है; और

(ग) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) नए शाखा डाकघर खोलने के लक्ष्यों की मंजूरी योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना की स्वीकृति प्रदान करते समय प्रतिवर्ष दी जाती है। कुछ वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हो जाने के पश्चात् इसे विभिन्न सर्किलों को उनकी आवश्यकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर बांट दिया जाता है। उसके बाद पोस्ट मास्टर जनरल इसे विभिन्न डाक डिवीजनों में उनकी आवश्यकता और डाक विकास के कार्यों को मद्देनजर रखते हुए बांट देते हैं।

(ख) और (ग) विभागीय मानदण्डों के अनुसार शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय उप डाकघर बनाने और उप डाकघर खोलने का कार्य एक योजना स्कीम नहीं है। औचित्य पाए जाने पर ही ऐसा किया जाता है।

[अनुवाद]

एम्पीसिलिन और इरथामाइसीन का उत्पादन करने वाले एककों का बन्द होना

198. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इम्पीसिलिन और इरथामाइसीन जैसे महत्वपूर्ण एन्टीबायोटिक्स का उत्पादन करने वाले एकक बंद होने की स्थिति हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त दो महत्वपूर्ण औषध एककों को बंद होने की स्थिति से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विधिक सहायता स्कीम के अधीन अधिवक्ताओं की न्यूनतम फीस नियत करना

199. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश स्थानों पर विधिक सहायता केन्द्रों का कार्यकरण केवल नाममात्र का ही है;

(ख) क्या बड़े पैमाने पर और भारी मुद्रास्फीति को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार सहायता मांगने वाले की आय की सीमा बढ़ाने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्य में लगे अधिवक्ताओं की न्यूनतम फीस नियत करने का है; और

(घ) वर्ष 1984 के दौरान इन सेवाओं से देश में कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा दी जानकारी के अनुसार, कुछ स्थानों में, विधिक सहायता केन्द्र बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुछ अन्य स्थानों में विधिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न मजबूरियों के कारण, उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए।

(ख) समिति द्वारा आरम्भ में प्रस्तुत की गई आदर्श स्कीम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और बालकों को छोड़कर, नागरिक के लिए विहित आय-सीमा 5,000 रुपए थी। यह सीमा 1 अक्तूबर, 1983 से 6,000 रु० तक बढ़ा दी गई है जो राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा अपनाई जानी है। मुद्रा स्फीति को देखते हुए, उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति ने हाल ही में आय की सीमा बढ़ाकर प्रतिवर्ष 9,000 रु० कर दी है।

(ग) जी नहीं ।

(घ) समिति के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1984 के दौरान देश में इन सेवाओं से 65,944 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन

20.0 **श्री पी० कोलनंदेई वेलू** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुत्रियों को पुत्रों के बराबर अंश देने के लिए सरकार का प्रस्ताव हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी नहीं । किसी संशोधन का प्रस्ताव करने से पूर्व इस विषय के गम्भीर अध्ययन की आवश्यकता है ।

[हिन्दी]

विवाह-विच्छेद विधियों में संशोधन

201. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव विवाह-विच्छेद विधि में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० द्वारा राज्य की राजधानियों को जोड़ना

202. **श्री बी० के० गढ़वी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० की सुविधा द्वारा राज्यों की राजधानियों से जोड़ा जाना है;

(ख) यदि हां, तो कब तक सभी जिला मुख्यालयों को इस प्रकार से जोड़ दिया जाएगा;

(ग) क्या यह सच है कि वह जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा की मंजूरी मिलने पर भी भूमि उपलब्ध न होने के कारण यह चालू नहीं की जा रही;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के स्थानों के क्या नाम हैं तथा उनकी संख्या कितनी है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि एस० टी० डी० की सुविधा सहित ऐसे एक्सचेंजों की स्थापना की जाये ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) 31-3-1985 तक 432 जिला मुख्यालयों में से 171 जिला मुख्यालयों को संबंधित राज्य की राज्यधानी के साथ जोड़ दिया गया है। शेष जिला मुख्यालयों को सातवीं योजना के दौरान संबंधित राज्यों की राजधानियों के साथ जोड़ने के प्रयत्न किये जा रहे हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) से (ङ) अपेक्षित जानकारी फील्ड यूनिटों से एकत्र की जा रही है और जैसे ही सूचना प्राप्त होगी, सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रक्षा अनुसंधानों के क्षेत्र में समझौते

203. **श्री गुरुदास कामत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में इटली की सरकार के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अन्य उन्नत देशों के साथ भी इसी प्रकार के समझौते करने पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) समझौते का मुख्य उद्देश्य किसी एक या दोनों देशों की विशेष मांगों की पूर्ति करने के लिए रक्षा प्रणालियों के अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्रों में, दोनों देशों के मध्य तकनीकी सहयोग को बढ़ाना है।

(ग) जी हां। ऐसे समझौते अपने हित के क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञता के आधार पर किए जाते हैं।

(घ) यू० के०, यू० एस० एस० आर०, फ्रांस, पोलेण्ड।

उड़ीसा में सीमेंट संयंत्र स्थापित करना

204. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के वे कौन से जिले हैं जहां सीमेंट संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) उन जिलों में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) उनमें से कितने सीमेंट संयंत्र गैर सरकारी क्षेत्रों द्वारा स्थापित किए जाते हैं; और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा उड़ीसा के किन स्थानों पर सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) उड़ीसा के संभलपुर और सुन्दरगढ़ जिलों में पहले से उत्पादन कर रहे दोनों बड़े सीमेंट संयंत्रों के अलावा, उड़ीसा राज्य के जिलों में 8 सीमेंट एककों (जिनमें पर्याप्त विस्तार संबंधी प्रस्ताव और 1 पिसाई एकक सम्मिलित है) की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्र स्वीकृत करके तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण करके स्वीकृति दे दी गई है, जिनमें से 4 सरकारी क्षेत्र में और दो-दो एकक गैर-सरकारी क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र में हैं। ये योजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(घ) 1. बारगढ़, जिला संभलपुर—पर्याप्त विस्तार

2. राउरकेला, जिला सुन्दरगढ़।

3. जिला कोरापुट।

निर्वाचनों के दौरान मंत्रियों के सरकारी दौरों पर रोक

205. **श्री अमल दत्त** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा है कि निर्वाचनों के दौरान किसी मंत्री द्वारा निर्वाचन दौरे को सरकारी दौर के साथ मिलाने पर तथा सरकारी तंत्र और कर्मचारियों की सेवाओं के उपयोग पर विधि द्वारा रोक लगाई जाए;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किए जाने वाले विधायी उपायों का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) निर्वाचन आयोग ने सितम्बर, 1982 में भेजेगए अपने पूर्ववर्ती निर्वाचन सुधारों में ऐसा प्रस्ताव किया था। उन्होंने तारीख 1 मई, 1985 के अपने पत्र में पुनः इस प्रस्ताव को दोहराया है। निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सिफारशों की समीक्षा की जा रही है।

भारत लेदर कारपोरेशन में भ्रष्टाचार और कुप्रबन्ध का आरोप

206. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या भारत लेदर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन ने भारत लेदर कारपोरेशन में भ्रष्टाचार और कुप्रबन्ध के गंभीर मामलों की ओर उद्योग मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है और इसके परिणामस्वरूप कारपोरेशन को प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) भारत लेदर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन ने कंपनी के प्रबंधकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कुप्रबंध के अनेक आरोप लगाए हैं। मुख्य आरोप निम्नलिखित हैं :—

(1) यह कि प्रबंध निदेशक ने अपने अधिकार की सीमा से कहीं अधिक के उपहार दिए हैं।

(2) यह कि उन्होंने कंपनी के वित्तीय नियंत्रण को 11,440 रुपये के मूल्य का एक सोफा सेट उपहार में दिया है।

(3) यह कि प्रबंधक वर्ग निविदा प्रक्रिया का अनुपालन न करने के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा स्थानीय लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

(4) यह कि नोएडा में 10,000 रुपये मासिक किराए पर लिया गया निगम का कार्यालय पिछले 4½ वर्षों से बिना कब्जे लिए पड़ा हुआ है।

(5) मद्रास में 1.5 लाख रुपये की जमानती राशि सहित नवम्बर, 1981 में, 20,000 रुपये मासिक किराए पर लिए गए निगम के एम्पोरियम के लिए लिया गया परिसर जनवरी, 1983 तक अपने अधिकार में नहीं लिया गया है।

यूनियन द्वारा निगम के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों की जांच की जा रही है।

स्व-रोजगार योजना

207. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेराजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के अधीन विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई निधि तथा लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार उचित उम्मीदवारों के चयन के लिए "टास्क फोर्स" प्रणाली के पुनर्गठन पर विचार कर रही है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) वर्ष 1985-86 के दौरान शिक्षित बेराजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार की योजना को जारी रखने का प्रश्न सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

(घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

सैनिक अधिकारियों और जवानों को दिए जाने वाले राशन का मापदण्ड

208. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में दो प्रकार के राशन का वितरण किया जाता है जो कि एक अधिकारियों के लिए तथा दूसरा जवानों के लिए होता है;

(ख) क्या जवानों को प्रतिदिन 90 ग्राम मांस मिलता है जबकि अधिकारियों को 300 ग्राम मिलता है और क्या जवानों को प्रतिमाह 3.50 रुपये मसालों के मिलते हैं जबकि अधिकारियों को 600 ग्राम प्रति माह मसाला मिलता है जिसका मूल्य 90 रुपये है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित मानदण्ड क्या हैं और इस भेद-भाव का क्या औचित्य है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) अफसरों और जवानों के लिए राशन की दरें अलग-अलग हैं जबकि दोनों को दिए जाने वाली मदों की क्वालिटी एक जैसी होती है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। जवानों और अफसरों को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति क्रमशः 110 ग्राम और 260 ग्राम मीट मिलता है। जवानों को मसालों के बदले प्रतिमाह 3.90 रुपये मसाला भत्ता मिलता है जबकि अफसर को लगभग 9 रुपये प्रति माह मूल्य के मसाले दिये जाते हैं। अफसरों और जवानों को दिए जाने वाले राशन की दरें उनकी खाद्य आदतों और अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए अपेक्षित पौष्टिक भोजन की आवश्यकता के आधार पर अलग-अलग निर्धारित की गई हैं। वास्तव में जवान को दिए जाने वाले राशन में अफसरों को दिए जाने वाले राशन की तुलना में कैलोरी की मात्रा कुछ अधिक होती है। ये दरें सशस्त्र सेनाओं में सर्वोच्च चिकित्सा अधिकारी के साथ विचार-विमर्श करके निर्धारित की गई हैं।

[अनुवाद]

एक-समान सिविल संहिता लागू करना

209. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा मुस्लिम महिला को दिए जाने वाले भरण-पोषण के प्रश्न पर हाल में दिए गए उस निर्णय को, जिसमें ऐसे उपाय की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ध्यान में रखते हुए, एक-समान सिविल संहिता लागू करने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : जी नहीं। एक-समान सिविल संहिता बनाने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों को लागू स्वीय विधियों में परिवर्तन करना होगा। सरकार की नीति यह है कि जब तक कि अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं पहल नहीं करते हैं तब तक उनकी स्वीय विधि में कोई परिवर्तन न किए जाएं।

[हिन्दी]

पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में यू० एच० एफ० और इलैक्ट्रानिक टेलीफोन स्थापित करना

210. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिथौरागढ़, उत्तर-प्रदेश में यू० एच० एफ० और इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए स्थान का चयन अन्तिम रूप से कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त मामला किस स्थिति में है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर सकारात्मक है तो क्या प्रस्तावित स्थान तक 4 लाख रुपये की लागत से सम्पर्क मार्ग बनाने की आवश्यकता है;

(घ) क्या सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दी जायेगी ताकि प्रस्तावित स्थान पर उपरोक्त एक्सचेंज स्थापित किया जा सके; और

(ङ) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) जी हां। उपर्युक्त सड़क के निर्माण के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग ने जिला प्राधिकारियों को 4 लाख रुपये की मंजूरी दी है।

(घ) जिला प्राधिकारियों द्वारा उपर्युक्त सड़क संपर्क की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी।

(ङ) जिला प्रशासन को शीघ्र स्वीकृति जारी करने के लिए कहा जा रहा है।

[अनुवाद]

रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं की उपलब्धियां

211. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की 40 प्रयोगशालाओं पर गत पांच वर्षों के दौरान 400 करोड़ रुपये से भी अधिक की धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या इन प्रयोगशालाओं से प्राप्त परिणाम इन पर खर्च की गई धनराशि के अनुरूप हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक परियोजनाएं आठवें दशक से निष्क्रिय होती जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इस बीच इस बारे में जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। कई नई बड़ी-बड़ी आयुध प्रणालियों का विकास किया गया है और उन्हें तीनों सेनाओं में प्रयोग के लिए अपनाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

डी० बी० सी० उपकरण लगाने के लिए आने वाली राशि

212. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस के डीलर डी० बी० सी० के मामले में उपकरण जोड़ने के लिए 75 रुपए की राशि लिया करते थे;

(ख) क्या यह सच है कि पिन टाइप सिलिण्डरों को शुरू करने के बाद वह जोड़ने वाला उपकरण अब बेकार हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उपभोक्ता उक्त उपकरण को जमा करने के बाद डीलर से 75 रुपए अथवा उससे कुछ कम राशि वापिस ले सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) टी कनैक्टर का मूल्य सामान्तः 80 रुपये से 110 रुपये के बीच है।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) चूंकि टी कनैक्टर उपभोक्ता सम्पत्ति है, अतः एक बार अदा की गई कीमत को "एक" किस्म के उपस्कर से "एस सी" वाल्व किस्म के सिलिंडर में परिवर्तित किये जाने पर वापस नहीं जाती है।

इलैक्ट्रानिक्स एण्ड राडार डिवेलेपमेंट एस्टेब्लिसमेंट के राडार वैज्ञानिक का लापता होना

213. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक्स एण्ड राडार डिवेलेपमेंट एक्टेब्लिसमेंट का लापता राडार वैज्ञानिक का लो फ्लाइंग राडार प्रोजेक्ट से बहुत गहरा संबंध था;

(ख) क्या उसे प्रस्तावित लो फ्लाइंग राडार प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण चौथी उप-प्रणाली, क्लिस्ट्रोन ट्रांसमीटर, जिसका ठेका केलीफोर्निया, अमरीका की एस० एल० एम० कम्पनी को दिया गया था, की पूरी जानकारी थी;

(ग) क्या उसने केलीफोर्निया की एस० एम० एल० कम्पनी में नौकरी कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में अन्य क्या कार्रवाई की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) श्री वाई० रत्नाकर राव, जो कि इलैक्ट्रानिक्स एण्ड राडार डिवेलेपमेंट इस्टेब्लिसमेंट से लापता हैं, सेना के "लो लेवल अर्ली वारनिंग राडार" के ट्रांसमिशन सब सिस्टम पर कार्य करते थे। वे एल० एफ० डी० आर० परियोजना पर कार्य नहीं करते थे।

(ख) श्री वाई० रत्नाकर को क्लाइस्ट्रोन का उपयोग करने वाले ट्रांसमीटर सब-सिस्टम की कुछ जानकारी है। वे लगभग बीस वैज्ञानिकों के ग्रुप में से एक थे।

(ग) और (घ) इस बात की कोई जानकारी नहीं की है कि क्या श्री वाई० रत्नाकर राव विदेश चले गए हैं और उन्होंने केलीफोर्निया की एस० एम० एल० में कोई नौकरी स्वीकार कर ली है।

(ङ) श्री वाई० रत्नाकर राव को कड़ी सजा देने के बारे में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। बंगलौर में पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 290/85 के अन्तर्गत 18 जून, 1985 को इस बारे में भी शिकायत दर्ज कर दी गई है कि उन्होंने गलत तरीके से पासपोर्ट बनवाया है जिसमें उन्होंने यह तथ्य छुपा दिया कि वे रक्षा मंत्रालय में कार्य कर रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है।

भारत को अमेरिका और अन्य देशों द्वारा हथियारों की सप्लाई

214. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री बाला साहिब विखे पाटिल :
श्री अनन्त प्रसाद सेठी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे प्रधानमंत्री के हाल ही के रूस, अमरीका और विभिन्न देशों के दौरे पर उनके साथ गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इन देशों के रक्षा मन्त्रियों पर भारत की रक्षा आवश्यकताओं के लिए दबाव डाला है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत को हथियार सप्लाई करने के बारे में कोई समझौता और कोई अन्तिम निर्णय हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या भारत को आधुनिक हथियारों की सप्लाई के लिए अमरीका सहमत हो गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) (क) से (ङ) मैं प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि मण्डल के एक सदस्य के रूप में फ्रांस और अमरीका गया था। मुझे इन दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मुलाकातें किसी विशेष रक्षा सप्लाई या उपस्करों की प्राप्ति के लिए नहीं की गईं। इसलिए किसी भी देश के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। इन मुलाकातों में केवल सामान्य चर्चाएं हुईं।

12.00 मध्याह्न

आपातकाल की घोषणा के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव के बारे में

[अनुवाद]

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ? स्थगन प्रस्ताव के प्रश्न को हमेशा प्राथमिकता मिलनी चाहिए.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी स्वीकृति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं ? मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। मैंने किसी भी बात की अनुमति नहीं दी है। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं। कृपया चिल्लाइये नहीं। मुझे कुछ कहने दीजिए। कृपया बैठ जाइये। यह आपको शोभा नहीं देता कि आप खड़े होकर इस तरह से शोर मचाना शुरू कर दें, जबकि हम यहां मामले आपस में तय करने के लिए बैठे हैं और जबकि मैंने इसके बारे में आपको बार-बार आश्वासन दिया है। हमारी कल की बैठक में आपने एक सूची मुझे दी थी और सभी अन्य सदस्य भी तब मौजूद थे। हम एक सिद्धान्त पर सहमत हैं कि एक-एक करके हम प्रत्येक विषय पर चर्चा करेंगे जो आपने दिए हैं।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : स्थगन प्रस्ताव के बारे में आपका क्या जवाब है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है। स्थगन प्रस्ताव का कोई आधार नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे पूरी बात क्यों नहीं कहने देते ? बनातवाला जी, कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : आप हमें अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा । मैं आपको नहीं रोक रहा हूं । बनातवाला जी, कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहा हूं । नाराज मत होइये । जो कुछ मैं कह रहा हूं वह आपके लिए कह रहा हूं न कि किसी और के लिए । मैंने कहा है कि प्रत्येक विषय पर चर्चा की जायेगी जिसमें गुजरात समस्या भी सम्मिलित है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके द्वारा पूछे गये प्रश्न की अनुमति नहीं दी है, **प्रो० मधु दण्डवते** ।

प्रो० मधु दण्डवते : वह अलग बात है । स्थगन प्रस्ताव के प्रश्न पर·····

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई प्रश्न नहीं है । अनुमति नहीं दी गई है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रक्रिया के बारे में मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं·····

अध्यक्ष महोदय : अगर आप मेरा सहयोग चाहते हैं तो मैं आपको दूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह आपका आदेश है कि जब आप किसी प्रश्न की अनुमति देते हैं तो वह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता ? ऐसा कोई नियम नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में, मुझे उसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए थी । क्योंकि आपने आग्रह किया इसलिए मैंने उसकी अनुमति दे दी । इसका कोई वास्तविक आधार नहीं है । मैं इस प्रकार कार्य नहीं चला सकता । उन्होंने कुछ कहा । आपने कुछ कहा । उसके बाद इसका खण्डन किया गया । इस प्रकार काम नहीं चल सकता ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उसका हवाला दे रहा हूं जो आपने कहा है । आपने कहा है कि आप आपातकाल पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने एक प्रश्न की अनुमति दे दी है·····

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन मत कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई प्रश्न नहीं है । इसका कोई आधार नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : कृपया एक मिनट के लिए हमारी बात सुनिये ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको हमें कुछ कहने की अनुमति देनी चाहिए । आप हर नियम को ताक पर रख रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नियमों को ताक पर रखने का सवाल नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने श्री बनातवाला से कहा था कि आप उनकी बात सुनेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं कह रहा हूं । आपने मुझे ठीक से नहीं सुना । मैंने आपको बताया कि जो भी विषय आपने मुझे दिया है मैंने अनुमति दी है । मैंने प्रत्येक विषय की अनुमति दी है·····

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम इस खास विषय के बारे में बात कर रहे हैं ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : यह स्थगन प्रस्ताव के नोटिस के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव पर कोई प्रश्न नहीं । मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमन्त्री यहां मौजूद हैं । अगर आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो वह आपको दे देंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : कल हमने आपसे कहा था कि हम इस मामले को सदन में ही प्रधान मन्त्री के साथ निपटायेंगे । आप कृपया बीच में न आयें । इसीलिए हम आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं ।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : मेरा एक ऐतराज है·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल स्थगन प्रस्ताव के बारे में बात कर रहा हूं·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न ही नहीं उठता । प्रधान मन्त्री जवाब दे सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे एक बात स्पष्ट करने दें । हमने बैठक में आपसे कहा था कि हम सदन में प्रधान मन्त्री के साथ मामले को तय कर लेंगे । आप कृपया बीच में न आएं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है और प्रधान मन्त्री उत्तर दे सकते हैं ।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय·····

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : अध्यक्ष महोदय·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये·····यह क्या है ? आप ऐसा नहीं कर सकते।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं समझता हूं कि वह अपनी मासूमियत का एलान नहीं कर रहे हैं···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उसका तो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : पहली बात तो यह है कि उन्होंने क्या पूछा है····· (व्यवधान) मुझे समाप्त करने दें·····

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम स्थगन प्रस्ताव चाहते हैं। इस बात को सदन में तय करना है। प्रधान मन्त्री के बोलने से पहले आप उन्हें बतायें कि हमने क्या पूछा है। वह कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि हमने क्या पूछा है।

प्रो० मधु दण्डवते : स्थगन प्रस्ताव की यह प्रति उनके पास गयी होगी। प्रक्रिया यही है·····(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से क्या फायदा है, सारा काम आराम से हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें उत्तर देने से पहले यह मालूम होना चाहिए कि हमने क्या पूछा है।

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह निवेदन करना चाहता हूं····· (व्यवधान) दण्डवते जी, क्या मैं आपकी अनुमति से अपनी बात जारी रख सकता हूं ? मैं कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : आपको समझ लेना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। मैं पढ़कर सुनाता हूं। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : आप पढ़कर सुनायें उससे पहले मैं एक बात कहता हूं ? जब मैंने बोलना शुरू किया तो आपने व्यवधान डाला। आप मुझे पूरी बात कहने दीजिए। तब आप पढ़कर सुना सकते हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइये।

श्री राजीव गांधी : आप मुझे पूरी बात क्यों नहीं कहने देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं आपकी मदद् करने की कोशिश कर रहा हूं। उन्हें पहले अपनी बात पूरी करने दें। उन्हें कहने दीजिए जो वह कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैठिए प्लीज, बैठिए। आचार्य जी बैठिए। गुप्त जी आप बैठिए।..... आप बैठिए, हमने बता दिया है।

श्री राजीव गांधी : अरे, सुनिये तो गुप्त जी, आप बोलते ही जा रहे हैं; तो आप सुनेंगे कब ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : मुझे एक एतराज है। श्री दण्डवते जी सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। वह सदन की प्रक्रिया से अवगत हैं...

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे वरिष्ठ होने पर खेद है।

श्री राजीव गांधी : यह आपका कसूर नहीं है। मैं सिर्फ यह बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि वह यह मामला प्रधान मन्त्री से अध्यक्ष महोदय को अलग करके तय करना चाहते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके अनुसार कोई भी बात अध्यक्ष महोदय को अलग करके इस सदन में तय की जा सकती हो।

(व्यवधान)

मैं सदन के दूसरी तरफ के माननीय सदस्यों को याद दिलाता हूं कि इस सदन में अध्यक्ष महोदय के माध्यम के बिना कुछ भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। सीधी बातचीत नहीं हो सकती। अतः मैं प्रो० मधु दण्डवते जी को याद दिलाना चाहूंगा कि जो भी प्रश्न उन्हें पूछने हैं वह अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें और मैं उत्तर दूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, जो हम प्रधान मन्त्री से कहना चाहते हैं हम आपसे कह रहे हैं। मैं पढ़कर सुनाता हूं :

> "पत्रकार सम्मेलन में 7 जुलाई, 1985 का प्रधानमन्त्री का वक्तव्य जिसने देश में आपातकाल लागू करने की आशंका को जन्म दिया है।"

विषयवस्तु यह है।

श्री राजीव गांधी : मैं इसका उत्तर दूंगा।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत करिए। कृपया बैठ जाइये । अपना स्थान ग्रहण कीजिए। समझदार व्यक्ति बनिए।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : किस नियम के अन्तर्गत यह सब कुछ चल रहा है?

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मन्त्री अपनी बात कहेंगे।

[हिन्दी]

अब आप क्या कर रहे हैं ? आप तो बड़े पढ़े-लिखे आदमी हैं, बैठिए आप।

[अनुवाद]

आप क्या कर रहे हैं ?

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय मेरे विचार में माननीय सदस्य, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मामले को सदन में चिल्लाकर तय करने का प्रश्न उठाया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी नहीं।

श्री राजीव गांधी : वह सिर्फ उठे और यह कह दिया। आप इतना चिल्ला रहे हैं कि आपने यह भी नहीं सुना कि आप क्या कह रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने क्या कहा ?

श्री राजीव गांधी : मैं यह कहता हूं, महोदय, कि इस सदन में मामले सदन के केवल उस कोने से चिल्लाकर उठाये जाते हैं। हमें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप पिछले 12 मिनट की ही कार्यवाही को देखें कि कौन चिल्ला रहा था। सदन के इस तरफ के सदस्य शायद ही कभी चिल्लाते हों। हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पिछले 12 मिनट की कार्यवाही देखनी होगी कि कौन चिल्ला रहा था, यह साईड चिल्ला रही थी या कि वे चिल्ला रहे थे। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मुझे उनकी बात ठीक करने दें। हम चिल्ला नहीं रहे थे। हम तो केवल अपनी आवाज बुलन्द कर रहे थे। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : अगर आप लोग चिल्लाना बन्द करें तो मैं बोलूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जब हमें बोलने नहीं दिया जाता तो हमें चिल्लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

श्री राजीव गांधी : जब आपको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं होता तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अगर मैं ठीक से समझ पाया हूं, महोदय, सदन में दूसरी तरफ बहुत ही बुद्धिमान सदस्य बैठे हुए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपकी तरफ नहीं बैठे हैं। केवल सदन के दूसरी ओर।

श्री राजीव गांधी : परन्तु दुर्भाग्य से, महोदय, उस पत्रकार सम्मेलन में जो कुछ हुआ था उसके बारे में अपनी अनभिज्ञता ही व्यक्त कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया इसे स्पष्ट कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजीव गांधी : मौका दोगे तो करूंगा ना।

[अनुवाद]

मुझसे एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था। एक तो यह कि क्या मेरे विचार में 1975 में जो आपातकाल की घोषणा की गई थी वह सही थी। मैंने कहा "हां"। मेरे विचार से यह ठीक थी। और उस वक्तव्य पर मैं कायम हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब सुनिये, क्या बात है ? आप अपने विचार रखते हैं, वह अपने विचार रखते हैं, इसमें क्या बात है ?

[अनुवाद]

तो अब आप क्यों चिल्ला रहे हैं।

[हिन्दी]

शाऊट क्यों कर रहे हैं ? आपको अपना अधिकार है बोलने का, उनको अपना अधिकार है बोलने का। आप अपना सोचिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप आगे बोलना।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : महोदय, मुझे खेद है कि वे बोल नहीं सकते और केवल चिल्ला सकते हैं।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1980 में माफी मांगी थी···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। देखिए, मैं यह कह रहा हूं···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। आपको बोलने की अनुमति नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे आपसे सभा से बाहर चले जाने के लिए कहना पड़ेगा। कृपया बैठ जाइए। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे सभा से बाहर चले जाने के लिए फिर कहने जा रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप अकारण ही क्यों चिल्लाते जा रहे हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। अनुमति नहीं है। इस तरह से अनुमति नहीं है। नहीं, आप इस तरह से वाद-विवाद नहीं कर सकते। अनुमति नहीं है। एक भी शब्द कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अगर आपको अपने विचार रखने की अनुमति तथा आजादी है तो दूसरे पक्ष को भी अपने विचार रखने की आजादी है। मैं आपको उनके विचार स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं और न ही मैं उनको आपके विचार मानने के लिए बाध्य कर रहा हूं। आपको अपने विचार रखने की छूट है तथा उनको अपने विचार रखने की छूट है। कृपया बैठ जाइए। आपको अपने विचार रखने का अधिकार है परन्तु आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, बैठ जाइए। आपको अपनी बात कहने की आजादी है परन्तु आप दूसरों पर बलपूर्वक उन्हें थोप नहीं सकते। कृपया बैठ जाइए।

श्री राजीव गांधी : महोदय, अब वे अंग्रेजी भाषा के अज्ञान का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था और मैंने उसका उत्तर दे दिया है। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : हम पब्लिक स्कूलों में नही पढ़े हैं।...(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : जब आप तैयार होंगे तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : रेड्डी जी, कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी नहीं जा रहा है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

श्री राजीव गांधी : प्रश्न का दूसरा भाग जो मुझसे पूछा गया था यह है कि "अगर 1975 जैसी परिस्थितियां फिर से उत्पन्न होती हैं...

प्रो० मधु दंडवते :...1975 ?

श्री राजीव गांधी : यही मैं कह रहा हूं।

[हिन्दी]

कौन-सी भाषा में बोलूं ?

हिन्दी में मैं कह सकता हूं 75।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

खेद है कि मैं मराठी या गुजराती नहीं बोल सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : अगर आप मराठी बोलेंगे तो मुझे समझ आएगा।

श्री राजीव गांधी : मुझसे पूछा गया था "अगर वही परिस्थितियां फिर से पैदा हुईं तो

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्या मैं वही काम करूंगा।" मेरा उत्तर था कि उसकी सम्भावना बहुत कम है कि बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियां फिर से उत्पन्न हों। परन्तु···

[हिन्दी]

आप बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

वे एक दूसरे को सिखाने के इतना ज्यादा आदी हैं कि वे पांच मिनट के लिए भी चुप नहीं रह सकते। मैंने कहा था कि "अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जिनके लिए आपातकाल की घोषणा अपेक्षित हो तो मैं आपातकाल की घोषणा करने में नहीं झिझकूंगा।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। आपका तमाशा क्या है? स्प्रिंग तो नहीं लगे?

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने संविधान में 44वां संशोधन किया था ऐसा लगता है कि वे यह भूल गए हैं कि वह संशोधन है किस बारे में। (व्यवधान) मैं इसे पढ़ रहा हूं। मेरी किताब खुली हुई है। अगर आप अनुच्छेद 352 को पढ़ें तो आपको स्पष्ट रूप से मालूम हो जाएगा कि किन परिस्थितियों में आपातकालीन स्थिति घोषित की जा सकती है। इसमें कहा गया है—

> "352(1) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि गम्भीर आपात विद्यमान है जिससे कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशांति से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा कर सकेगा आदि,"

मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि इस देश में कौन-सा प्रधान मन्त्री इन परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा नहीं करेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आप अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। बैठ जाइए, वह अभी अपनी बात कह रहे हैं।

[हिन्दी]

आपको थोड़ी बहुत तो समझ आनी चाहिए।

[अनुवाद]

आपको कुछ बुनियादी बातें सीखनी चाहिए, उन्हें अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिए।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं सिर्फ स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। उन्होंने 44वें संशोधन द्वारा उपां-

तरित अनुच्छेद 352 को ठीक ही पढ़ा है। हमारी आपत्ति सिर्फ यह है कि अगर 1975 की परिस्थितियां 1985 में दुबारा उत्पन्न होती हैं तो आज इस शब्दावली के अनुसार उन परिस्थितियों में भी सरकार आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकती···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सारे लोग बैठे रहिए। आप सुनते जाएं। क्या कर रहे हैं आप ?

[अनुवाद]

एक मिनट। उन्होंने इसे पढ़ा है; उन्होंने इसे शब्दशः पढ़ा है। कृपया उनकी बात को सुनिए।

प्रो० मधु दण्डवते : पहले उन्होंने कहा था "मैंने संवाददाता सम्मेलन में प्रश्नकर्ता को कहा था कि अगर 1975 की परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न होती हैं, तो हमें कोई झिझक नहीं होगी ···

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था।

श्री राजीव गांधी : प्रो० दण्डवते जी मैंने ऐसा नहीं कहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : समाचार-पत्रों के अनुसार उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपका गला बैठ रहा है। कृपया शांत हो जाइए, फिर बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप में क्यों उत्तेजित हो रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं सिर्फ प्रधान मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ उन्होंने अभी-अभी पढ़ा है उससे इस बात की अनुमति नहीं मिलती कि अगर 1975 की परिस्थितियों की पुनरावृत्ति हो तो आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यह बहुत स्पष्ट है।

श्री राजीव गांधी : माननीय सदस्यों ने न तो मेरे संवाददाता सम्मेलन पर ही ध्यान दिया और न ही जो कुछ मैं यहां कह रहा हूं, उसे ही सुन रहे हैं। मैंने सिर्फ दो मिनट पहले ही कहा है कि उसकी सम्भावना बहुत ही कम है कि बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियां फिर से उत्पन्न हों। अपने संवाददाता सम्मेलन में मैंने यही बात कही थी। मैंने कहा था कि एक ही प्रकार की परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न नहीं होंगी और बाद में···(व्यवधान) आप कहना चाहते हैं कि मैंने क्या कहा है अथवा आप चाहते हैं कि मैं बताऊं मैंने क्या कहा था···(व्यवधान) मेरे विचार में प्रो० दण्डवते जी, नहीं जानते कि अंग्रेजी भाषा का अनुवाद किस प्रकार होता है। मैंने कहा था और मैं इसको दोहरा रहा हूं, यह बहुत ही सुनिश्चित एवं स्पष्ट है। प्रश्न पूछा गया था : अगर 1975 की परिस्थितियां फिर से उत्पन्न हों तो क्या आप आपातकाल की घोषणा करेंगे ? मेरा उत्तर था कि वैसी परिस्थितियां फिर से उत्पन्न नहीं होंगी। एक बात समाप्त हुई···(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य के पक्ष में बैठ नहीं रहा हूं।

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : यदि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे दी गई होती तो ये सब बातें आसानी से कही जा सकती थीं।

श्री राजीव गांधी : परन्तु फिर इतना आनन्द नहीं आता। मैंने कहा था कि 1975 की परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं है···। मैंने एक मुद्दा समाप्त किया है। अब आगे चलते हैं। मैंने कहा था कि अगर परिस्थितियां ऐसी हुईं जिसमें आपातकाल की आवश्यकता हुई तो आपातकालीन स्थिति घोषित करने में झिझकूंगा नहीं।

(व्यवधान)

और अगर मैं यह कहूं मैंने भाषण समाप्त नहीं किया है और न ही मैं बैठ रहा हूं····· **(व्यवधान)** गुप्ता जी, मैं बैठ नहीं रहा हूं। मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी देश को सबसे बड़ा खतरा ढुलमुल सरकार से होता है, वह सरकार जो कोई निर्णय नहीं ले सकती और इसी तरह की सरकार हमारे यहां थी जब आप लोग सत्ता में थे। इसीलिए आपातकाल के बारे में बात करने से आप डर रहे हैं। यदि आवश्यकता पड़ने पर आपातकाल की घोषणा की जाए तो उसमें कोई खराबी नहीं है। संविधान हमें बताता है कि इसकी आवश्यकता कब होती है।

प्रो० मधु दण्डवते : जी हां, यह बताता है।

श्री राजीव गांधी : जो तर्क आप दे रहे हैं वह आपातकाल के बारे में नहीं है। मैं आपके तर्क को ठीक करने की कोशिश करूंगा। आपकी शिकायत आपातकाल से नहीं है। आपकी शिकायत आपातकालीन घोषणा करने के डेढ़ साल पश्चात् जो कुछ हुआ और जो कुछ अफसरों तथा लोगों द्वारा किया गया था, उससे है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नहीं, नहीं·····**(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप आपत्ति करते हैं···**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, हम अफसरशाही को आपातकाल के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराते। आपातकाल की घोषणा करने के लिए हम भूतपूर्व प्रधान मन्त्री को जिम्मेदार ठहराते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वे चाहे जिसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं पर भारत के लोगों ने उन्हें पुनः उस पद पर आसीन कर दिया था।

प्रो० मधु दंडवते : आपातकाल के पश्चात् उन्होंने हमें सत्ता में आने का मौका दिया।

श्री राजीव गांधी : अन्ततः प्रधान मन्त्री भारत के लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं और भारत के लोग ही यह निर्णय करते हैं कि वे क्या चाहते हैं चाहे माननीय सदस्य कुछ भी सोचें।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि सन् 1977 में लोगों ने ही निर्णय किया था।

श्री राजीव गांधी : और 1980 में उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। हमेशा के लिए हम इस पर निर्णय कर लेते हैं। हां कृपया बोलिए।

श्री राजीव गांधी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना अन्तिम वाक्य ठीक करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कौन-सी गोली खाकर आए हैं आज ? बैठिए आप। इनको आप क्यों नहीं कन्ट्रोल करते हैं ?

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : मैं अन्तिम वाक्य ठीक करना चाहूंगा जो मैंने कहा था। आप लोगों ने ही भारतवासियों को उनकी भूल का अहसास 1980 में कराया।

प्रो० मधु दंडवते : 1977 में।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऊंची दुकान, फीका पकवान। बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : मेरे विचार से माननीय श्री रेड्डी कह रहे हैं कि स्वर्गीय प्रधान मन्त्री ने कहा था कि आपातकाल कभी भी नहीं लगाया जाएगा। मुझे खेद है, मैं स्वर्गीय प्रधान मन्त्री नहीं हूं। मैं तो वर्तमान प्रधान मन्त्री हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : निश्चित ही, उन्होंने कहा था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्होंने कहा वह संविधान के अनुसार है।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : उनकी बात को मैं सुन नही सकता क्योंकि आप चिल्ला रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जयपाल जी, आज आप ज्यादा बोल रहे हैं, पता नहीं कौन-सी गोली खाकर आए हैं।

कोई बात तो बाकी रही नहीं है, आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

[अनुवाद]

यह स्पष्ट है। संविधान के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता और उन्होंने संविधान को उद्धृत किया है। यह स्थिति है। यह एकदम सीधी बात है इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने एक बात कह दी, उसमें सारी बात आ गई।

[अनुवाद]

"इन परिस्थितियों के तहत···" कितनी सीधी-सी बात यह है। यह बिल्कुल ठीक है।

श्री राजीव गांधी : मैंने एकदम स्पष्ट रूप में बता दिया है तथा मैं इतना और कहना चाहूंगा कि : इस देश का कोई भी प्रधान मंत्री जो समझता है कि परिस्थितियों को देखते हुये आपातकाल घोषित करने की आवश्यकता है, और वह आपातकाल नहीं लगाता है तो वह इस देश का प्रधान मंत्री बनने के लायक नहीं है। (**व्यवधान**) तो और आप क्या पूछ रहे हैं? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वह···(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य सुनिये, एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिये, कि कोई प्रधान मंत्री, प्रधान मंत्री के नाते संविधान से बाहर नहीं जा सकता। यह कितनी आसान सी बात है। इसके अलावा दूसरी चीजों को आप क्यों पूछ रहे हैं। (**व्यवधान**) आप उनसे क्यों आशा करते हैं कि वे संविधान पर न चलें? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि प्रधान मंत्री संविधान से अलग हट कर काम करें? (**व्यवधान**) नहीं; यह सोचा भी नहीं जा सकता है। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : जो कुछ वह कहते हैं हम उनसे सहमत हैं। जहां तक संवैधानिक प्रावधानों का संबंध है उनमें कोई मतभेद नहीं है। परन्तु प्रधान मंत्री···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० दण्डवते जी, एक बात स्पष्ट है। हम यह कैसे आशा कर सकते हैं कि प्रधान मंत्री संविधान से बाहर जाकर कुछ करेंगे? (**व्यवधान**) यह ठीक है। उन्होंने यह कहा है। (**व्यवधान**) मेरी समझ में यह नहीं आता है। यह प्रश्न समाप्त होता है। क्यों आप 1975 के पीछे पड़े हुए हैं?

श्री राजीव गांधी : कृपया मुझे जवाब देने दीजिये। अगर आप एक ही बात को लेकर चिल्लाते रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति कैसे उत्तर दे सकता है (**व्यवधान**) 1978 में इसका संशोधन किया गया था। 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुसार ही हुई थी। इसी सदन में उसे पारित किया गया था।

प्रो० मधु दण्डवते : उस समय···

श्री राजीव गांधी : निश्चय ही, आप उसे 1985 में पारित करके 1975 में उसकी घोषणा नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं इसे कब पारित किया गया था। यह संविधान के अनुसार किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

श्री राजीव गांधी : वह संविधान के अनुसार ही किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : अब यह संविधान है। (**व्यवधान**) मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी इस बारे में सोचना एकदम असंभाव्य है! आप क्या समझते हैं कि वे संविधान के 1975 के प्रति संस्करण का उल्लेख करेंगे अथवा इस संविधान का उल्लेख करेंगे? (**व्यवधान**) यह एकदम अर्थहीन बात है। मैं इसे नहीं समझ सकता।

माननीय प्रधान मंत्री जी बोलिये। श्री बसुदेव आचार्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : यह सोच से परे है, यह एकदम अव्यवहार्य है। संविधान के अनुसार ही उन्हें कार्य करना है। इसके अलावा आप और क्या कह रहे हैं? अब आप बैठ जाइये।

श्री राजीव गांधी : महोदय, श्री आचार्य ने न सिर्फ मेरा संवाददाता सम्मेलन ही नहीं देखा है बल्कि समाचारों पत्रों में छपी रिपोर्ट को भी ढंग से नहीं पढ़ा है···

प्रो० मधु दण्डवते खड़े हुए।

[**हिन्दी**]

श्री राजीव गांधी : दण्डवते जी एक मौका तो दीजिये न। आप चिल्लाते जाते हैं, फिर जवाब मांगते हैं, अजीब लोग हैं आप।

[**अनुवाद**]

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उसकी पुष्टि कर रहा हूं जो कुछ आपने कहा है। अखबारोंमें··· (**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : मुझे कुछ कहने दीजिये। संवाददाता सम्मेलन की रिकार्डिंग मौजूद है। इसका वीडियो टेप है। कोई भी व्यक्ति उसे सुन सकता है। आप शायद बिना संदर्भ के मेरी बात को उद्धृत कर रहे हैं। जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 15 मिनटों में मैंने तीन बार स्पष्ट कर दिया है कि···(**व्यवधान**) आप लोगों को अपनी ही आवाज से इतना प्यार है कि···

श्री अमर राम प्रधान (इच बिहार) : नहीं; आपकी आवाज से।

श्री राजीव गांधी : मैं आपको ठीक वही बता रहा हूं जो मैंने कहा था। मैंने कहा था कि उन्हीं परिस्थितियां के कभी भी उसी प्रकार दोबारा उत्पन्न होने से सम्भावना नहीं है किन्तु क्योंकि इसका 1975 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं 1985, 1986 तथा 1990 के बारे में सोचूंगा— अगर मैं समझूंगा कि स्थिति ऐसी है जिसमें आपातकाल की आवश्यकता है तो संविधान यह रहा···(**व्यवधान**) रुकिए, मैंने समाप्त नहीं किया है। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

दण्डवते जी, मुझे बोलने तो दीजिये न।···(**व्यवधान**)···

[**अनुवाद**]

प्रो० मधु दण्डवते : इसमें कोई मतभेद नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें क्यों बता रहे हैं? वह आपको बता रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : इसीलिये मैं कह रहा हूं कि आप स्थिति से अनभिज्ञ हैं। कारण यह है

कि आप पूरी तरह से तैयारी करके नहीं आये हैं; आपने अपने तथ्यों की जांच नहीं की है। प्रो० दण्डवते जी मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिये, फिर आप बोल सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : कम-से-कम अनभिज्ञता का आरोप मत लगाइये। क्योंकि हमारे पास सभी अखबारों की कतरनें हैं। हमने उन संवाददाताओं से बात की है जिन्होंने आपके संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया था।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : अगर विपक्षी दल के माननीय सदस्यों को 'आपातकाल' शब्द इतना ही बुरा लगता है तो 1978 में संविधान में संशोधन करते वक्त क्यों नहीं आपने इस शब्द को हटा दिया ? आपने क्यों इसे बनाये रखा ? इसके पीछे कारण है क्योंकि यह आवश्यक है; इसीलिये आपने इसे बनाये रखा है।

(व्यवधान)

तो जो आपने संविधान में बनाये रखा है वह आपको बुरा क्यों लगता है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें अब है क्या। कुछ नहीं। इधर देखिये। आपको व्यावहारिक होना चाहिये। श्री आचार्य जी मुझे इस बात को स्पष्ट करने दीजिये। आप इसे समझिये। आप समझदार व्यक्ति हैं। प्रधान मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। इस संविधान के अंतर्गत अर्थात् जिस रूप में वह 1985 में विद्यमान है, आपातकालीन घोषणा की जा सकती है; अन्यथा नहीं। सीधी-सी बात है।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : अब आप अन्य लोगों को बोलने की अनुमति दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री गुप्ता को अनुमति दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा निवेदन है कि आपकी अनिच्छा के बावजूद प्रधान मंत्री को समाचार पत्रों में विस्तार से छपी हुई खबरों के बारे में सदन में स्पष्टीकरण करने का अवसर मिला है। इसीलिये हमने यह नोटिस दिया है क्योंकि उसे 'इन्वर्टिड कोमा' में अखबार में छापा गया है और इसका खण्डन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि अगर 1975 की परिस्थितियों की पुनरावृत्ति हो, तो हम···हिचकेंगे नहीं, मैं चिन्तित था क्योंकि···

अध्यक्ष महोदय : इसमें चिन्ता की कोई बात नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कल यह कहा जा सकता है कि पंजाब और गुजरात में स्थिति सशस्त्र बगावत की ओर बढ़ रही है, यहां पर हथियारों का उपयोग किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप उसी बात को क्यों दोहरा रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं हैं।

श्री राजीव गांधी : श्री गुप्त, अगर आपने आज अखबार नहीं पढ़ा है, जो कदम हम उठा रहे हैं वे एकदम भिन्न हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आज सुबह क्या हुआ ?

श्री राजीव गांधी : मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। हमने समझौता किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, मैं आपकी बात सुनूंगा, थोड़ा धीरज रखिए। प्रो० तिवारी, मैं आपको भी बुला रहा हूं, घबराइये मत, धीरज रखिये।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : विरोधी दल सदन का इसी तरह उपयोग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा होना है। यह अपोजीशन का काम है, आपका काम नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या आप कृपया उन्हें स्थिति को ठीक स्पष्ट करने के लिए कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्होंने कहा है उससे ज्यादा और कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह आपका विचार है।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर और कोई प्रश्न नहीं होगा। जो कुछ उन्होंने कहा, मैं उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। श्री बनातवाला।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : आप अर्थ की खींचातानी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : आप यह उन पर क्यों नहीं छोड़ देते ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ नहीं है। वर्तमान संविधान इस प्रकार है। सब कुछ इसके तहत किया जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : जो कुछ उन्होंने कहा उससे लगता है कि जो समाचार-पत्रों में छपा वह गलत था।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इससे ज्यादा क्या जानकारी दें, क्या स्टाम्प-पेपर पर लिख कर दें ?

[अनुवाद]

यह कार्यवाही वृत्तांत में मौजूद है।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : गुजरात में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में मैंने और एक स्थगन प्रस्ताव दिया है और इस संबंध में मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 355 की ओर दिला रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको एलाउ किया है। वे बोलेंगे, तभी दूसरे की बात होगी। मैंने आपकी बात सुन ली है। बनातवाला साहब।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला : गुजरात में निरन्तर जारी साम्प्रदायिक दंगों पर मैंने आपको एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुनी है। मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा है आपने मुझे क्या लिखा है।

श्री जी० एम० बनातवाला : वहां पर तुरन्त राष्ट्रपति शासन लागू करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, मैं आपको अनुमति दूंगा। आप मेरी बात सुनिये। कृपया मेरी बात सुनिये। मैंने इस पर पूरी तरह से विचार किया है। आपने जो मुझे दिया है मैंने उस पर ध्यान दिया है और गुजरात की स्थिति के बारे में मैं भी चिंतित हूं। गांधी जी की भूमि पर खून की नदियां बह रही हैं। मुझे यह पसन्द नहीं है। मैं इससे असहमत हूं। यह बहुत ही विकृत मानव प्रवृति है जिसे मैं रोकना चाहता हूं और इसी के लिए आज सायं 3.30 बजे हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करने जा रहे हैं। उसके पश्चात् हम चर्चा के लिये एक दिन निश्चित करेंगे।

(व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : श्रीमन्, एक मिनट मुझे भी सुन लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि गुजरात में आग लगी हुई है तथा वहां राष्ट्रपति शासन तुरन्त ही लागू होना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके साथ हूं इसमें, सेट साहब । मैं आपके जजबात का एहतराम करता हूं । मेरे जजबात भी इतने ही दुःखी हैं । मैंने देखा है । मेरा हृदय रोता है, मेरा दिल रोता है, मेरा दिमाग रोता है कि लोग कैसे बहशी हो गए हैं और उस देश में जहां के महात्मा गांधी थे ।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, जब देश की अखण्डता और सुरक्षा को खतरा होगा तब मुझे आशा है प्रो० दण्डवते और उनके मित्र इतने ही चिंतित होंगे । हम यह देख कर भयभीत और दुखी हैं कि अमरीका में आतंकवाद के लिए नियमित प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं । आज ही हमें गम्भीर समाचार मिले हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम इस पर चर्चा करेंगे ।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा की जाए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले ही आश्वासन से चुका हूं कि हम इस पर चर्चा करेंगे। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं ? आप बैठ क्यों नहीं जाते ?

प्रो० के० के० तिवारी : मैं चाहता हूं कि इस···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते ? मैंने आपकी मांग स्वीकार कर ली है तो अब आप और क्या चाहते हैं ? मैं आपको पहले ही आश्वासन दे चुका हूं ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा । आप मेरे पास आइये, तब सुनूंगा । अब सभा पटल पर रखे गए पत्र ।

श्री भगत ।

12.43 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1985

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 1985 को प्रख्यापित आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1985 (1985 का संख्या 4) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं ।

[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1132/85**]

लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद का वर्ष 1983-84 का प्रतिवेदन एवं कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

उद्योग मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1883-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) के उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने से विलम्ब होने के कारणों की दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1133/85]

अध्यक्ष महोदय : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह । श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वक्तव्य देंगे । वह उपस्थित नहीं हैं । क्या श्री पुजारी जी हैं ?

श्री बंशी लाल ।

12.45 म० प०

13-6-1985 को मध्य रेलवे के राजामंडी स्टेशन तथा 16-6-1985 को पश्चिम रेलवे के डा० राधाकृष्णन नगर तथा मोरवनी स्टेशनों के बीच हुई रेल दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री बंशी लाल) : महोदय, मुझे सदन को 13.6.85 को आगरा के निकट राजा की मंडी तथा 16-6-85 को रतलाम के निकट डा० राधाकृष्णन नगर में हुई दो दुर्भाग्यपूर्ण गाड़ी दुर्घटनाओं की जानकारी देते हुए बहुत ही खेद है ।

13.6.1985 को बिलासपुर जा रही 138 आप अमृतसर-बिलासपुर-छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस तुगलकाबाद जा रही माल गाड़ी से राजा की मन्डी स्टेशन पर टकरा गयी थी । यह दुर्घटना छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के राजा की मन्डी स्टेशन से, जहां इसका निर्धारित ठहराव है, छूटने के कुछ

मिनट बाद हुई थी। इस टक्कर के परिणामस्वरूप 40 यात्री मारे गए थे, 15 को गम्भीर, 18 को साधारण तथा 9 को मामूली चोटें आयी थीं। रेल सम्पत्ति को लगभग 6,?0,000 रुपए की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है।

अगरा छावनी से तत्काल चिकित्सा राहत गाड़ी रवाना हो गयी थी जो 2 रेलवे डाक्टरों तथा अन्य परा-चिकित्सा कर्मचारियों को लेकर दुर्घटना स्थल पर पहुंच गयी थी। इसके साथ-साथ सरोजिनी नायडू अस्पताल, डा० सरकार नर्सिंग होम तथा सेना के प्राधिकारियों से चिकित्सा सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। सिविल सेना तथा रेलवे के डाक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया था तथा घायलों को आगरे के स्थानीय अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया था।

मेरे सहयोगी श्री माधवराव सिन्धिया, सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड के साथ राहत प्रबन्धों को देखने के लिए दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए थे। उन्होंने स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराए गए घायलों को देखा। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मंडल रेल प्रबन्धक, मध्य रेलवे, झांसी, चिकित्सा अधीक्षक अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ झांसी में दुर्घटना स्थल के लिए तत्काल रवाना हो गए थे। बाद में महाप्रबन्धक, मुख्य यातायात संरक्षा अधीक्षक तथा रेल संरक्षा आयुक्त, मध्य क्षेत्र भी बम्बई से दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे।

राहत कार्यों के लिए आगरा छावनी से रेल दुर्घटना राहत गाड़ी भेज दी गयी थी। सिविल प्राधिकारियों ने भी स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्यों में सहायता प्रदान की थी।

मृतकों के निकट संबंधियों तथा घायलों को दुर्घटना स्थल पर ही अनुग्रह राशि के भुगतान की व्यवस्था कर दी गयी थी।

इस मामले में मुआवजे के दावों का निपटान करने के लिए एक तदर्थ दावा आयुक्त की नियुक्ति की जा रही है।

रेल संरक्षा आयुक्त, पश्चिमी क्षेत्र ने, जो रेलवे के अधीन न होकर नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की है। उनकी प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। उनके अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार दुर्घटना का संभावित कारण स्थल पर ठीक से जांच किए बिना प्वाइंट डिटेक्शन रिले को परिचालित करना था। रिपोर्ट की जांच की जा रही है। मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि गलती के लिए उत्तरदायी पाए गये कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। 7 कर्मचारियों को पहले ही विलंबित किया जा चुका है।

दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना 16-6-85 को डा० राधाकृष्णन नगर में चौकीदार वाले समपार पर उस समय हुई थी, जब एक प्राइवेट बस माल गाड़ी से टकरा गयी थी जिसके परिणामस्वरूप बस यात्री हताहत हुए थे, इस टक्कर के परिणामस्वरूप 15 बस यात्री मारे गए थे, 28 को गम्भीर तथा 16 को मामूली चोटें आयी थीं।

सूचना प्राप्त होते ही डाक्टरो तथा परा-मेडिकल कर्मचारियों सहित रेलवे चिकित्सा यान

रतलाम से तत्काल दुर्घटना स्थल की ओर रवाना हो गया था । रेलवे डाक्टर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी सड़क मार्ग से दुर्घटना स्थल को रवाना हो गए थे। सिविल प्राधिकारी भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे और बिना समय खोये घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की थी। बम्बई से महाप्रबन्धक, पश्चिम रेलवे तथा मुख्य यातायात सुरक्षा अधीक्षक भी वहां पहुंच गए थे।

12.48 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरे सहयोगी, श्री माधव राव सिन्धिया ने सदस्य यांत्रिक, रेलवे बोर्ड के साथ दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया था और अस्पताल में घायल व्यक्तियों से बातचीत की थी।

मृतकों के निकट संबंधियों तथा घायलों को अनुग्रह राशि के भुगतान की व्यवस्था कर दी गयी थी।

इस दुर्घटना की जांच रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्वोत्तर सर्किल द्वारा की गयी है। उनके निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना प्राइवेट बस द्वारा समपार को पार करने के प्रयास में हुई थी, जिसके फाटक सड़क यातायात के लिए खुले थे, जबकि एक माल गाड़ी आ रही थी। डा० राधाकृष्णन नगर स्टेशन के सहायक मास्टर तथा समपार के चौकीदार को इस टक्कर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जा रही है।

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मैंने हाल में सभी क्षेत्रीय रेलों पर गहन निरीक्षण करने के लिए, विशेषकर उन खण्डों का जहां दुर्घटनाएं बहुत अधिक होती हैं, चार उच्च स्तरीय संरक्षा दलों का गठन किया है। ये दल सीधे रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट भेजेंगे और उनकी रिपोर्ट पर की गयी कार्रवाई पर सर्वोच्च स्तर पर निगरानी रखी जाएगी।

12.51 म० प०

23 जून, 1985 को हुई एयर इन्डिया जम्बो जेट "कनिष्क" की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

[हिन्दी]

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : महोदय, आज मैं अपनी गहरी संवेदनाओं के साथ एयर इंडिया के बोइंग 747-237 बी "कनिष्क" एयरक्राफ्ट की दुर्घटना का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। 23 जून, 85 को कनिष्क अपनी शिड्यूल्ड फ्लाईट ए आई-182 मोन्ट्रियल-लंदन-दिल्ली-बम्बई की उड़ान पर था जिसमें 22 क्रू सदस्यों सहित 329

यात्री यात्रा कर रहे थे, शेनोन (आयरलैंड) के 185 नोटकल माइल्स दक्षिण-पश्चिम मे 0713 जी० एम० टी० पर अटलांटिक सागर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस समय भारत में 12 बज कर 43 मिनट हुए थे। दुर्घटना के समय यह विमान 31 हजार फीट की ऊंचाई पर था।

खोज एवं बचाव कार्य तुरन्त प्रारम्भ कर दिया गया। दुर्भाग्यवश कोई जीवित नहीं बच सका। भारत के नागर विमानन इतिहास में यह सबसे बड़ी दुर्घटना थी। मृतक यात्रियों के परिजनों के प्रति हमारे दिल संवेदना से भरे हुए हैं।

सूचना मिलते ही दुर्घटना से संबंधित आपातकालीन योजना के अनुसार तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों के बुकिंग कार्यालयों पर आपात प्रकोष्ठ गठित किए गये। सभी संबंधित लोगों को वांछित सूचना सुलभ करवाने की व्यवस्था की गयी। उसके बावजूद भी अगर संबंधित अधिकारियों से भूलवश कोई कमी रह जाने से मृतकों के रिस्तेदारों को जो असुविधा हुई है उसका मुझे हार्दिक खेद है।

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के सचिव के नेतृत्व में उच्चस्तरीय दल दुर्घटना संबंधी जानकारी, मलबे एकत्रित करने तथा ब्लैक बाक्स की खोज, राहत एवं बचाव कार्य का पर्यवेक्षण करने एवं मृतकों की पहचान और उनके शवों के निस्तारण आदि के लिए 24 जून, 1985 की प्रातः लन्दन और कार्क के लिए रवाना हो गया।

एयर इंडिया ने मानवीय संवेदना की इस घड़ी में आश्रितों के प्रत्येक परिवार से एक-एक व्यक्ति को लन्दन/कार्क और वापसी तक की निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की। कुछ मामलों में यह सुविधा एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भी सुलभ करवायी गयी। उनके लिए होटल में ठहरने, भोजन और यातायात की निःशुल्क व्यवस्था के साथ-साथ कार्क जाने वाले मृतक के परिजन को नकद राशि भी दी गयी। शवों की पहचान के लिए कुल 305 व्यक्तियों ने कार्क की यात्रा की।

समुद्र से कुल 131 शव निकाले जा सके। 28 जून, 85 को प्राप्त सभी शवों के पोस्टमार्टम का कार्य पूरा हो गया तथा अगले दिन उनके संलेपन का कार्य किया गया। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स ने शवों को मृतक के आश्रितों की इच्छानुसार निश्चित स्थान तक पहुंचाने का कार्य अपने स्तर पर निःशुल्क रूप से किया। अब तक 117 शवों की पहचान हो चुकी है जबकि 14 शवों की पहचान नहीं हो सकी। बिना पहचान के 14 शवों को आइरिश कोरोनर की सलाह पर संरक्षित कर दिया गया है। ये शव पहचान के लिए 30 जुलाई, 85 तक उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद इनके निस्तारण के लिए समुचित कार्यवाही की जाएगी।

विदेशी सरकारों ब्रिटिश, अमेरिकन, कनाडियन और विशेष रूप से आइरिश सरकार ने खोज और बचाव कार्यों में सक्रिय योगदान किया। आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित सबमर्सिबल रोबोट फिट किए हुए एक फ्रेंच केबलशिप लीयोन थीवीयन, जिसे भारत सरकार ने किराये पर लिया था, की मदद से 6 हजार फीट से अधिक की गहराई से कोकपिट वायस रिकार्डर एवं फ्लाईट डाटा रिकार्ड जो ब्लैक बक्सा कहलाते हैं, खोज निकाले। ब्लैक बाक्सों की इतनी अधिक गहराई पर खोज निकालने की कार्यवाही ऐसे खोज कार्यों के इतिहास में अद्वितीय है। दोनों रिकार्डरों को जांच एवं विश्लेषण के लिए भारत लाया गया और इस दिशा में कार्य चल रहा है। इस अवस्था में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

दुर्घटना की जांच करने के लिए न्यायालय के रूप में भारत सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश को नियुक्त किया है। 5 मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा उनकी सहायता की जाएगी। आशा है न्यायालय सरकार को अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1985 तक प्रस्तुत कर देगी। उन्होंने अपना काम प्रारम्भ कर दिया है।

नियमों के अनुसार निकटतम संबंधी को शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा दे दिया जाएगा।

हम अपने विमानपत्तनों पर सुरक्षा प्रबन्धों के बारे में विस्तारपूर्वक समीक्षा कर रहे हैं। मैं सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि यात्रा करने वाली जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ा जाएगा।

मैं आयरिश सरकार को तथा वहां के निवासियों को उनके द्वारा तत्परता से भौतिक तथा मानवीय सहायता देने के लिए अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा जिससे उन्होंने इस संकट के समय में तत्काल सहायता प्रदान की। मैं अभी अन्य देशों के प्राधिकारियों का भी आभारी हूं, जिन्होंने राहत तथा अन्य बचाव कार्यों में हमारी सहायता की।

12.55 म० प०

"भारत में अवैध अर्थ-व्यवस्था के पहलुओं" पर राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान की रिपोर्ट के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को जानकारी है, सातवीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने अपनी नौवीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सरकार को उचित नीतियां बनाने के लिए काले धन का अनुमान लगाने का प्रयास करना चाहिए। तद्नुसार, सरकार ने जून, 1982 में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान को देश में लेखा बाह्य आय की मात्रा के अनुमान का अध्ययन कार्य सौंपा था। अध्ययन के विचारार्थ विषय इस प्रकार थे :—

(क) अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जिसमें काले धन की उत्पत्ति होती है;

(ख) उन कारणों तथा दशाओं की समीक्षा करना जिनसे काले धन की वृद्धि होती है और/अथवा काले धन की उत्पत्ति सुविधाजनक होती है;

(ग) काले धन की उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त प्रणालियों का अध्ययन करना तथा उन मार्गों का पता लगाना जिनके माध्यम से छिपाई गई आय नियोजित की जाती है और अन्य प्रकार से व्यय की जाती है;

(घ) काले धन को सफेद धन के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त प्रणालियों का का पता लगाना;

(ङ) उत्पन्न किए गए काले धन की मात्रा का स्थूल अनुमान तैयार करने का प्रयास करना; और

(च) किसी भी प्रकार के आंचलिक अथवा क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना जो उपर्युक्त कार्यों के सम्बन्ध में अपेक्षित हों।

संस्थान ने मार्च, 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस विषय पर सार्वजनिक रूप से विचार-विमर्श प्रोत्साहित करने के लिए यह रिपोर्ट जून, 1985 में समाचार-पत्रों को दे दी गई थी ताकि एक "दीर्घकालीन वित्तीय नीति" तैयार करने के लिए परिणामी सुझावों पर विचार किया जा सके। मैं रिपोर्ट के सारांश की (हिन्दी और अंग्रेजी दोनों रूपान्तरों में) एक प्रति सदन पटल पर रख रहा हूं। संसद पुस्तकालय में रिपोर्ट की प्रतियां (अंग्रेजी रूपान्तर और हिन्दी रूपान्तर की 2 टंकित प्रतियां) रख दी गई हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बांसरहाट) : महोदय, इस प्रतिवेदन की प्रतियां उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएं जिनकी इसमें रुचि है। यदि हम इसे बाहर से खरीदें तो यह हमें एक सौ रुपए का पड़ता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराऊंगा।

12.57 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

[अनुवाद]

आसाम पुलिस और नागालैंड पुलिस के बीच आसाम-नागालैंड सीमा हुई सशस्त्र मुठभेड़ें

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : मैं गृह मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं :—

"आसाम पुलिस और नागालैंड पुलिस के बीच आसाम-नागालैंड सीमा पर हाल ही में हुई सशस्त्र मुठभेड़ों, जिनके परिणामस्वरूप जान और माल की भारी हानि हुई, से उत्पन्न स्थिति तथा इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

गृह मन्त्री (श्री ए० बी० चह्वाण) : महोदय, दुर्भाग्यवश, 4 और 6 जून, 1985 के बीच असम पुलिस और नागालैंड के बीच असम-नागालैंड सीमा पर मेरापानी क्षेत्र में सशस्त्र झड़पें हुईं।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है असम और नागालैंड के बीच नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 में यथा परिभाषित दो राज्यों के बीच सीमा के सम्बन्ध में एक पुराना क्षेत्रीय विवाद है। भारत सरकार ने दोनों राज्य सरकारों की मदद करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि वे इन विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर सकें। अगस्त, 1971 में गृह मंत्रालय में एक

सलाहकार नियुक्त किया गया था और उनके अच्छे प्रयासों के परिणामस्वरूप मार्च, 1972 में दोनों सरकारों के बीच चार अन्तरिम पहलुओं पर हस्ताक्षर किए गए थे। सलाहकार ने समस्या के विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन किया है और राज्य सरकारों को कुछ सिफारिशें कीं। दुर्भाग्यवश, दोनों राज्य सरकारों के बीच विवाद का कोई स्थायी हल नहीं निकल सका। सलाहकार का पद 1976 में समाप्त कर दिया गया। इसके बाद, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दो राज्य सरकारों को 1972 के अन्तरिम समझौतों को लागू करने की सलाह देने के लिए कदम उठाए गए और बातचीत के जरिए विवाद को हल करने के प्रयास जारी रखे गए।

इस वर्ष के शुरू फरवरी माह में एक गम्भीर वारदात हुई जिसमें असम के वन विभाग के छः श्रमिक मारे गए। वारदात के क्षेत्र में कुछ तनाव हो गया। 28 मार्च, 1985 को मैंने असम और नागालैंड के मुख्य मन्त्रियों के साथ शिलांग में भेंट की और सीमा विवाद को सौहार्द-पूर्ण ढंग से हल करने, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीमावर्ती झड़पें फिर न हों, की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों मुख्य मंत्रियों ने मुझे आश्वासन दिया कि वे विवादों को हल करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि झड़पें फिर न हों। दुर्भाग्यवश, उनके आश्वासन के बावजूद मेरापानी क्षेत्र में कुछ तनाव बना रहा और 28 मई, 1985 को दोनों राज्यों के पुलिस बलों की गश्ती टुकड़ियों के बीच गोलाबारी हुई। घटना के बारे में सूचना प्राप्त होने के तुरन्त बाद मैंने दोनों मुख्य मंत्रियों को एक वायरलैस संदेश भेजा और वह संदेश अलग-अलग राज्यपालों को भी भेजा जिसमें घटना के बारे में गम्भीर चिंता व्यक्त की गयी और ऐसी वारदात पुनः न होने को रोकने के तुरन्त उपाय करने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों से टकराव की स्थिति, जो प्रतीत होता था कि वहां व्याप्त है, खत्म करने के लिए कहा गया। 3 और 4 जून, 1985 को दीमापुर में दो राज्यों के कमिश्नरों और आई० जी० पी० की एक बैठक करने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि से बातचीत में शामिल होने के लिए कहा गया था और वे इसमें 4 जून को शामिल हुए। दुर्भाग्यवश, लगता है किजब बैठक हो रही थी तो असम पुलिस और नागालैंड पुलिस की कई चौकियों के बीच, मेरापानी क्षेत्र में एक दूसरे का सामना करते हुए भारी गोलाबारी होने लगी। गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि के प्रयासों के बावजूद लड़ाई बन्द नहीं की जा सकी। सूचना प्राप्त होने पर मैंने तुरन्त दोनों मुख्य मंत्रियों से फौरन संघर्ष बंद कराने का आग्रह किया और कहा कि यदि संभव हो तो वे स्वयं सीमा पर जाएं और एकदम संघर्ष समाप्त करने के लिए सभी कदम उठाएं।

6 जून अपराह्न को दोनों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस तथा असैनिक अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद उस तारीख की शाम को लड़ाई बन्द हुई। अगले दिन 7 जून को दोनों मुख्य मंत्रियों की नागालैंड के राज्यपाल की उपस्थिति में बैठक हुई। वे शांति बनाए रखने और पूरी तरह लड़ाई बंद करने पर सहमत थे। वे एक तटस्थ बल तैनात करने और इन घटनाओं से पहले के स्थानों पर वापस जाकर दोनों राज्यों के पुलिस बलों द्वारा यथापूर्व स्थिति बहाल करने के लिए भी सहमत थे। दोनों मुख्य मंत्री इस बात पर भी सहमत थे कि विवादास्पद क्षेत्र की समस्या के लम्बी अवधि के समाधान के लिए बातचीत जारी रखी जाय और यह सुनिश्चित किया जाय कि दोनों राज्यों के बीच पूर्ण सहमति और सौहार्दता बनाई रखी जाए। उन्होंने उन चौकियों के संबंध में अपने-अपने अधिकारियों को कुछ निदेश भी दिए जो 1972 के समझौते का

उल्लंघन करके स्थापित की गई थीं।

दोनों मुख्य मंत्रियों के बीच जिस प्रकार सहमति हुई, केन्द्र सरकार ने 8 जून को प्रभावित क्षेत्र में असम राइफल्स को भेजने का प्रबंध किया। बाद में इस बल का स्थान सीमा सुरक्षा बल ने लिया, जैसा दोनों मुख्य मंत्रियों द्वारा प्रस्ताव किया गया था। मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल पर स्थिति का जायजा लेने और विधि व व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे उपायों का सुझाव देने और घटना की प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तुरन्त भेजा गया था। मेरी सहयोगी श्रीमती रामदुलारी सिन्हा भी 10 जून 1985 को मेरापानी गई थीं, उन्होंने दोनों मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श भी किया। दोनों मुख्य मंत्रियों की उस दिन मेरापानी में एक बैठक हुई और इम्फाल में अपने समझौते के अनुसरण में दोनों प्रशासनों द्वारा उठाए गए कदमों की संवीक्षा की गई। मैंने भी दोनों मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया। केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा 17 और 19 जून को दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस उप-महानिरीक्षकों के साथ बैठकें की गईं और स्थिति को नियंत्रित करने तथा दंगों से प्रभावित लोगों के शीघ्र पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए भी इन बैठकों में कई कदम उठाने का निर्णय किया गया।

बैठकों के बाद, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में 30 जून को दोनों सरकारों के कमिश्नरों और उप-महानिरीक्षकों के मध्य बैठकें हुईं। 10 जुलाई को गोहाटी में दो मुख्य सचिवों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मध्य हुई बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव ने विभिन्न समझौतों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की।

उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप मेरापानी में स्थिति तेजी से सामान्य होती जा रही है। अधिकांश व्यक्ति, जिन्होंने दंगों के कारण वह स्थान छोड़ दिया था अब अपने-अपने स्थानों को वापस आ गए हैं। अपेक्षित केन्द्रीय सहायता की धनराशि का केन्द्रीय दल द्वारा मूल्यांकन करने तक, राहत और पुनर्वास के लिए अनुदान देने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार ने असम राज्य सरकार को 50 लाख रुपए की अग्रिम धनराशि दी है। राज्य सरकार से विस्तृत प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है और एक केन्द्रीय दल असम को भेजा गया है।

इन झड़पों में असम के 28 पुलिस कार्मिक और नागालैंड के 6 पुलिस कार्मिक मारे गए। अनेक पुलिस कार्मिक जख्मी हुए। 113 गैर सैनिकों की जानें भी गईं। लगभग 32,000 व्यक्ति विस्थापित हुये। केन्द्रीय सरकार के विचार में, दोनों राज्यों के पुलिस बलों के मध्य झड़पें अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण और दुःखद हैं। इस प्रकार की सशस्त्र झड़पों से हम सभी अत्यधिक चिन्तित हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण वारदातों की पुनरावृत्ति न हो। इन झड़पों से संबंधित तथ्यों का और दोनों राज्यों के अधिकारियों के आचरण का पता लगाने और जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत सरकार ने जांच आयोग गठित करने का निर्णय किया है।

हम इस बात के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं कि लम्बे समय से चले आ रहे ये सीमा-विवाद विचार-विमर्श और सलाह-मशविरे से सुलझाए जाएं। इस दिशा में हम विवाद का स्थायी हल निकालने के लिए रूपरेखाओं को तैयार करने के विचार से दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ जल्दी ही विचार-विमर्श कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर मध्याह्न भोजन के बाद चर्चा जारी रखेंगे ।

1.03 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई

2.05 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

आसाम पुलिस और नागालैंड पुलिस के बीच आसाम-नागालैंड सीमा पर हुई मुठभेड़ें —जारी

[हिन्दी]

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, नागालैंड और असम की पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ हुई, जिसमें कई लोग मारे गए, यह बड़ा अजीब-सा मसला है । देखने में ऐसा लगता है कि यह दो राज्यों के बीच में सीमा-विवाद नहीं, बल्कि दो मुल्कों के बीच में झगड़ा है । जिस प्रकार से वहां पर गोलीबारी हुई, इन्सानों की लाशें बिछाई गईं, बम फेंके गए, उससे ऐसा लगता है कि यह राज्यों का झगड़ा नहीं, शायद दो मुल्कों—हिन्दुस्तान-पाकिस्तान या हिन्दुस्तान-चाइना—का आपस का झगड़ा है ।

यह झगड़ा आज का नहीं है, बहुत साल से चला आ रहा है । 1972 में पहली दफा हुआ, सिर्फ गोली नहीं चलाई गई बल्कि मोर्टार्स स्टेनगन चलाई गईं, न जाने कितने लोगों की हत्याएं उस समय हुईं ।

1979 में एक राज्य के कुछ लोगों ने शोर मचाते हुए गांव में रहने वाले लोगों पर हमला किया और 180 लोगों को वहां पर मार दिया, कत्ल कर दिया और उसके बाद 1985 में इस साल 5 और 6 जून को 4 हमारे अधिकारियों को शायद वहां पर मारा । बजाय बातचीत करने के किस प्रकार से मसले को हल किया जाए, ठीक उनकी नाक के नीचे 5, 6 जून को गोलीबारी हुई और लगभग 35 लोगों को मार दिया गया और 400 लोग जख्मी हुए ।

उसके बाद जैसा गृह मन्त्री ने बताया कि 7 जून से समझौता हुआ कि इस गोलीबारी को बन्द किया जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात है कि अगले दिन ठीक 24 घण्टे के बाद 8 जून को 150 घरों को फिर जला दिया गया और 50,000 लोग अपने घरों को छोड़कर वहां से जाने के लिए मजबूर हो गये ।

उसके बाद शायद यहां दिल्ली में मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, बातचीत हुई। ऐसा लगने लगा कि शायद मसला सुलझ जायेगा, दोबारा वहां पर इन्सान का खून नहीं बहेगा, लेकिन 9 जुलाई को फिर 3 घरों को जला दिया गया।

सवाल सबसे बड़ा यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बड़ी अजीब-सी बात है, अखबारों में हमने पढ़ा कि एक राज्य की पुलिस के जवान दूसरे राज्य की सीमा में 200 मीटर अन्दर घुसे और वहां पर उन्होंने पुलिस चौकी बना ली और वहां पर तार लगा दी गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर पुलिस की चौकी लगाने की इजाजत किसने दी, किसने उनको कहा? क्या उन्होंने अपने आप चौकी लगाई, अपने आप तारें लगाईं या उनको किसी नेता ने कहा, अधिकारी ने कहा या किसी मंत्री ने कहा कि आप वहां पर पुलिस चौकी लगाइये? किसने कहा कि आप पुलिस चौकी लगाइये?

दूसरे राज्य की जिस सीमा में पुलिस चौकी लगाई गई, उस राज्य की सरकार ने बजाय इसके कि पहली सरकार से बातचीत करे और मामले को सुलझाये, उसने यह आदेश दिए कि पुलिस चौकी उठाकर तोड़ दो। यह इस प्रकार हो रहा है जैसे चाइना के लोग हमारे मुल्क में घुस जाएं और हमारी जगह पर कब्जा कर लें और उसके बाद हम उनको अपनी जगह से मार-मार कर बाहर भगा दें।

अखबारों में पढ़ने को मिला कि एक राज्य के अफसर जो सीमा पर काम करते हैं, दूसरे राज्य के पुलिस वाले उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। यह बड़ी अजीब-सी स्थिति है। ऐसी स्थिति हिन्दुस्तान-पाकिस्तान, हिन्दुस्तान-चाइना या हिन्दुस्तान-बंगला देश के बार्डर पर नहीं है बल्कि एक राज्य के अफसर सीमा पर काम कर रहे हैं और दूसरे राज्य के पुलिस वाले उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह क्यों हो रहा है और किसकी शह पर हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है? यह मानना और विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि वहां की सरकार की मदद के बगैर, वहां के नेताओं की मदद के बगैर पुलिस वालों की इतनी हिम्मत हो जाये कि वह जब भी चाहें गोली चला दें, जब जी चाहें लोगों का खून बहा दें। कुछ ऐसी जाति के लोग भी है, मैं किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहता, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि एक जाति के लोग बगैर पुलिस की मदद से गांव में घुसकर 150 मकान जला दें और 50,000 लोगों को अपने मकान छोड़ने के लिए मजबूर कर दें।

कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने-अपने राज्य में रहने वाले, जनता को छोटे दायरे में फंसाकर, घटिया किस्म के दायरे में फंसाकर, अपनी नेतागिरि जमाने के लिए यह दिखाना चाहते हों कि हम बड़े बहादुर हैं, हमारी जमीन का झगड़ा है और हम अपनी जमीन को हासिल करके रहेंगे। यह जो 11 रिजर्व फारेस्ट हैं, जिन पर नागालैंड का क्लेम है और 12 हजार किलोमीटर का जो इस चीज का झगड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने क्षेत्र की जनता को दिखाने के लिए कि हम अपने क्षेत्र की एक इंच जमीन भी छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ इसलिए इन्सानों का खून बहाया जा रहा है और वह भी एक ही मुल्क में, एक ही देश में और भारत जैसे देश में। मैं नहीं समझता कि इस विवाद का कोई सवाल उठाना चाहिए बल्कि यह एक बुनियादी सवाल है जिसके बारे में गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। जिन क्रिमिनल्स ने खून बहाया है, जिन्होंने कत्ल किया है और लाशें बिछाई हैं, उनके बारे में आप कोई सौल्यूशन ढूंढिये। इसमें दो राय नहीं हैं, सरकार बात करे

और कोई न कोई रास्ता निकाले। लेकिन जिन पुलिस के लोगों ने लोगों के घरों को जलाया है, लोगों की जानें ली हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। यह सोचकर हमको फ्लैक्सीबल होना है, इसलिए कातिलों को छोड़ दिया जाये, मैं समझता हूं कि इससे सौल्यूशन नहीं निकलेगा, बल्कि वह और बिगड़ेगा। इस मामले में चाहे कोई कितना बड़ा आदमी क्यों न हो चाहे कितना बड़ा नेता क्यों न हो, चाहे कितना बड़ा पुलिस अधिकारी क्यों न हो, जिन लोगों ने आदेश दिए कि 200 मीटर के अन्दर घुसकर पुलिस चौकी लगा दी जाये और उन्होंने आदेश दिये कि पुलिस की गोली चलायी जाये और जिन्होंने लाशों को बिछाया, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अगर हम आज उनको बचाने की कोशिश करेंगे तो उससे मामला सुलझेगा नहीं बल्कि वह और उलझ जाएगा, इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इस मामले के अन्दर बड़ी मजबूती के साथ ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को अपने हाथ में बन्दूकें लेकर हिन्दुस्तान के संविधान को तोड़ने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। किसी भी सरकार को, राज्य सरकार को, किसी भी पुलिस के अधिकारी को, किसी भी नेता को यह अधिकार नहीं है कि राज्यों की जो सीमा का विवाद है, उसको बन्दूक के माध्यम से, गोलियों के माध्यम से हल करे, इसलिए जहां तक इस मामले का हल ढूंढने का ताल्लुक है, मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को फ्लैक्सीबल होना चाहिए, लेकिन जो क्रिमिनल हैं, जहां लाशें बिछायी हैं जहां खून बिछाया है, चाहे वह नेता है, कोई मंत्री है या पुलिस का अधिकारी है, उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसको जेल में ठूंसना चाहिए।

इसके अलावा गृह मंत्री महोदय ने कमीशन के बारे में जिक्र किया। मुझे इसके बारे में यह कहना है कि अगर कमीशन के माध्यम से मसलों का हल ढूंढने की कोशिश की जायेगी तो इससे मसला हल नहीं होगा। कमीशन बिठाने पर नागालैंड की सरकार अपने कागज निकाल लेगी, असम सरकार अपने कागज निकाल लेगी, नागालैंड के लोग अपने सबूत निकाल लेंगे और असम के जो लोग हैं वह अपने सबूत निकाल लेंगे और कहेंगे कि देखिये 100-200 साल पहले यह हमारी जमीन थी। इससे ऐसी पोजीशन हो जायेगी कि आप मसले को सुलझा नहीं पायेंगे।

इससे पहले भी एक इनक्वायरी 1972 में मिस्टर सुन्दरम के नेतृत्व में बैठा था। लगभग चार साल उस इनक्वायरी को पूरा करने में लग गये थे। जब मिस्टर सुन्दरम ने उस इनक्वायरी रिपोर्ट को दिया तो नागालैंड की सरकार ने उस इनक्वायरी को मानने से इन्कार कर दिया। वह रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई। इसलिए आज अगर यह कमीशन बिठाया जाता है और कमीशन को यह कहा जाता है कि आप इस मसले को हल कीजिए तो इस कमीशन का वही हाल होगा जो मिस्टर सुन्दरम की रिपोर्ट का आज से 10-12 साल पहले हाल हुआ था। आज अगर असम नागालैंड के मसले का हल ढूंढना है तो इसका हल राजनीतिक ढंग से ढूंढा जाये। उसके लिए यह जरूरी है कि एक कमेटी 3-4 ठोस लोगों की, बड़े लोगों की बनायी जाये, उसमें चाहे होम मिनिस्टर हों। उसमें ऐसे लोग हों जिनकी क्रेडेबिलिटी के बारे में कोई शक न हो, जो देश की अखंडता को बनाये रखना चाहते हों, जो छोटे दायरों में फंसना नहीं चाहते, ऐसे लोगों की कमेटी बनायी जाये। वह नागालैंड और असम सरकार से बातचीत करके उसका राजनीतिक हल ढूंढने की कोशिश करें। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आज पंजाब का सौल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अगर पंजाब का मसला किसी सुप्रीम कोर्ट या किसी कमीशन के हवाले कर दिया गया होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज जो हालात बन रहे हैं शायद यह हालात कभी पैदा नहीं होते। इसमें

स्वयं प्रधान मंत्री और गृह मंत्री और अन्य अधिकारियों ने दिलचस्पी ली और आज हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं कि जिसमें पंजाब मसले का शायद हल निकल आये। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पंजाब का मसला हल किया जा रहा है, उसी प्रकार नागालैंड और असम के बीच में जो बीसियों साल से झगड़ा चल रहा है, खून बहाया जा रहा है, इसका हल यह कमीशन नहीं ढूंढ़ पाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक कमेटी बैठायी जाए जिसमें गृह मंत्री स्वयं रहें, तीन चार और बड़े-बड़े नेताओं को इसके अन्दर रखा जाय और दोनों सरकारों के बीच और उनके नुमाइन्दों के बीच में बातचीत करके इसका हल निकाला जाय। उसकी कोई फार्मेल पोजीशन न हो, बल्कि उनके साथ बठकर बातचीत करके इस मसले को हल किया जाय।

मैं दो सवाल गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। पहला यह कि डेढ़ महीने पहले जो 5-6 जून को गोलियां चलीं और लगभग 35 लोग मारे गए, मैं जानना चाहूंगा कि उसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितने लोगों के खिलाफ पुलिस केस रजिस्टर किया गया ? खाली यह सब कुछ अगर किसी कमीशन के हवाले कर दिया जाएगा तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम क्रिमिनल्स को पनाह दे रहे हैं, हम क्रिमिनल्स को कह रहे हैं कि हम पोलिटिकल सौल्यूशन ढूंढ़ेंगे, तुमको जितनों को मारना है मार दो, दो चार सौ लाशों को बिछाने में हिचकने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, सौल्यूशन आप ढूंढ़िए, लेकिन जिन लोगों ने लाशें बिछाई हैं उसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया और 302 का मुकदमा दर्ज करके कितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया ?

दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि ज्यादातर जो लोग वहां से उजड़ गए थे, जो रेफ्यूजीज थे वह लोग अपने घरों को वापस चले गये, लेकिन जो अखबारों की रिपोर्ट है उसके मुताबिक आज की तारीख में हजारों की संख्या में लोग अपने घरों में वापस जाने को तैयार नहीं हैं। उनको डर है, खौफ है। वह आज भी डरते हैं। उनको इस बात का विश्वास नहीं है कि सरकार इस मसले को हल कर सकती है। आज भी वह वापस जाने को तैयार नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो रिलीफ कैम्प्स से वापस नहीं गए ? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को वापस न जाकर अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं ? सारे लोग रिलीफ कैम्प्स में नहीं थे। यह मैं साफ बताना चाहता हूं। कुछ लोग रिलीफ कैम्पों में थे, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में बैठे हुए थे। खाली यह कह देना कि रिलीफ कैम्प खाली हो गए, इसलिए सारे लोग वापस चले गए, इस बात को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि कितने लोग अपने घरों में वापस पहुंचे ?

तीसरा और आखिरी सवाल मेरा है जिसके बारे में मैंने अभी मांग की थी कि क्या गृह मंत्री ऐसी कोई कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं ? इस मसले को हल करने के लिए कमीशन के बजाय कोई एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर गृह मंत्री स्वयं रहें और दूसरे बड़े-बड़े नेताओं को रखा जाय, साथ ही दोनों सरकारों और दोनों राज्यों के नुमाइन्दों के बीच में बैठकर क्या बात-चीत करके वह इस मसले को हल करने के लिए तैयार हैं ?

श्री एस० बी० चह्वाण : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो बात कही गई, उसमें यह दो राज्यों की पुलिस के दरम्यान जो गोली चली, वह बहुत ही बदकिस्मती की बात है, यह मैं अपने स्टेटमेंट में खुद कह चुका हूं। यह बात सच है कि समझौते की कोशिश दोनों सरकारों से होंनी चाहिए,

इस बात की पूरी कोशिश की गई। 1972 में इसके बारे में चार समझौते हुए और उन समझौतों की बुनियाद पर कुछ कार्यवाही करने की बात हुई। यह कहना कि सुन्दरम् कमीशन कोई एक एन्क्वायरी कमीशन था, शायद जानकारी उतनी न होने की वजह से माननीय सदस्य ने इस बात का जिक्र किया। वह कोई कमीशन नहीं था। वह आफिसर आन स्पेशल एडवाईजर थे जिन्होंने वहां पर जाकर पूरे मामले की जांच की और होम मिनिस्ट्री को उन्होंने असिस्ट किया कि किस ढंग से इसका निपटारा किया जाए। नागालैंड और आसाम दोनों हिस्सों में उन्होंने तफसील के साथ सारी चीजों को देखा और दोनों की गवर्नमेंट को सलाह दी कि इसका कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकालना जरूरी है। इसके बारे में कहां तक वह जा सकते हैं इस पर उन्होंने अपनी राय दी। लेकिन ऐसी जो कमेटी होती है या जो आफिसर्स होते हैं उनकी जो रेकमेंडेशंस हैं उनका कोई बाईंडिंग एफेक्ट तो होता नहीं। वह सलाह दे सकती हैं, मशविरा दे सकती हैं और उनसे यह कह सकती हैं कि मुठभेड़ के बजाय, कन्फ्रंटेशन के बजाय इसमें अगर कोई शांतिपूर्ण रास्ता निकल सकता है तो उस रास्ते से जाइये और इसके लिए उनको क्या मदद दी जा सकती है, इसके बारे में उन्होंने अपनी राय उसमें दी है। इस वक्त शायद थोड़ा-सा कंफ्यूजन यह हो रहा है कि एक कमीशन जिसके बारे में मैंने जिक्र किया है। वह फैक्ट-फाइंडिंग कमीशन है, उसको पोलिटिकल सोल्यूशन ढूंढने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वह सिर्फ फैक्ट-फाइंडिंग कमीशन होगा, कि दोनों की मुठभेड़ क्यों हुई, बावजूद इस बात के कि दोनों में यह समझौता हुआ था--आफिसर्स में कि वहां पर सिच्युएशन को नार्मलाइज करने के लिए कोई फायरिंग नहीं होगी लेकिन बावजूद उसके वहां पर फायरिंग क्यों हुई, किस आफिसर ने किस एथारिटी पर की—जब तक इन सारी चीजों की इंक्वायरी न हो जाए उससे पहले अगर मैं यह कहूं कि नागालैंड के आफिसर की जिम्मेदारी है या आसाम के आफिसर की जिम्मेदारी है तो मैं समझता हूं कि वह मुनासिब बात नहीं होगी। इसकी पूरी जांच वे करेंगे और उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम मैं पूरे सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि इंक्वायरी के बाद अगर हमें यह लगा कि कोई भी आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो वह अगर इसमें इन्वाल्व्ड है तो उसके खिलाफ प्रापर कार्यवाही की जायेगी। किसी को पनाह देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। न तो किसी बड़े पुलिस आफिसर को पनाह दी जाएगी और न ही किसी पोलिटिकल आदमी, जिसकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ढंग से कार्रवाई करने की जिम्मेदारी साबित होती हो, उसको पनाह, शेल्टर देने का कोई सवाल पैदा होता है। अभी तो हमारे पास नागालैंड से एक फैक्ट आते हैं और आसाम से दूसरे फैक्ट आते हैं, इसलिए हमारे पास पहले इस फैक्ट-फाइंडिंग कमीशन की रिपोर्ट आ जाए। यह कमीशन केवल फैक्ट-फाइंडिंग ही है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत पैदा होने की सम्भावना हो—ऐसा मैं नहीं मानता हूं। इसलिए इस स्टेज पर मैं नहीं कह सकता कि फायरिंग के सिलसिले में कितने लोगों पर मुकदमा शुरू किया गया क्योंकि जब तक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती है उस वक्त तक किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री ललित माकन : मैंने यह पूछा था कि कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं।

श्री एस० बी० चह्वाण : जब तक कमीशन की तरफ से सारी जानकारी हमारे पास नहीं आ जाती है उससे पहले अगर यह करने की कोशिश करेंगे तो फिर कमीशन बिठाने का कोई मतलब बाकी नहीं रहता है। कमीशन को फैक्ट-फाइंडिंग का नाम करना चाहिए कि इसमें प्राइमाफेसी कौन इंवाल्व्ड है, किस आफिसर ने यह काम किया है, किस एथारिटी या बिना एथारिटी से किया

है—जब तक यह जानकारी हमारे पास नहीं आ जाती है तब तक किसी को न तो अरेस्ट कर सकते हैं और न प्राजीक्यूट करने का सवाल आता है।

दूसरी बात न्यूज पेपर रिपोर्ट के सम्बन्ध में कही गई है कि मैंने जो स्टेटमेण्ट दिया उसमें दो दिन में अलग-अलग बातें कही गई हैं, लेकिन मेरे पास यह आथेंटिक रिपोर्ट है, इसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जो 32 या साढ़े 32 हजार लोग डिसप्लेस हुए हैं उसमें करीब 28 या 29 हजार लोग वापिस जा चुके हैं। हो सकता है ढाई-तीन हजार लोग जाने बाकी हों। इसमें सिर्फ कैंप्स के लोगों की ही गिनती की गई है बल्कि जो वहां पर बसते थे और आज वहां पर नहीं हैं, उनका हिसाब भी इसमें लगाया गया है और उनको इस बात की गारण्टी दी गई है कि आप वहां पर जाइये, रिहैबिलेटेशन का काम पूरे ढंग से होगा और आपको पूरी प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जायेगी। इस ढंग से वहां पर रिहैबिलिटेशन का काम चल रहा है।

मैं समझता हूं यही वह बातें थीं जिनके बारे में माननीय सदस्य ने जानकारी मांगी थी और जितनी मेरे पास उसकी इंफार्मेशन है उसके हिसाब से मैंने वजाहत कर दी है।

श्री ललित माकन : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैंने यह पूछा था कि क्या ऐसी कोई कमेटी बिठाने के लिए तैयार हैं जिसमें स्वयं गृह मन्त्री रहें और बाकी दूसरे भी जो बड़े नेता हैं वे रहें और वह कमेटी दोनों सरकारों से बातचीत करके पोलिटिकल सौल्यूशन ढूंढ़ने का प्रयास करे।

श्री एस० बी० चव्हाण : उपाध्यक्ष महोदय, इसका पोलिटिकल सौल्यूशन निकालना है। जब तक दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स उस बात को कबूल नहीं करते हैं, तब तक चाहे गृह मन्त्री खुद भी चेयरमैन हों और दूसरे लोग भी उनके साथ हों, सुन्दरम कमेटी के बारे में जो बात हुई, उससे कोई दूसरी बात इसमें नहीं पैदा हो सकती है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों चीफ मिनिस्टर्स को इस बात के लिए राजी करें कि कोई ऐसा व्यक्ति जिनको दोनों मानते हों और वह वहां पर कमीशन के तौर पर काम करें। दोनों उसकी रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार हैं या नहीं यह पहले उनसे मालूम करेंगे। उसके बाद फिर इस बात का फैसला कर पायेंगे लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों गवर्नमेंट्स इसको एग्री करें। अगर एग्री नहीं करते हैं तो फिर इसका पोलिटिकल सौल्यूशन निकालना कोई आसान बात नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा० ए० के० पटेल।

श्री ललित माकन : महोदय, मैं एक छोटा-सा स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही कई प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। मुझे दूसरे सदस्यों को भी अवसर देना है।

श्री ललित माकन : यह मेरा अन्तिम प्रश्न है।

गृह मन्त्री ने अभी यह कहा है कि जब तक दोनों मुख्य मन्त्री और दोनों सरकारें सहमत न हों, कोई भी इस विवाद को हल नहीं कर सकता। मान लीजिए वे सहमत नहीं होते तो क्या

सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी और कत्लेआम चलता रहने देगी। हम आश्वासन चाहते हैं कि यदि पुनः संघर्ष हुआ तो सरकार उसके साथ सख्ती से निपटेगी।

श्री एस० बी० चव्हाण : मेरे विचार में मैंने स्थिति पूर्णतया स्पष्ट कर दी है। मौजूदा परिस्थितियों में मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम कोई निर्णय उन पर थोप सकें, चाहे हम कितनी ही शक्तिशाली समिति नियुक्त करें यदि उन्हें कोई राजनीतिक हल ढूंढ़ना है यदि दोनों राज्य सरकारें सहमत नहीं होती हैं। मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपना सकती। कम से कम मैंने आशा नहीं छोड़ी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं दोनों मुख्यमन्त्रियों को समझौते के लिए राजी कर लूंगा।

डा० ए० के० पटेल (मेहसाना) : जून का महीना प्रत्येक वर्ष हमारे देश के लिए तबाही का महीना होता है। एक दशक पहले जून के महीने में आपातकाल लगाया गया था। पिछले वर्ष जून के महीने में आपरेशन ब्लयू स्टार हुआ था। इस वर्ष चार जून को देश ने नागालैंड और आसाम की पुलिस के बीच मेरापानी पर हिंसक संघर्ष देखा।

आसाम और नागालैंड के बीच यह सीमा विवाद एक पुरानी समस्या है और सरकार इसे बहुत ही आसानी से हल कर सकती थी क्योंकि दोनों राज्यों में सत्तापक्ष का शासन है। परन्तु मेरे विचार में केन्द्र किसी को भी अप्रसन्न नहीं करना चाहता और इसी कारण समस्या लम्बे समय से चली आ रही है···(व्यवधान)···वे एकता की केवल बात करते हैं उसे अमल में नहीं लाते।

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हू कि मेरापानी पर झगड़ा एक गम्भीर मामला है। इसमें जान-माल की काफी क्षति हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 58 व्यक्ति गोली चलने से मारे गए परन्तु वास्तविक आंकड़े इससे अधिक हो सकते हैं। अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि यह एक ही राष्ट्र के दो राज्यों की पुलिस के बीच संघर्ष हुआ है।

समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड पुलिस ने 3 इन्च के मोर्टर और अन्य हथियार इस्तेमाल किए हैं जो कि आमतौर पर सेना के पास होते हैं। अतः प्रश्न उठता है : उन्हें ये सब शस्त्र कहां से मिले ? यदि देश से बाहर से लाए गए थे तो मामला और भी गम्भीर है। अथवा उन्हें नागा गुरिल्लाओं से मिले होंगे ? इस मामले की पूरी तरह जांच की जाए और प्रभावी कदम उठाए जाएं।

जहां तक क्षति का संबंध है, यह कहा जाता है कि 50,000 लोग बेघर हो गए हैं और 58 मारे गए हैं। यह अत्यन्त गम्भीर है और सरकार को इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।

मैंने माननीय गृह मन्त्री का भाषण सुना है और उनका उत्तर बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ा है। मैं माननीय गृह मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें बढ़ते हुए तनाव की मुठभेड़ से पहले कोई खबर थी ? यदि हां तो इसे रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाये गए। इस्तेमाल किए गए हथियारों का जहां तक संबंध है, मामले की पूरी तरह जांच की जाए और उपचारी कदम उठाये जाएं। मेरे विचार में विवाद हल करने का यही उचित समय है। आयोग और अन्य बातों से समस्या हल नहीं होने वाली। उससे विलम्ब ही होगा। दोनों मुख्यमंत्रियों को बुला लिया जाए

और केन्द्र की ओर से कोई उच्च अधिकारी उनसे बात करे और समस्या यथाशीघ्र हल कर दी जाए।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, माननीय सदस्य ने दो मुद्दे उठाए हैं। एक, दोनों पुलिस बलों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में है। दूसरा, क्या भूमिगत विद्रोही हथियार उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेवार हैं जो कि वास्तव में पुलिस बलों को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : सीमा सुरक्षा बल के पास वे हथियार हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, सरकारी सूचना के अनुसार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दोनों पुलिस बलों को जो हथियार उपलब्ध कराए गए, मेरे विचार से उनसे कोई सीमा का लंघन नहीं हुआ है। उन्हें जो हथियार उपलब्ध कराए गए थे, उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सीमा सुरक्षा बल ने भाग नहीं लिया।

श्री एस० बी० चव्हाण : कुछ समाचार पत्रों में यह आरोप लगाया गया था कि सीमा सुरक्षा बल और यहां तक कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारियों का दोनों ने इस्तेमाल किया है जो सच नहीं है। आसाम की तरफ एक घटना हुई है जिसमें जब नागाओं ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पर, जिसका वहां शिविर था, आक्रमण करने का प्रयास किया तो उन्हें आत्म-रक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी जिसमें मेरी सूचना के अनुसार कोई क्षति नहीं हुई। इसके बाद उन्हें इस क्षेत्र से जाने के लिए और उन्हें अकेला छोड़ देने के लिए कहा गया।

अतः यह समाचार कि वे हथियार जो सामान्यतः सशस्त्र पुलिस बल द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए, इस्तेमाल किए गए हैं, सरकारी सूचनाओं के अनुसार सच नहीं है और यदि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि केन्द्रीय सरकार को सही सूचना नहीं दी गई है तो तब यह बिल्कुल अलग मामला होगा परन्तु जहां तक मेरी सूचना है ऐसा कुछ नहीं हुआ है।

मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि इस मामले का राजनीतिक हल ढूंढा जाना चाहिए। यह विवाद ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। 1925 में इसका एक भाग नागालैंड का पहाड़ी जिला था। वे निश्चित नाम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उससे वह ले लिया गया। यहां तक कि 1962 के अधिनियम के अनुसार यह आसाम का एक भाग था। अतः नागा लोग इस क्षेत्र के इस भाग पर दावा करते आ रहे हैं जो कि 1962 के अधिनियम के अनुसार नागालैंड का भाग नहीं है। यह विवाद चला आ रहा है। परन्तु किसी भी सीमा विवाद को हल करने का यह कोई तरीका नहीं है।

महोदय, हमें 28 तारीख को सूचना मिली थी। मुझे जब सूचना मिली तो मैंने नागालैण्ड और आसाम दोनों के मुख्य मंत्रियों को वायरलैस संदेश भेजा। वायरलैस संदेश दोनों राज्यों के राज्यपालों को भी भेजे गये जिसमें उनसे स्थिति शांत करने का अनुरोध किया गया और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि स्थिति शान्तिपूर्ण ढंग से हल होनी चाहिए। और यदि वे राजनीतिक हल नहीं ढूंढ सकते तो उन्हें कम से कम यह देखना चाहिए, तनावपूर्ण स्थिति खतम

हो। हम सबको आशंका थी कि यह कहीं संघर्ष का रूप न ले ले। इसी कारण मैंने दोनों मुख्य मंत्रियों से तीन बार इस मामले पर चर्चा करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि स्थिति शांत हो जाये। दुर्भाग्यवश, मुख्यमंत्रियों के सहमत हो जाने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिनके कारण उनकी गुवाहाटी की बैठक न हो सकी और उन्हें इम्फाल में मिलना पड़ा। इम्फाल में बैठक होने में तीन दिन लगे और इस बीच मुठभेड़ हो गई जो कि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : महोदय, मैं इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहता। मेरे मित्र, श्री ललित माकन ने इस संबध में विस्तार से बताया है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह एक गंभीर मामला है तथा अत्यधिक चिंता का विषय है। यह विवाद बहुत लम्बे समय से चला आ रहा है और यह सचमुच दुर्भाग्य की बात है कि हम इस विवाद का समाधान नहीं कर पाए हैं। इस विवाद को निपटाने के लिए राज्यों के बीच सशस्त्र मुठभेड़ें हुई हैं और ये दोनों राज्य भारत संघ में हैं तथा मंत्री महोदय को इस विवाद का समाधान करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिये। वक्तव्य से मुझे ऐसा लगा है कि गृह मंत्री समय-समय पर उन्हें सलाह देते रहे हैं। 20 मार्च को केन्द्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों को टेलीफोन पर कहा कि वे दोनों राज्यों के बीच शांति सुनिश्चित करें तथा मुठभेड़ें नहीं होनी चाहिए। पुनः 28 मई को उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनकी सलाह का उन पर कोई असर नहीं हुआ और यह और भी आश्चर्य तथा चिन्ता की बात है कि जब गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि दीनापुर में हुई बैठक में उपस्थित थे तब वास्तव में वहां युद्ध स्तर पर मुठभेड़ें हुईं और जैसा कि मेरे सहयोगी श्री ललित माकन ने कहा कि तोपों और घातक हथियारों का प्रयोग किया गया था जिससे बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए और करीब 30,000 लोग उजड़ गये।

महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या नागालैंड के वन मंत्री ने वास्तव में 5 जून को मोकोकचुंग टाउन हाल में वक्तव्य दिया था और लोगों से असम के विरुद्ध नागालैंड सरकार के युद्ध प्रयास का समर्थन करने के लिए कहा था। यदि हां, तो सरकार का वन मंत्री के विरुद्ध कौन से कदम उठाने का विचार है? क्या राज्य के मुख्य मंत्री की कोई जांच पड़ताल की गई है? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नागालैंड पुलिस ने सीमा के नजदीक असम पुलिस मुख्यालय से भारी मात्रा में सामान और गोला बारूद बरामद हुआ है, तथा इनका कोई लेखा जोखा नहीं है। क्या इन्हें नागालैंड में कुछ भूतिगत तत्वों को सौंप दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी जांच की जाएगी अथवा कोई आयोग इस पर विचार करेगा।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि यह विवाद 1945 से चला आ रहा है। वास्तव में जब 1979 में झगड़ा हुआ, जिसमें 59 लोगों की जानें गई थीं, तब तत्कालीन जनता सरकार ने घटना को गम्भीरता से लिया तथा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विवाद का समाधान करने के लिए कहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है तथा विवाद का समाधान करने हेतु दोनों मुख्यमंत्रियों को मनाने के लिए किये गये हमारे सभी प्रयास विफल रहे। यह सूचना भी मिली है कि नागालैंड के मुख्य मंत्री ने कहा है कि यदि विदेशियों ने उन क्षेत्रों पर कब्जा न किया होता तो उन्होंने यह कदम न उठाया होता। इसका अभिप्राय यह है कि नागालैंड के मुख्य मंत्री के कहने का मतलब यह है कि असम के मुख्य मंत्री या असम सरकार ने वास्तव में नेपालियों अथवा पड़ोसी राज्यों के शरणार्थियों को प्रोत्साहित किया था कि वे वन क्षेत्रों पर कब्जा करके वहां बस

जाएं तथा उसे नागालैंड और असम राज्य का मध्यवर्ती राज्य मानें। श्री जमीर का कहना था कि यदि विदेशियों ने उस क्षेत्र पर कब्जा न किया होता तो वे आपत्ति नहीं करते। क्या यह सच है कि नेपालियों अथवा बंगलादेश से आये शरणार्थियों को वहां जाकर बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया था जिससे नागालैंड के लोग उत्तेजित हो गए।

विवाद का समाधान करने हेतु क्या ठोस उपाय किये गये हैं? मैंने इस वक्तव्य को पढ़ा है और ऐसा प्रतीत होता है कि केवल सलाह ही दी गई है और अभी तक ठोस कार्यवाही नहीं की गई है और दोनों मुख्यमंत्रियों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डाला जा सका। निस्संदेह सदन इस बारे में चिन्तित है और उसे केवल दो मुख्यमंत्रियों पर ही विश्वास नही हो जाएगा। अतः मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनका विचार इस सीमा विवाद का समाधान करने के लिए एक लघु राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने का है, क्योंकि गृह मंत्रालय को दी गई सुन्दरम रिपोर्ट या उसकी सिफारिशें किसी भी सरकार ने स्वीकार नहीं कीं और इसलिए इसे ताक पर रख दिया गया और इस पर गर्द जमा हो रही है। अभी तक इसका कोई समाधान नहीं किया गया है। मैं गृह मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि वह दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि वे किसी की बात पर सहमत हों जिसका निर्णय उन पर बंधनकारी होगा। ऐसे व्यक्ति को लघु राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए तथा उसे यथाशीघ्र सिफारिश करनी चाहिए ताकि इस दुःखद विवाद को निपटाया जा सके।

मैं अपने मित्र के इस विचार का समर्थन करता हूं कि यह जो जांच आयोग बनाया गया है वह इस मामले की जांच करेगा और पता लगायेगा कि पहल किसने की थी और दोषी कौन हैं और क्या इस तरह मुठभेड़ों के पीछे सरकार का हाथ था। यह जांच आयोग इन सब तथ्यों का पता लगायेगा और उचित कदम उठाये जाएंगे। गृह मंत्री हमें पहले ही आश्वासन दे चुके हैं कि यहां तक कि यदि उच्च अधिकारी दोषी पाए गये तो उनके विरुद्ध भी उचित कदम उठाये जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस व्यक्ति, जिसे दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री लघु राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाने पर सहमत हों, की नियुक्ति इस समस्या का समाधान करने के लिए सिफारिशें देने हेतु की जाएगी।

श्री एस० बी० चह्वाण : मैं पहले अंतिम प्रश्न का जवाब दूंगा और वह यह है कि माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि इस समस्या का समाधान करने हेतु एक लघु राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने की आवश्यकता है। यदि दोनों सदस्यों के बीच समझौता हो जाये तो मैं नहीं समझता कि इन दो राज्यों के बीच सीमा विवाद को निपटाने के लिए किसी लघु राज्य पुनर्गठन आयोग के बनाने की आवश्यकता है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : लेकिन इसने समाधान का विरोध किया है।

श्री एस० बी० चह्वाण : इसने समाधान का विरोध इसलिए किया है लेकिन अपने ढंग से समाधान करना चाहता है। वे इसे दूसरे ढंग से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : सभी विवाद वैसे ही हैं।

श्री एस० बी० चह्वाण : यदि वे संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति से सहमत हो सकते हैं जो इन दोनों के विचार से निष्पक्ष है, दोनों पक्षों के लिए सहायक है तो वह परिस्थितियों के अनुसार उचित

और अच्छा समाधान करने का प्रयत्न करेगा, मैं नहीं समझता कि समस्या इतनी कठिन है कि हमारे लिये इसका समाधान करना सम्भव न हो। लेकिन साथ ही इस आयोग के कार्मिक दोनों पक्षों को स्वीकार्य होने चाहिए। यदि दोनों पक्ष इस बात से सहमत हों कि वे दोनों पक्षों पर बंधनकारी एक निर्णय के रूप में इन सिफारिशों को स्वीकार कर लेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि वे यह निर्णय लेने के लिए तैयार हैं तो निश्चय ही इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम अभी भी उनके साथ चर्चा कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों पक्षों को इस बात के लिए राजी कर पायेंगे कि वह ऐसे व्यक्ति का पता लगाएं जो दोनों को स्वीकार्य हो।

महोदय, यह मुद्दा उठाया गया था कि नागालैंड के वन मंत्री ने कोई उत्तेजनापूर्ण वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने स्थानीय लोगों से अनुरोध किया था कि वे उन पुलिस कार्मिकों की सहायता करें जो ऐसा प्रतीत होता है कि पड़ौसी राज्य के साथ युद्ध की-सी स्थिति जैसी कार्यवाही में लगे हुये हैं। कम से कम इस समय मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। हमें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। यदि किन्हीं निष्कर्षों से इसकी पुष्टि हो गई है तो निश्चय ही प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया जायेगा तथा उसके बाद जो भी राजनैतिक कदम उठाने सम्भव हुये, निश्चय ही वे कदम उठाये जाएंगे। इस समय मैं इस सम्बन्ध में और कुछ कहना नहीं चाहता।

यह सत्य है कि नागालैंड पुलिस ने बड़ी मात्रा में सामान और गोला बारूद पकड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि असम पुलिस बल ने अस्त्रों, गोला बारूद और अन्य चीजों को छोड़ दिया है जिसे नागालैंड पुलिस द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है। हमने असम सरकार से अनुरोध किया है कि उन्होंने जो शस्त्रास्त्र और गोलाबारूद छोड़ा है वह हमें उसकी सूची दें और हमने नागालैंड पुलिस से भी अनुरोध किया है कि वह हमें यह जानकारी दें कि वह उसमें से कितना माल बरामद कर पाती है। यह काफी मात्रा में बरामद हुआ है और कुछ हथियार ऐसे हैं जिनके बारे में अभी पता लगाया जाना है और जिनको बरामद किया जाना है। यदि ये हथियार भूमिगत नागाओं के हाथों में चले गए तो इससे दूसरों को तो कोई कठिनाई नहीं होगी किन्तु इससे मुख्यत: नागालैंड के लिये और समूचे देश के लिये समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसीलिए मैं विशेष रूप से नागालैंड के मुख्य मंत्री को कह रहा हूं कि यह गम्भीर मामला है और उन्हें इसे गम्भीरता से लेना होगा तथा देखना होगा कि प्रत्येक हथियार का ठीक-ठीक तरह से हिसाब रखा जाए। दोनों राज्य सरकारों को इसकी सूचना दी गई है और मुझे विश्वास है कि वे इस बारे में कार्यवाही कर रही हैं। जैसे ही सूचना मिलेगी हमारे लिए यह पता लगाना संभव होगा कि क्या कोई हथियार भूमिगत नागाओं के हाथ लगा है, जैसा कि ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं।

महोदय, मेरापानी क्षेत्र की सीमा पर तरह-तरह के लोग रहे हैं। वहां स्थानीय असम के लोग हैं, कुछ जनजातियां हैं, कुछ शरणार्थी भी हैं और कुछ मुसलमान भी वहां जाकर बस गए हैं। अत: वहां कई तरह के लोग रहते हैं और मैं नहीं समझता कि कोई भी राज्य सरकार संभवत: यह कह सकती है कि उनकी सीमा पर कैसे लोग रहने चाहिए। अन्तत: जो लोग वहां रह रहे हैं, उन्हें तो वहां ही रहना है और यह कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे कि दोनों राज्य सरकारों में से कोई एक उत्तेजित हो और इन परिस्थितियों में वे जो कार्यवाही कर रहे हैं, उसे न्यायोचित ठहरायें।

महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य चाहते थे, लघु राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में मैंने जानकारी दे दी है। मैं नहीं समझता कि मुझे इस बारे में कुछ और बताना चाहिए। यह सच है

कि इस सीमा समस्या का पिछले कई वर्षों से समाधान नहीं निकल रहा है और यही कारण है कि यह समस्या और गम्भीर हुई है। यदि दोनों मुख्य मंत्री, दोनों राज्य सरकारें उसके समाधान के लिए किसी उपयुक्त तीसरे व्यक्ति के लिए सहमत हों और उसे एक निर्णायक की शक्तियां प्रदान कर दें तो मैं समझता हूं कि परिस्थितियों को देखते हुए वह सबसे अच्छा समाधान होगा। लेकिन मैं अभी तक उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूं। मैं अभी भी उनके साथ चर्चा कर रहा हूं और मुझे पता लगाना है कि क्या वे ऐसे आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने जा रहे हैं अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : इस सिलसिले में बहुत कुछ कहा जा चुका है। अफसोस यही है कि सेन्टर और आसाम तथा नागालैण्ड में कांग्रेस आई की सरकार होने बावजूद भी यह डिस्प्युट अभी तक तय नहीं हो सका है। इसके अलावा हमारी फौजें हमारे इंटरनल सरहदों के सिलसिले में लड़ रही हैं, पता नहीं यह किस हद तक सही है। पाकिस्तान और चाइना के जो मामलात आते रहते हैं, उनके लिए हमारी फौजों का होना काफी है न कि इण्टरनल मामलात में उनको इस्तेमाल किया जाए। वहां पर लोग लड़ रहे हैं और खून-खराबा हो रहा है। अभी माकन साहब ने भी बताया कि वहां से कितने लोग बेघर हुए और उनकी क्या दशा हुई। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर बैठी है उसमें कमी है क्योंकि बार्डर डिस्प्युट तो कम से कम तय करना चाहिए। पंजाब तथा दूसरे मसले भी अभी पड़े हुए हैं। मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि वहां के आई० जी०, डी० आई० जी० तथा दूसरे अफसरान के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। फौजें लड़ रही हैं और इन्सान मर रहे हैं, इसको आपको देखना चाहिए। ब्रिटिश रिजिम में भी नागाज की स्थिति यही रही कि आसामीज के साथ बड़ी ज्यादती हुई और लोग बेघर हो गए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि काफी तप्सरा यहां पर इस बारे में हो चुका है। कमीशन भी बिठाया गया लेकिन सब चीजें बेकार रहीं। मैं होम मिनिस्टर सहाब से यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इसका परमामेंट सोल्युशन निकालें। कमीशन बैठाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वहां के अफसरान के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया और किस तरीके से इस बार्डर डिस्प्युट को तय करेंगे। बाहर के डिस्प्युट अलग हैं। अभी माकन साहब ने ठीक ही कहा है कि एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जिसमें आप खुद भी हों। इसमें पोलिटिकल परसन्स को भी शामिल किया जाए।

श्री एस० बी० चह्वाण : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अभी जवाब दिया है उसमें सारे प्वाइंट्स के ऊपर वजूहात कर दी हैं। हमें अफसोस इस बात का है कि दो स्टेट की पुलिस फोर्स के लोग बार्डर डिस्प्युट के बारे में एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म की कार्यवाही करने पर मजबूर हो जाते हैं। जिस ढंग की कार्यवाही उन्होंने की है, वह किसी भी यूनिफार्म फोर्स के लिए कोई बहुत अच्छी बात है, ऐसा हम नहीं मानते। आई० जी०, डी० आई० जी०, डी० सी० और एस० पी० ने अगर कोई ऐसा काम किया है तो उसकी जांच करने के लिए ही एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के तौर पर मुकर्रर कर रहे हैं। वह इसकी तह में जायेगा और रिस्पान्सीबिलिटीज फिक्स करेगा। अगर किसी अफसर ने इस किस्म की हरकत की हो जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी रिपोर्ट हमारे पास आती है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसके खिलाफ कार्यवाही करने में कोई हिचकिचाहट नहीं बरती जायेगी। यह बात और है कि दोनों एरियाज के अन्दर आई० जी०, डी०

आई० जी०, डी० सी० या एस० पी० का डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट ताल्लुक इस तरह की कांफलिक्ट से रहा हो। हमने इन राज्य सरकारों से कहा है कि उनको हटाइए। बाद में जो कार्यवाही होनी है, वह कमीशन की रिपोर्ट के बाद होगी। फौरन जो कार्यवाही होनी है, वह यह है जिनका भी ताल्लुक इस कांफलिक्ट के अंदर दिखाई देता है, उन लोगों को वहां से हटाना चाहिए। अच्छे सीजन्ड लोग जो ब्राड-माइन्डेडनेस से काम कर सकें ऐसे लोगों को वहां पर लगाया जाए। उनके लिए काफी मदद मिलेगी, ऐसी हमने राय दी है।

श्री अंनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, किसी भी देश के दो राज्यों के बीच आपस में सशस्त्र संघर्ष होना बहुत ही गम्भीर मामला है। मुझे दुख है कि जिस गम्भीरता के साथ इस मामले को गृह मंत्री जी को लेना चाहिए था, उस गम्भीरता के साथ वे इसे नहीं ले रहे हैं। यदि दो राज्य सरकारें आपस में संघर्षरत हों, दो राज्यों की पुलिस एक दूसरे पर गोली चलाये, लाशों के ठेर लग जाएं तो उस अवस्था में केंद्र सरकार का क्या कर्त्तव्य होता है, क्या जिम्मेदारी होती है। आखिर 4 और 6 जून के बीच जो घटना घटी, क्या वह अचानक हो गयी या उसकी कोई पूर्व सूचना केंद्र सरकार को प्राप्त हुई थी। क्या आपकी इंटैलीजेंस एजेंसी के जरिए आपको कोई इस तरह की सूचना मिली कि इन दो राज्यों के बीच ऐसी घटना हो सकती है, आर्म्ड क्लैशेज हो सकती हैं। यदि केंद्र सरकार को ऐसी सूचना मिली थी तो उसको रोकने के लिए उसने कार्यवाही की। यदि इस तरह से दो राज्य एक दूसरे से लड़ने के लिए आमादा हो जाएं, हथियारों के लिए आमादा हो जाएं तो क्या केंद्र सरकार वहां आर्म्ड इन्टरवेंशन कर सकती है। आप उस इलाके में केंद्रीय पुलिस भेज सकते थे और यदि आवश्यकता पड़ती तो फौज को भी भेजा जा सकता था। उपाध्यक्ष जी, सिर्फ दो मुख्यमंत्रियों को आपकी ओर से यह सलाह देना कि इस खून-खराबे को रोक दीजिए, आप लोग इस आर्म्ड कन्फलिक्ट को रोक दीजिए, इतने मात्र से ही केंद्र सरकार की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। ऐसी घटना तो होनी ही नहीं चाहिए थी। यदि यह मामला अंदर-अंदर पक रहा था तो उसकी पूर्व-सूचना हमारे गृह मंत्रालय को और गृह मंत्री जी को अवश्य होनी चाहिए थी। यदि ऐसी खबर उन तक नहीं पहुंची तो हम कह सकते हैं कि एक बार फिर यह हमारी इंटैलीजेंस एजेंसी का फेल्यौर है, असफलता है।

ऐसी घटना का होना एक गम्भीर मामला है। यदि कल फिर आसाम और नागालैंड आपस में लड़ गए, कल के अखबारों में हमें पढ़ने को मिले कि पंजाब और हरियाणा आपस में लड़ गए, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हमने देखा है कि वहां की पुलिस कन्फ्रन्टेशन के लिए तैयार है। सौभाग्य की बात है कि वहां अभी तक कोई गोली नहीं चली लेकिन हमें मालूम है कि दोनों तरफ की पुलिस एक दूसरे पर गोली चलाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। यदि इसी प्रकार कन्फ्रन्टेशन, आर्म्ड क्लैशेज होते रहे तो फिर इस देश की एकता और अखण्डता का क्या होगा। इस देश की एकता और अखण्डता कैसे कायम रह सकेगी।

इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों को सलाह दे दी है और दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाकर किसी समझौते पर पहुंचने के लिए राजी करेंगे। क्योंकि इस प्रकार की बातें वहां बहुत दिनों से हो रही हैं। यह डिस्प्युट कोई नया नहीं है बल्कि ब्रिटिश जमाने से चला आ रहा है जब नागालैंड के शिवसागर और नौगांव जिलों से कुछ फोरेस्ट लैंड को आसाम में ट्रांसफर कर दिया गया था, यह तब से चला आ रहा है। नागालैंड

के लोगों की काफी समय से मांग रही है और जब भी नागा प्रतिनिधियों की भारत सरकार के साथ बातचीत होती है तो हमेशा उनकी ओर से यही कहा जाता है कि इस फौरेस्ट लैंड को नागालैंड में मिला दिया जाए। इस बात को बीस-पच्चीस साल हो गए और अभी तक यह मामला सुलझ नहीं सका है। मैं नहीं जानता कि आगे कैसे सुलझेगा। एक बार 1979 में भी दोनों राज्यों के बीच आर्म्ड कान्फलिक्ट हो चुका है, उससे पहले भी एक बार हो चुका है और अब यह तीसरी बार हुआ है। आगे भी होगा या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार की बातें दूसरे स्टेटों में भी हो रही हैं, कहीं बाउन्ड्री डिस्प्युट हो रहे हैं तो कहीं नदियों के पानी के बटवारे को लेकर आपस में विवाद उठ रहे हैं। कई अन्य विषयों को लेकर भी दो राज्यों के बीच विवाद है। इसलिए आज समय आ गया है जबकि भारत सरकार को एक ऐसा परमानैंट कमीशन, परमानैंट ट्रिब्यूनल या एक ऐसा स्थाई कमीशन बनाना चाहिए जो इस प्रकार के बाउन्ड्री डिस्प्यूट्स को निपटाये, दोनों राज्यों के मामलों को सुने और जिसका फैसला अन्तिम हो, आखिरी हो।

3.00 म० प०

इस प्रकार का एक कमीशन बनाए जाने की अब आवश्यकता आ गई और अब इस प्रकार की बातचीत जैसे कि दो देशों में होती है पाकिस्तान-भारत में, चीन-भारत में, इस प्रकार की बातचीत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह कोई इंटरनेशनल मामला नहीं है, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। इस मामले को खींच-तान में, इतनी ज्यादा हद तक हमें आगे नहीं ले जाना चाहिए कि आपस में खून-खराबे के लिए हम तैयार हो जाएं। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अब ऐसा समय नहीं आ गया है जबकि इस प्रकार का एक परमानेण्टली इंस्टीट्यूशन एक ऐसी संस्था जो स्थाई हो, बनाई जाए। चाहे उनका नाम कुछ भी रखें, लेकिन वह ओटानोमस हो और जिसको पूरा अधिकार हो, जो दोनों राज्यों की और केन्द्रीय सरकार की बातें सुनकर एक आखिरी और अंतिम फैसला दे दे और वह फैसला दोनों राज्य सरकारों को और केन्द्र सरकार को मान्य हो। क्या इस प्रकार की कोई एजेंसी, इस प्रकार का कोई इंस्टीट्यूशन गृह मंत्री जी बनाने के लिए तैयार हैं? बहुत दिनों से इस देश में इस प्रकार की मांग हो रही है।

इस मामले में विरोधी दलों से कंसेंसस स्थापित की जा सकती है, उनके साथ बातचीत की जा सकती है और सभी की राय से एक इस प्रकार का संस्थान बनाया जा सकता है जो इस प्रकार के डिस्प्यूट में अपना आखिरी फैसला दे दे और उस फैसले को सभी लोग मानें और उस पर भरोसा करें, ऐतबार करें। तभी जाकर इस प्रकार के मामले सुलझेंगे, नहीं तो उपाध्यक्ष जी, मुझे यह कहते हुए दुख है कि इस प्रकार के मामले और भी बलवान हो जाएंगे।

गृह मंत्री जी ने खुद कहा कि सभी यह चाहते हैं कि उनके हक में फैसला हो, तो सभी के हक में फैसला कभी नहीं हो सकता। हर पार्टी को कुछ लेना होगा और हर पार्टी को कुछ देना होगा। जब तक गिव एण्ड टेक का सवाल नहीं होगा, तब तक इस प्रकार के फैसले नहीं हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष जी, मुझे बहुत लम्बा भाषण नहीं करना है। मैं ये ही दो चीजें जानना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी पूछी हैं कि क्या गृह मंत्री जी को इसकी सूचना थी, अगर थी तो इस कन्फिलक्ट को रोकने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाए? केवल मुख्यमंत्रियों को सलाह देना कि आप

गोली मत चलवाइए, मैं समझता हूं कि इस मामले में इतना कह देना और सलाह दे देना काफी नहीं है और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई ट्रिब्यूनल या कमीशन, जो स्थाई तौर पर बने, और काम करे, वे बनाने की सोच रहे हैं ? चाहे उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़े, चाहे उसके लिए कोई अलग कानून बनाना पड़े और उस कानून को लाकर, उस कमीशन की स्थापना करके, उसे इस प्रकार के सम्पूर्ण अधिकार दिए जाएं ताकि वह दोनों राज्यों और केन्द्र सरकार की हियरिंग करे और उसका फैसला सब पर बाइंडिंग हो, सब उसकी मनाने के लिए तैयार हों ?

3.00 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

श्री एस० बी० चह्वाण : महोदय, सबसे पहले मैं इस बात को साफ करना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय ने और गृह मंत्री ने भी इस मामले को उतनी गम्भीरता के साथ नहीं लिया जितनी गम्भीरता के साथ यह मामला डिमाण्ड करता था, पता नहीं मेरे मित्र जैनुल बशर साहब, इस नतीजे पर क्यों और कैसे पहुंचे। अगर उन्होंने मेरी स्टैटमेंट को पढ़ा होगा, तो जो सवालात उन्होंने पूछे हैं उन सारे सवालात के जवाब उस स्टेटमेंट के अंदर हैं। और आज की हालत में अगर उनका यह ख्याल हो कि दो स्टेट्स में अगर झगड़ा हो, आर्म्ड इंटरवेंशन सेण्टर को भी करना चाहिए ? ये अपने-अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन इतना रिवोल्यूशनरी आपने सुझाव दिया है कि मैं इस बारे में कोई भी जवाब देना यहां मंजूर नहीं करूंगा।

श्री जैनुर बशर : दो स्टेट्स आपस में लड़ती रहें, और आप खामोश देखते रहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री एस० बी० चह्वाण : इसकी इम्प्लीकेशन्स पर जरा गौर करके, मेहरबानी करके ठण्डे दिलें से गौर करने के बाद आपको अगर लगता है कि इसका यही सोल्यूशन हो सकता है, तो फिर भी मेरी जानकारी के मुताबिक कई जगह पर आर्म्ड इंटरवेंशन की ही बात सेण्ट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सोचने की मजबूरी आ जाएगी और इससे हालत सुधरने की बजाय ज्यादा बिगड़ने के इमकानात हैं। इसलिए आपको एकदम न मैं जवाब दूं, वह भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं इसके बारे में कोई भी राय देना मुनासिब नहीं समझता हूं।

दूसरी जो बात कही गई, वह भी एक नई बात हर मर्तबा देखी जा रही है कि कोई भी मसला खड़ा हो जाये तो उसमें आई० बी० की तरफ से जो कदम उठाना चाहिए, जो इन्फार्मेशन मिलनी चाहिए यह उन्होंने देने की कोशिश नहीं की। मुमकिन यह है कि आई० बी० के लोग जो इन्फार्मेशन जमा करते हैं, जिन सोर्सेज से जमा करते हैं, वह डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई आपत्ति या आरोप लगाया जाए तो खुले तौर पर उसकी डिफेन्स के लिए सामने नहीं आ सकते हैं। लेकिन इस बारे में आई० बी० की तरफ से हमारे पास रिपोर्ट थी, और भी आफिसर्स की तरफ से रिपोर्ट हमारे पास थी और एक चीफ मिनिस्टर ने भी बार-बार हमको इस बात की जानकारी दी। इसी वजह से उन दोनों को इकट्ठे लाने, कि आफिसर्स एक जगह आयें और एक जगह आकर यह सारा मामला शांति के साथ हल करने की तरफ माइल हों। जोर-जबर्दस्ती से अगर कोई अपनी बाउन्ड्री तबदील करने पर मजबूर हो जाता है, उसमें जब तक कांस्टीट्यूशनली अमेंडमैंट नहीं होती है, वह बात नहीं मानी जा सकती है।

1979 में भी इसी किस्म का मामला हुआ, उस समय भी यह कहा गया कि आप कांस्टीट्यूशनली वाउन्ड्री को ओनर करने पर मजबूर हैं, अगर इसमें कोई तबदीली करने की बात है तो यहां आकर बात करिए, एक दूसरे को समझाइए। आपका मामला अगर बहुत मजबूत है तो एक दूसरे को परसुएड करके, अगर दूसरे चीफ मिनिस्टर को परसुएड किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कन्विस किया तो उसके बारे में फिर क्या तबदीली करनी चाहिए, यह बात सोची जा सकती है।

लेकिन यह बात बार-बार असम और नागालैंड के बीच में 3-4 मर्तबा हो चुकी है और इसीलिए हमने उनसे कहा कि जो नया सुझाव देने की बात चल रही है, एक ऐसा कमीशन बिठाया जाए जो इसकी तह में जाकर, उसके सारे इम्पलीकेशन्ज दोनों के ध्यान में लाने की कोशिश करे।

जो गैर-समाजी अनासिर होते हैं, असल में वहां कितने भी थिक-फारेस्ट हैं, यह दोनों तरफ के अन-सोशलिस्ट एलीमैंट्स ने साफ कर दिया, झगड़ा असल में यह है कि इतनी टिम्बर कैसे बेची जाए, उसमें ज्यादा कमाई हो, इस मामले से बात आगे बढ़ी है। जिस फारेस्ट के लिए झगड़ा हो रहा है तो फारेस्ट तो वाकई नहीं रहे, आधे से ज्यादा कट गए और हालत ऐसी हो गयी है कि कटने के बाद जो जमीन अब वहां मिल रही है, उस जमीन पर कब्जा करने के लिए दोनों तरफ से बाजाप्ता कोशिश हो रही है। इसमें वैस्टेड इन्टरेस्ट्स भी हैं और अन-सोशल एलीमैंट भी हैं। यह पता नहीं कि यह दोनों गवर्नमैंट किन हालात के तहत इन्वाल्व हो गईं, वरना यह हालत पैदा नहीं होती। किसी भी स्टेट गवर्नमैंट के लिए कोई शोभा देने वाली बात है ऐसा हम नहीं मानते हैं। दोनों के खिलाफ कोई चीज कहने से पहले जब तक हमारे पास कम-से-कम रिपोर्ट नहीं आती है और फेक्चुअल जो सीक्वैंसेज हैं, जिस ढंग से सारी घटनाएं घटी हैं, उसके बारे में अगर कमीशन की रिपोर्ट हमारे पास आए तो फिर किसी एक स्टेट गवर्नमैंट के खिलाफ कार्यवाही हमने की, यह कहने का मौका किसी को नहीं मिलेगा।

इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि अगर हमको प्राइमाफेसी लगे कि इसमें किसी अफसर ने ज्यादती की है, कुछ बड़े अफसरों ने इसमें इन्वाल्व किया है, ऐसे भी अनासिर हैं, जिनको वहां नहीं लाया जाना चाहिए था, अगर दोनों तरफ से लाए गए हैं, जिसकी वजह से यह स्वरूप पैदा हुआ तो रिपोर्ट जाने के बाद इस सारी कार्यवाही पर हम अंतिम निर्णय दे सकेंगे। लेकिन उस समय तक कोई विवाद इस किस्म पर नहीं होना चाहिए।

मुझे यह लगता है कि सिवाय असम नागालैंड के बाकी किसी स्टेट में झगड़े हो सकते हैं, लेकिन इन झगड़ों को तय करने के लिए आर्म्ड पुलिस का इस्तेमाल दोनों तरफ से किया जा रहा हो, किसी भी स्टेट में यह पोजीशन हमको नजर नहीं आती है और न आनी चाहिए। ऐसी पोजीशन कहीं भी न आए, इसीलिए इस चीज को अच्छे ढंग से कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, क्या सख्ती से कार्यवाही की जाए जिससे इस किस्म की बात किसी के दिमाग में न आए, ऐसे हालात हम जरूर वहां पर लाना चाहेंगे। लेकिन हम मजबूर हैं, जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, उसके पहले इसके बारे में क्या कार्यवाही की जाने वाली है, उसके बारे में कुछ कहें।

श्री जैनुल बशर : क्या कोई परमानेंट कमीशन है।

श्री एस० बी० चव्हाण : वह हम सोच रहे हैं। परमानेंट कमेटी की बात एक मर्तबा

मजबूरी में कर ली तो कई डिसप्यूट होंगे और जहां नहीं होंगे वहां भी पैदा हो जायेंगे। कई डिसप्यूट जो शायद आपस में समझौते के साथ तय हो सकते हैं वह कहेंगे यह परमानेंट मशीनरी कायम हो गई है, इसलिए उनके हवाले कर दो। इस ढंग से यह मामला और पेचीदा हो जाएगा। वैसे तो संविधान के अन्दर इंटर स्टेट कौंसिल का प्रावीजन है। वह आज भी है, लेकिन वह प्रावीजन होते हुए भी उसका इस्तेमाल आज तक इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसके इम्पलीकेशन करने से ज्यादा पेचीदगी पैदा हो जाएगी। शीघ्र ही अच्छा रास्ता निकलेगा। ईमानदारी के साथ और सच्चे दिल से इसका सौल्यूशन निकालना है, ऐसा हम मानते हैं।

3.11 म० प०

दण्ड विधि संशोधन (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) सातवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण को उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के तहत बेघर वाले लोगों की समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। कल्याणकारी राज्य के लिऐ प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान देना अति आवश्यक है। 70 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में कई व्यक्ति बेघर हैं। ग्रामीण अंचलों में इस समस्या के समाधान के

*दिनांक 23-7-85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

लिए सरकार ग्रामीण हाऊसिंग बोर्ड की स्थापना प्रत्येक राज्य में करे। यह बोर्ड प्रत्येक गांव की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण बेघर लोगों को मकान बनाकर दे। 1987 का वर्ष विश्व में "बेघर को घर" देने के उद्देश्य से मनाया जायेगा। अतः सरकार सातवीं योजना में गृह निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में अधिक हो, इस पर ध्यान देते हुए योजना को स्वीकृति दे।

(दो) दिल्ली में बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : सभापति महोदय, दिल्ली में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। बीस सूत्री कार्यक्रम और स्वरोजगार के लिए बैंकों से कर्ज की योजनाओं के बावजूद बेरोजगारी सुरक्षा की तरह बढ़ती जा रही है। प्रशासन ने बेरोजगारी दूर करने के लिए कई कार्यक्रम बनाए, किन्तु लक्ष्य अधूरे रहे। बेरोजगारी एक आर्थिक ही नहीं, गम्भीर मानवीय समस्या है। दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी की दर भी अधिक है। अतः नयी तकनीक के प्रयोग और छात्रों व युवकों को दस्तकारी, यातायात, घरेलू और लघु उद्योगों का विकास कर रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं। रोजगार दिलाने की वर्तमान प्रक्रिया में इतना ढीलापन है कि वह उन लोगों तक नहीं पहुंचती जिनके लिए वह बनी है। रोजगार के अभाव में युवकों में निराशा की भावना बढ़ती जा रही है, जो देश के भविष्य के लिए उचित [illegible]। अतः राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी दूर करने के लिए जोरदार कदम उठाने चाहिए।

[अनुवाद]

(तीन) पश्चिम बंगाल में बंद पड़े पटसन कारखानों को पुनरुज्जीवित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : वस्त्र मंत्री ने पिछले सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय सभा को आश्वासन दिया था कि वह बंगाल के बंद पड़े पटसन कारखानों और रुग्ण कारखानों को पुनरुज्जीवित करने की ओर पूरा ध्यान देंगे किन्तु अभी तक बंद पड़े किसी भी कारखाने को खोला नहीं गया है।

बाजार में कच्चा पटसन आना शुरू हो गया है। न तो मिल मालिक पटसन खरीद रहे हैं और न ही भारतीय पटसन निगम इसकी खरीद में कोई रुचि दिखा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है

यदि एच० डी० पी० के आयात के लिए प्रोत्साहन देना बंद नहीं किया जायेगा अथवा इसकी खरीद न करने के लिए कड़ा नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तो पटसन उद्योग लड़खड़ा जाएगा।

वस्त्र मंत्री को वित्त मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, असम सरकार तथा त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर कच्चे पटसन के अधिकतम मूल्य, भारतीय पटसन निगम को पटसन खरीदने के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करने, तैयार माल के अधिकतम मूल्य, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता, सेवानिवृत्त लोगों के बारे में श्रमिक संघों से बातचीत, एच० डी० पी० उत्पादन नियंत्रण आदि के संबंध में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

पटसन उद्योग के मालिक पटसन इकाइयों से काफी पैसा निकाल रहे हैं तथा और अधिक

लाभ कमाने के उद्देश्य से अन्य उद्योगों में पूंजी निवेश कर रहे हैं। वे वर्तमान पटसन इकाइयों के आधुनिकीकरण करने अथवा उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए इनसे प्राप्त धनराशि फिर उसमें नहीं लगा रहे हैं।

यदि बंगाल का पटसन उद्योग समाप्त हो जाता है तो आधे पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। इस का प्रभाव हमारी अर्थ-व्यवस्था पर पड़ेगा और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी तथा निर्धनता की समस्या पैदा हो जाएगी।

पटसन उद्योग को नील की तरह समाप्त नहीं होने दिया जाना चाहिए। अतः सरकार को सर्वप्रथम इन्हें पुनरुज्जीवित करने तथा फिर कुछ इकाइयों को एन० जे० एम० सी० के अंतर्गत लाने के लिए तथा अंततः इस उद्योग का पूर्णतया राष्ट्रीकरण करने के लिए तुरंत विचार करना चाहिए।

(चार) मध्य प्रदेश में सिंगरौली में प्रस्तावित दूरदर्शन केन्द्र शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : यह बड़ा ही चिंता का विषय है कि सरकार द्वारा स्पष्ट आश्वासन दिए जाने के बावजूद मध्य प्रदेश में जिला सीधी और अन्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के लाभ के लिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अभी तक दूरदर्शन केन्द्र नहीं खोला गया है। अतः वहां के श्रमिकों तथा आदिवासियों में बड़ा असंतोष व्याप्त है। उस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि उपर्युक्त प्रस्तावित केन्द्र के लिए रखी गयी मशीनरी को कहीं और भेज दिया गया है जिसके कारण यह दूरदर्शन केन्द्र समय से स्थापित नहीं हो सका है। यह कहना असंगत न होगा कि दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड यहां लागू होते हैं। अतः मैं चाहता हूं कि श्रमिकों तथा वहां रह रहे लोगों की सुविधा के लिए सरकार को वहां प्रस्तावित दूरदर्शन केन्द्र की यथाशीघ्र स्थापना करनी चाहिए।

(पांच) उड़ीसा में कोणार्क, पुरी आदि में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता

श्री बृजमोहन मंहती (पुरी) : उड़ीसा में अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटनों के लिए अत्यधिक आकर्षक केन्द्र पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर और चिलिका झील हैं। उड़ीसा में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए अवसंरचना सुविधाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित परियोजनायें तत्काल आरम्भ की जायें :—

समुद्र के किनारे के बराबर हरिचंदी से रायचंदी तक जाने वाली मेरिन ड्राइव रोड के, जो कोणार्क और पुरी से होकर जाती है, निर्माण करने की आवश्यकता है। अब रामचंदी से बालीघई तक कुछ काम पूरा हो चुका है और बालीघई से पुरी तक 11 मील तक दूसरी सड़क बनाई जायेगी और इस मेरिन ड्राइव रोड की पुरी से 10 से 12 मील तक हरिचंदी तक बढ़ाया जाना है। इसके बन जाने के बाद यह स्थल और आकर्षक हो जायेगा, जिसके प्रति और अधिक पर्यटन आकर्षित होंगे। कोणार्क में भी आधारभूत संरचना सुविधायें विकसित करने की आवश्यकता है।

कोणार्क में विदेशी पर्यटनों के आवास के लिए अच्छे होटलों की आवश्यकता है। पुरी में, स्वयं नगर को स्वच्छ रखने की आवश्यकता है और जलनिकास प्रणाली उपलब्ध कराने तथा सड़कों को आधुनिक स्तर की बनाने की आवश्यकता है। पुरी शहर में पानी की सप्लाई सुधारने की आवश्यकता है। पुरी मन्दिर के रखरखाव के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हरी चंदी में अतिथि गृह जैसे आवास के निर्माण करने की आवश्यकता है।

चिलिका झील को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उस पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। एक पक्षी अभ्यारण्य बनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। झील के अन्दर नौका विहार के लिए आरामदेह आवास को विकसित करना अभी शेष है। चिलिका के चारों ओर की सड़क को सुधारने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

(छः) मौसम विज्ञान केन्द्र, भोपाल को क्षेत्रीय कार्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : सभापति महोदय, भोपाल का मौसम केन्द्र गत वर्षों से प्रशासनिक अव्यवस्था का शिकार हो रहा है क्योंकि इसे अभी तक प्रादेशिक कार्यालय का दर्जा नहीं दिया गया है, जबकि नागपुर के बजाय भोपाल को प्रादेशिक कार्यालय बनाने के बारे में कई सालों से विचार हो रहा है।

1956 में ही नये मध्य प्रदेश के गठन और भोपाल के राजधानी बन जाने के तत्काल बाद ही प्रादेशिक कार्यालय भोपाल स्थानान्तरित हो जाना था, परन्तु राष्ट्रीय हितों के विपरीत उसे अभी तक स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। सिंचित भूमि का प्रतिशत भी राष्ट्रीय प्रतिशत से बहुत कम है। किसानों को वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य के 45 जिलों में 50 वेधशालाएं हैं जो मौसम संबंधी जानकारी भोपाल केन्द्र को भेजती हैं, परन्तु इनका नियंत्रण नागपुर स्थित प्रादेशिक कार्यालय से होता है जबकि नागपुर केन्द्र केवल आठ जिलों से आंकड़े एकत्रित करता है। मौसम संबंधी आंकड़े योजनायें बनाने में तो आवश्यक होते ही हैं, साथ ही राज्य के पर्यावरण, कृषि, राजस्व विभागों के अतिरिक्त केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान और जन-स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को भी लगातार मौसम के आंकड़ों की आवश्यकता होती है जो भोपाल केन्द्र से नहीं मिल पाते।

मध्य प्रदेश में पांच विमान तल हैं, जिनको मौसम की जानकारी दरकार होती है।

प्रधान मन्त्री ने मौसम संबंधी जानकारी की महत्ता को समझते हुए भारत मौसम विभाग के आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में शामिल किया है।

अतः आशा है कि मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य को मौसम संबंधी पूर्ण लाभ मिल सके इसलिए भोपाल मौसम केन्द्र को तत्काल प्रादेशिक कार्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

(सात) गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्दोष लोगों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

डा० जी० विजय रामाराव (सिद्दीपेट) : शांति और साम्प्रदायिक सद्भावना के अग्रदूत, गांधी जी की जन्मभूमि, गुजरात आज न केवल हिंसा और साम्प्रदायिक घृणा से सुलग रहा है अपितु वहां मानव को मानव से विमुख करने वाली अन्तर-जातीय प्रवृति पनप रही है। वहां एकता, सत्यनिष्ठा और संविधान के प्रति आदर का भाव जाग्रत करने और कमजोर वर्गों तथा जातियों के निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए सभी उपचारी कदम उठाने की आवश्यकता है।

(आठ) रानीगंज के कोयला खान क्षेत्रों में असुरक्षित जीवन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : रानीगंज कोयला क्षेत्र के कोयला खान क्षेत्रों को धंसकन, जहरीली गैस, आग आदि का खतरा बना हुआ है। रानीगंज कोयला क्षेत्र, जो 1550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, में भूमि में धंसने वाले 43 क्षेत्रों के अलावा छः क्षेत्र ऐसे हैं, जहां आग लगती रहती है, आठ क्षेत्र ऐसे हैं जहां खानों से अधिक मात्रा में गैस निकलती रहती है और 34 क्षेत्र ऐसे हैं जो खतरनाक हैं और असुरक्षित आवास क्षेत्र हैं। यहां की आबादी 1.50 से 2 करोड़ तक की है। खान खोदने का वैज्ञानिक ढंग न होने तथा आबादी और विकास योजना के अभाव में आजकल इस क्षेत्र में गम्भीर समस्यायें बनी हुई हैं। गैर सरकारी मालिकों द्वारा खानों को नष्ट भ्रष्ट किए जाने से समस्या और भी गम्भीर हो गई है। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के समय वैज्ञानिक ढंग से खनन किये जाने का जो आश्वासन दिया गया था, वह अभी भी दिवा-स्वप्न बना हुआ है। जिस ढंग से इस समय खानों की खुदाई की जा रही है, उससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके विपरीत समस्या और जटिल हो गई है। इसके अलावा सुरंगों को बालू से न भरे जाने के कारण खानों के धंसने का खतरा और भी बढ़ गया है। दो शताब्दियों से इस क्षेत्र में खान खोदने का कार्य किये जाने के कारण, यहां खेती बिल्कुल चौपट हो गई है, औद्योगिक गतिविधियां बिल्कुल ही समाप्त हो गई है और पारिस्थितिक उथल-पुथल के कारण इस मौजूदा क्षेत्र का पर्यावरण बहुत ही खराब हो गया है।

ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड द्वारा जो भी खान विकास कार्य हुआ है वह पश्चिम बंगाल सरकार की विकास योजना के अनुरूप अभी तक नहीं हो पाया है। इसके परिणामस्वरूप कोयला निकालने में असाधारण देर होती है, खान की भराई में देरी होती है और लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड इस क्षेत्र में किसी प्रकार की आर्थिक या औद्योगिक गतिविधियों को पनपने का अवसर नहीं देता। सी० एम० पी० डी० आई० कोयले से पूर्ण भूमि पर किसी नई सड़क आदि को पूरा नहीं करने देता है। इसलिए सतही मिट्टी समाप्त होती जा रही है। क्योंकि खाली स्थान को भरने का और कोई साधन नहीं है।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले की ओर ध्यान दे जिससे कि वह क्षेत्र खतरनाक और असुरक्षित जीवन से यथा सम्भव छुटकारा पा सके।

3.24 म० प०

राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित विधेयक प्रस्तुत करता हूं :

"कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने से संबंधित विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसा कि सम्माननीय सभा को पता है राज्य वित्तीय निगम—एस० एफ० सी०—जिनकी कल्पना क्षेत्रीय विकास बैंकों के रूप में की गई थी, भारत में विकास वित्तीय संस्थाओं के ढांचे को एक महत्वपूर्ण और अभिन्नता है। ये निगम देश में छोटे और मझौले उद्योगों के विकास में बहुत बड़ी सहायता करते हैं। छोटे और मझौले औद्योगिक एककों की सहायता करने और उन्हें विकसित करने के प्रति राज्य वित्त निगमों के प्रयास जनजीवन की आर्थिक स्थिति सुधारने, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने तथा क्षेत्रों का सन्तुलित विकास करने से संबंधित विस्तृत नीति का ही अंग है। राज्य वित्तीय निगमों का जाल समस्त राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में फैला हुआ है। राज्य वित्तीय निगम के कार्यरत होने के समय से प्राप्त अनुभवों के आधार पर यह आवश्यक हो गया है कि विधि में कुछ संशोधन किए जायें जिससे कि उन पाबंदियों को हटाया जा सके जो राज्य वित्तीय निगम की प्रारम्भिक अवस्था में आवश्यक थीं और अब जिनका कोई महत्व नही रह गया है। जो संशोधन अब रखे जा रहे हैं, उसका उद्देश्य उन पाबंदियों को हटाना तथा विकासशील एजेन्सी के रूप में राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकरण के लिए लचीलापन लाने का है। इन संशोधनों का उद्देश्य यह भी है कि सामान्य वित्तीय सीमा के संसाधनों की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाये जिससे कि राज्य वित्तीय निगम के पास बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

इस सम्माननीय सभा के समक्ष प्रस्तुत इस विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्य और कारणों के कथन में उद्देश्य और कारण दिये गये हैं। उद्देश्य और कारणों के कथन से यह स्पष्ट है कि आपके समक्ष जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह एक प्रगतिशील विधेयक है जिसका उद्देश्य राज्य वित्तीय निगम को विकासशील गतिविधियों को तेज करना है। इस सभा के सभी सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि इसका उद्देश्य राज्य स्तर के इन संस्थानों के आर्थिक आधार को सुदृढ़ बनाने तथा अपने संसाधन बढ़ाने के लिए उन्हें सक्षम बनाने का है। इस विधेयक में प्रस्तावित कुछ संशोधन इसके उद्देश्यों से संबंधित हैं।

राज्य वित्तीय निगमों के अनुभवों के आधार पर "औद्योगिक संस्थान" की परिभाषा परिभाषित की जा सकती है। इस परिभाषा में ऋजु मार्ग अथवा लिफ्ट द्वारा सम्मान और यात्रियों को लाना-ले जाना शामिल किया जाएगा जिससे कि मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में जो परिवहन साधन हैं उन्हें राज्य वित्तीय निगम की सहायता प्राप्त हो सके। इस परिभाषा में खानों के विकास, तौल मशीनों की सुविधायें उपलब्ध कराना, औद्योगिक क्षेत्रों में विकास करना तथा निर्धारित औद्योगिक

संस्थानों से संबद्ध विकासशील गतिविधियों को भी शामिल किया जायेगा।

लघु और मझौले औद्योगिक यूनिटों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाया जाना निस्संदेह एक स्वागत योग्य प्रस्ताव है। सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाने से मौजूदा वित्तीय सीमा का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इस समय राज्य वित्तीय निगम साझेदारी वाली किसी फर्म की 15 लाख रुपये तक की और कम्पनियों तथा सहकारी समितियों को 30 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान कर सकता है। इन सीमाओं को बढ़ाकर क्रमशः 30 लाख रुपये तथा 60 लाख रुपये किया जा रहा है तथा साथ में यह भी प्रावधान किया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक किसी भी मामले में इन सीमाओं को बढ़ाकर चार गुणा कर सकता है। वर्तमान विधि के अनुसार राज्य वित्तीय निगम किसी ऐसे औद्योगिक संस्थान जिसकी सकल प्रदत्त शेयर पूंजी और रिजर्व एक करोड़ से अधिक हो, की सहायता नहीं कर सकते हैं। इस सीमा से राज्य वित्तीय निगमों द्वारा औद्योगिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देने पर रोक लगती है। अतः हमारा प्रस्ताव है कि इस सीमा को बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित जारी करके स्थिति को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिकतम 30 करोड़ रुपये का है।

श्री एस० जयगोपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय को भाषण देना चाहिए। वह यहां वक्तव्य नहीं पढ़ सकते हैं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को भाषण पढ़ने की अनुमति है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं उठाये गये मुद्दों का भी उत्तर दूंगा।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, उनसे उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है। और वह वक्तव्य नहीं पढ़ सकते हैं। वैध स्थिति क्या है, महोदय ?

सभापति महोदय : इसकी अनुमति है। मंत्री वक्तव्य पढ़ सकते हैं। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री जनार्दन पुजारी : इन संशोधनों और राज्य वित्तीय निगमों द्वारा किसी भी अधिसूचित वित्तीय संस्थान द्वारा लिए गए ऋणों और अग्रिमों से संबंधित किसी भी दस्तावेज को प्राप्त करने में समर्थ करने वाले संशोधनों से राज्य वित्तीय निगमों को इस समय अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा भागीदारी प्रमाण पत्र योजना में शामिल होने का हक मिल जायेगा। वह इस योजना के स्थान पर मंजूरी दिए जाने तथा वितरण का प्रावधान होने से मंजूरी तथा संवितरण में कम देरी लगेगी तथा परिहार्य कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मुझे आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे प्रस्तावित संसाधनों से राज्य वित्तीय निगमों का दृष्टिकोण प्रतिभूति उन्मुख न होकर परियोजना उन्मुख हो जाएगा। मेरी राय में यह एक साहसी और नया कदम है जिससे कि राज्य वित्तीय निगम सामाजिक आवश्यकता पड़ने पर ऐसे ऋण भी स्वीकृत कर सकेंगे जो पूर्णरूपेण प्रत्याभूत न हों। इसके अन्तर्गत राज्य वित्तीय निगम पूरक ऋण भी स्वीकृत कर सकते हैं जिनसे परियोजनाओं को बंद होने से बचाया जा सकता है।

हम इस अवसर पर राज्य वित्तीय निगमों को उन ऋण लेने वाली संस्थाओं से बकाया राशि को वसूल करने की और अधिक शक्तियां प्रदान कर रहे हैं जो राज्य वित्तीय निगमों को बकाया राशि न अदा करने की दोषी होंगी। किसी भी विकासशील वित्तीय संस्थान को अपनी बकाया राशि को समय पर वसूल करके ही पुनर्जीवित रखा जा सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हम ऐसी प्रक्रिया का प्रस्ताव रख रहे हैं जिससे कि राज्य वित्तीय निगम बकाया राशि को भूमि राजस्व के रूप में वसूल कर सकें। कुल मिलाकर राज्य वित्तीय निगमों को क्षेत्रीय विकास का एक प्रभावशाली साधन बनाने के लिए प्रस्तावित संशोधन आवश्यक है। मुझे पूर्ण आशा है कि इन प्रस्तावों जो काफी अच्छे हैं, को सभा के सभी सदस्यों का समर्थन मिलेगा।

इन शब्दों में साथ मैं विधेयक को सभा में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव रखा गया :

"कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किगा जाय।"

अब श्री माधव रेड्डी बोलेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : सभापति महोदय, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 में संशोधन करने वाले इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार ने यह महसूस किया है कि गत तीस वर्षों से चले आ रहे इस अधिनियम के प्रतिभूति उन्मुख दृष्टिकोण को बदल कर इसका दृष्टिकोण परियोजना उन्मुख बनाया जाये। इस अधिनियम का अधिनियमन 1951 में किया गया था। उस समय से वित्तीय निगम राज्यों में अच्छा कार्य कर रहे हैं किन्तु इसमें कुछ कमियां थीं जिन्हें दुरुस्त करना था। सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए 20 वर्ष तक प्रतीक्षा की है, यद्यपि सभी राज्यों की यह मांग थी कि इस अधिनियम में संशोधन किया जाये।

जहां तक प्रतिभूति का प्रश्न है, मेरा विचार है कि इस संशोधन के बिना भी, प्रतिभूति की बात तो बहुत पहले ही समाप्त कर देनी चाहिये थी। जब हम प्रतिभूति की बात करते हैं, तब हमें यह समझ लेना चाहिए कि इन निगमों के सभी ऋण ऋण गारन्टी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाते हैं। क्योंकि लघु उद्योगों को दिये गये सभी ऋण स्वतः ही ऋण गारन्टी के अन्तर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा सम्पूर्ण ऋण राशि आई० डी० बी० आई० जैसी पुनः बिल एजेन्सियों से प्राप्त होते हैं। इसलिये वित्तीय निगमों को लघु उद्योगों और मझौले उद्योगों का वित्त पोषण करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसा महसूस होता है कि इनमें से अनेक निगम इतने अधिक प्रतिभूति उन्मुख हैं कि उन्हें आवेदनों पर कार्यवाही करने में कई महीने लग जाते हैं और उसके बाद जब तक आवेदनों पर कार्यवाही हो पाती है तथा स्वीकृति दी जाती है तब तक सभी स्वीकृतियां पुनः वित्त के अन्तर्गत आ जाती हैं। इसके अलावा आवेदन पत्र पुनः ऋण स्वीकृति के लिए आई० डी० बी० आई० को भेजे जाते हैं। इस प्रक्रिया में यहां 3-4 महीने लग जाते हैं और इसके बाद कागजात आई० डी० बी० आई० को भेजे जाते हैं तथा जहां से उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय एवं तत्पश्चात् मुख्य कार्यालय भेजा जाता है, वहां 6 महीने से एक वर्ष तक लग जाता है। जब तक आई० डी० बी० आई० पुनः ऋण देने को तैयार हो जाती है, तब तक एक

वर्ष से अधिक का समय बीत जाता है और तब तक उस पार्टी की परियोजना में कोई रुचि नहीं रह जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जबकि आपने विधि सम्मत निगम बनाये हैं, उनके पास सभी प्रकार की विशेषता उपलब्ध हैं और वे आवेदनों पर कार्यवाही करते हैं। तो पुनः ऋण के लिये सहमत होने के लिये आई० डी० बी० आई० को पुनः इतना अधिक समय लेने की आवश्यकता ही क्या रह जाती है।

इसके बारे में, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इनमें से अनेक वित्तीय संस्थान अधिक से अधिक सरकारी अंग बन गये हैं। ये संस्थान सरकार का बहुत सारा कार्य करते हैं। सरकार का ऐसा इरादा नहीं है, क्योंकि जब आई० डी० बी० आई० अथवा वित्तीय निगमों की स्थापना की गई थी, तब हमने यह कदापि न सोचा था कि उन्हें इतना बड़ा दर्जा हासिल हो जाएगा कि वे केन्द्रीय सरकार को नीति निर्देश देने की चेष्टा करेंगे जोकि उद्योग विकास मंत्रालय का विनियमनकारी कार्य है। आप राज्यों तथा विभिन्न एजेन्सियों को नीति संबंधी निर्देश करते रहिये। वित्तीय संस्थानों से यही आशा की जाती है कि वे इन नीति-निर्देशों के अनुरूप कार्य करेंगे। किन्तु आज क्या हो रहा है? यदि वित्तीय संस्थान और आई० डी० बी० आई० किसी विशेष उत्पादन को हतोत्साहित करना चाहते हैं तो यह कहते हुये उन्हें ऋण देने से इंकार कर देते हैं कि उस विशेष उद्योग की क्षमता पहले से पर्याप्त बढ़ी हुई है। उन्हें यह कैसे पता चल जाता है? निस्संदेह वे वित्त एजेन्सियां हैं और उनके पास कुछ वित्तीय विशेषज्ञ होते हैं। जब उन्हें किसी मामले को निपटाना होता है, तो वे कहीं न कहीं से कुछ तकनीकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु क्या उनके पास उतनी विशेष योग्यता होती है, जितनी सरकार या उद्योग विभाग या महानिदेशक, तकनीकों विकास के पास होती है। वे सरकार का काम क्यों करें तथा औद्योगिक विकास को क्यों नियमित करें? वे इन नीतियों में हस्तक्षेप तथा इनका विनियमन करते रहे हैं; और सरकार चुपचाप देखती रही है जिसके कारण वे बहुत आगे बढ़ गए हैं। वे इतने आगे बढ़ गये हैं कि ऐसी अनेक परियोजनाओं के मामले में जिनके लिए सरकार द्वारा लाइसेंस जारी किये गये हैं अथवा डी० जी० टी० डी० द्वारा पंजीकरण किया गया है, उनके लिये ऋण प्रस्तावों के भेजे जाने पर उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि क्षमता अधिक है। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होती यदि वह इस आधार पर रद्द किया जाता कि परियोजना अर्थ क्षम नहीं है अथवा संवर्धनकर्ता ठीक नहीं है अथवा स्थान ठीक नहीं है। इनमें से कोई भी आधार नहीं दिया गया। रद्द किये जाने का केवल एक ही आधार दिया गया है कि क्षमता पहले से ही अधिक है। वे किस प्रकार कह सकते हैं कि क्षमता पहले से अधिक सृजित कर दी गई है। यदि क्षमता अधिक भी हो गई है, तो इन संस्थानों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस मामले के बारे में सरकार को बतायें और कुछ सुझाव दें। यदि किसी विशेष प्रकार की वस्तु का उत्पादन अधिक हो रहा है तो सरकार आपकी राय ले सकती है और आर्थिक सहायता अथवा लाइसेंस देने से इन्कार कर सकती है। लाइसेंस देने और नियम बनाने का कार्य एक मात्र उद्योग मंत्रालय का है। आज मैं आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जिनमें इन विनियमों का निर्देश वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया है जिनका एक मात्र कारण यह है कि उनके पास वित्तीय शक्ति है। इस मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता है और सरकार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि ये वित्तीय संस्थान अपनी निर्धारित सीमा में ही काम करें।

मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने की ऋण

सीमा इन वित्तीय संस्थानों के लिए बढ़ा दी गई है। इससे पहले वे अपनी भुगतान की गई पूंजी की केवल 90 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में ले सकते थे। अब इसे बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार, जमा राशियां बढ़ाकर अथवा बान्ड अथवा डिबेंचर जारी करके अब उन्हें अपनी विधि बढ़ाने का भी अवसर दे दिया गया है। वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत, सरकारी गारंटी आवश्यक है और अनेक राज्य वित्तीय संस्थानों द्वारा डिबेंचर जारी करने के बारे में गारंटी देने से डरते थे जिसके कारण उन्होंने डिबेंचर जारी करके अपनी विधि बढ़ाने की चेष्टा तक नहीं की। यह अच्छी बात है कि उनका दर्जा बढ़ा दिया गया है। वे जनता में अधिक लोकप्रिय हैं। चूंकि वे काम ठीक कर रहे हैं, इसलिये वे धन भी पा सकते हैं। डिबेंचर आदि जारी करके अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये वे जनता का सहयोग प्राप्त करने की स्थिति में हैं। यह संशोधन स्वागत योग्य है और मैं इस संशोधन का पूर्णतः समर्थन करता हूं। इस संशोधन से उनके संसाधन बढ़ जाएंगे।

निगम की प्राधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी गई है। यह कदम स्वागत योग्य है क्योंकि 50 करोड़ की सीमा बढ़कर 100 करोड़ रुपए भी की जा सकती है। सरकार की अनुमति से 100 करोड़ रुपए भी हो सकती है। प्रदत्त पूंजी की सीमा भी बढ़ा दी गई है। किन्तु वसूली के बारे में मेरी समझ में एक बात नहीं आई है। इस समय हम उन्हें भूमि राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें वसूली की राशि एकत्र करने की शक्ति दे रहे हैं। मुझे संदेह है कि क्या ऐसा करना नितांत आवश्यक है। वर्तमान अनुभव क्या कहता है? चूंकि ऋण प्रत्याभूत ऋण हैं तो क्या उनकी वसूली करना उनके बस की बात नहीं है? प्रतिभूति के बिना वे कोई ऋण नहीं देते। तब उन्हें बकाया राशि की वसूली भूमि राजस्व के रूप में वसूल करने के लिए सरकार को शक्ति देने की क्या आवश्यकता है।

बकाया ऋणि की वसूली के संबंध में एक और संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन में यह कहा गया है कि वित्तीय निगम की ऋण की किस्तें भविष्य में भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत की जा सकती है।

ठीक है, मुझे इसके बारे में कोई आपत्ति नहीं है यदि राज्य सरकारें इसके लिए सहमत हो जाती हैं किन्तु मुझे भय है कि अनेक राज्य सरकारें इसके लिये तैयार नहीं होंगी क्योंकि इससे उनके अपने प्रशासनिक संसाधानों पर भार पड़ेगा और उन्हें अपनी बकाया राशि वसूलने के साथ राज्य वित्तीय निगमों की बकाया राशि भी वसूल करनी होगी और कल को बैंक भी यह कह सकते हैं, 'आप वही शक्ति उन्हें क्यों नहीं दे देते जो शक्ति आपने वित्तीय निगम को दे रखी है? आखिर हम लोग भी तो लघु उद्योगों का भी वित्त पोषण कर रहे हैं।" आप इस बात पर ध्यान दें। अन्ततोगत्वा राज्य सरकार तन्त्र पर दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। मैं जानता हूं कि यदि एक बार यह कर दिया गया, तो आपके लिए ऋणों की वसूली करना आसान हो जाएगा क्योंकि कुछ राज्य इसे लागू भी कर चुके हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया किन्तु कुछ राज्यों में, कुछ निगम बकाया राशि भूमि राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूल कर रहे हैं।

अन्य में, मैं चाहता हूं कि एक और प्रगतिशील संशोधन पुरःस्थापित किया जाए जिससे कि वे वास्तव में देश के औद्योगिक विकास में योगदान कर सकें।

इस पर अभी तक विचार नहीं किया गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो ऋण मंजूर किए जाते हैं, उन पर किसी तीसरी एजेंसी द्वारा गारंटी दी जानी चाहिए न कि सरकार द्वारा। जापान में ऐसा किया जाता है। शायद हमने जापान से इसकी नकल की है। लेकिन नकल करते समय हमने इसके मूर्त रूप को अपना लिया है और भावना गुम हो गई है। वहां प्रोत्साहक एजेंसी, निजी एजेंसियों द्वारा गारंटीकर्ता मुहैया किये जाते हैं। ये एजेंसियां स्रोतों का एकत्रीकरण करती हैं और गारन्टी देती हैं और गारन्टी-कमीशन लेती है और वित्तीय संस्थाएं कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेती हैं। सारी प्रक्रिया इन्हीं निजी एजेंसियों द्वारा ही की जाती है। और एक दफा जब निजी एजेंसी वह गारन्टी दे देती है तो पैसा देने से इंकार नहीं किया जाता; क्योंकि जब एक दफा निजी एजेंसियां पूरी जिम्मेदारी ले लेती हैं, तो पैसा स्वयं ही दे दिया जाता है क्योंकि अगर उद्योग नाकामयाब हो जाता है तो निजी संस्थान को भुगतना पड़ेगा न कि निगम को। अगर इस प्रकार की सुविधा भारत में उपलब्ध हो, तो इससे उद्योगों को प्रोत्साहन देने में बड़े पैमाने पर अवसर मिलेंगे। आज हम जानते हैं कि हमारा एक वित्तीय निगम, आन्ध्र प्रदेश वित्तीय निगम, देश में प्रथम स्थान पर है। लेकिन मैं जानता हूं कि वह भी बैंक की तरह कार्य करता है। यह बहुत आसान है, बैंक हमेशा ही लाभ उठाते हैं। इस वजह से किसी भी बैंक को घाटा नहीं हो रहा। यह सुरक्षा की भावना का रवैया उनकी प्रणाली में इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि जब तक आप उस प्रणाली को समाप्त नहीं करते, मुझे डर है कि ऋण गारन्टी सुविधाएं या पुनः वित्त की सुविधाएं देने के बावजूद ये संस्थाएं उसी पुराने तरीके पर चलती रहेंगी, जैसे उनका काम मात्र ऋण देना और उन्हें वसूल करना ही हो।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, स्टेट फिनेन्शल कारपोरेशन ऐक्ट जब 1951 में बना था तो यही सोच कर बना था कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को मदद दी जायेगी। इसका कारण यह था कि इन इंडस्ट्रीज में कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा बहुत दिनों तक फंसाना नहीं चाहते थे। इसका काम यह भी था कि छोटे-छोटे उद्योगपतियों, या ऐसे टैक्नीशियनों या ऐसे इंजीनियरों को जिन्होंने कि अपने-अपने उद्योग लगाने का प्रयास किया, पैसा नहीं मिला। वे अपने दोस्तों के पास गए, रिश्तेदारों के पास गए। जो भी कर सकते थे उन्होंने किया। अन्त में हार कर वे बैंकों के पास भी गए। लेकिन उन्हें वहां से भी पैसा नहीं मिला। फिर सरकार ने यह अनुभव किया कि ऐसे लोगों की मदद करने के लिए स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशंस हों। सरकार जो अमेंडमेंट लाई है, उसके लिए वह सचमुच में बधाई की पात्र है, परन्तु इस सिलसिले में मैं दो-तीन बातें कहना चाहूंगा।

स्टेट फाइनेंशल कारपोरेशंस पर रिजर्व बैंक का कंट्रोल अवश्य हो, परंतु अंदरूनी हालात क्या हैं, यह बहुत कम लोगों को पता है। मैं बिहार की बात कहता हूं। स्टेट फाइनेंशल कारपोरेशन से लोगों को लोन मिलने में कितनी तबाही और परेशानी होती है, इसका कोई हिसाब नहीं है। जो बात बिहार के लिए सच है, वही बात दूसरी जगहों के लिए भी सच होगी। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि ऐसे कारपोरेशंस में पालीटीयंश को आप चेयरमैन मत बनाइए और आई० ए० एस० आफिसर्स को मैनेजिंग डायरेक्टर मत बनाइए, क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल उदासीन होकर कारपोरेशन को देखते हैं। पालीटीयंस चाहते हैं कि उनका टी० ए० बने, गाड़ी मिले, टेली-

फोन हो और पालीटिक्स करने के लिए अड्डा मिल जाए, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। आई० ए० एस० अफसर समझता है कि उसे तो इस डिपार्टमेंट से चले जाना है, उसे क्या करना है, इसलिए इंडस्ट्रीज को फाइनांस हो या न हो, उसकी बला से।

मेरे इस बारे में व्यावहारिक अनुभव हैं और मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसी जगहों पर प्रोफेशनल मैनेजर्स को रखें, जिनको आप 24 घण्टे का नोटिस देकर निकाल दें, यदि उनका काम अच्छा न हो। ये प्रोफेशनल मैनेजर्स पब्लिक सेक्टर से लें, प्राइवेट सेक्टर से लें, लेकिन रिजल्ट ओरिऐंटेड हों। उनको कह दिया जाए कि आपको अच्छा काम दिखाना होगा और यदि आपने अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाया तो 24 घण्टे में आपकी नौकरी चली जाएगी, जैसा कि प्राइवेट कम्पनी में होता है। वहां पर 24 घण्टे का नोटिस दिया जाता है। आई० ए० एस० आफिसर समझता है कि मैं कुछ भी करूंगा, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पालीटीशियन समझता है कि जब तक चीफ मिनिस्टर मेरे साथ है, हमें कौन हटाएगा। इसलिए श्रीमान मैं कहूंगा कि यह व्यवस्था बदली जानी चाहिए। इस सिलसिले में मैं दो बातें और कहना चाहूंगा।

18 कारपोरेशन जो हैं, उन कारपोरेशंस के बारे में सर्वे करना चाहिए और रिजर्व बैंक इसकी रिपोर्ट दे या पार्लियामेंट की कमेटी बने और इनकी वर्किंग के बारे में पता लगाया जाए। बहुत से यूनिट जिनको फाइनेंशियल कारपोरेशन से फाइनांस किया गया, सिक क्यों हो गए और उनको ठीक करने के लिए फिर क्या किया गया ?

मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसने फाइनेंशियल कारपोरेशंस को फण्ड रेज करने की अनुमति दे दी, चाहे डिपाजिट से या डिबेंचर्स से। पहले फाइनेंशल कारपोरेशन को स्टेट गवर्नमेंट जब तक अथाराइज नहीं करती थी, तब तक ऐसा हो नहीं पाता था। अब ये काम फाइनेंशल कारपोरेशंस खुद ही करेंगे। इनकी लिमिट भी काफी बढ़ा दी गई है। सबसे बड़ी बात जो सरकार ने की वह इस बिल में है, वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं जो बहुत ही अच्छी चीज है—

[अनुवाद]

"वित्तीय निगमों के वर्तमान सुरलोन्मुखी रुख को परियोजनोन्मुखी रुख में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। इससे वित्तीय निगम, ब्रिज ऋण जैसे ऋण, जो पूर्णतया प्रतिभूत नहीं हैं, प्रदान कर सकेंगे।"

[हिन्दी]

जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि यह सचमुच में ही हो जाना चाहिए था। बाकी फाइनेंशियल इंडस्टीट्यूशन्स खासकर कार्मशियल बैंक्स कहते हैं कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या दोगे जिसके बदले में हम लोन दें। एक इंजीनियर जिसने यहां से या बाहर से डिग्री ली हो और वह एक कारखाना खोलना चाहता है वह कहां से कोलेटरल सिक्योरिटी देगा। सरकार चेती तो है लेकिन बहुत देर बाद। अब वह लोन देने के लिए तैयार है। आपको मालूम होगा कि 1951 का ऐक्ट बनने के बाद इसका अमेंडमेंट 1972 में हुआ था। उस समय बहुत जोरों की चर्चा हुई थी। जब-जब भी फाइनेंशियल कारपोरेशन्स के बारे में चर्चा होती थी तो कहा जाता था कि इसमें सबसे बड़ा दोष यही है कि रिसर्च या स्टडी नहीं होती है और कमर्शियल इंटेलिजेंस नहीं है। इस बार के

बिल में सरकार ने इस बात को सुझाया है कि स्टडी, रिसर्च और इकोनामिक रिपोर्ट भी होगी। ···(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : वह रिसर्च नहीं करती है, रिसर्च करने वालों को लोन देती है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

यह प्रस्ताव है कि उस कारबार की, जिसे वित्तीय निगम कर सकते हैं, सूची का विस्तार किया जाए। इससे अन्य बातों के साथ-साथ विपणन, और विनिधान से सम्बन्धित अनुसंधान और सेवा की जा सकेगी, तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किए जा सकेंगे। औद्योगिक समुत्थानों को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता दी जा सकेगी और सहायता की जा सकेगी, विनिमय पत्रों/वचन पत्रों आदि का मितिकाटे पर भुगतान किया जा सकेगा। उक्त विस्तार से वे संवर्धन और विकास से सम्बन्धित कार्य कर सकेंगे और प्रादेशिक विकास बैंकों की भूमिका निभा सकेंगे।

[हिन्दी]

ठीक है, वह रिसर्च के काम में मदद करेगी। इसके बारे में पहले भी कहा गया है और फिर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इनके पास कामर्शियल इंटेलिजैंस होना चाहिए। रिसर्च से पता लगाना चाहिए कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट में पैसा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। फाइनेंशियल कारपोरेशन के बारे में एक बात बार-बार कही जाती है पर होता कुछ और है जिससे हम सन्तुष्ट नहीं हैं। यह कहा जाता है कि फाइनेंशियल कारपोरेशन बैकवर्ड डिस्ट्रीक्ट्स में इंडस्ट्री को फाइनेंस करेगा या जहां पर इंडस्ट्री नहीं है या है तो नाममात्र के लिए है तो उसको भी फाइनेंस करेगा। होता यह है कि ऐसी जगहों पर फाइनेंस बहुत कम होता है। मेरा व्यावहारिक अनुभव है कि ऐसी जगहों पर फाइनेंस नहीं होता है। यह करना चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्टीच्युशन अपनी एजेंसी से पता लगाए कि कहां पर इंडस्ट्रीयल बैकवर्डनेस है और वहां पर कौन-कौन-सी इंडस्ट्री चल सकती है। मैं उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र से आता हूं। वहां पर आम पानी के भाव मिलता है। आम की फसल पर आधारित यदि कोई उद्योग बनाया जाए या फाइनेंशियल कारपोरेशन उसको फाइनेंस करने के लिए तैयार हो तो वहां पर हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा जो सारा आम सड़ता है, उस आम का उपयोग हो जाएगा। देश में हजारों जगह ऐसी हैं जिनको आइडेंटीफाई करना इस कारपोरेशन का काम होना चाहिए कि कहां पर कौन-सा उद्योग लग सकता है। एक तो बहुत अच्छी बात सरकार ने कही है, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

'इस समय राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के उपबंध केवल ऐसी संस्था को लागू किए जा सकते हैं जो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान थी और जिसके उद्देश्य औद्योगिक समुत्थानों का वित्तपोषण करना था। यह प्रस्ताव है कि इस शर्त को हटा दिया जाए कि संस्था उक्त अधिनियम के आरम्भ होने पर विद्यमान होनी चाहिए। इससे अधिनियम के उपबंध ऐसी संस्थाओं को भी लागू किए जा सकेंगे जो अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् अस्तित्व में आई

है। इससे उन संस्थाओं और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बीच व्यवस्थित सम्पर्क स्थापित हो जाएगा।'

[हिन्दी]

ऐसा था कि जो संस्थाएं या जो इंटरनल यूनिट मौजूद थे, उन्हीं को लोन दिया जाता था। अब कहा जाता है कि भविष्य में जो भी उद्योग होगा, उनको भी मदद दी जाएगी। पहले इंडस्ट्रियल एक्टीविटीज लिमिटेड थीं, डिफाइंड थीं कि इतनी ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए लोन दिया जाएगा परन्तु अब कहा गया है कि हम इन एक्टविटीज को ब्रौड-बेस्ड करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिलसिले में ऐसे उद्योगों पर ध्यान दिया जाए जहां पर एम्पलायमैंट जैनरेट होता है, जहां लोगों को रोजगार दिया जाएगा, सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान ऐसी इंडस्ट्रीज पर दे। साथ ही साथ जो लोग खुद का कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहें, उनको प्रोत्साहन मिले।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुण्टूर) : यह राज्य सरकार पर निर्भर है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : लेकिन निर्देश केन्द्र को ही जारी करने होंगे और केन्द्र राज्य सरकारों पर इस बात पर जोर दे सकता है कि जब यह मापदण्ड अपनाया जायेगा, वित्तीय सहायता तभी दी जाएगी।

[हिन्दी]

वैसे मैं इस विषय में बहुत-सी बातें कहना चाहता था परन्तु समयाभाव के कारण एक-दो बातें ही कहूंगा। जिस उद्देश्य को लेकर इस फाइनैंशियल कार्पोरेशन ऐक्ट को बनाया गया था, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम नहीं हो रहे हैं। उदाहरण के लिए एक स्माल स्केल इंडस्ट्री में ईक्विटी कैपिटल की जरूरत होती है, उसे अपने बिजीनैस को एक्सपैंड करने के लिए या मशीन को बदलने के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है लेकिन उसके लिए पैसा फाइनैंशियल कार्पोरेशन ही दे सकता है, कोई दूसरी एजेंसी नहीं दे सकती।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार फाइनैंशियल कार्पोरेशन को इस तरह से बनावे जो रिस्क-ओरियन्टिड हो, जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो, जिसे किसी बात की घबराहट न हो। यदि कहीं पैसा डूबता भी है तो एक उद्यमी ने, एक युवक ने, एक इंजीनियर ने, एक डाक्टर ने अपनी कोई इंडस्ट्री कायम करने की कोशिश तो की, उसने जैन्यूइन एफर्ट्स तो की, ईमानदारी के साथ कोशिश तो की। उस कोशिश में यदि कुछ पैसा डूब भी गया तो सरकार को उससे चिन्तित नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत ज्यादा कौशस न होकर इसे रिस्क औरियैंण्टिड बनाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं परन्तु मेरा सरकार से आग्रह है, कि जिस उद्देश्य को लेकर यह बिल लाया गया है और जिस उद्देश्य से 1951 में यह ऐक्ट बना था, उस उद्देश्य की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : राज्य वित्तीय विधेयक आरम्भ में 1957 में अधिनियमित किया गया था और 30 वर्षों से अधिक के अनुभव के बाद अब इस अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी एक विधेयक में 30 संशोधन लाने के बजाय मंत्री महोदय को सोच-विचार कर एक व्यापक विधेयक पेश करना चाहिए था। एक व्यापक विधान की बजाय एक विधेयक विशेष में ही 30 संशोधन करने की आवश्यकता क्या है? मैं यह नहीं समझ पाया। इस संदर्भ में मंत्री महोदय को सभा को बताना चाहिए कि इन 30 वर्षों के दौरान हमें क्या अनुभव हुए हैं। देश में अनेक लघु और मध्यम स्तर के उद्योग हैं। सभी का यह मत है कि लघु उद्योग और मध्यम स्तर के उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन इन 30 वर्षों के दौरान हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं, इसका विवेचन करना चाहिए। इस विधान राज्य वित्तीय निगम अधिनियम द्वारा 30 वर्षों के दौरान कितने लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को लाभ पहुंचा है। मंत्री महोदय को हमें ये बातें बतानी चाहिए।

4.00 म० प०

वर्तमान स्थिति को देखते हुए, इस अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य है, क्योंकि धारणाएं बदल गई हैं—छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों में अधिक राशि लगाना आवश्यक हो गया है। ज्यादा राशि की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए मंत्री महोदय यह विधान लाये हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं विधेयक के उपबन्धों का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं सभा में एक बात कहना चाहता हूं कि यह दुःख की बात है कि हमारा रिजर्व बैंक या हमारी वित्तीय संस्थाएं या विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक बड़े औद्योगिक घरानों को ही ऋण देते हैं। अतः, रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक या अन्य किसी वित्तीय निगम के प्रतिनिधि इन वित्तीय निगमों में प्रभावी होते है, तो मैं नहीं जानता कि वे अपनी इस आदत को बदल पायेंगे। उनका स्वभाव है कि वे बड़े घरानों को ही ऋण देते हैं, तो फिर वे गरीब, छोटे उद्योगों को कैसे ऋण देंगे।

वर्तमान सरकार की नई वस्त्र नीति, आयात नीति और औद्योगिक नीति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस सारी स्थिति पर विचार करना होगा।

4.01 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

मैंने आरम्भ में कहा था कि सभी का यह मत है कि लघु उद्योग और मध्यम स्तर के उद्योगों को बने रहना चाहिए। लेकिन वे कैसे बने रहेंगे। यही मुख्य प्रश्न है। इस प्रकार का कानून आवश्यक है। इसमें कोई शक नहीं है लेकिन मात्र इसी कानून से छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को बने रहना सम्भव नहीं है।

श्रीमन्, इसको वर्तमान सरकार की नई औद्योगिक नीति के व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। सरकार की औद्योगिक नीति क्या है? सरकार ने निर्णय लिया है कि विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जाय। लघु और मध्यम स्तर के उद्योग इस व्यवस्था का कैसे मुकाबला कर सकेंगे? क्या यह उसके लिए सम्भव है? आज की आवश्यकता यह है कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन वर्तमान आवश्यकता को

देखते हुए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में ज्यादा पैसा लगाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वह निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। निजी क्षेत्रों के बढ़ने से, छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग कैसे जीवित रह सकते हैं।

श्रीमन्, मुख्य बात यह है कि वर्तमान सरकार की औद्योगिक और वस्त्र नीति हमारे छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों के आगे बढ़ने में रुकावट है। उस परिप्रेक्ष्य में आप एक अच्छा-सा विधान ला सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से हमारा वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपनी सारी औद्योगिक नीति पर पुनर्विचार करे। एम० आर० टी० पी० की सीमा को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करके कृपया बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को बढ़ावा न दीजिए। विभिन्न प्रकार के विधेयक लाकर आप उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस प्रक्रिया में आप कैसे आशा कर सकते हैं कि लघु क्षेत्र के उद्योग जीवित रहेंगे? मेरा कहना यह है कि इस सारे परिप्रेक्ष्य में लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को बढ़ावा देने के बारे में सोचा जाना चाहिए।

श्रीमन्, विचाराधीन विधान के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कई एक संशोधन किए गए हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मैं इन उपायों का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं इस बात पर फिर जोर देना चाहता हूं कि लघु स्तर और मध्यम स्तर के उद्योगों के हितों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक विधान की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, इस बिल का सभी ओर से स्वागत हुआ है। सवाल यह है कि देश में जो 18 वित्त निगम काम करते हैं, उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति की है या नहीं? देश के अन्दर कर्जा वह लोग ले लेते हैं, जिनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं है और वह उससे खुद लाभ उठाना चाहते हैं।

आज एक आदमी रिक्सा चलाता है और कुछ लोग मजदूरी करते हैं। आपकी फाइनेन्शियल कार्पोरेशन उनको लोन देती है जो रिक्शा खरीद लेते हैं और उस रिक्शा को चलाने वाले मजदूर होते हैं। उससे कमाने वाला कौन है? वह दूसरा आदमी है।

आज वित्त निगम भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। देश में 18 वित्त निगम हैं। मंत्री महोदय ईमानदारी और नेकी से बतायें कि कितने वित्त निगम की रकम खत्म हो गई है, डूब गई है? यह भी बतायें कि वित्त निगम में लोन देने के तरीके क्या हैं?

आपने बड़ा अच्छा बिल पेश किया है, लोगों ने इसकी सराहना की है, मैं भी सराहना करता हूं, लेकिन किन कामों की सराहना करता हूं? हम समाजवादी समाज की बात करते हैं और सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी चाहते हैं। वित्त निगम बनाने का हमारा उद्देश्य यह नहीं था कि चन्द लोग इस पर हावी हो जायें। वित्त निगम के चेयरमैन और डायरेक्टर्स की क्वालीफिकेशन क्या हैं? आप वित्त निगम को किसकी मेहरबानी पर जिन्दा रखना चाहते हैं? आप भी वित्त निगम का करोड़ों रुपया बकाया है। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि अब तक कितना रुपया डूब चुका है जो रिकवर नहीं कर सकते हैं? 18 निगमों से कितने ऐसे हैं जो अपनी रकम वापिस वसूल नहीं कर पाते, वसूल नहीं कर सकते क्योंकि लोन उन्होंने उनको दिया है जो फर्जी कंपनियां चला रहे थे।

मैं अपने जिले की बात कह सकता हूं, वहां पर बड़े-बड़े अधिकारियों ने लोन ले लिया है। उनकी फैक्टरियां चलती नहीं हैं, उन्होंने अपने उद्योग किराए पर दे दिए हैं। मैं इसकी जांच कराने के लिए तैयार हूं अगर हमारा राजस्थान का वित्त निगम उसकी जांच करने को तैयार है कि कर्जा किसको दिया है ? कर्जा उन लोगों को दिया गया है जो प्रभावशाली हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं और वहां पर काम कौन कर रहा है ? दूसरा आदमी काम कर रहा है जो कि लद्दाख से या बिहार से आया है, जिसको मजदूरी नहीं मिल रही है। राजस्थान के लोग नहीं आते हैं।

इन्होंने जो बात कही है, इसमें जो अभी आर्टिकल निकला है—

[अनुवाद]

मैं इकोनामिक टाइम्स, दिनांक 24 मार्च, 1984 में छपे श्री के० के० जी० नम्बियार के लेख से उद्धृत कर रहा हूं :

"इन सब बातों से यह विश्वास होता है कि 30 वर्षों तक आवधिक ऋण और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में रहने के बावजूद राज्य वित्त निगम अपने उद्देश्यों को पूरा करने के कहीं भी नजदीक नहीं है।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

यह सब ब्राह्मण खा गए जो कि उद्योग करना नहीं जानते हैं। (व्यवधान)

मारवाड़ी खाना भी जानते हैं, खिलाना भी जानते हैं और उद्योग करना भी जानते हैं।

जो स्माल स्केल इंडस्ट्री को मदद दे रहे हैं उसका प्रोसैस क्या है ? इसका प्रोसैस एक ही है कि पहले तो आप डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री आफिस में नजराना पेश करो। वह पेश होने के बाद ही आगे कोई काम होगा। जो कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर का चमचा होगा केवल उसी को कर्जा मिल पायेगा।

राजस्थान का जो वित्त निगम है, उसमें कर्जा कैसे मिलता है, उसके बारे में बहुत अच्छी बात कही। हमारे राजहंस ने बहुत सुन्दर भाषण दिया। उधर के बैठने वालों ने अच्छी प्रशंसा की। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इसके आब्जैक्ट क्या हैं ? आब्जैक्ट यह है कि लोगों को कर्जा मिले। मैंने स्वयं देखा है कि एप्लीकेशन जब पब्लिक अंडरटेकिंग वाले लेते हैं वह सालों तक उनके यहां ऐसे ही पड़ी रहती हैं। उनको कर्जा मिलते सालों लग जाते हैं। कर्जे के लिए वह इधर-उधर घूमते रहते हैं। जहां ऊपर से कहीं इशारा हुआ वहां उनको कर्जा जल्दी मिल जाता है।

(व्यवधान)

आपने कहा कि राजनीतिज्ञ को चेयरमैन नहीं बनाया जाये और आई० ए० एस० को भी नहीं बनाया जाये। यह तो कोई बात नहीं हुई। आप उसको बनाइये जो ईमानदारी और निष्ठा से काम कर सके। राजनीतिज्ञ भी ईमानदार होते हैं। वह जनता की समस्याओं को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। इस ऐक्ट के अन्दर आपको कई चेंजिस करनी चाहिए। इसमें यह होना चाहिए कि लोन कैसे मिल सकता है, कितने समय में मिल जायेगा और जब उनकी मशीन खराब हो जायेगी

तो कब उनको मदद मिल सकती है।

महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा लोन न मिलने के कारण कितनी इंडस्ट्री सिक हो गईं और जो सेल्फ इम्पलायमेंट स्कीम की 15 अगस्त, 1983 को स्वर्गीया प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने योजना बनाई उसके अन्तर्गत कितने लोगों को लोन मिला। जब आप लोन देना ही चाहते हैं तो उनको दें जिनको आज तक नहीं मिल पाया। हमारे राजस्थान वित्त निगम का परपज यह है कि छोटे उद्योगों को प्रोत्सासन दिया जाये। मुझे मालूम नहीं कि डिबेंचर होल्डर्स की क्या सैक्योरिटी होगी? मुझे इस बिल से यह मालूम नहीं हुआ। राजस्थान वित्त निगम के पास कोई अपना मकान भी नहीं है, आप क्या वसूल करेंगे? कोई सेक्योरिटी है ही नहीं। बड़े-बड़े आदमी डिबेंचर ले लेंगे और लेकर जेब में रख लेंगे। पैसा कौन देगा? यह बताइए कि कौन पैसा देगा उन डिबेंचर्स का? ये एकोनामिस्ट्स जो बताते हैं उनसे मैं यह जानना चाहता हूं। मुझे एक बात और भी पूछनी है। वित्त निगम का जो परपज है उसमें शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को बहुत कम पैसा मिला है। आप बताइए उनका परसेंटेज कितना है? यह भी मुझे आप बताइए कि कितने उद्योग आपने चलाए और कितने सिक पड़े हुए हैं? उनके सिक होने का कारण क्या है और कब तक रिकवर कर लेंगे? पार्लियामेंट यह सब इसलिए जानना चाहती है कि वह आपको सुझाव दे।

जो आपने अमेंडमेंट्स किए हैं उसमें कई अच्छे काम किए हैं जिनसे लाभ होगा। आपने सीमा बढ़ा दी है। लेकिन राजस्थान वित्त निगम की हालत यह है, उसमें उन्होंने यह लिखा है :

[अनुवाद]

मार्च, 1983 तक बकाया ऋण 1300.4 करोड़ रुपए था, जोकि 1983-84 में बढ़कर 1824 करोड़ रुपए हो गया।

[हिन्दी]

अब इतना रुपया तो आपका लोगों में अभी आउटस्टैंडिंग है। भगवान ही जानता है वह रिकवर कब होगा? वह और भी बढ़ता ही जाएगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि राजस्थान वित्त निगम जो बना था उसका परपज हम आज भी अचीव नहीं कर रहे हैं। उसमें कुछ अमैंडमेंट यह कर रहे हैं कि लोन का पैसा इतने दिनों में मिल जाएगा। लेकिन कार्यप्रणाली में जो दोष है उसको दूर करना आवश्यक है इसलिए अच्छा है कि उस आब्जैक्ट को अचीव करने के लिए हम इस कानून में पूरा परिवर्तन करें और वह करना चाहिए।

[अनुवाद]

डा० वत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : श्रीमन्, वित्तीय निगम गत 33 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, और भारत जैसे विकासशील देश में उद्योगों को उनकी आवश्यकता रहती है और इससे विकास होता है। किन्तु इन्हें आरम्भ करने में जो भी सिद्धान्त रहा हो, लघु उद्योगों और मध्यम स्तर के उद्योगों के सम्बन्ध में ये बिल्कुल संतोषजनक नहीं हैं। मेरे मित्र ने सही ही कहा है और मैं इसका समर्थन करता हूं कि छोटे या मध्यम स्तर के नियोजक या एक ईमानदार इंजीनियर जिसका कोई जोड़-तोड़ नहीं है या चेयरमैन की सिफारिश नहीं है, उनके लिए ऋण प्राप्त करना

बहुत ही कठिन है। निहित स्वार्थ और बड़े घराने ऋण प्राप्त कर लेते हैं और इसका प्रयोग विभिन्न तरीकों से करते हैं। फिर भी आप कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन रह रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि तकनीकी-ज्ञान या शोध आदि के लिए अधिक ऋण देने या इसकी सीमा बढ़ाने से कोई लाभ होगा। मैं नहीं समझता कि आप किस प्रकार का नियन्त्रण कर पा रहे हैं। आखिरकार, प्रश्न कानून बनाने का नहीं, बल्कि जो लोग ऋण देने जा रहे हैं उनके द्वारा कानून को लागू करने का है। कुछ बड़े घरानों को अधिक राशि मिलेगी और वे इसे अनुसंधान योजना या अपने संयंत्रों में तकनीकी जानकारी सम्बन्धी योजना पर हुए खर्च के रूप में दिखा देंगे। इन सभी बातों के लिए उन्हें ऋण मिलेगा और मैं नहीं जानता कि इसका उपयोग सही तरीके से उद्योग के लिए होगा या नहीं।

मैंने एक और मुश्किल देखी है। निगम कई लोगों को ऋण दे रहा है। वसूली दर क्या है और जिन उद्योगों को ऋण दिया गया है, उन पर कितनी राशि बकाया है? मैं बम्बई के कई एक उद्योगों का जिक्र करूंगा। उदाहरण के तौर पर डब्ल्यू० जी० फोर्ड, वर्डमेन गार्डन्ज। मैं समझता हूं कि इस निगम का तो इन पर करीब 45 करोड़ रुपया ऋण है किन्तु बैंक ऋण करीब 30 करोड़ रुपए के हैं जो कि अब 42 करोड़ रुपए हो गये हैं और इन सबका दिवालिया निकल गया है। जो लोग ऋण लेते हैं, सरकार से विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करते हैं, उनके कई पहलू हैं।

हम यहां पर नैतिक सिद्धान्तों और नियमों की चर्चा बेशक कर लें। लेकिन लोग ऋण लेते समय और उसका उपयोग करते समय इसका दुरुपयोग करते हैं। मैं इस सभा में मांग करता हूं कि मंत्री महोदय वस्त्र उद्योग और बड़े औद्योगिक घरानों को इन नियमों द्वारा दिये गये ऋण की बकाया राशि के बारे में आंकड़े दें। बम्बई मिल्स में, मैं समझता हूं कि कम-से-कम 20 से 30 करोड़ रुपये बकाया है और इसका दिवालिया निकल गया है। वर्तमान शस्त्र नीति को आप इन्हीं लोगों को पुनः ऋण देकर प्रोत्साहन दे रहे हैं। विभिन्न बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के क्या उपबन्ध हैं? वही लोग वित्तीय और अन्य संस्थाओं और वित्त निगमों से भी ऋण ले रहे हैं। इनमें समन्वय क्या है? आखिरकार, यह एक व्यवसाय बनता जा रहा है। इनमें से कुछ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठाकर, विभिन्न सिफारिशें करके ऋण प्राप्त करते हैं और अन्ततः उस विशेष उद्योग का दिवालिया निकल जाता है। इस समय लगभग 80 हजार उद्योग रुग्ण हैं। मैं समझ सकता हूं कि लघु क्षेत्र में कुछ उद्योग वास्तव में रुग्ण हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में यह स्थिति लोगों द्वारा ही पैदा की गई है। प्रभावी तत्व, निहित स्वार्थों वाले तत्व और कुछ एक उद्योगपति काफी समझदार होते हैं और वे सरकारी निगमों, बैंकों और निजी स्रोतों से प्राप्त सभी ऋणों को खर्च कर देते हैं और उनका काम है अपना दिवाला निकालना। श्रीमान्, इस प्रकार उद्योग चलाना एक प्रकार का व्यापार हो गया है। वह व्यवसायी नहीं हैं। उन्हें सरकार की भी चिन्ता नहीं है, उन्हें आपके बैंकों की भी परवाह नहीं है, उन्हें आपके मजदूरों की भी चिन्ता नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार को भी मजदूरों की चिन्ता नहीं है। इस पर मैं फिर कभी चर्चा करूंगा। वे इस धन का उपयोग करते हैं और योजनाबद्ध तरीके से चलते हैं। अब मैं आपको बम्बई की दो फैक्टरियों, मै० फॉयरस्टोन और मै० मोदीस्टोन का उदाहरण देना चाहता हूं। यह वित्तीय निगम से लिया गया ऋण नहीं है बल्कि बैंकों से लिया गया ऋण है। बैंकों से 25 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया है, जबकि मुश्किल से उद्योग पर 3 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने बाकी की राशि कहां खर्च की है। आपका नियंत्रण

क्या है ? क्या इन बातों पर आपका कोई नियंत्रण है ? इन लोगों द्वारा प्रति वर्ष राशि कैसे खर्च की जा रही है ? ऋण मंजूर करा कर कुछ निहित स्वार्थी तत्व इस राशि का उपयोग किसी दूसरी जगह करते हैं और फिर उद्योग को रुग्ण बना देते हैं। भू-राजस्व बकाया की क्या स्थिति है ? आपके लिए इस भू-राजस्व बकाया को वसूल करना असम्भव है। यह केवल निगम का ही पैसा नहीं है, बैंकों की राशि इससे दस गुना अधिक है। अभी तक आपने श्रमिकों के लिए कोई अच्छा विधान नहीं बनाया है। अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान दें तो निगम को बहुत कम राशि वसूल होगी। नियोजक को ऋण प्राप्त करके अपने उद्योग को रुग्ण बना देते हैं, वे आपको कुछ नहीं देंगे। इसलिए मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि मुझे इस बात के आंकड़े दिए जाएं कि निगम का कितना पैसा बकाया है। विभिन्न स्रोतों से कितनी राशि की वसूली नहीं की जा सकती है ? अतः इस प्रकार के अधिनियम या उपबन्ध किसी भी व्यक्ति को सन्तुष्ट नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने भी यही विचार प्रकट किए थे। जब आप ऋण देते हैं तो क्या आप यह भी सुनिश्चित करते हैं कि नियोजक उनका सही ढंग से प्रयोग भी करते हैं या नहीं ? आप इस देश में उद्योग क्यों चला रहे हैं ? उद्योग चलाते समय क्या सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी कि उद्योगों को चलाने में नियोजक श्रमिकों से अच्छे संबंध बनाए रखें ? क्या वे उन्हें सही वेतन, न्यूनतम मजदूरी आदि दे रहे हैं या नहीं ? स्वतन्त्रता के 40 वर्षों के बाद भी, मैं नहीं समझता कि सरकार ने इस पहलू पर विचार किया है। आप यहां-वहां, कुछ संशोधन पेश करते रहते हैं, लेकिन इस देश में लघु तथा मध्यम उद्योग स्थापित करने के मूल लक्ष्य को पुराने अधिनियम या इन नये संशोधनों द्वारा तब तक पूरा नहीं किया जा सकता, जब तक इनका ठीक प्रकार से पालन नहीं किया जायेगा। वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों को पैसा दिया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये संशोधन उद्योग या देश की आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे।

श्री बाई० एस० महाजन (जलगांव) : सभापति महोदय, भारत में राज्य वित्त निगम अधिनियम में संशोधन करने हेतु इस व्यापक विधेयक को लाने के लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। विधेयक को पहले ही लाना चाहिए था। मूल अधिनियम लगभग 35 वर्ष पहले पारित किया गया था और यद्यपि लघु उद्योग तथा कुछ सीमा तक मध्यम स्तर के उद्योग के विकास और संवर्धन करने में राज्य वित्त निगमों ने अच्छी सेवा की तथापि पिछले 35 वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में पूरी तरह से परिवर्तन आया है जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता हो गई। छठी योजना के दौरान हमने लगभग 8% प्रतिवर्ष औद्योगिक उत्पादन की आशा की थी। लेकिन वास्तविक उपलब्धि आशा से बहुत कम हुई। विकास की इस दर में वृद्धि करनी है। सातवीं योजना के दौरान इसमें तेजी लानी है और प्रत्येक वर्ष में जो मजदूरी के लिए लाखों युवा नर और नारी आते हैं उनकी रोजगार सुविधाओं को अगली योजनाओं में सुनिश्चित करना है। औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक आधारभूत ढांचा है। विकास की दर को बढ़ाने के लिए वातावरण भी सहायक है। वास्तव में कुछ लोगों की यह राय है कि हमें कार्य आरम्भ करना है। इस प्रक्रिया में राज्य वित्त निगमों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मंत्री महोदय द्वारा विधेयक इसलिए लाया गया है ताकि ये निगम प्रोत्साहक विकासात्मक कार्य और अधिक तेजी से कर सकें।

हमारे देश में राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अन्तर्गत 18 राज्य वित्त निगम कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा सराहनीय काम किया है; परन्तु ये अधिकाधिक विकास की

आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सके हैं जिसकी हमें भविष्य में आशा है, इसलिए विधेयक से अधिनियम के कई प्रतिबंधात्मक उपबन्धों को, जो अब संगत नहीं हैं, समाप्त किया जा रहा है। इन संशोधनों के द्वारा निगम प्रभावी विकास बैंकों की भांति कार्य करेगा।

पहले महत्वपूर्ण संशोधन से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सिफारिश से वित्तीय निगमों की वर्तमान प्राधिकृत पूंजी सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़कर 50 करोड़ रुपए और फिर 100 करोड़ रुपए हो जाएगी। राज्य निवेश निगम और लघु उद्योग निगमों जैसी संवर्धन एजेन्सियों को भी राज्य वित्त निगम के शेयर लेने की अनुमति मिल जाएगी। इन परिवर्तनों से राज्य में वित्तीय और विकासात्मक एजेन्सियों में एकीकरण हो जाएगा। एक संशोधन किया जा रहा है जिससे राज्य वित्त निगम केन्द्रीय सरकार की अनुमति से अपनी प्रदत्त शेयर पूंजी से 10 गुना जमा पूंजी स्वीकार कर सकेगी ताकि उनके पास अपने कार्यकलापों के लिए अधिक पूंजी की व्यवस्था हो जाए। वे डिबेंचर या बांड जारी की है जिनकी राज्य सरकारों द्वारा कोई गारण्टी नहीं है अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं और उनको इसकी अनुमति दी जा रही है। इससे राज्य वित्त निगमों को अपने साधनों को बढ़ाने में मदद मिलेगी जो कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं और जिनमें लाभ हो रहा है।

संशोधन से राज्य वित्त निगम प्रतिभूति के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक से अपनी प्रदत्त शेयर पूंजी की राशि से दुगना ऋण ले सकेंगे। मौजूदा अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शेयर पूंजी के 90 प्रतिशत तक की सीमा है।

इन सभी संशोधनों से उनसे वित्त निगमों का वित्तीय आधार काफी मजबूत हो जाएगा जिससे वे अपने सभी प्रकार के औद्योगिक कार्यकलापों का गतिविधियों के विकास करने में सहायता मिलेगी। इसलिए विधेयक से औद्योगिक संस्थान शब्द की पुनः परिभाषा होगी जिससे नौवहन के अतिरिक्त सभी प्रकार के औद्योगिक कार्यकलापों को शामिल किया गया है। इस संशोधन से लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इससे वित्तीय सहायता की सीमा बढ़ाई गई है। इस समय राज्य वित्त निगम अधिनियम के अनुसार कम्पनियों और सहकारी समितियों को अधिक से अधिक 30 लाख रुपए तथा साझेदारी वाली फर्मों को 15 लाख रुपए तक ऋण मिल सकता है। ऋण की इन सीमाओं को 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख तथा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख तक किया जा रहा है। इन संशोधनों से राज्य वित्त निगमों, अन्य संस्थानों तथा बैंकों के सहयोग से मध्यम स्तर की परियोजनाओं, जिनकी परिसम्पत्ति 30 करोड़ रुपए तक हो, को सहायता दे सकेंगे।

इसलिए इस विधेयक से वित्तीय सहायता के क्षेत्र पूंजीगत ढांचे ऋण लेने की क्षमता और लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों को राज्य वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता की सीमा में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

इन परिवर्तनों से ये निगम औद्योगिक क्षेत्र में विकास एजेन्सियों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगेंगे। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन अपने पूर्ववर्ती वक्ताओं द्वारा की गई कतिपय आलोचनाओं का मैं उत्तर देना चाहूंगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों तथा राजनैतिज्ञों को चेयरमैन के यहां पर नियुक्ति करने के बारे में आपत्तियां उठाई गई हैं। भारतीय

प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या राजनैतिज्ञों की नियुक्ति करने का प्रश्न ही नहीं है प्रश्न विद्वान और निष्ठावान उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करने का है। यदि आप उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इन निगमों के जोखिम उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। परियोजनाओं से होने वाली जोखिम में उन्हें सहभागी होना चाहिए। ऐसा संशोधन किया जा रहा है। जब हम सुरक्षामूलक आधार से हटकर परियोजना उन्मुखी आधार की ओर अग्रसर करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि वित्त निगम कुछ जोखिम उठाते हैं। तब यह कहा जाता है कि कम्प्यूटर लागत से लघु उद्योगों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विकसित देशों का अनुभव यह बताता है कि कम्प्यूटरों के प्रयोग से रोजगार में कमी नहीं आई है। इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। यह एक समिति का निष्कर्ष है जिसने अमरीका में इस मामले की जांच की थी। कम्प्यूटरों के उपयोग के परिणामस्वरूप आपके पास कई उद्योग हैं जिसमें फालतू पुर्जों का निर्माण होता है और इनके व्यापार में बहुत लोग लगे हुए हैं। इसलिए सन्तुलन की दृष्टि से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, वे घटे नहीं हैं।

विलम्बित देयताओं के बारे में श्री डागा ने बकाया राशि के बारे में बात की। बकाया राशि विलम्बित देयता से भिन्न है। यदि आप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिक कुल सांख्किीय जानकारी को देखें तो विलम्बित देयता कम हैं। विलम्बित देयता इतने कम हैं कि मुझे आश्चर्य है कि सरकार ने इस संशोधन को क्यों किया है कि विलम्बित देयता की वसूली भू-राजस्व के रूप में की जा सकती है।

अन्त में, कुछ सदस्य चाहते थे कि निगम क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए कार्य करें ऐसा किया जा सकता है बशर्ते राज्य वित्त निगम निवेश तथा विकास निगमों के साथ-साथ काम करें। इस मामले में गुजरात ने एक उदाहरण दिया है वहां वित्त निगम तथा निवेश और विकास निगम के साथ-साथ काम करते हैं और भावी उद्योगों की सहायता करते हैं। योजनाओं की मंजूरी में विलम्ब कम करने के अलावा उन्हें परामर्श सेवाएं भी देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि यथाशीघ्र उद्योग स्थापित हों। अतः यदि सभी वित्त निगमों और विकास एजेन्सियों के बीच सहयोग हो और यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तथा सभी उद्योगपतियों से सम्पर्क करें तो हमारा उद्देश्य सिद्ध हो सकता है।

विधेयक कुछ संशोधन तक ही सीमित है। मन्त्री महोदय यह सब कुछ विधेयक में नहीं ला सकते हैं। गत 35 वर्षों के दौरान हुए विकास की दृष्टि से संशोधन लाना आवश्यक था, इनसे वित्त संस्थान सुदृढ़ होंगे और अपने कार्यों को अच्छी तरह से निभाएंगे तथा अपने उद्देश्यों को पूरा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्री आर० जीवरत्नम** (आकेनिम) : माननीय सभापति महोदय, मैं राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1985 के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यह अच्छे उद्देश्य से लाया गया विधेयक है और मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे मन में कोई सन्देह नहीं है कि यह संशोधन विधेयक देश के तेजी से औद्योगीकिरण को शीघ्र पूरा करने के लिए हमारे युवा और गतिशील प्रधानमन्त्री के उद्देश्य को पूरा करायेगा।

1951 में मूल अधिनियम पारित किया किया गया था और पिछले 34 वर्षों के दौरान

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

देश में चमत्कारिक विकास हुआ। राज्य वित्त निगमों ने उद्योगों के लिए आवश्यक वित्तीय आधार-भूत ढांचा जुटाने में मुख्य भूमिका निभाई है। इस अवधि के दौरान पूरे देश में रोजगार अवसरों को सुलभ करने के लिए हजारों लघु उद्योग स्थापित किए गए हैं। साथ ही इस अवधि में जनसंख्या भी 100 प्रतिशत बढ़ी है। इससे हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या और जटिल हुई है। हमारे देश में कृषि के विकास पर ध्यान देकर हम बेरोजगारी की गम्भीर समस्या को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। देश के सभी शिक्षित बेरोजगारों को कृषि क्षेत्र खपा नहीं सकता है। देश में केवल अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करके ही बेरोजगारी की गम्भीर समस्या से निपटा जा सकता है। राज्य वित्त निगम ने इस प्रयास में मुख्य भूमिका निभाई है।

हमारी स्वर्गीया प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-रोजगार योजना बनाई थी तथा कार्यान्वित की थी। इस योजना को अब और अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस समय इस योजना के लिए वित्तीय सहायता सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी जाती है। लेकिन यह वित्तीय सहायता बहुत छोटे औद्योगिक एकक शुरू करने के लिए बहुत कम है। मैं सुझाव देता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत लघु औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए शिक्षित बेरोजगारों का राज्य वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनको एस० एफ० सी० एस० द्वारा प्रारम्भिक पूंजी निवेश की व्यवस्था हो। केवल तभी देश में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या कुछ सीमा तक कम की जा सकती है।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मामले का भी उल्लेख करना चाहता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार जून 1983 में 58550 लघु उद्योग थे जिन्हें बीमार घोषित किया गया था। जून, 1985 में इनकी संख्या 60,000 तक बढ़ गई। जून, 1983 में तमिलनाडु में 8111 लघु उद्योग बीमार थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन उद्योगों में पूंजी को सीमित रखा गया है। इसके अलावा बेरोजगारी भी बढ़ती है। यहां भी ऐसे बीमार उद्योगों को सक्षम बनाने के लिए राज्य वित्त निगमों को वित्तीय सहायता देने के प्रयास करने चाहिए। लेकिन इस विधेयक में इस बारे में कोई प्रावधान नहीं है। अनिवार्य कार्य के कारण हमारे माननीय वित्त राज्य मन्त्री राज्य वित्त निगमों के माध्यम से बीमार लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता की पुनः सुविधाएं देने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। परन्तु मैं उनसे अपील करता हूं कि इस तरह के एकमात्र औद्योगिक एककों के लिए प्रत्येक राज्य में एक बीमार उद्योग पुनर्वास वित्त निगम के स्थापित करने के लिए प्रारम्भिक कदम उठाए जाने चाहिए। यदि उनका पुनर्वास किया जाता है तो एक बार फिर बेरोजगारी समस्या कुछ सीमा तक कम हो जाएगी। यह संशोधन विधेयक राज्य वित्त निगम की प्राधिकृत शेयर पूजी 100 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की व्यवस्था करता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि बीमार उद्योग पुनर्वास वित्त निगम प्राधिकृत शेयर पूजी के रूप में 50 करोड़ रुपए से बीमार उद्योगों को सन्निकट विनाश से बचाया जा सकेगा।

इसका स्वागत करते हुए मैं कम्पनियों / सहकारी समितियों और साझेदारी वाली फर्मों को 30 लाख रुपए तथा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर क्रमशः 60 लाख रुपए और 30 लाख किए जा रहे हैं, यह मेरे लिए अस्पष्ट है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान के मामले में 1 करोड़ रुपए की सीमा से 3 करोड़ रुपए या इस प्रकार की 30 करोड़ रुपए की अन्य सीमा तक क्यों बढ़ाया जा रहा है। मैं

यह कहते हुए भी विवश हूं कि राज्य वित्त निगम इसके बाद केवल बड़े उद्योगों के वित्तीय सहायता देने के बारे में ध्यान देगी। एस० एफ० सी० लघु उद्योगों के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। जबकि आई० डी० बी० आई०, आई०, सी० आई० सी० आई० एफ० सी० आदि जैसी सरकारी क्षेत्र के वित्त संस्थान बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए हैं, मैं नहीं समझता कि राज्य वित्त निगम को बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के काम का भी बोझ दिया जाना चाहिए।

इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक राज्य में बीमार उद्योग पुनर्वास वित्त निगम को तुरन्त स्थापित किए जाने चाहिए ताकि बीमार उद्योगों को फिर से शीघ्र चालू किया जा सके। मैं माननीय वित्त राज्य मन्त्री से अपील करता हूं कि उन्हें इस मामले में ध्यान देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, सामान्य शब्दों में इस विधेयक का स्वागत है क्योंकि यह राज्य निगमों के कार्य क्षेत्रों पर लागू होता है जो उसके संशाधनों को जुटाने के बारे में कुछ और दिशा बताता है। अतः इस सीमा तक जिन प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है, उनका स्वागत है। हालांकि मैं स्पष्ट नहीं हूं कि कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के देखते हुए क्या इसके परिमाणात्मक रूप से क्षेत्र विस्तार मौजूदा कार्यों के साथ वास्तविक रूप से समतुल्य होगा और क्या यह वास्तव में पहले की अपेक्षा नियत की गई सीमा से अधिक लाभदायक साबित होगा। मुझे लगता है कि इस मौजूदा स्थिति का सुधार हो सकता है परन्तु धन के मामले में मौजूदा आवश्यकता की तुलना में शायद यह बेहतर बनाया जा सकता है।

इसके बाद कुछ दोस्तों ने अधिकतर संगत रूप से प्रश्न किया है कि राज्य निगमों के कार्यों की जांच की जानी चाहिए। मैं यह कहना चाहती हूं कि राज्य निगम हैं। निःसंदेह सभी उसी तरीके से कार्य नहीं कर रही हैं। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि वहां राज्य निगम है जिनके बारे में यह शिकायत है कि वास्तविक रूप से उनको सहायता देने की बजाय अर्थात् लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को अधिकाधिक संसाधनों के साथ लोगों के बारे में संभवतः कार्य-साधन जुटाए जा रहे हैं कि उन्हें सहायता दी जानी चाहिए। मैं इस दृष्टि से समझती हूं कि इस पर कार्यवाही करनी चाहिए।

बहुत से राज्य निगमों के साथ जो दूसरी समस्या है वह यह है कि जो व्यक्ति नए उद्योग की स्थापना करना चाहते है उनको प्रायः यह शिकायत रहती है कि उन्हें भावी उद्योग के बारे में आवश्यक विशेष जानकारी या सलाह, कच्चा सामान, तकनीकी जानकारी, विपणन सुविधाएं आदि उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। मुझे लगता है कि इन चीजों को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए नए उद्योगपतियों को जानकारी देना वास्तव में बहुत आवश्यक है। मैं इस विचार से समझती हूं कि निगमों द्वारा कुछ विशेष जानकारी की व्यवस्था की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हुआ तो वित्तीय पहलू से उसके लिए प्रावधान बनाए जाने चाहिए। किसी विशेष व्यक्ति को केवल वेतन ही नहीं दिया जाना चाहिए। जब तक नए उद्योगों को सहायता देने का सम्बन्ध है, इन निगमों में सार्वजनिक उपक्रमों में आर० एण्ड डी० की तरह ही उनकी अपनी आर० एण्ड डी० का प्रावधान भी होना चाहिए।

इस विधेयक का लाभ उठाते हुए मैं अपने राज्य के बारे में और कुछ अन्य राज्यों के बारे

में भी कुछ बातें बताना चाहती हूं जो इस विधेयक से सीधी संबंधित नहीं हैं, पर विधेयक के उद्देश्य से अवश्य संबंधित हैं। इस बात से प्रत्येक व्यक्ति सहमत है कि इन राज्य वित्त निगमों को लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों की सहायता करने में विशेष रुचि लेनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से इस समय ऐसा लगता है कि उद्योगविहीन जिला घोषित करने से लिए जो मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं वे त्रुटिपूर्ण हैं। मैं अपने अनुभव से कह सकती हूं कि हमारे राज्य के पुरूलिया और पश्चिम दिनाजपुर जिले बहुत पिछड़े जिले हैं लेकिन उद्योगविहीन जिलों में उन्हें स्थान नहीं मिला है। ये 'ख' श्रेणी में आते हैं न कि 'क' श्रेणी में। मैं इस तरह के पक्षपात के कारण को नहीं जानती हूं···(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : इसका वर्गीकरण कौन करता है, भारत सरकार या राज्य सरकार ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : इसका निर्णय भारत सरकार करती है। जैसा कि मैंने आग्रह किया है कि योजना आयोग ने इस पहलू और इसकी पुनरीक्षा के अध्ययन के लिए एक समिति गठित की है। इसलिए मैं सरकार से विशेष रूप से अनुरोध करती हूं कि उद्योगविहीन जिला घोषित करने के मापदण्ड में ढील दे क्योंकि विशेषकर ऐसे जिलों में ही इन निगमों को अधिक ध्यान देना है ताकि इन क्षेत्रों का विकास हो सके। इसलिए मैंने यह कहा कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं आपको दूसरा उदाहरण दूंगी। हमारे राज्य में दार्जिलिंग भी उद्योग की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है और जहां तक वहां जाने का सम्बन्ध है यह बहुत मुश्किल है अर्थात् परिवहन की समस्या बहुत जटिल है। जैसा कि मैं समझती हूं कि कुछ राज्यों में कुछ क्षेत्रों के लिए परिवहन आर्थिक सहायता दी जाती है लेकिन मैं नहीं जानती कि परिवहन के लिए आर्थिक सहायता में दार्जिलिंग को शामिल क्यों नहीं किया गया है। मैं केवल दार्जिलिंग की ही बात नहीं कर रही हूं, मैं एक उदाहरण दे रही हूं। यदि आप वास्तव में इन नियमों के उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार की कमी का जहां कहीं भी हो, विशेष रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए और उनकी वास्तविक रूप से पुनरीक्षा तथा सुधार किया जाना चाहिए। किसी भी तरह जहां तक दार्जिलिंग के लिए मेरे तर्क का सम्बन्ध है मैं समझती हूं कि मन्त्री महोदय इसकी संगत दिशा में विचार करेंगे। और त्रिपुरा के लिए भी विश्वसनीय रूप से करेंगे क्योंकि उसकी भी यही समस्या है। बहुत से अन्य राज्य भी हैं। यह पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा का ही प्रश्न नहीं है बल्कि यह सभी इसी प्रकार के स्थानों का प्रश्न है, पूरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र···(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : त्रिपुरा अपने आप में उद्योगविहीन राज्य है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : ठीक है, अतः यह पूरा राज्य हो सकता है, या यह राज्य का एक भाग हो सकता है या कुछ जिले हो सकते हैं। यदि क्षेत्र का विकास करके उसका उपयोग करना चाहते हैं तो इन समस्याओं का गम्भीरता से अध्ययन किया जाना चाहिए। इस तरह के राज्य निगमों को रोका जाए जो बड़े गृहों को ऋण देते हैं। किसी भी तरह से उसे ऐसा करने से रोकना होगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : जनाबेआली, मैं बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे

थोड़ा सा वक्त दिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो बातें कही जा चुकी हैं, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं। बात दरअसल यह है कि यह बिल तो बहुत ही अच्छा है और हर आदमी को इसको खुशामदीद कहना ही चाहिए, लेकिन इसमें दो-तीन बातों का खयाल रखना जरूरी है। जैसा कि डागा साहब ने कहा कि कुछ लोग मिस-यूज कर रहे हैं फाइनांशियल इंस्टीट्यूट का, बैंक्स का। यहां पर क्लर्कों का राज बढ़ता जा रहा है। फाइनेंस कारपोरेशन में भी आजकल क्लर्कों का राज बढ़ता जा रहा है, रिश्वत का बाजार गर्म हो रहा है। जिसको बैंक से या फाइनेंशल कारपोरेशन से लोन लेना होता है, उसको ये मजबूर करते हैं कि वह उनको पैसा दे और वह रिश्वत का पैसा आज हमारे इकसादी ढांचे को तहस-नहस कर रहा है। इसलिए जितना अख्तियारी दायरा, एक्टीविटीज का दायरा बढ़ा रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, खासकर के स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज का और मीडियम इण्डस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट हुआ है वह इन इदारों की वजह से हुआ है, इससे इन्कार नहीं कर सकते। इसलिए यह बहुत ही ठीक किया जा रहा है। इसके कामकाज का जो दायरा बढ़ाया जा रहा है, यह भी अच्छा कर रहे हैं फाइनेंशल लिमिट को आगे बढ़ा रहे हैं, यह भी अच्छी बात है, मगर जिस बात का खयाल रखना है, वह यह है कि जैसा कि डागा साहब ने बताया कि कई जगह लोन लेने वाला आदमी काम नहीं करता और वह एक्सप्लाइट करता है, किसी से काम करवाता है।

4.50 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जो आदमी स्वयं काम करता है, उसको इसका कर्जा मिलना चाहिए। जो सैल्फ एम्पलायमेंट वाले लोग हैं उनको कर्जा मिलना चाहिए। बैकवर्ड एरियाज को भी कर्जा मिलना चाहिए। आज हो यह रहा है कि जिनका इन्फ्लुएंस है, उनको कर्जा मिल जाता है। लद्दाख में सात व्यक्तियों ने दरख्वास्त दी थी। सबसे पहले जिनको मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिला। डिप्टी सी० एम० के सामने जब यह बात लाई गई तो तब उसको कर्जा मिला। मध्य प्रदेश तथा दूसरे राज्यों के बारे में भी यहां पर बताया गया। जब तक सेण्ट्रल गवर्नमेंट दिलचस्पी नहीं लेगी तब तक कुछ नहीं होगा। केन्द्र सरकार, बीस प्वाइंट प्रोग्राम हो या कोई और प्रोग्राम हो, राज्य सरकारों को पैसा देकर चुप बैठ जाती है। उस पैसे का गलत इस्तेमाल होता है। फाइनेंशियल कारपोरेशन की वर्किंग को नहीं देखेंगे तो हमारा ढांचा बिगड़ जाएगा। बेकारी दूर नहीं होगी क्योंकि कर्जा तो गलत हाथों में चला जाता है। जो आमी रिश्वत देकर कर्जा लेता है, वह वापिस नहीं कर सकता। ऐसी चीजों को रोकने के लिए आपके सुपरवीजन करनी पड़ेगी। आप अपना रोल प्ले नहीं करें और चुपचाप देखते रहें तो स्टेट गवर्नमेंट के आफिसर्स इसको बरबाद कर देंगे। आज कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए कि कुछ लोगों के पास पैसा है। वे किसी दाम पर चीजें खरीद सकते हैं। सुपर बाजार में अगर पांच रुपए पैंसठ पैसे किलो चीनी मिल रही है और दूसरी जगह साढ़े नौ रुपए है तो कोई नहीं पूछता है क्योंकि लोगों के पास इजी मनी बहुत आ गई है। इस चीज को कंट्रोल करना हमारा फर्ज है। इसके प्रापर फंक्शनिंग का आपको इतजाम करना पड़ेगा। आपको खासतौर पर देखना होगा कि बैकवर्ड एरियाज को कर्जा मिले। जो इंडस्ट्रीज सिक हो जाती हैं उनको रिवाइव करने की जरूरत है। यह तो पार्ट आफ दी गेम है। विकास करने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा अपने ढांचे को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना चाहिए। रिजर्व बैंक यह देखे कि ढांचा ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं वरना सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ

इस बिल की खुशमदीद करता हूं।

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूं। संशोधन विधेयक में प्रस्तावित उपाय स्वागत योग्य हैं तथा उनका उद्देश्य छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को सहायता देना है। पिछले 35 वर्ष से उद्यमी बहुत-सी असुविधाओं का सामना कर रहे थे तथा इस विधेयक का उद्देश्य उन बाधाओं को दूर करना है।

शेयर पूंजी को वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 200 गुणा कर दिया गया है। इससे उद्यमियों के प्रति निगम का कर्तव्य अधिक उपयोगी बन जाएगा।

दूसरे निगम शेयर पूंजी बढ़ाने की अनुमति दी गई है। यह अच्छा तथा स्वागत योग्य कदम है। इन आवेदन पत्रों पर मंजूरी देने के लिए कोई समय सीमा होनी चाहिए। मंजूरी के समय असाधारण विलम्ब होता है। किसी उद्यमी के लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उसे वित्तीय संस्थाओं से धन प्राप्त करने में वर्षों लग जाते हैं। औद्योगिक लाइसेंस या आशय पत्र के नवीकरण के समय विभाग प्रगति पर आग्रह करता है जिसके लिए उद्यमी कतई उत्तरदायी नहीं है। इसके लिए उद्यमी उत्तरदायी नहीं है परन्तु ऐसे बहुत से बिलम्बों के कारण होता है। उद्यमियों को वित्तीय पूर्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं के पास जाना पड़ता है। मंजूरी में विलम्ब के कारण वे वित्तीय संस्थाओं के पास जाता है। उसे भारी ब्याज देना पड़ता है जोकि उद्यमियों को भारी पड़ता है। अतः मेरा निवेदन है कि मंजूरी के समय एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। जब भी कोई आवेदन प्राप्त होता है जब तक कि कोई असाधारण हालात न हों आवेदन को मंजूरी दी जानी चाहिए। हम देखते हैं कि आई० डी० बी० आई०, वित्तीय संस्थाओं तथा भारत सरकार के उद्योग विभाग में कोई समन्वय नहीं है। क्षमता के उपयोग पर औद्योगिक विभाग ने ध्यान देना है। जैसे ही औद्योगिक लाइसेंस दे दिया जाता है वित्तीय संस्थाओं को तुरन्त सहायता के लिए समक्ष आना चाहिए। परन्तु होता क्या है कि लाइसेंस दिए जाने के बाद वित्तीय संस्थाएं सहायता देने से इनकार कर देती हैं। उद्यमी को बहुत-सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक बार आशय-पत्र जारी किए जाने के बाद यह वित्तीय संस्थाओं का कार्य है कि अपनी संबद्ध शाखाओं से ऋणों की मंजूरी दें।

महोदय, ऐसे बहुत से उद्योग हैं जिन्हें रुग्ण घोषित किया गया है। वे कई कारणों से रुग्ण हुए हैं। परन्तु अन्ततः वे दोषी बन जाते हैं। ऐसे रुग्ण उद्योगों के निपटारे के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। केवल प्रबंधक ही उनका निपटारा करते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि इन रुग्ण उद्योगों के लिए समुचित मार्गदर्शन होना चाहिए। ये सदा एक व्यक्ति का कार्य रह जाता है। मेरा सुझाव है कि इसे काफी प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक उद्यमी को पता चले कि ऐसे कौन से उद्योग है जो कि रुग्ण हैं तथा बिक्री के लिए हैं।

फिर श्रीमान्, एक खण्ड ऐसा है जिससे उल्लेख है कि निगम की बकाया राशि भू-राजस्व के रूप में वसूल की जा सकेगी। मुझे सन्देह है कि यह चल सकेगा क्योंकि ये सभी ऋण प्रतिभूत ऋण हैं। होगा यह कि यदि निगम को भू-राजस्व इस तरह वसूल करने दिया जाता है तो अन्य संस्थाएं भी वही विधि अपना सकती हैं जिससे दोषी व्यक्ति को निश्चय ही बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः मेरा सुझाव है कि इस खण्ड को पूर्णतः हटा दिया जाये।

जब वे वित्तीय संस्थाओं के पास जाते हैं तो कई बार वे कहती हैं कि कुछ ही प्रौद्योगिकियां

स्वीकृत हैं। उदाहरण के तौर पर जब मिनी इस्पात संयंत्र वाले ऋण की मंजूरी के लिए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि केवल वी० एस० के० प्रौद्योगिकी ही मंजूरशुदा है। कभी-कभी वे कहती हैं कि केवल कतिपय क्षमताएं ही मंजूर की गई। कभी तो वे कहती हैं कि 200 मीटरी टन प्रति दिन की क्षमता स्वीकृत है और कभी केवल 50 से 100 मीटरी टन प्रतिदिन की क्षमता स्वीकृत बताती हैं। उद्यमियों को उद्योग लगाने में ऐसी बातें समक्ष आती है। अतः मेरा निवेदन है कि इन उद्योगों के बारे में कुछ मार्गदर्शन होना चाहिए।

5.00 म० प०

एक बार जब उद्यमी कठिनाई में हो तो मैं समझता हूं कि यह संबद्ध वित्तीय संस्थानों का कर्तव्य है कि उन्हें वित्त उपलब्ध कराये।

5.00 म० प०

एक और बात है, कुछ छोटे उद्यमी हैं जो वित्तीय संस्थाओं से जैसे, आटा मिलें, आटा मशीनें तथा तेल की मिलें हैं जिन्होंने वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिए हैं। कई कारणों में से लोग ऋण में से मूलधन या ब्याज वापस नहीं कर पाते। अतः इन छोटे लोगों के हित में जिन्होंने 2500 रुपए तक ऋण लिया है, लम्बी अवधि तक यह पता चलने पर कि वे ऋणों की अदायगी नहीं कर सकते उनके ब्याज को बट्टे-खाते डाल देना चाहिए तथा केवल मूल उनसे वसूल किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं। यह संशोधन वित्तीय संस्थाओं को व्यवसाय के व्यापक अवसर देता है। इससे अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें विपणन अनुसंधान तकनीकी आर्थिक अध्ययन करने, उद्योगों की प्रशासनिक सहायता करने आदि में सहायता मिलेगी तथा वे उद्योगों के संवर्धन और विकास में तथा विनिमय पत्रों/प्रोनोटो आदि की आयोजना तैयार करने में उनकी सहायता कर सकेंगी। कथित विस्तार से वे क्षेत्रीय विकास बैंकों के रूप में कार्य कर सकेंगी। (व्यवधान)

अतः यह अच्छा संशोधन है। इन शब्दों के साथ मैं अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापित महोदय, श्रीमान् इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वित्तीय निगमों को नौवें दशक की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने को तैयार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठासीन हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, चौथे दशक में कई निर्बन्धकारी उपलब्ध विद्यमान थे और आजकल के समय में चौथे दशक के प्रतिबन्ध संगत नहीं हैं। अतः इस कारण मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। यह निश्चय ही एक मौलिक तथा शक्तिशाली विधेयक है जिसके अन्तर्गत ऐसे उपबन्ध हैं कि नौवें दशक की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

महोदय, राज्य वित्तीय निगमों की शेयर पूंजी बढ़ाये जाने का हर प्रयत्न का स्वागत किया जाना चाहिए ताकि वे राष्ट्र के औद्योगिक विकास में तेजी लाने में बेहतर और बड़ी भूमिका अदा कर सकें।

हमें एककों को धन उपलब्ध करने तथा सहायता देने में बढ़ावा देने वाले प्रयासों का स्वागत करना चाहिए।

महोदय, मैं आमतौर पर विधेयक के उपबन्धों से सहमत हूं। मैं केवल एक चेतावनी देने को खड़ा हुआ हूं। हमें बताया गया है कि विद्यमान अधिनियम में सहायता देने के लिए औद्योगिक गृहों पर प्रतिबन्ध है अर्थात् केवल उन्हीं औद्योगिक गृहों को सहायता दी जा सकती है जिनकी प्रश्न पूंजी एक करोड़ तक है। अब उस सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपया करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में अब राज्य वित्तीय निगम के लिए 30 करोड़ रुपए की पूंजी वाले उद्योगों को सहायता दे सकेंगे। मैं सादर निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक वित्तीय निगमों का प्रदत्त है हमारा एक सामाजिक दायित्व है। उनका मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता देना है। अब यह छूट दी जा रही है जिससे वे भारी उद्योग क्षेत्र द्वारा ऋण की सहायता कर सकते हैं। इस छूट के बारे में मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि लघु उद्योग क्षेत्र की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इस बात पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए। आज की स्थिति में भी लघु उद्योग क्षेत्र अपने को उपेक्षित अनुभव करता है। लघु उद्योग क्षेत्र की एक मांग यह रही है कि लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता के लिए एक अलग वित्तीय एजेंसी होनी चाहिए। इसके विपरीत अब स्थिति यह है कि वे वित्तीय संस्थाएं भी हैं जिन्हें छोटे उद्योगों की सफलता के लिए बनाया गया है, बड़े उद्योग गृहों की सहायता करने की सोच रही है। अब तक अच्छा कार्य किया गया है। राज्य वित्तीय निगम लघु उद्योग क्षेत्र की सेवा में अच्छा कार्य करते रहे हैं। मैं देखता हूं कि वित्तीय निगमों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता का भाग बढ़ता रहा है। 1979-80 में राज्य वित्तीय निगमों द्वारा दी गई कुल सहायता का 63.1 प्रतिशत उन्हें मिला था। 1980-81 में प्रतिशत बढ़कर 67.7 हो गया। 1981-82 में बढ़कर 69.5 हो गया। अब लघु उद्योग क्षेत्र की सहायता के लिए एक स्वस्थ प्रवृत्ति पाते हैं। परन्तु अब श्रीमान्, राज्य वित्तीय निगमों द्वारा 30 करोड़ तक के औद्योगिक गृहों को सहायता दिए जाने की व्यवस्था किए जाने से मुझे भय है कि लघु उद्योग क्षेत्रों तथा शिक्षित बेरोजगारों तथा अन्यों को हानि होगी।

अतः चेतावनी देते समय, मेरा तर्क है कि मूलभूत औद्योगिक 'कल्चर' अप्रभावी रहे। हमारे यहां एक मूलभूत औद्योगिक 'कल्चर' है। हम चाहते हैं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में लघु उद्योग क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करें।

अतः इस विधेयक का स्वागत करते हुए, मैं चेतावनी देता हूं तथा मेरा सुझाव है कि प्राथमिकताओं आदि के बारे में नियम केन्द्रीय सरकार स्वयं निर्धारित करे ताकि मूलभूत औद्योगिक 'कलचर' अप्रभावी रहे।

वसूलियों की बात भी मैं अवश्य करना चाहूंगा। 1977 और 1982 के बीच वित्तीय निगम द्वारा वसूल की जाने वाली राशि में वृद्धि हुई है। कुछ सदस्यों का कथन है कि यह नाममात्र रही है। परन्तु यह 92 करोड़ से बढ़कर 262 करोड़ रुपए हो गई है।

इस संशोधन विधेयक द्वारा सुरक्षापरक दृष्टिकोण को बदल कर परियोजनापरक दृष्टिकोण अपनाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं किन्तु इसके साथ ही वित्तीय निगमों द्वारा डिबेंचर जारी किए जा सकते हैं जिसके लिए राज्य सरकारों द्वारा गारन्टी किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

एक और तो आप पाते हैं कि नीति परिवर्तन अत्यन्त जोखिम भरे हैं। हम देखते हैं कि नीति परिवर्तन वित्तीय निगमों को अधिकाधिक ऋण लेने की अनुमति देने हेतु किए जाते हैं और उसी के साथ-साथ हम इस शर्त-विशेष में छूट दे रहे हैं कि वित्तीय निगमों द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्रों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिभूति करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था के वित्तीय पक्ष के लिए अच्छा नहीं होगा और इसलिए सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

इस चेतावनी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

5.13 म० प०

प्रधान मंत्री की हाल की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के गत सत्र के बाद अपनी विदेश यात्राओं के बारे एक वक्तव्य देने और माननीय सदस्यों को, जिन देशों की मैंने यात्रा की, उनके नेताओं से हुई अपनी बातचीत का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

मैंने 21 से 26 मई तक सोवियत संघ की राजकीय यात्रा की और वहां से एक दिन के लिए 2 जून को बंगलादेश चला गया। 5 जून से 18 जून तक मैंने मिस्र, फ्रांस, अल्जीरिया, संयुक्त राज्य अमरीका और स्विटजरलैंड में जेनेवा का दौरा किया।

जैसा कि सभा को मालूम है कि सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्ध सदैव से ही बहुत अच्छे रहे हैं और मेरी यात्रा से उस देश के साथ हमारी मैत्री और पारस्परिक सहयोग की भावना और मजबूत हुई है।

सोवियत संघ में, मेरा विशेष रूप से गर्मजोशी के साथ सत्कार किया गया और मेरी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव श्री मिखाइल गर्बाचेव के साथ अनेक बैठकें ई जिसमें उन्होंने इस बात को दोहराया कि सोवियत संघ भारत के साथ उच्च स्तरीय सम्पर्क को महत्व देता है और भारत के साथ मित्रता का विस्तार करना चाहता है। मैंने भी भारत की जनता और सरकार द्वारा आपसी सम्बन्धों को दिए जाने वाले उच्च महत्व का उल्लेख किया।

हमारी बातचीत बहुत ही सौहार्दपूर्ण और व्यापक रूप से हुई जिसमें द्विपक्षीय सम्बन्धों और महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को लिया गया था। जहां तक सोवियत संघ और भारत के बीच सम्बन्धों का प्रश्न है, हम विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे वर्तमान सहयोग को बढ़ाने और उसे दीर्घ-कालीन बनाने पर सहमत हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर जो चर्चा हुई इसमें विश्व शान्ति और निरस्त्रीकरण, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया, ईरान और इराक की घटनाएं शामिल थीं। हमने उनसे उन प्रयासों का उल्लेख किया जो हम अपने पड़ौसी देशों के साथ मित्रता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के चेयरमैन के रूप में जो पहल कर रहे हैं। मैं सोवियत संघ की मन्त्री परिषद के चेयरमैन, श्री निकोलई तिखोनोव, भूतपूर्व विदेश मंत्री

और अब सोवियत संघ के राष्ट्रपति श्री अन्द्रेई ग्रोमिको तथा अन्य नेताओं से मिला।

मेरी यात्रा के अन्त में जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में हमारी बातचीत के परिणाम को दर्शाया गया है। दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रथम समझौता आर्थिक और तकनीकी सहयोग के बारे में था, जिसके अन्तर्गत सोवियत संघ हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं विशेषकर बिजली, कोयला और पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाओं में सहयोग करेगा। लौह और इस्पात तथा मशीन निर्माण क्षेत्रों में भी सोवियत सहयोग का प्रावधान किया गया है। इस समझौते को पूरा करने के लिए सोवियत संघ एक बिलियन रूबल का ऋण देगा।

दूसरे जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, वह मुख्यतः हमारे दोनों देशों के बीच सन्, 2000 तक चलने वाले आर्थिक विषयों व्यापार, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के बारे में था।

मेरे कार्यक्रम में बाइलोरशयन गणतन्त्र केमिन्सक और किरघिज गणतन्त्र के फरून्जे का दौरा भी सम्मिलित था। सोवियत मित्रता सोसाइटीज संघ और सोवियत भारत मित्रता सोसाइटी द्वारा मास्को में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में हमारी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को मरणोपरान्त लेनिन शक्ति पुरस्कार दिया गया और मास्को में एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया।

मेरे आकलन अनुसार, सोवियत संघ के नेतृत्व द्वारा हमारे विचारों को समझने तथा भारत-सोवियत सदभावना और सहयोग को सौहार्दता के नये स्तर पर पहुंचाने में यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण रही है।

2 जून को बंगलादेश की यात्रा पर जाने का मेरा उद्देश्य, वहां तूफान के कारण हुए भारी सर्वनाश पर वहां की सरकार और जनता के प्रति भारत की विनम्र सहानुभूति प्रकट करना था। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्द्धने महोदय भी, जो कि बातचीत के लिए दिल्ली आए हुए थे, मेरे साथ बंगलादेश गये। हमने बंगलादेश गणतन्त्र के राष्ट्रपति लै० जनरल इरशाद से बातचीत की। यह यात्रा दक्षिण एशिया के देशों के बीच पनप रही एकता की भावना की भी अभिव्यक्ति थी।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में मिस्र और अल्जरिया हमारे बहुत घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी को अप्रैल, 1984 में दोनों देशों की यात्रा पर जाना था, परन्तु नहीं जा सकीं। जब मैंने पदभार संभाला तो उन्होंने नये सिर से निमन्त्रण भेजे।

काहिरा में, राष्ट्रपति हुसनी मुबारक ने बड़ी ही गर्म जोशी और सौहार्दता से मेरा स्वागत किया और दोनों ही अन्तर्राष्ट्रीय तथा पारस्परिक मामलों पर गहराई से वार्तालाप किया। मिस्र ने विशेष रूप से गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की हमारी अध्यक्षता, निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने में हमारी भूमिका तथा ईरान-इराक युद्ध की शीघ्र समाप्ति हेतु किए गए हमारे प्रयासों की सराहना की। एक दूसरे के निकट सहयोग करने और पश्चिम एशिया के प्रश्न पर सम्पर्क बनाए रखने की आवश्यकता पर एक समझौता हुआ। हमने पारस्परिक आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को अधिकाधिक बढ़ाने की आवश्यकता पर भी समझौता किया। यह निर्णय किया गया कि अक्तूबर, 1985 में, भारत

मिस्र संयुक्त आयोग की सम्भावित प्रथम बैठक में सम्भावनाओं का और अधिक ठोस रूप से पता लगाया जाय। मैंने मिस्र के प्रधान मंत्री श्री कमाल हसन अली महोदय से भी बातचीत की।

अल्जीरिया में, मैंने राष्ट्रपति श्री चान्दली बेन्डजेडीड महोदय से पारस्परिक और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विस्तार से बातचीत की। बातचीत बड़ी मैत्रीपूर्ण और उन्मुक्त वातावरण में हुई। आपसी हित के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचारों में समानता थी और हम विशेषकर गुट-निरपेक्ष मामलों पर निकट सम्पर्क बनाए रखने पर सहमत हुए। यह समझौता भी हुआ कि दोनों देशों के विदेश कार्यालयों के मध्य प्रतिवर्ष वैकल्पिक रूप से अल्जीयर्स और नई दिल्ली में विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक ऐसी संस्था बनायी जाए जो यह कार्य करे। मैंने वहां के प्रधान मंत्री श्री अब्देलहमीद ब्राहीमी से भी बातचीत की।

दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए हमने अल्जीरिया से पांच लाख टन कच्चे तेल खरीदना स्वीकार किया। अल्जीरिया भारत को व्यापारिक ठेकों और परियोजनाओं के मामले में उच्च प्राथमिकता देने को तैयार है।

पश्चिमी सहारा के प्रश्न पर हमने पोलिसारियो के प्रति अपनी सहानुभूति और समर्थन को दोहराया।

मुझसे एस० ए० डी० आर० के प्रधान मंत्री और पोलिसारियो की कार्यकारणी के सदस्य श्री महफूद अली बेलबा मिले। उन्हें यह बताया गया कि नवम्बर, 1984 में 20 वें ओ० ए० यू० शिखर सम्मेलन में एस० ए० डी० आर० के भाग लेने के बाद से, हमारे सम्बन्धों का दर्जा बढ़ा है पर सक्रिय रूप से विचार किया जाता रहा है।

फ्रांस की मेरी यात्रा, जनवरी, 1980 में राष्ट्रपति गिस्कार्ड डी इस्टेंग की भारत यात्रा, नवम्बर, 1981 में स्व० प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की फ्रांस यात्रा, नवम्बर, 1982 में राष्ट्रपति मित्तरां की भारत यात्रा तथा सितम्बर, 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी का पेरिस में यात्रा-मध्य में रुकने से लेकर उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान की एक अगली कड़ी है। मेरी यात्रा बहुत उपयोगी सिद्ध हुई और अधिक गतिशील पारिस्परिक सम्बन्धों की नींव और मजबूत हुई।

राष्ट्रपति मितरां और मैंने विश्व स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देने तथा विकसित एवं विकासशील देशों के बीच और अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महती आवश्यकता का जायजा लिया। मैंने वहां के प्रधान मंत्री श्री लौरेन्ट फेबियस से भी विस्तृत बातचीत की।

अपनी बैठकों में, मैंने अपने पारस्परिक सम्बन्धों के राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं को सन्तुलित ढंग से विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। फ्रांसीसियों ने हमारी विचारधारा के प्रति उल्लेखनीय स्वागत भाव प्रदर्शित किया गया।

यात्रा के दौरान, फ्रांस से हमारे दो समझौते हुए हैं; जिनमें एक है भारत में उच्च स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत-फ्रांस केन्द्र स्थापित करना और दूसरे समझौते में शहरी मलबे को ऊर्जा में बदलने और गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने में फ्रांसीसी सहयोग का प्रस्ताव। अनेक क्षेत्रों में, सर्वांगीण भारत-फ्रांस आर्थिक सहयोग के उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ने की आशा है।

मैंने 7 जून को भारत महोत्सव का उद्घाटन किया और जैसा कि सदस्यगण जानते हैं यह महोत्सव सन 1986 के मध्य तक चलेगा और यह फ्रांसीसी जनता पर पहले ही उल्लेखनीय प्रभाव डाल चुका है।

पेरिस में, मैंने 'यूनेस्को' की सम्बोधित किया और वह संस्था जो कार्य कर रही है, उसके प्रति अपना समर्थन दोहराया।

11 से 15 जून तक अमरीका की मेरी यात्रा सर्वाधिक उपयोगी रही।

मुझे महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों तथा परमाणु आयुध तैयार करने की पाकिस्तानी योजनाओं और कुछ आतंकवादी तत्वों के क्रियाकलापों के समाचारों जैसे भारत के लिए तुरन्त चिन्ताजनक मामलों पर भी राष्ट्रपति रीगन से विचारों के आदान-प्रदान का अवसर मिला। बातचीत गर्मजोशी और खुले दिमाग से हुई।

मैंने भारत के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आतंकवादी हिंसा का मुकाबला करने में राष्ट्रपति द्वारा निकट सहयोग की इच्छा का स्वागत किया

मैंने पाया कि राष्ट्रपति और उनके सलाहकारों में, हम जो कुछ भारत में करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके प्रति बहुत ही भारी रुचि और सदभावना है। कई क्षेत्रों में नीति और दृष्टिकोण विषयक मतभेद होने पर भी मैंने यह अनुभव किया कि हम विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हम इन उच्च स्तरीय सम्बन्धों को महत्व देते हैं और वार्तालाप को जारी रखना चाहेंगे। मेरा विश्वास है कि अपनी सदभावना और सहयोग को विस्तार देने हेतु इन नीवों पर निर्माण का अच्छा अवसर है।

माननीय सदस्यों ने मेरी अमरीका यात्रा के बाद जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य की विषय-वस्तु को देखा होगा, जिसमें आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग के कुछ क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। हमने तीन वर्षों के लिए और आगे वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय करने, टीका कार्यक्रम आरम्भ करने, दीर्घकालीन अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम तथा वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी की प्रगति हेतु कार्यक्रम जैसे सहयोग के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को चुना है।

मुझे कांग्रेस की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करने का निमन्त्रण देकर भारत को सम्मानित किया गया। मेरी प्रशासन के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ-साथ विख्यात वैज्ञानिकों, प्रेस के नेताओं तथा अमरीका वाणिज्य चैम्बरों से भी बातचीत हुई।

वाशिंगटन और हौस्टन दोनों नगरों में भारतीय समुदाय के साथ समारोह आयोजित किये गये। उप-राष्ट्रपति बुश ने हौस्टन तक मेरे साथ जाने की कृपा की, जहां पर मैंने 'नासा' का संक्षिप्त दौरा किया। मेरे कार्यक्रम की मुख्य घटना थी भारत महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन जिसे श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति को समर्पित किया गया था। राष्ट्रपति रीगन ने इसका इन शब्दों में उल्लेख किया था "एक अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी उत्सव।"

माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति रीगन की हाल ही में हुई शल्य-चिकित्सा के बारे में पढ़ा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरा सदन राष्ट्रपति रीगन, श्रीमती रीगन और अमरीका की जनता को, राष्ट्रपति महोदय के पूर्ण और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारी शुभ कामनाओं को प्रेषित करने में मेरे साथ है।

अमरीका से वापस आते समय मैं एक दिन जेनेवा में रुका जहां मुझे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संबोधित करने का अवसर मिला। अपने भाषण में मैंने संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए भारत की वचनबद्धता को दोहराया तथा संपूर्ण संसार में असंगठित श्रमिकों की सेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा महान कार्य करने का अनुरोध किया।

5.25 म० प०

राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक

—जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम चर्चा जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया गया है, इसमें कई नई धाराएं जोड़ी जा रही हैं। आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि यह कानून जिस मकसद से बनाया गया था, वह मकसद यह था कि देश में अलग-अलग स्टेट्स के अन्दर इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा इमदाद दी जा सके और देश को खुशहाल बनाने में ज्यादा सहयोग दिया जाए। शुरू में इसके लिए जिस प्रकार की व्यवस्था हुई है, उससे इंडस्ट्रियल डवेलपमेंट काफी हद तक आगे बढ़ा है, मगर इसके बावजूद भी हमें डवेलपमेंट के संबंध में और भी काम करना है। इसके लिए आज जो फाइनेंशियल इंस्टीचूशन्स की हालत है, वह उसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए इसके अधिकार क्षेत्र, पैसा, पावर और दूसरी सब चीजों को बढ़ाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए ये जो अमेंडमेंट्स आए हैं, वे निश्चित तरीके से इंडस्ट्रीज के डवेलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से स्माल स्केल सैक्टर और मीडियम सैक्टर में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा।

5.27 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इन अमेंडमेंट्स के जरिए जिस प्रकार की एक्टिविटीज को बढ़ाने की बात कही गई है, उसमें "इंडस्ट्रियल-कंसर्न" की डैफिनिशन दी गई है :—

[अनुवाद]

"सब प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों की वित्तीय सहायता करना अथवा नौवहन के लिए वित्त की व्यवस्था अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं करेंगी।"

[हिन्दी]

इसी तरीके से तमाम इंडस्ट्रीज को इस फाइनेंशियल कारपोरेशन के जरिए फाइनेंस की मदद करने के लिए जो प्रावधान किया गया है, वह बहुत ही स्वागतयोग्य कदम है। इसी की वजह से इंडस्ट्रियल डवेलपमेंट ऐक्ट काफी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से जो दूसरा अमेंडमेंट इन्होंने किया है, वह है :—

[अनुवाद]

"वित्तीय नियमों के बढ़ते हुए व्यापार को ध्यान में रखते हुए वित्तीय निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए अथवा इससे भी अधिक 100 करोड़ रुपए की सीमा तक करने का प्रस्ताव है।"

[हिन्दी]

पहले जो लिमिट थी, वह बहुत ही मामूली था और इसकी वजह से सभी इंडस्ट्रीज को पूरी मदद नहीं की जा सकती थी। इसलिए इसकी जो लिमिट बढ़ाई गई है, वह निश्चित तरीके से स्वागतयोग्य है। इसके जरिए से फाइनेंशियल इंस्टीचूशन्स अलग-अलग इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे और उसके जरिए से प्रोडक्शन बढ़ेगा और देश के हालत सुधरेंगे। यह भी सही है कि जितना इंडस्ट्रीज के संबंध में, हम उनको डवेलप करने के बारे में बात करेंगे, और जितना उसको बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा मजदूर को मजदूरी मिलेगी और उसके साथ-साथ इंडस्ट्रियल आउटपुट भी इतना हो जाएगा, जितना हम बढ़ाना चाहते हैं। इसकी वजह से आज हमारे देश के अन्दर जो हालात हैं, उन हालात में भी काफी सुधार आएगा और हमारा डवेलपमेंट तेजी के साथ बढ़ेगा।

इस तरीके से तीसरा अमेंडमेंट किया है, वह यह है :—

[अनुवाद]

"लघु उद्योग निगम, आदि जो वित्तीय निगमों के शेयर खरीदने के पात्र हैं और इस प्रकार से वे औपचारिक रूप से इनसे सम्बद्ध हो जाते हैं।"

[हिन्दी]

यह कदम भी एक स्वागत योग्य कदम है, इसके जरिए से स्माल सैक्टर के इंस्टीचूशन्स इससे जुड़ जाएंगे और काफी बड़ी इमदाद मिलेगी। इससे हमारी स्माल स्केल इंडस्ट्री को काफी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उनकी वजह से हमारे लोगों को पनपने और हमारी इंडस्ट्री को तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

पहले किसी भी फाइनेंशियल कारपोरेशन का राज्य सरकार की गारन्टी के बिना अपनी तरफ से फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता था। लेकिन अब जो अमेंडमेंट की जा रही है इससे उनको अपने रिसोर्सेज मोबिलाइज करने का अधिकार मिल जाएगा।

[अनुवाद]

"बाण्ड और डिबेंचर जारी करके और जमा राशि, जिनकी राज्य सरकारों द्वारा

गारण्टी नहीं हो सकती है, इकट्ठा करके साधन जुटाने के लिए उन वित्तीय निगमों को अनुमति देने का प्रस्ताव है जो अपनी कार्यकुशलता और लाभ के आधार पर ऐसा करने की स्थिति में हैं।"

[हिन्दी]

फाइनेंशियल कारपोरेशन को अब जो अधिकार दिया गया है इसका मतलब है अब वे अपने रिसोर्सेज से अपने काम को बढ़ा पाएंगे जिससे हमारे स्माल और मीडियम स्केल सैक्टर को उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

पहले उनको जो लोन मिलता था उसमें फोलो-अप का काम ठीक तरीके से नहीं हो पाता था लेकिन अब इसके अन्दर जो फोलो-अप का प्रोग्राम रखा है वह बहुत आवश्यक है। उसके बिना आगे बढ़ोत्तरी नहीं हो सकती है। इसके जरिए देखा जा सकेगा कि उस यूनिट को कितने पैसे की जरूरत है जिससे उसको रा-मैटीरियल और दूसरी सुविधाएं मिल सकेंगी। किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हुए जब मशीनरी पुरानी पड़ जाती है तो उसके उत्पादन में गिरावट आने लगती है तथा उसके माडर्नाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह के यूनिटों को सहायता दिलवाने की जो व्यवस्था इस बिल में की गई है उससे इंडस्ट्री के डवेलप होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। यह बहुत अच्छा प्रावधान इस बिल में किया गया है जिसके जरिए हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी तरह से :

[अनुवाद]

"इस अधिनियम में वित्तीय निगमों द्वारा अपनी चुकती शेयर पूंजी के नब्बे प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति रिजर्व बैंक से ऋण लेने की सीमा निर्धारित की गई है। यह सीमा बढ़ाकर चुकती शेयर पूंजी के दुगुने तक करने का प्रावधान है, ताकि ऋण द्वारा वे अपने संसाधन बढ़ा सकें।"

[हिन्दी]

यह जो प्रावधान किया गया हैं इससे पैड-अप कैपिटल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेरी दृष्टि से यह व्यवस्था बहुत सराहनीय हैं।

इस तरह से इसमें जो यह व्यवस्था की गई है कि रिसर्च डवेलपमेंट, मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा, यह भी बहुत सराहनीय प्रयास है। इससे हमारी इंडस्ट्री को निश्चित तरीके से लाभ मिलेगा।

इसी तरह से—

[अनुवाद]

"इससे अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें विपणन और निवेश के संबंध में अनुसंधान और सेवा करने, तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करने, औद्योगिक उपक्रमों को तकनीकी प्रशासनिक सहायता प्रदान करने, उद्योगों के समर्थन और विकास की योजना बनाने और उन्हें सहायता देने, विनिमय पत्रों, प्रामिसरी नोटों, आदि के भुनाने में मदद मिलेगी।"

[हिन्दी]

बिल में इस तरह की व्यवस्था से हमारी इन्डस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा होगा।

इन सब बातों को देखते हुए इस अमेंडिंग बिल को डवेलपमेंट ओरिएन्टेड बिल कहा जा सकता है। जिससे हमारे देश के स्माल सैक्टर और मीडियम सैक्टर को बहुत बड़ा लाभ होगा। हमारे कुछ साथियों ने इस बिल का क्रिटिसिज्म करते हुए कहा कि इसको सौ करोड़ तक बढ़ाया गया है। जिसका परिणाम यह होगा कि हमारे स्माल और मीडियम सैक्टर की तरफ कम तवज्जह दी जाएगी और बड़ी इन्डस्ट्रीज की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बल्कि ज्यादा पैसा लम्प-सम के रूप में बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज ले जायेंगी और छोटी इन्डस्ट्रीज की अब तक जो मदद की जाती थी, उसमें कमी आ जाएगी। मैं यह समझता हूं इस अमेंडमेंट की मन्शा यह नहीं है, बल्कि स्माल और मीडियम सैक्टर में जो मदद दी जाती है उसमें कोई कमी नहीं होगी बल्कि इस रकम के बढ़ाने से बड़ी इन्डस्ट्रीज को भी मदद मिल सकेगी, क्योंकि दूसरी फिनेंशियल इन्स्टीचूशन्स से पैसा लेने में काफी दिक्कत होती है और बड़ी मुश्किल से पैसा मिलता है। स्टेट्स की जो फाइनेन्शियल कारपोरेशन्स हैं, उनकी व्यवस्था को आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए यह जो व्यवस्था इस बिल के जरिए से कर रहे हैं, उससे हमारे इंडस्ट्रियल आऊटफुट को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और बहुत बड़ा फायदा होगा।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बहुत-सी फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स ऐसी हैं, जिनकी डिस्ट्रिक्टवाइज अपनी शाखाएं खुली हुई हैं और वहां पर जो लोन दिया जाता है, उसको लेने में बड़ी दिक्कतें आती हैं।

मेरा सुझाव यह है कि कोई टाइम लिमिट निश्चित तरीके से बांधी जानी चाहिए कि इतने टाइम के अन्दर स्माल स्केल सैक्टर की इडस्ट्री को या मीडियम स्केल सैक्टर की इडस्ट्री को पैसा मिल जाएगा और उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

आपने इसमें एक यह भी प्रावधान किया है कि एक ही विन्डो पर सब प्रकार की व्यवस्था हो जाए। आज एक नई इंडस्ट्री लगाने वाले को कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। जमीन कहीं से मिलती है, पानी कहीं से मिलता है, बिजली कहीं से मिलती है और रा-मैटीरियल कहीं और से मिलता है। सारी चीजें अगर एक ही विन्डो से उपलब्ध हो जाती है, तो निश्चित तरीके से नई इंडस्ट्री के सैट-अप होने में बहुत बड़ा लाभ इसके जरिए से मिलेगा और इस प्रकार की व्यवस्था अगर इस एमेंडिंग बिल के जरिए से होती है, तो उससे हमार इंडस्ट्रियल मैट-अप को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा मगर इस सम्बन्ध में, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्माल स्केल सैक्टर में जिन लोगों को पैसा दिया है, उनका फालो अप प्रोग्राम हमारा होना चाहिए। जो पैसा हमने दिया है, वह वाकई में इंवेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है और उसके जरिए से उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है और इंडस्ट्री चल रही है या नहीं चल रही है, उनको जोरा मैटीरियल मिला है, उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब चीजों को देखना चाहिए क्योंकि बहुत सी ऐसी यूनिट्स हैं, जो रा मैटीरियल को ब्लैक में बेच देती हैं और थोड़ा बहुत रुपया इंवेस्ट करके बाकी जो पैसा होता है, उसको हज्म कर जाती हैं। इस प्रकार की बहुत सारी यूनिट्स हैं, जिनके आंकड़े यहां पहले भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं और हजारों की तादाद में हर स्टेट में आपको सिक इंडस्ट्रीज मिलेंगी। उन सिक इंडस्ट्रीज के बारे में अभी तक ठीक प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो

पाई है। उनका फालो अप प्रोग्राम अगर फाइनेन्शियल कारपोरेशन्स से नहीं होता है, तो ऐसी यूनिट्स बन्द हो जाती है और जो पैसा हमने इंवेस्ट किया है, वह उनमें नहीं लगता है और इस वजह से इंडस्ट्रियल आऊटपुट भी होता है। लेबर आरिएन्टेड व्यवस्था हम करना चाहते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पलायमेंट मिले। वह व्यवस्था भी गड़बड़ हो जाती है। इसके सम्बन्ध में विशेष तौर पर इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सिक इंडस्ट्रीज के संबंध में आप क्या व्यवस्था करेंगे और किस तरह से उसको वापस अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई प्रावधान इसके बारे में होना चाहिए था ताकि जो पैसा हम इंवेस्ट करते हैं, उसका रिटर्न हमें मिले और देश को उसका फायदा मिले। इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित तरीके से होनी चाहिए ताकि इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट जो अभी तक 4.5 परसेन्ट हुआ है और हमारा प्रोग्राम उसको 9 पर सेन्ट तक पहुंचाने का है, उसमें हमें सफलता मिले। यह तभी संभव हो सकता है जबकि फालो अप प्रोग्राम में इस सारी व्यवस्था को रखा जाए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आप एरियर्स को लैंड रेवेन्यू के तहत वसूल करेंगे लेकिन लैंड रेवेन्यू के तहत कैसे वसूल करेंगे जबकि इंडस्ट्री सिक हो जाती है। इंडस्ट्री सिक हो जाने के बाद पेमेन्ट करने को कोई पैसा नहीं रहता है। ऐसी हालत में या तो आप इंडस्ट्री को टेक ओवर कीजिए ताकि उसको सरकार चला सके या अन्य आदमी को दे कर उसको चलाया जाए वरना जो आपके एरियर्स हैं, वे सिक इंडस्ट्रीज से वसूल नहीं होंगे। इसलिए यह जो इसमें प्रावधान किया गया है, यह सूट नहीं करता है। इसमें कोई न कोई स्ट्रिजेन्ट व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर कोई भी इंडस्ट्री सिक होती है और उसके ऊपर एरियर्स हो जाते हैं, तो उस इंडस्ट्री को सरकार या फाइनेन्शियल कारपोरेशन अपने तौर पर टेक ओवर करे। इस प्रकार की व्यवस्था अगर होती है, तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और जो इंडस्ट्री सिक हो जाती है, वह सिक भी नहीं होगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, स्टेट फिनेन्शल कारपोरेशन बिल सदन में रखा गया है उससे ज्यादा कर्जा देने और ज्यादा पूंजी बढ़ाने की सुविधा दी गई है। इसमें इस बात का भी प्रावधान होना चाहिए कि जब हम इंडस्ट्रीयल लाइसेंस देते हैं तो इस बात को भी देखा जाए कि जो चीजें छोटी इंडस्ट्रीज बनाती हैं वे चीजें बड़ी इंडस्ट्री के बनाने से दोनों के भाव में फर्क हो जाता है। जब दोनों वस्तुओं के भाव में फर्क हो जाता है तो उनकी मार्किटिंग की भी प्रोब्लम आती है। इससे छोटी इंडस्ट्रीज सिक हो जाती हैं। इसलिए इंडस्ट्रिल लाइसेंस देने वाली बोडी और फाइनेंस कारपोरेशन के बीच में तालमेल होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारा बिजली का बल्ब छोटी इंडस्ट्रीज भी बनाती हैं और हजारों और लाखों की तादाद में एच० एम० टी० भी बनाती है। उन दोनों की उत्पादन लागत में फर्क होता है। छोटी इंडस्ट्रीज का बल्ब ज्यादा भाव होने से बिक नहीं पाता और इस कारण से छोटी इंडस्ट्री सिक हो जाती है।

इसलिए मेरा कहना है कि जो वस्तुएं छोटी इंडस्ट्रीज में तैयार होती हैं उनको बड़ी इंडस्ट्रीज में तैयार करने का लाइसेंस नहीं देना चाहिए और न ही बड़ी इंडस्ट्रीज को इसके लिए कर्जा देना चाहिए। क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज में उस वस्तु का लागत मूल्य

कम आएगा और छोटी इंडस्ट्रीज में ज्यादा आएगा। इससे छोटी इंडस्ट्रीज बड़ी इंडस्ट्री को मार्केट में बीट नहीं कर सकेगी। जब आप छोटी इंडस्ट्री को लोन दें तो उस इंडस्ट्री में तैयार होने वाली वस्तु को बड़ी इंडस्ट्री में तैयार करने का लाइसेंस न दें। उनको लोन भी नहीं देना चाहिए और लाइसेंस भी नहीं देना चाहिए।

लाइसेंस देने के बारे में एक अजीब बात देखने में आती है। आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट इंडस्ट्रीज के कई लाइसेंस पैंडिंग पड़े हुए हैं। उनको इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन लोन देने से इंकार कर रहा है। आन्ध्र प्रदेश सरकार उनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है, डी० जी० टी० डी० उनको लाइसेंस देता है। इसके बारे में आपके फाइनेंस कारपोरेशन को भी सोचना चाहिए। लाइसेंस देने के वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लाखों रुपया खर्च होता है। लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी अगर फाइनेंस कारपोरेशन लोन नहीं देता है तो वह लाखों रुपया व्यर्थ हो जाता है इसलिए इस बारे में भी ध्यान रखना चाहिए।

फाइनेंस कारपोरेशन वाले लारी के लिए तो लोन देते हैं लेकिन ट्रैक्टर के लिए लोन नहीं देते। ट्रैक्टर भी एग्रीकल्चर में ट्रांस्पोर्ट का काम करता है। इसलिए फाइनेंस कारपोरेशन वालों को ट्रैक्टर के लिए भी लोन देना चाहिए।

हम देखते हैं कि बड़े शहरों में लारियां ट्रांस्पोर्ट के काम में आती हैं और छोट-छोटी लारियां भी काम में आती हैं। जो शहर से बाहर के इलाके हैं वहां से छोटे-छोटे शहरों में माल लाने ले जाने में ट्रैक्टर भी ट्रांस्पोर्ट का कर सकते हैं। इसलिए फाइनेंस कारपोरेशन को ट्रैक्टरों के लिए भी लोन देना चाहिए।

इसी प्रकार फाइनेंस कारपोरेशन फिल्म बनाने वालों को लोन देता है लेकिन उनको बेचने वालों को लोन नहीं देता है। फिल्म बनाने वालों, स्टूडियो, केमरामैन को लोन देता है मगर जो फिल्म को दिखाते हैं, सिनेमाहालों में दिखाते हैं उनको लोन नहीं देता है। सिनेमाहालों को लोन नहीं देता है। अगर फिल्म को दिखाने वालों को लोन नहीं देंगे तो फिल्में कम बनेंगी। इससे आपके लोन का रिपेमेंट भी देर से होगा। इसलिए आपको सिनेमाहाल वालों को भी लोन देना चाहिए क्योंकि उनमें डे-टू-डे पेमेंट करना होता है।

इसी प्रकार से आल इंडिया लेवल पर और आन्ध्र प्रदेश में भी जो राइस मिलें हैं उनको लोन नहीं दिया जा रहा है। वे एग्रीकल्चर सामान प्रोड्यस करती हैं। हमारे यहां नागार्जुनसागर क्षेत्र में जिले-जिले और गांव-गांव में पैंडी का प्रोडक्शन होता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति के लिए हमें एग्रो-बेस्ट इंडस्ट्रीज को लोन देना चाहिए। इनके बिना गांवों की उन्नति नहीं हो सकती है। एग्रो बेस्ट इंडस्ट्रीज को अगर लोन नहीं देते हैं तो फिर किसके लिए देंगे, किसके काम में आएगा? इसलिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को लोन देना जरूरी है। इसी तरह से पोल्ट्री फार्म के लिए भी बड़े पैमाने पर लोन देना चाहिए। इन सब चीजों से ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति होगी।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार): महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कोरम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजायी जा रही है। अब कोरम हो गया है। माननीय सदस्य श्री जंगा रेड्डी अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : बैंक से लोन लेते हैं, फिर आई० पी० पिटीशन लगाकर फाइनेंशल कारपोरेशन में जाते हैं, इस तरह से सब चीजों को देखकर आपको लोन देना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति के लिए एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज को टाप-प्रायरटी देनी जरूरी है। इतना कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, इस संशोधन के जरिए माननीय वित्त मन्त्री जी ने बजट प्रस्तावों में इंडस्ट्रियलाइजेशन के पेस को तेज करने का जो वादा किया था, उसके लिए रास्ता खोला है और मैं समझता हूं कि इस संशोधन के बाद माननीय वित्त मन्त्री ने राज्यों के जो वित्त निगम हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है। क्योंकि आज तक राज्यों के द्वारा बराबर इस बात की मांग होती थी कि 1951 के इस ऐक्ट के कुछ प्रावीजन्स ऐसे हैं, जिनकी वजह से उनके वित्त निगम ठीक से काम नहीं कर पाते। मैं समझता हूं कि इस संशोधन के बाद वे सारी दिक्कतें दूर होंगी।

इस वक्त जो सबसे बड़ी दिक्कत इंटरप्रनर्स के सामने आती है वह गारण्टी की है। फाइनेंशल कारपोरेशंस गारण्टी पर जोर देते हैं, जिस प्रकार बैंक्स गारण्टी पर जोर देते हैं, इसी तरह से फाइनेंशल कारपोरेशंस भी जोर देते हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि राज्यों के वित्त निगम इंटरप्रनर्स को जो भी ऋण देते हैं, वह आई० डी० पी० आई० द्वारा रीफाइनांस हो जाता है, दूसरी वित्तीय संस्थाओं द्वारा री-फाइनांस हो जाता है, इसलिए राज्यों पर जोर दिया जाना चाहिए कि उनके फाइनेंशल कारपोरेशंस गारण्टी पर जोर न दें। जैसा कि और मेंबर साहेबान ने कहा है कि इनको रिस्क ओरिएंटेड होना चाहिए। जब हम चाहते हैं कि बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज लगे और नए-नए लोग इस क्षेत्र में आएं तो उसके लिए हमको किसी न किसी प्रकार का रिस्क जरूर उठाना पड़ेगा। राज्यों के वित्त निगमों की स्थापना इसी प्रकार का रिस्क उठाने के लिए की गई थी। अगर वे इसके लिए तैयार नहीं हैं तो उनके बनाने के पीछे जो मंशा थी, वह पूरी नहीं हो पायेगी। एक व्यक्ति जो अपना उद्योग लगाना चाहता है और उसके लिए अर्जी देता है तो उसको पैसा मिलने तक इतना समय बीत जाता है कि उसकी रुचि ही समाप्त हो जाती है। फाइनेंशियल कारपोरेशन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के उपर जिम्मेदारी डाल देता है। यह कहा जाता है कि उसने तो समय पर पूरी जिम्मेदारी कर दी है। आई० डी० बी० आई० के साथ बात-चीत चल रही है इसलिए उसमें देर लग रही है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अर्जी से लेकर ऋण मिलने तक एक समयबद्धता होनी चाहिए ताकि समय पर ऋण मिल सके और जिस मकसद से वह व्यक्ति इंडस्ट्री लगा रहा है, वह पूरा हो सके। इसके लिए जरूरी है कि विभिन्न राज्यों में जो फाइनेंशियल कारपोरेशन्स हैं, उनके पास विशेषज्ञ हों, जो लोगों को प्रोपर गाइड करें। जो पहली बार उस क्षेत्र में आ रहा है, उसको गाइड करें। जो अनुभवी लोग हैं, हो सकता है। उनको मार्किट की जानकारी हो लेकिन नए व्यक्ति को नहीं हो सकती है। इस संशोधन के जरिए आपने सबसिडी को चेनेलाइज करने की बड़ी सेवा की है। हिल एरियाज में जैसे ट्रांसपोर्ट और इन्वेस्टमेंट सबसिडी मिलती है लेकिन उनके मिलने में काफी समय लग जाता है। इसके बाद मुझे उम्मीद है

कम समय लगेगा। आपने वसूलियों को भू-राजस्व की तरह वसूल करने की बात कही है। अपने आप में यह प्रपोजल बहुत अच्छा है। ये जो फाइनेंशियल कारपोरेशन्स हैं उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी भी है। इसमें एक दिक्कत आयेगी और वह यह कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी का दायित्व सौंपा है, वे कौन लोग हैं और किस व्यक्ति की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं या उद्यमी किस प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहा है। अगर सबको एक ही डण्डे से हांकने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं इससे सिक इन्डस्ट्री का परसन्टेज और बढ़ेगा। राज्य सरकारों को वसूल करने के मामले में सहयोग करना चाहिए। साथ-साथ यह गाइड-लाइन्स भी होनी चाहिए कि किस प्रकार की इन्डस्ट्री और किस प्रकार के एन्टरप्रिन्योर से वसूली हो। सबके लिए एक प्रकार का मापदण्ड बनायेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे हमको नुकसान होगा। हमारे जितने भी फाइनेंशियल कारपोरेशन्स हैं उनमें ब्यूरोक्रेटिक कण्ट्रोल बहुत ज्यादा है। उसका सीधा अर्थ यह होता है कि एक व्यक्ति जब भी इंडस्ट्री लगाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको जगह-जगह पर हतोत्साहित करने की कोशिश होती है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि राज्यों को इस बात की सलाह देने की कोशिश करें कि इस कण्ट्रोल को कम करें। आपने जो समितियां बनाने की बात कही है इसमें दो प्रकार का रिप्रेजन्टेशन होना चाहिए। एक तो आफिशियल और दूसरा नान-आफिशियल। अगर इसमें सोशल साइन्टिस्ट नहीं होंगे तो मैं समझता हूं फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या ब्यूरोक्रेट्स बैठा देने से हमारी बहुत अच्छी सर्विस नहीं हो सकती है। मैं एक बार फिर इन संशोधनों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि राज्यों के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली है, उसको वह पूरा करेंगे।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष जी, स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन अमेंडमेंट बिल, 1985 इस समय सदन में डिस्कस हो रहा है और इस पर बहुत से साथियों ने अपने सजेस्शन दिए हैं। सिर्फ इस थोड़े से वकफे में अपने स्टेट में जो फाइनेंशियल कारपोरेशन है, उसके क्रियाकलापों की ओर ही फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

जैसा कि यहां बहुत से साथियों ने पहले ही कहा है, इन फाइनेंशियल कारपोरेशन्स के जरिए जिन लोगों को वास्तव में फायदा मिलना चाहिए, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज वाले, कुछ ट्रांसपोर्टर्स ही इसका फायदा उठा रहे हैं और उनको ही लोन सैंक्शन होते हैं और हर तरह की सहायता मिलती है। दूसरी ओर जो हमारे समाज के डिजर्विंग लोग हैं, जो एजूकेटिड अनएम्पलायड हैं या छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको इन कारपोरेशन्स से कोई सहायता नहीं मिलती। खासूसी तौर पर मैं आपका ध्यान जम्मू कश्मीर स्टेट की फाइनेंशियल कार्पोरेशन की ओर दिलाना चाहता हूं।

जहां तक मेरी कांस्टीट्एंसी लद्दाख का सम्बन्ध है, वह साल में लगभग 6 महीने स्टेट कैपिटल से कट-औफ हो जाती है और वहां के लोगों को लेह और श्रीनगर के बीच उस दौरान दर्जनों बार हवाई जहाज से चक्कर काटना पड़ता है क्योंकि इन कारपोरेशन्स का कोई ब्रांच लद्दाख में नहीं है। इन कारपोरेशन्स का काम करने का ढंग ही निराला है। होना यह चाहिए कि जो भी छोटा एंटरप्रिन्योर हो या लोन लेने वाला हो, उनके लिए कोई एक ऐसी बुकलैट या गाइडलाइन्स होनी चाहिएं जिसमें सारे प्रोसीजर का हवाला दिया गया हो और उनको पता चल सके कि अब उन्हें कौन-सा स्टैप उठाना है, दूसरा काम क्या होगा और उसके बाद क्या करना होगा। यदि उनको ऐसी गाइडलाइन्स मिल जाएंगी तो वे वक्त रहते सारे पेपर्स या डौक्यूमैंट्स बनवा कर प्रस्तुत कर सकते हैं और सारी फारमैलिटीज पूरी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा कोई प्रावधान इन कार्पोरेशन्स में

नहीं है। उसका नतीजा यह होता है कि यदि किसी के फार्म में 5 ऑब्जैक्शन लगाये जाते हैं तो उसको कभी भी पांचों ऑब्जैक्शन्स एक-साथ प्वाइंट-आउट नहीं किये जाते। सबसे पहले उसको एक ऑब्जैक्शन के बारे में बताया जाएगा कि तुम्हारे फार्म में यह चीज करनी है, जब वह उस कमी को दूर करके लायेगा तो उसको ऑब्जैक्शन बताया जाएगा। मतलब यह है कि पांचों ऑब्जैक्शन्स के बारे में अभी उसको इकट्ठा नहीं बताया जाता। यदि उसको पांचों ऑब्जैक्शन्स के बारे में एक बार में ही बता दिया जाता तो उसका काफी समय और पैसा बच जाता। इस तरह से ये कार्पोरेशन्स करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा बनी हुई हैं।

जम्मू कश्मीर फाइनेंशियल कार्पोरेशन इस समय काफी लौस में चल रहा है। जम्मू कश्मीर में कुछ टैंडेंसी इस तरह की है कि किसी न किसी ढंग से पहले लोन ले लिया जाए और बाद में खा लिया जाए···(घण्टी) मैं बस कम्पलीट कर रहा हूं। लेकिन कर्जे की वसूली पर कोई तवज्जह नहीं दी जाती है।

इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस तरफ तवज्जह देनी चाहिए। जैसा यहां पर डोगरा साहब कह रहे थे, उन्होंने बहुत सही प्वाइंट बताया और एक केस का हवाला भी दिया, कि लोन सैंक्शन करने में भी कम्यूनल कन्सीडरेशन किया जाता है और इस कारण माइनौरिटीज के लोगों को बहुत मुश्किल से लोन मिल पाता है। उन्होंने यह भी कहा कि लोन लेने के लिए 7 लोगों ने दरख्वास्त दी, जिनमें से 6 लोग एक कम्यूनिटी से ताल्लुक रखने वाले थे, उनको तो फटाफट लोन सैंक्शन कर दिया गया लेकिन सातवें को सैंक्शन नहीं मिली जब तक कि वह डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास अपनी शिकायत लेकर नहीं पहुंचा। इस तरह से लोन सैंक्शन करने में भी गड़बड़ी और पक्षपात होता है। ऐसी हालत में मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट है कि इन फाइनेंशियल कार्पोरेशन्स के कारनामों को अच्छी तरह देखें। इस सिलसिले में पहले भी आपके नोटिस में कई बातें लाया था, चूंकि इन्हें आप फाइनैंस करते हैं। आज से दो साल पहले भी मैंने इनके क्रिया-कलापों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया था, आज मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि इन हालात को मद्देनजर रखते हुए आप इनकी फाइनैंशियल पोजीशन को रिव्यू करें, और यह देखें कि डिजर्विंग लोगों को सही ढंग से लोन मिल सके, और सहायता मिल सके।

<u>श्री पी. राम गोपाल (लद्दाख)</u>: उपाध्यक्ष जी, स्टेट फाइनेंशल कार्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 1985 इस समय सदन में डिस्कस हो रहा है और इस पर बहुत से साथियों ने अपने सजेशन्स दिये हैं। मैं सिर्फ इस थोड़े से वक्फे में अपने स्टेट में जो फाइनेंशल कार्पोरेशन है उस के क्रियाकलापों की ओर ही फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

जैसा कि यहां बहुत से साथियों ने पहले ही कहा है उन फाइनेंशल कार्पोरेशन्स के जरिये जिन लोगों को वास्तव में फायदा मिलना चाहिये उन को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले कुछ ट्रांसपोर्टर्स ही उसका फायदा उठा रहे हैं, और उन को ही लोन सैंक्शन होते हैं और हर तरह की सहायता मिलती है। दूसरी ओर जो हमारे समाज के डिप्राइव्ड लोग हैं जो अनएजुकेटिड अन एम्पलायड हैं, या छोटे इंटरप्रेन्योर्स उनको कार्पोरेशन से कोई सहायता नहीं मिलती। खासतौर पर मैं आपका ध्यान जम्मू कश्मीर स्टेट की फाइनेंशल कार्पोरेशन की ओर दिलाना चाहता हूं।

جہاں تک میری کانسٹی چوئینسی لداخ کا تعلق ہے وہ سال میں لگ بھگ چھ مہینے اسٹریٹ کیپٹیل سے کٹ آف ہو جاتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو لیہ اور سری نگر کے بیچ اسی دوران دو تین بار ہوائی جہاز سے چکر کاٹنا پڑتا ہے کیونکہ ان کارپوریشنس کا کوئی برانچ لداخ میں نہیں ہے ان کارپوریشنس کا کام کرنے کا ڈھنگ ہی نرالا ہونا چاہیئے کہ جو بھی چھوٹا انٹرپرینیور ہو یا لون لینے والا ہو ان کے لئے بھی کوئی ایسی بک لیٹ یا گائیڈ لائنس ہونی چاہیئے جس میں سارے پروسیجر کا حوالہ دیا گیا ہو اور ان کو پتہ چل سکے کہ اب انہیں کون سا اسٹیپ اٹھانا ہے دوسرا کام کیا ہوگا اور اس کے بعد کیا کرنا ہوگا۔ یہی ان کو ایسی گائیڈ لائنس مل جائیں گی تو وہ وقت رہتے سارے پیپرس یا ڈاکومینٹس بنوا کر پرسنٹ کر سکتے ہیں اور ساری فارمیلیٹیز پوری کر سکتے ہیں۔ پر نتو ایسا کوئی پراوِدھان ان کارپوریشنس میں نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہی لون کے فارم میں ۵ ایجکشن لگائے جاتے ہیں تو کبھی بھی پانچوں ایجکشنس ایک ساتھ پوائنٹ آؤٹ نہیں کئے جاتے۔ سب سے پہلے اس کو ایک ایجکشن کے بارے میں بتایا جائے گا کہ تمہارے فارم میں یہ چیز کمی ہے جب وہ اسی کو دور کر کے لائیگا تو اس کو دوسرے ایجکشن کے بارے میں بتایا جائیگا۔ مطلب یہ ہے کہ یا پنچ ایجکشنس کے بارے میں کبھی اس کو اکٹھا نہیں بتایا جاتا۔ یہی اسکو پانچوں ایجکشنس ایک بار میں ہی بتا دیا جاتا تو اس کا کافی سمے اور پیسہ بچ جاتا۔ اس طرح سے یہ کارپوریشنس کرپشن کا بہت بڑا اڈا بنی ہوئی ہیں

جموں کشمیر فائنینشل کارپوریشن اس سمے کافی لاس میں چل رہی ہے جموں کشمیر میں کچھ ٹینڈنسی اس طرح کی ہے کہ لوگ کسی نہ کسی ڈھنگ سے پہلے لون لے لیا جائے اور بعد میں کھا لیا جائے۔۔۔ (گھنٹی) میں بس کمپلیٹ کر رہا ہوں لیکن قرضے کی وصولی پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی اسی لئے میری آپ سے پرارتھنا ہے کہ اس طرف توجہ دینی چاہیئے کہ جیسے یہاں پر ڈوگرا صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت صحیح پوائنٹ بتایا اور ایک کیس کا حوالہ بھی دیا کہ لون سینکشن کرنے میں بھی کمیونل کنسڈریشن کیا جاتا ہے اور اس کارن مائنارٹیز کے لوگوں کو بہت مشکل سے لون ملتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ لون لینے کے لئے لوگوں نے درخواست دی جن میں ۷ لوگ ایک کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تھے ان کو تو فٹافٹ لون سینکشن کر دیا گیا لیکن ساتویں کو سینکشن نہیں ملی جب تک کہ وہ ڈپٹی چیف منسٹر کے پاس اپنی شکایت لے کر نہیں پہنچا۔ اس طرح سے لون سینکشن کرنے میں بھی گڑبڑی اور پکشپات ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں میری فائنینس منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ان فائنینشل کارپوریشنس کے کارناموں کو اچھی طرح دیکھیں۔ اسی سلسلے میں پہلے بھی آپ کے

दोस्त में लाई बातें लाया हूं जो कि आप फाइनेंसिंग करते हैं - आज से दो साल पहले भी मैं ने इन के बारे में कुछ बातें की थीं और आप का ध्यान दिलाया था - आज फिर मैं आप से निवेदन करूंगा कि इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप इन की फाइनेंशल पोजीशन को रिव्यू करें और देखें कि ड्राइविंग लोगों को सही ढंग से लोन मिल सके और सहायता मिल सके। शुक्रिया।

5.59 म० व०

कार्य मंत्रणा समिति

आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.00 म० व०

सभा [illegible] बुधवार, 24 जुलाई, 1985, 2 श्रावण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-53